विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना	-	**vii**
विहंगावलोकन	-	**ix-xvi**
अध्याय – I		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन		
परिचय	1.1-1.3	1
लेखापरीक्षा अधिदेश	1.4-1.6	1-2
राज्य सा0क्ष0उ0 में निवेश	1.7-1.9	2-3
बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/अर्थसाहाय्य, प्रत्याभूति एवं ऋण	1.10-1.11	3-4
वित्तीय लेखों के साथ समाधान	1.12-1.13	4-5
सा0क्षे0उ0 का कार्य–निष्पादन	1.14-1.20	5-7
लेखाओं के अन्तिमीकरण के बकाये	1.21-1.26	7-8
अकार्यशील सा0क्षे0उ0 का समापन	1.27-1.29	8
लेखों पर टिप्पणियाँ तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा	1.30-1.35	9-11
लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूली	1.36	12
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति	1.37	12
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना	1.38	13
ऊर्जा क्षेत्र में सुधार	1.39-1.40	13-15
अध्याय – II		
सरकारी कम्पनी से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा		
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की निष्पादन लेखापरीक्षा	**2.1**	
कार्यकारी सारांश	-	17-20
परिचय	2.1	20-21
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	2.2	21
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.3	21-22
लेखापरीक्षा मापदण्ड	2.4	22
लेखापरीक्षा पद्धति	2.5	22-23
निष्पादन लेखापरीक्षा के चरण	2.6	23
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	2.7	23
अधिप्राप्ति	2.8	23-24
भण्डारण प्रबन्धन	2.9	25-27
परिवहन तथा हथालन	2.10	27-28
वितरण	2.11	28-31
वित्तीय प्रबन्धन	2.12	32-34

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
मानव संसाधन तथा आन्तरिक नियंत्रण	2.13	34-35
व्यवसायिक क्रियाकलापों का कम्प्यूटरीकरण	2.14	35-36
विविध	2.15	36-37
निष्कर्ष		37-38
अनुशंसाएँ	-	38
अध्याय – III		
सांविधिक निगम से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा		
बिहार में विद्युत–शक्ति वितरण उपयोगिता की निष्पादन लेखापरीक्षा	**3.1**	
कार्यकारी सारांश	-	39-42
परिचय	3.1	42-43
लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्य पद्धति	3.2	43
लेखापरीक्षा उद्देश्य	3.3	44
लेखापरीक्षा मानदण्ड	3.4	44
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	3.5	45
वितरण नेटवर्क योजना	3.6	45-48
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन		48
ग्रामीण विद्युतीकरण	3.7	48-53
ए0पी0डी0आर0पी0 योजना का कार्यान्वयन	3.8	53-56
पुर्नगठित त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम	3.9	57-59
प्रचालन क्षमता	3.10	59-62
सब–ट्रांसमिशन तथा वितरण क्षति	3.11	62-68
विपत्रीकरण क्षमता	3.12	68-74
वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम	3.13	74-77
वित्तीय प्रबन्धन	3.14	77-81
उपभोक्ता तुष्टीकरण	3.15	81-82
ऊर्जा संरक्षण	3.16	82-83
ऊर्जा लेखांकन तथा लेखापरीक्षा	3.17	83
उच्च प्रबंधन द्वारा अनुश्रवण	3.18	83-84
निष्कर्ष	-	84-85
अनुशंसाएँ	-	85
अध्याय – IV		
कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षण		
सरकारी कम्पनियाँ		
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड		
भूमि के पंजीकरण नहीं होने के कारण ₹ 2.91 करोड़ की हानि	4.1	87-88
बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम लिमिटेड		
मुख्यमंत्री राहत कोष में अनियमित अनुदान ₹ एक करोड़	4.2	88-89

विषय सूची

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
मुद्रित पाठ्य–पुस्तकों के ससमय आपूर्ति में विफलता के फलस्वरूप ₹ 4.76 करोड़ का निष्फल व्यय		4.3	89-90
बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड			
अनुबन्ध के नियमों एवं शर्तो के अनुपालन में विफलता के कारण प्राप्यों की वसूली न होना		4.4	90-91
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड			
लेबर सेस के कटौती नहीं करने से अनुचित दायित्व का सृजन		4.5	91-92
बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड			
चल एवं अचल सम्पतियों की सुरक्षा हेतु अपर्याप्त व्यवस्था		4.6	92-94
नौ सरकारी कम्पनियाँ			
कर्मचारी भविष्य निधि में अत्यधिक अंशदान का परिहार्य व्यय		4.7	94-95
सांविधिक निगम			
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड			
बोर्ड को हानि		4.8	96
एनर्जी मीटरों के क्रय में हानि		4.9	97-98
सामान्य		-	
निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया		4.10	98-99
परिशिष्ट			
1	31 मार्च 2011 को सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के संदर्भ में प्रदत्त पूँजी, बकाया ऋणों एवं मानव शक्ति को दर्शानेवाली विवरणी	1.7	101-107
2	सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष, जिसका लेखा सम्पूर्ण हो गया था, का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	1.14	108-115
3	वर्ष के दौरान बजट के अतिरिक्त प्राप्त प्रतिभूति/ऋण, प्राप्त/प्राप्त होने योग्य अनुदान और अर्थसाहाय्य, प्राप्त प्रतिभूतियाँ, बकाए का अधित्याग, ऋण जिसे बट्टे खाते में डाला गया एवं वर्ष के दौरान अंश में परिवर्तित किया गया ऋण एवं मार्च 2011 के अंत तक प्रतिभूति देयताओं को दर्शाने वाली विवरणी	1.10	116-118

विषय सूची

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
4	सा0क्षे0उ0 जिनके लेखे बकाये में हैं, में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश को दर्शाने वाली विवरणी	1.24	119-121
5	सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी	1.14	122-124
6	सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों की विवरणी	1.14	125-126
7	विगत पाँच वर्षो में धान/गेहूँ की अधिप्राप्ति	2.8.1	127
8	विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा अपने विभिन्न जिला कार्यालयों के माध्यम से समस्त खाद्यान्नों का आवंटन और उठाव	2.11.1	128
9	अनाज का उठाव नहीं होने के कारण सीमान्त राशि की हानि से सम्बन्धित विवरणी	2.11.1	129
10	विभिन्न योजनाओं में खाद्यान्नों के विचलन से सम्बन्धित विवरणी	2.11.2	130-133
11	सीमान्त दर की असंशोधन के कारण हानि से सम्बन्धित विवरणी	2.12.1	134
12	2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान राज्य में पूर्ण रूप से वितरण नेटवर्क योजना के विरुद्ध उपलब्धि का ब्यौरा से सम्बन्धित विवरणी	3.6.1	135
13	अतिरिक्त आधारभूत संरचना नियोजन के बेमेल होने से सम्बन्धित विवरणी	3.6.1	136
14	संविदा प्रदान करने में विलम्ब के कारण लागत वृद्धि से सम्बन्धित विवरणी	3.7.2	137
15	मीटर के संस्थापन के प्रगति को दर्शाती विवरणी	3.9.4	138
16	वर्ष 2006–11 के दौरान स्त्रोत–वार विद्युत शक्ति क्रय को दर्शाती विवरणी	3.10.1	139
17	गंगोत्री आइरन एण्ड स्टील कम्पनी, बिहटा, उपभोक्ता संख्या 6771/बी0टी0 के माँग भार के अल्प निर्धारण के कारण हुई राजस्व की हानि को दर्शाती विवरणी	3.12.5	140
18	वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान टैरिफ में प्रति साहाय्य के तत्व को दर्शाती विवरणी	3.14.4	141
19	लेबर सेस और उस पर दण्डीय ब्याज के कारण दायित्व को दर्शाती विवरणी	4.5	142-143
20	कम्पनीवार कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान का अधिक भुगतान	4.7	144

विषय सूची

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
21	आपूर्तिदाता को हुए अधिक भुगतान को दर्शाती विवरणी	4.8	145
22	क्रय आदेश का एवं सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक मीटरों के दर को दर्शाती विवरणी	4.9 (क)	146
23	क्रय आदेश का ब्यौरा एवं दर तथा सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर की आपूर्तित संख्या को दर्शाती विवरणी	4.9 (ख)	147
24	विभागवार बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाती विवरणी	4.10	148
25	विभागवार प्रारूप कंडिकाएँ/समीक्षाएँ जिनके उत्तर अप्राप्त हैं, को दर्शाती विवरणी	4.10	149

प्रस्तावना

सरकारी वाणिज्यिक संस्थायें, जिनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं :

(i) सरकारी कम्पनियाँ,

(ii) सांविधिक निगमें, एवं

(iii) विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम ।

2. यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सहित सांवधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंध रखता है तथा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा शर्त्तों) अधिनियम, 1971, यथा समय–समय पर संशोधित धारा 19–क के अधीन बिहार सरकार के समक्ष प्रस्तुति हेतु तैयार किया गया है। विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा का परिणाम, 31 मार्च 2011 को समाप्त भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) बिहार सरकार में अन्तर्निष्ट है।

3. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के द्वारा की जाती है।

4. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, जो सांविधिक निगमें हैं, के संबंध में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है। राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुरूप बिहार राज्य वित्तीय निगम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदित सूची में से सनदी लेखाकारों को नियुक्त कर लेखापरीक्षा कराने के अतिरिक्त नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को उनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। बिहार राज्य भंडार निगम के संबंध में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को उनकी सहमति से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त उनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक, बिहार विद्युत विनियामक आयोग के एकमात्र लेखापरीक्षक हैं। इन निगमों के वार्षिक लेखाओं का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अलग से राज्य सरकार को भेजे जाते हैं।

5. इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लेखित हैं, जो वर्ष 2010–11 के दौरान लेखाओं की लेखापरीक्षा के क्रम में देखने में आये, साथ–साथ वे जो पूर्व के वर्षो में ध्यान में आए किन्तु पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलत नही किये जा सके। 2010–11 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी जहाँ आवश्यक समझे गये, सम्मिलित कर लिए गये हैं।

6. इस प्रतिवेदन में सन्निहित सामग्रियों के मामले में लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानक के अनुरूप संचालित की गई हैं।

विहंगावलोकन

1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित है। कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 के द्वारा भी की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से शासित होती है। 31 मार्च 2011, तक बिहार राज्य में 25 कार्यशील (21 कम्पनियाँ तथा चार सांविधिक निगम) एवं 40 अकार्यशील सा0क्षे0 उपक्रमों (सभी कम्पनियाँ) थे जिनमें 0.19 लाख कर्मचारी कार्यरत थे। अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य कार्यशील सा0क्षे0 उपक्रमों ने 2010–11 में ₹ 4031.46 करोड़ का आवर्त प्राप्त किया। यह आवर्त राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 1.89 प्रतिशत था। 30 सितम्बर 2011 तक अंतिमिकृत लेखों के अनुसार सा0क्षे0 उपक्रमों की संचित हानि ₹7212.86 करोड़ थी।

सा0क्षे0 उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2011 को, 65 सा0क्षे0 उपक्रमों में ₹ 10865.23 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था । 2010–11 में कुल निवेश का 82.73 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र में था। 2010–11 में, सरकार ने ₹ 2024.48 करोड़ पूँजी, ऋण और अनुदान/साहाय्य के लिए दिये।

स0क्षे0 उपक्रमों का निष्पादन

अद्यतन अंतिमिकृत किए गए लेखों के अनुसार, 25 कार्यशील सा0क्षे0 उपक्रमों में से 10 सा0क्षे0 उपक्रमों ने ₹ 89.80 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा 11 सा0क्षे0 उपक्रम को ₹ 1383.23 करोड़ की हानि हुई। लाभ में योगदान करने वालों में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 45.08 करोड़) एवं बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (₹ 23.99 करोड़) मुख्य थे। अधिक हानि वहन करने वालों में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (₹ 1294.98 करोड़) एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 55.74 करोड़) थे।

लेखापरीक्षा द्वारा सा0क्षे0 उपक्रमों के कार्यकलापों में कई कमियाँ पायी गयीं। सी0ए0जी0 के अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य कार्यशील सा0क्षे0 उपक्रमों ने, उनके वित्तीय प्रबन्धन, योजना एवं कार्यान्वन में कमियों के कारण ₹ 1539.24 करोड़ की हानि वहन की तथा ₹ 28.94 करोड़ का निवेश निष्फलित रहा।

लेखों की गुणवत्ता

सा0क्षे0 उपक्रमों के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। वर्ष 2010–11 में सभी 30 कम्पनियों के लेखों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिले। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन कमजोर रहा क्योंकि वर्ष के दौरान 16 लेखों में लेखांकन मानकों के उल्लंघन संबंधी 26 उदाहरण पाए गए।

बकाया लेखे एवं समापन

30 सितम्बर 2011 तक 25 कार्यकारी सा0क्षे0 उपक्रमों के 186 लेखे बकाया थे। बकाया लेखों की अवधि एक से 21 वर्षों तक थी। यहाँ 40 अकार्यशील सा0क्षे0 उपक्रम थे, जिनमें सात समापन की प्रक्रिया में थे।

(अध्याय – I)

2. सरकारी कम्पनी से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

'बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड' की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा परिणामों पर कार्यकारी सारांश निम्नवत् है:

परिचय

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) का निगमीकरण अप्रैल 1973 में हुआ। कम्पनी का क्रियाकलाप सरकारी योजना के तहत खाद्यान्नों के उठाव व उनका वितरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना (न्यू0स0मू0) के अन्तर्गत अनाजों की अधिप्राप्ति, तरल पेट्रोलियम गैस केन्द्रों का परिचालन, लेवी चीनी का वितरण और अनाजों का जेल में आपूर्ति तक विस्तारित था। वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा, जिसकी अवधि 2006–11 है, में देखा गया कि कम्पनी अपनी निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्यों को प्रभावकारी एवं कुशलता के साथ क्रियान्वित कर रही है या नहीं एवं क्या ये निर्धारित क्रिया–विधि के अनुरूप है।

राज्य के नोडल एजेंसी के रूप में वर्ष 2007–11 की अवधि में, गेहूँ की खरीद में इसके हिस्सेदारी का परास 14.29 प्रतिशत से 14.71 प्रतिशत के बीच तथा धान की खरीद में इसके हिस्सेदारी का परास 7.84 प्रतिशत से 10.71 प्रतिशत के बीच था। वर्ष 2006–11 की अवधि में गेहूँ एवं चावल की अधिप्राप्ति के विरूद्ध विविध योजनाओं के अन्तर्गत वितरण 99.94 प्रतिशत था।

अधिप्राप्ति

कम्पनी ने 2006–11 की अवधि में निर्धारित धान की खरीद के लक्ष्य के विरूद्ध 11.25 प्रतिशत से 87.20 प्रतिशत की अधिप्राप्ति की। गेंहूँ के मामले में, वर्ष 2006–11 के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध अधिप्राप्ति 15.30 प्रतिशत तथा 68.56 प्रतिशत के बीच रहा। तथापि वर्ष 2010–11 की अवधि के लिए धान एवं गेहूँ की खरीद लक्ष्य के विरूद्ध अधिप्राप्ति 20 प्रतिशत से कम था। अधिप्राप्ति मौसम के आरंभ से पूर्व अधिप्राप्ति केन्द्रों तथा किसानों की पहचान के लिए कोई योजना नहीं थी। विभिन्न डी0एल0ओ0 द्वारा कम्पनी के अधिप्राप्ति क्रियाकलापों के अनुरक्षण हेतु कम्पनी द्वारा कोई व्यवस्था नहीं थी। एस0जी0आर0वाई0 के तहत अनाजों के उठाव नहीं होने के कारण डी0एल0ओ0 गया में ₹ 81.27 लाख की राशि अवरूद्ध रही।

भण्डारण प्रबंधन

कम्पनी के पास 387 गोदाम थे जिनकी कुल भण्डारण क्षमता 1.35 लाख एम0टी0 थी। वर्ष 2006–11 के दौरान कम्पनी ने जमुई में मात्र एक छोटा गोदाम(1000 एम0टी0 क्षमता) का निर्माण किया।

सरकार द्वारा 47000 एम0टी0 क्षमता के निर्माण के निर्णय (सितम्बर 2008) के अनुसरण में कम्पनी ने ₹ 33.48 करोड़ का प्राक्कलन उपस्थापित किया। न तो कम्पनी द्वारा इस मामले में किसी भी प्रकार की कार्यवाही हुई और न ही सरकार द्वारा भण्डारण क्षमता में वृद्धि के लिए अभी तक कोई कार्यवाही की गई। (नवम्बर 2011)।

45,250 एम0टी0 क्षमता के 44 चिह्नित क्षतिग्रस्त गोदामों को ₹ 4.32 करोड़ की मरम्मती लागत पर मरम्मती कर उपयोग में लाने के सरकार का निर्णय (जुलाई 2008) कारगर नहीं हो सका क्योंकि मरम्मती कार्य अधूरा था यद्यपि कम्पनी ने 4400 एम0टी0 क्षमता के पाँच गोदामों की मरम्मती हेतु ₹ 7.86 लाख निर्गत किया। शेष 39 गोदामों की मरम्मती नहीं हुई थी (नवम्बर 2011) तथा कम्पनी 45250 एम0टी0 भण्डारण क्षमता का निर्माण नहीं कर सकी थी।

अतिरिक्त 3800 एम0टी0 क्षमता के निर्माण हेतु 38 अपना क्षतिग्रस्त/अपूर्ण गोदाम की मरम्मती मार्च 2009 से लम्बित थी।

वर्ष 2008–10 के दौरान दो डी0एल0ओ0 यथा भोजपुर और नालंदा द्वारा खरीदा गया 21,243 क्विंटल धान में से 16,169.06 क्विंटल धान, जिसका मूल्य ₹ 1.47 करोड़ था, कूटे जाने के लिए मिल में 30 महीनों से पड़ा रहा जिसके परिणामस्वरूप निधि अवरूद्ध हुआ तथा धान की गुणवत्ता में गिरावट आने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

परिवहन एवं हथालन

कम्पनी द्वारा जिला प्रशासन के प्रभावकारी अनुसरण के अभाव में नौ डी0एल0ओ0 के मामले में मई 2011 तक परिवहन एवं हथालन शुल्क और परिणामी ब्याज हानि के मद में ₹ 20.08 करोड़ का अवरुद्धीकरण हुआ।

वर्ष 2006–08 के दौरान मधुबनी एवं अररिया में परिवहन अभिकर्ताओं द्वारा समय पर आवश्यकता के अनुरूप ट्रक नहीं उपलब्ध कराने पर 7.76 लाख क्विंटल अनाज व्यपगत हो गए जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 2.38 करोड़ अंशदान मार्जिन की हानि हुई तथा कम्पनी लक्षित लाभान्वितों को अनाज की आपूर्ति नहीं कर सकी।

वितरण

वर्ष 2006–11 के दौरान विविध योजनाओं के अन्तर्गत 68.72 लाख एम0टी0 खाद्यान्न के कम उठाव के कारण, कम्पनी को ₹ 203.45 करोड़ के मर्जिन मनी से वंचित रहना पड़ा।

कम्पनी में खाद्यान्न का, एक योजना से दूसरे योजना में बिना समान मात्रा के मूल योजना में वापसी किए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि लक्षित लाभान्वितों योजना के अन्तर्गत वांछित लाभ से वंचित न हुए हों, विचलन हुआ । विचलन के परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 25.74 करोड़ का लाभ हुआ तथा ₹ 25.53 करोड़ की हानि भी हुई।

कम्पनी को 3346 क्विंटल लेवी चीनी का समय पर निपटान नहीं होने के कारण ₹ 52.11 लाख की हानि उठानी पड़ी।

किशोर बालिका आहार (एन0पी0ए0जी0) योजना के तहत गया जिला में वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में क्रमशः 85.06 प्रतिशत और 37.07 प्रतिशत लाभान्वितों को लाभ नहीं पहुँचा।

भुखमरी से बचाव हेतु प्रति पंचायत एक क्विंटल अनाज बाँटें जाने की सरकारी योजना के कार्यान्वयन हेतु, कम्पनी के कार्य–योजना के अभाव के कारण डी0एल0ओ0, नालंदा द्वारा 104 क्विंटल गेंहूँ निर्गत नहीं की जा सकी।

डी0एल0ओ0, नवादा में अप्रैल 2010 से मई 2010 के बीच एम0डी0एम0 योजना के तहत 599.60 क्विंटल चावल का निर्गमन नही हुआ जिसका योजना के क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

कम्पनी ने अपनी गतिविधियों को तरल पेट्रोलियम गैस (एल0पी0जी0) के वितरण से विस्तारित किया जिसके लिए कम्पनी को आई0ओ0सी0एल0 से प्रति सिलिन्डर ₹ 22.17 का मार्जिन मिल रहा था। वर्ष 2006–11 की अवधि में कम्पनी द्वारा रिफिल बेचने का वार्षिक औसत एक से कम था एवं कम्पनी के समग्र निष्पादन में अवनति हुआ तथा अंशदान मार्जिन की हानि हुई।

वित्तीय प्रबन्धन

परिचालन व्यय के वहन हेतु 2002 में अनुमोदित अंशदान मार्जिन, 2002 की तुलना में 2010–11 में परिवहन एवं हथालन लागत में भारी वृद्धि के बावजूद, नौ वर्षों से संशोधित नहीं किया गया था। वर्तमान मर्जिन ₹ 21 से ₹ 35 प्रति क्विटंल में वृद्धि (नवम्बर 2009) कर इसे ₹ 45 प्रति क्विटंल करने का प्रस्ताव अभी तक अनुमोदित नहीं हुआ था जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी वर्ष 2009–11 के दौरान ₹ 84.02 करोड़ की वसूली नहीं कर सकी। आगे कम्पनी ने सभी योजनाओं के लिए मार्जिन मनी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया (फरवरी/मार्च 2011) जिस पर निर्णय सरकार के पास लम्बित था (नबम्बर 2011)।

चीनी की अधिप्राप्ति मूल्य तथा बिक्री मूल्य के अन्तर की प्रतिपूर्ति एफ0पी0एस0 डीलर को, सरकार द्वारा मार्जिन के अनुमोदित दर से, किया जाता है। उपभोक्ता मामले तथा जनवितरण मंत्रालय द्वारा वांछित प्रस्ताव की प्राप्ति पर मार्जिन में वार्षिक संशोधन का मानक निर्धारित है। अक्टूबर 2005 से स्वीकार्य मार्जिन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। यद्यपि, कम्पनी ने मूल्य समानीकरण हेतु मार्जिन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया (दिसम्बर 2006), यह राज्य सरकार के स्तर पर लम्बित था (नबम्बर 2011)।

प्रमाणिक प्रमाण पत्रों के अभाव में एफ0सी0आई0 को प्रस्तुत सितम्बर 2006 से मार्च 2007 की अवधि का ₹ 3.43 करोड़ की राशि के विशिष्ट चीनी मार्जिन का दावा स्वीकार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा उनके डी0एल0ओ0 से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण अगस्त 2009 से नवम्बर 2010 की अवधि का ₹ 68.24 करोड़ का दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था (नवम्बर 2011)।

मानव संसाधन तथा आन्तरिक नियंत्रण

कुल कार्यरत कर्मचारी की संख्या 31.01.2011 को 1040 थी।

2006–11 के दौरान लेखा कर्मचारी एवं स0गो0प्र0 की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी के लेखे वर्ष 1990–91 से बकाए में थे।

कम्पनी ने लेखे और आन्तरिक लेखापरीक्षा नियमावली तैयार नहीं किए थे।

वर्ष 2009–10 तक के तैयार आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को कम्पनी के निदेशक पर्षद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था जिससे कम्पनी के हित के मामले में न्यूनताओं का निपटाव किया जा सके।

31 मार्च 2011 तक खाद्यान्न में कमी के लिए 257 कर्मचारी उत्तरदायी ठहराए गए थे। अनाज की कमी के मद में ब्याज सहित, कुल ₹ 29.94 करोड़ के दावे में से ₹ 5.73 करोड़ की वसूली हुई थी तथा ₹ 24.21 करोड़ की राशि वसूल की जानी थी।

व्यवसायिक क्रियाकलापों का कम्प्यूटरीकरण

कम्पनी ने अपने व्यवसायिक क्रियाकलापों को कम्प्यूटरीकृत करने का निर्णय (मार्च 2007) लिया।

कमजोर नियोजन के कारण 49 महीने व्यतीत होने के बाद भी कम्पनी के कम्प्यूटरीकरण का कार्य अपूर्ण था जिसके परिणामस्वरूप यथा विचारित ₹ 4.72 करोड़ की बचत करने के अवसर से कम्पनी वंचित रहा।

विविध

एफ0सी0आई0 के विरूद्ध जूट बोरियों के 431 वेल्स जिनका मूल्य ₹ 65.55 लाख था, का निपटारा एफ0सी0आई0 के द्वारा अंतिम दर का निर्धारण नहीं किए जाने के कारण, जुलाई 2009 से लम्बित था।

2006–11 के दौरान चार डी0एल0ओ0 द्वारा अधिप्राप्त 4,58,156 जूट बोरियों के विरूद्ध केवल 1,72,526 (37.66 प्रतिशत) जूट बोरियों का ही उपयोग हुआ जो इंगित करता है कि जूट बोरियों की खरीद बिना उनकी आवश्यकता आकलन के किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 87.40 लाख का निधि अवरूद्ध रहा।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

वर्ष 2010–11 में कम्पनी द्वारा धान एवं गेहूँ अधिप्राप्ति के लक्ष्य प्राप्ति का स्तर 20 प्रतिशत से कम पर आ गया जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को अंशदान मार्जिन की हानि होने लगी। खरीद मौसम के आरंभ से पूर्व अधिप्राप्त केन्द्रों और किसानों की पहचान कर अधिप्राप्ति स्तर को सुधारने पर कम्पनी विचार कर सकती है।

कम्पनी के भण्डारण प्रबंध में सुधार की जरूरत है, क्योंकि अतिरिक्त भण्डार के निर्माण से अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का सृजन, अपने क्षतिग्रस्त गोदामों की मरम्मती तथा प्रयोग, सहकारी समितियों के गोदामों को किराए पर लेने की शुरूआत समीक्षा अवधि में कारगर नहीं हुई। कम्पनी अतिरिक्त भण्डारण क्षमता की प्राप्ति के लिए अपने क्रियाकलाप को बढ़ा सकती है।

चूँकि परिवहन अभिकर्ताओं ने समय पर ट्रक उपलब्ध नहीं कराया, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी आवंटित खाद्यान्न का उठाव नहीं कर सकी, इसलिए परिवहन अभिकर्ता प्रबन्धन पर कठोर नियंत्रण रखने की जरूरत है।

एक योजना से दूसरे योजना में अनाजों के विचलन का दृष्टान्त पाया गया, जिससे योजना के लाभान्वितों को लाभ से वंचित रहना पड़ा। कम्पनी उपयुक्त नियंत्रण प्रक्रिया स्थापित कर सकती है जहाँ ऐसे विचलनों को टाला जा सके तथा अपरिहार्य विचलन की स्थिति में, क्रिया–विधि ऐसी हो जो विचलित मात्रा की भरपाई कर सके ताकि लक्षित लाभान्वितों को लाभ पहुँच सके।

निरन्तर अंशदान मार्जिन का संशोधन नहीं होने तथा प्रतिपूर्ति दावा का समय पर उपस्थापन नहीं होने से कम्पनी को बकाया से वंचित रहना पड़ा। कम्पनी राज्य सरकार को मार्जिन में उपयुक्त संशोधन के लिए राजी कर सकती है ताकि परिचालन लागत की भरपाई हो सके तथा इसे वैध प्रमाणपत्रों के साथ ससमय अपने दावे प्रस्तुत करना चाहिए।

1990–91 से लेखाओं को तैयार नहीं किए जाने से कम्पनी के लोक उत्तरदायित्व में कमी आती है तथा इससे कपट की सम्भावना हो सकती है। कम्पनी को लेखाओं का अद्यतन करना सुनिश्चित करना चाहिए।

(अध्याय–II)

3. सांविधिक निगम से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

'बिहार के ऊर्जा शक्ति वितरण उपयोगिताओं' की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा परिणामों पर कार्यकारी सारांश निम्नवत् है:

परिचय

विद्युत–शक्ति क्षेत्र की वितरण प्रणाली उत्पादन तथा उपभोक्ता के बीच अंतिम संबंध स्थापित करती है। 31 मार्च 2011 तक बोर्ड के पास 1.42 लाख सर्किट किलोमीटर (सी0के0एम0) लाईन, का 473 सब–स्टेशन एवं 43491 विभिन्न क्षमता वाले वितरण ट्रांसफॉर्मर का नेटवर्क था। वर्ष 2010–11 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) का आवर्त (टर्नओवर) ₹ 2409.69 करोड़ था, जो कि राज्य लोक क्षेत्र उपक्रम का आवर्त के 47.14 प्रतिशत तथा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 1.13 प्रतिशत के बराबर था। 31 मार्च 2011 तक इसने 11651 कर्मचारियों को रोजगार प्रदान किया।

वितरण नेटवर्क योजना

समीक्षा अवधि के दौरान 291 सब–स्टेशन तथा 3062.7 एम0वी0ए0 क्षमता की आयोजित वृद्धि के विरूद्ध, वितरण प्रणाली में केवल 111 सब–स्टेशन तथा 1912.70 एम0वी0ए0 की वृद्धि हुई। वर्ष 2010–11 में अप्रभावी अंचल–वार योजना के कारण आयोजित परिणमन (प्लाण्ड ट्रांसफॉर्मेशन) क्षमता तथा प्रक्षिप्त सम्बद्ध (प्रोजेक्टेड कनेक्टेड) लोड में भारी अंतर आ गया।

अप्रभावी योजना

40 पी0एस0एस0 के निर्माण की योजना बनाने के साथ–साथ इसके संबद्ध लाईनों के निर्माण की योजना नहीं की गई थी। फलस्वरूप, ₹ 11.53 करोड़ के व्यय से निर्मित 40 पी0एस0एस0 में 12 पी0एस0एस0 को आवेशित नहीं किया जा सका तथा यह आठ महीनों से बेकार पड़ा रहा। इसके अतिरिक्त, अप्रभावी योजना के कारण जोड़ने वाली लाइनों के निर्माण की लागत में अनुमानित लागत से ₹ 4.80 करोड़ की वृद्धि हो गई।

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन

ग्रामीण विद्युतीकरण

शत प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका। 28140 लक्षित गाँवों में मार्च 2011 तक केवल 20573 गाँवों में विद्युतीकरण के आधारभूत संरचना का कार्य पूर्ण हुआ था। बिहार के आठ जिलों में, जहाँ बोर्ड कार्यकारी अभिकर्ता था, अक्टूबर 2011 तक विद्युतीकरण किए जाने वाले 4714 गाँवों में केवल 1920 गाँव का ही विद्युतीकरण हो सका। 27.62 लाख बी0पी0एल0 ग्रामीण घरों (आर0एच0एच0) में विद्युत उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरूद्ध, केवल 18.18 लाख (65.83 प्रतिशत) ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण किया गया (सितम्बर 2011)।

संविदा प्रदान करने में अत्यधिक विलम्ब के कारण परियोजना लागत में ₹ 103.69 करोड़ की वृद्धि हुई तथा आर0जी0जी0वी0वाई के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।

3038 डी0टी0आर0 के संस्थापन में हुए ₹ 24.18 करोड़ की राशि का व्यय निष्फल हुआ, चूँकि अप्राधिकृत कनेक्शन को रोकने में बोर्ड की सुस्ती के कारण डी0टी0आर0 गारंटी अवधि में ही खराब हो गए।

ए0पी0डी0आर0पी0

भूमिगत तार बिछाने के कार्य के निष्पादन हेतु अधिनिर्णय प्रक्रिया का पालन किए बिना बोर्ड ने ए0पी0डी0आर0पी0 स्कीम का निष्पादन कार्य करने के लिए पी0जी0सी0आई0एल0 (परामर्शदाता) को मनोनीत किया। यदि बोर्ड ने स्कीम का कार्य स्वयं किया होता, तो बोर्ड को पर्यवेक्षण प्रभार के मद में ₹ 6.24 करोड़ की बचत हुई होती। पुनः परियोजना लागत के कम–प्राक्कलन के कारण बोर्ड ₹ 2.95 करोड़ के अनुदान प्राप्त करने के अवसर को खो दिया। इसके अतिरिक्त, बोर्ड के अकुशल अनुश्रवण एवं निम्नस्तरीय समन्वय के कारण परियोजना ₹ 65.69 करोड़ की लागत वृद्धि का शिकार हुई।

ऊर्जा लेखांकन द्वारा टी0 एण्ड डी0 हानि दूर करने हेतु बोर्ड ने सिस्टम मीटरिंग पर ₹ 69.21 करोड़ का व्यय किया। तथापि, संग्रहित आंकड़ो के विश्लेषण पर अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव में, बोर्ड

परियोजना का अनुमानित लाभ नहीं ले सका।

पुर्नगठित त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर0ए0पी0डी0आर0पी0)

स्कीम के गतिविधियों के समकालन नहीं करने के कारण वर्ष 2009–11 के दौरान प्राप्त ₹ 68.37 करोड़ की कुल राशि में बोर्ड मार्च 2011 तक ₹ 12.31 करोड़ ही उपयोग कर सका।

निर्दिष्ट समय में आई0टी0 क्रियान्वयन एजेंसी को नियुक्त करने में बोर्ड की असफलता के कारण आई0टी0 समर्थित प्रणाली में नौ महीनों का विलम्ब हुआ। इसके अतिरिक्त, स्काडा/डी0एम0एस0 परियोजना में आई0टी0 परामर्शदाता का चयन सात महीनें विलम्ब के बाद हुआ। 15 माह विलम्ब के बाद परामर्शदाता ने अप्रैल 2011 में डी0पी0आर0 प्रस्तुत किया, जिसका अनुमोदन पी0एफ0सी0 ने नवम्बर 2011 में किया। चूँकि डी0पी0आर0 के चयन एवं अनुमोदन में प्रारम्भिक विलम्ब था, निर्दिष्ट अवधि में परियोजना को पूर्ण करने तथा ऋण को अनुदान में परिवर्तन करने की संभावना कम थी।

बोर्ड द्वारा किसी भी वर्ष में उपभोक्ता मीटर संस्थापन करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया। लक्ष्य के विरूद्ध संस्थापित मीटर की प्रतिशतता का परास निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 26.59 प्रतिशत से 36.6 प्रतिशत था।

प्रचालन क्षमता

अअनुसूचित विनिमय के अधीन विद्युत–शक्ति का आहरण के कारण वर्ष 2006–11 के दौरान दीर्घावधि विद्युत–शक्ति क्रय की लागत की तुलना में बोर्ड ने 1211.51 एम0यू0 पर ₹ 254.26 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया। इसके अतिरिक्त, बोर्ड यू0आई0 प्रभार का भुगतान समय पर नहीं कर सका जिसके कारण वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान विलम्बित भुगतान पर ₹ 20.95 करोड़ के दाण्डिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

वर्ष 2008–09 की अवधि के अलावा, बी0ई0आर0सी0 द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत बोर्ड टी0 एण्ड डी0 हानि को कम नहीं कर सका। वर्ष 2006–11 के दौरान 1768.66 एम0यू0 ऊर्जा की हानि हुई। इसके कारण बोर्ड को ₹ 638.55 करोड़ की राजस्व हानि सहनी पड़ी।

निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान डी0टी0आर0 के खराबी की प्रतिशतता में वृद्धि हुई तथा इसका परास कुल संस्थापित डी0टी0आर0 के 10.40 तथा 17.46 प्रतिशत के बीच रहा। 120 डी0टी0आर0 गारंटी अवधि में खराब हो गए। इनमें से 112 डी0टी0आर0 दो दिन से लेकर 237 दिनों के विलम्ब के पश्चात् बदल दिया गया/मरम्मत किया गया। इसके अतिरिक्त, आठ डी0टी0आर0 पाँच माह से तीन वर्षों के विलम्ब के पश्चात् भी मरम्मत/बदले नहीं गए (दिसम्बर 2011)।

वितरण प्रणाली में कैपेसिटर बैंक का संस्थापन नहीं होने के कारण बोर्ड को 20.01 एम0यू0 की नियोजित ऊर्जा बचत नहीं हुई जिसकी कीमत ₹ 6.09 करोड़ था।

छापामारी दल द्वारा उपभोक्ताओं के संख्या की जाँच की प्रतिशतता निम्न थी तथा इसका परास 0.08 प्रतिशत से 0.24 प्रतिशत के बीच रहा।

विपत्रीकरण क्षमता

निष्पादन लेखा परीक्षा अवधि के दौरान विपत्रित किए गए ऊर्जा का परास विक्रय हेतु उपलब्ध कुल ऊर्जा का 56.36 से 61.95 प्रतिशत के बीच था। इसके अतिरिक्त, निर्धारित विक्रय मीटरगत विक्रय का 31.11 प्रतिशत से 42.04 प्रतिशत था।

ट्रांसफॉर्मर क्षमता के साक्षेप टैरिफ प्रावधानों के गलत अनुप्रयोग के कारण, बोर्ड को ₹ 4.84 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। एक एच0टी0एस0एस0 के मामले में न्यून निर्धारण तथा संविदा माँग के न्यून विपत्रीकरण के कारण भी बोर्ड को ₹ 2.45 करोड़ के राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

राजस्व संग्रहण क्षमता

वर्ष के अंत में बकाया देय राशि का परास वर्ष 2006–07 में ₹ 5749.43 करोड़ तथा वर्ष 2010–11 में ₹ 5700.20 करोड़ के बीच रहा। बकायेदार उपभोक्ताओं के विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन नहीं होने के फलस्वरूप ₹ 245.98 करोड़ तक के बकायों का अम्बार लग गया ।

वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

बोर्ड के संचित हानि में 281.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह वर्ष 2006–07 में ₹ 1524.71 करोड़ से 2010–11 में

₹ 5820.86 करोड़ हो गया। बोर्ड के हानि होने के मुख्य कारण उच्च दर पर विद्युत शक्ति का क्रय, ब्याज तथा वित्त प्रभार था।

बोर्ड का ऋण भी 52.29 प्रतिशत बढ़ गया तथा यह 2006–07 में ₹ 5577.62 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010–11 में ₹ 8493.88 करोड़ हो गया। वर्ष 2010–11 के दौरान प्रति इकाई हानि वर्ष 2006–07 में ₹ 1.12 प्रति इकाई से बढ़कर ₹1.65 प्रति इकाई हो गया।

वित्तीय प्रबंधन

कुल राजस्व आवश्यकता दाखिल करना

ए0आर0आर0 दाखिल करने में हुई विलम्ब (80 से 399 दिन) के कारण वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान बोर्ड को ₹ 963.85 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

साहाय्य सहायता

राज्य सरकार से साहाय्य सहायता का परास 42.97 प्रतिशत से 56.43 प्रतिशत के बीच रहा। यह चिंताजनक था क्योंकि चरणबद्ध तरीके से एक समयावधि के बाद साहाय्य वापस लिया जा सकता था ताकि टैरिफ उपभोक्ताओं को विद्युत–आपूर्ति के औसत मूल्य को पूर्ण कर सके।

उपभोक्ता तुष्टीकरण

उपभोक्ता शिकायतों का निवारण

वर्ष 2008–11 की अवधि के दौरान लम्बित शिकायतों का परास 33000 से 52000 के बीच था। इस अवधि के दौरान कुल शिकायतों में से निवारण किए गए शिकायतों की प्रतिशतता का परास 15.74 प्रतिशत से 27.46 प्रतिशत के बीच रहा।

ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा लेखापरीक्षा

वर्ष 2006–11 के दौरान बोर्ड ने किसी ऊर्जा संरक्षण नीति का प्रतिपादन नहीं किया। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा लेखापरीक्षा का आयोजन भी नहीं हो सका चूँकि शत प्रतिशत सिस्टम मीटरिंग नहीं हुआ था।

निष्कर्ष

बोर्ड को हानि मुख्यतः उच्च लागत पर विद्युत शक्ति का क्रय, ब्याज तथा वित्त प्रभारों के कारण हुई। बोर्ड ने विद्युत शक्ति क्रय का सही निर्धारण नहीं किया जिसके फलस्वरूप यू0आई0 के माध्यम से विद्युत शक्ति के निकास पर बोर्ड को अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। विभिन्न स्कीमों एवं अन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड ऋण पर निर्भर था। टी0 एण्ड डी0 हानि को कम कर तथा इसके प्रचालन, विपत्रीकरण एवं संग्रहण क्षमता में सुधार कर इसे घटाया जा सकता है। वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण तथा उत्थान हेतु आरंभ किए गए केन्द्र प्रायोजित स्कीमों तथा राज्य विशेष स्कीमों का ध्यानपूर्वक अनुश्रवण किया जाना चाहिए ताकि मितव्ययिता क्षमता एवं प्रभाव सुनिश्चित हो सके। बोर्ड ने ए0आर0आर0 भी समय पर समर्पित नहीं किया तथा प्रति साहाय्य देना भी मानकों से परे था।

अनुशंसाएँ

पूर्व लोड वृद्धि प्रवृति, वर्तमान लोड, तथा भविष्य में प्रक्षेपित लोड वृद्धि के आधार पर अतिरिक्त आधारभूत संरचना के सृजन हेतु योजना बनानी चाहिए ताकि प्रणाली समान रूप से समर्थ हो तथा सभी अंचलों में परिणमन (ट्रांसफॉर्मेशन) क्षमता तथा संबद्ध लोड के बीच की रिक्ति को घटाया जा सके।

समय एवं लागत वृद्धि से बचने के लिए प्रभावी संविदा प्रबंधन तथा परियोजनाओं एवं स्कीमों के निष्पादन का नियमित अनुश्रवण होना चाहिए।

बोर्ड को चरणबद्ध तरीके से टी0 एण्ड डी0 हानि कम करने के लिए प्रभावी उपाय क्रियान्वित करना चाहिए।

विपत्रीकरण प्रणाली में टैरिफ ऑडर का सही अनुप्रयोग सुनिश्चित होना चाहिए तथा बोर्ड को बकाया देय राशि की वसूली तथा संग्रहण में तत्पर रहना चाहिए।

बोर्ड को समय पर ए0आर0आर0 दाखिल करना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि संशोधित टैरिफ के विलम्बित क्रियान्वयन के कारण हुई हानि को कम किया जा सके।

बोर्ड को सभी आपूर्ति अंचल में सिस्टम मीटर का संस्थापन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि ऊर्जा लेखापरीक्षा आरंभ किया जा सके साथ ही बोर्ड को ऊर्जा संरक्षण से संबंधित जागृति अभियान की शुरूआत करनी चाहिए।

(अध्याय–III)

4. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण

प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गए कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण, लोक उपक्रमों के प्रबंधन की कमियाँ, जिनके परिणामस्वरूप गंभीर वित्तीय अनियमितताएँ हुईं, को मुख्य रूप से दर्शाती है। इंगित की गई अनियमितताएँ मुख्यतः निम्न प्रकार की हैं :-

नियमों, दिशानिर्देशों, पद्धतियों, संविदाओं के निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन न करने के कारण चार मामलों में ₹ 28.42 करोड़ की हानि/वसूली न होना।

(कंडिका 4.2, 4.4, 4.5, एवं 4.7)

अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण ₹ 21.32 करोड़ मूल्य की सम्पत्तियों का अतिक्रमण।

(कंडिका 4.6)

संगठन के वित्तीय हितों की रक्षा नहीं करने के कारण चार मामलों में ₹ 8.98 करोड़ की हानि/ निष्फल व्यय।

(कंडिका 4.1, 4.3, 4.8, एवं 4.9)

कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षाओं का सारांश निम्न प्रकार है :

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को, ससमय अपने नाम से भूमि के पंजीकरण करवाने में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 2.91 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 4.1)

बिहार राज्य पाठ्य–पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड को, शैक्षणिक वर्ष एवं पाठ्यक्रम के संशोधन से पूर्व पाठ्य–पुस्तकों के ससमय आपूर्ति में कम्पनी की विफलता, ₹ 4.76 करोड़ के निष्फल व्यय में परिणत हुआ।

(कंडिका 4.3)

बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड द्वारा, ऋण अनुबन्धों के नियमों एवं शर्तों के अनुपालन में विफल रहने के फलस्वरूप कम्पनी को ₹ 15.08 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 4.4)

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड में लेबर सेस के लागू नहीं करने के फलस्वरूप ₹ 8.19 करोड़ के अनुचित दायित्व का सृजन हुआ।

(कंडिका 4.5)

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के उल्लंघन में नौ सरकारी कम्पनियों ने भविष्य निधि में ₹ 4.15 करोड़ का अत्यधिक नियोक्ता अंशदान जमा किया।

(कंडिका 4.7)

अध्याय I

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

परिचय

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्य सा0क्षे0उ0 की स्थापना व्यवसायिक गतिविधियों को संपादित करने के लिए की जाती हैं। सितम्बर 2011 तक अंतिमीकृत किये गये लेखों के अनुसार, बिहार में राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने 2010–11 में ₹ 4031.46 करोड़ का आवर्त प्राप्त किया। यह आवर्त वर्ष 2010–11 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) का 1.89 प्रतिशत था। बिहार राज्य की सा0क्षे0उ0 की अधिकांश गतिविधियाँ विद्युत, वित्त एवं अन्य क्षेत्रों में केन्द्रित हैं। उनके अद्यतन लेखों के अनुसार राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने 2010–11 के लिये कुल ₹ 1317.93 करोड़ की हानि वहन की। 31 मार्च 2011 को उन्होनें 0.19 लाख[1] कर्मचारियों को नियोजित किया हुआ था। राज्य सा0क्षे0उ0 में सात प्रमुख विभागीय उपक्रम (डी0यू0) सम्मिलित नहीं हैं, जो व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न हैं, परन्तु सरकारी विभागों के अंग हैं। इन विभागीय उपक्रमों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्ष राज्य की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) में सम्मिलित की जाती है।

1.2 निम्न विवरणानुसार 31 मार्च 2011 को 65 सा0क्षे0उ0 थे एवं इनमें से कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचिबद्ध नहीं थी।

सा0क्षे0उ0 का प्रकार	कार्यशील सा0क्षे0उ0	अकार्यशील सा0क्षे0उ0[2]	योग
सरकारी कम्पनियाँ[3]	21	40	61
सांविधिक निगम	4	–	4
योग	25	40	65

1.3 वर्ष 2010–11 की अवधि में एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अर्थात, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई एवं एक कम्पनी अर्थात, बिहार एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (619–बी कम्पनी), गैरसरकारी कम्पनी में परिवर्तित हो गयी।

लेखापरीक्षा अधिदेश

1.4 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित है। धारा 617 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी वह है जिसकी प्रदत अंशपूँजी का कम–से–कम 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों के द्वारा धारित हो। सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित होती है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम की धारा 619–बी के अनुसार ऐसी कम्पनी, जिसकी प्रदत अंश पूँजी का 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों, सरकारी कम्पनियों और सरकार/सरकारों, द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा धारित हो, सरकारी कम्पनी मानी जाती है (मानित सरकारी कम्पनी)।

[1] 22 सा0क्षे0उ0 के द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार।
[2] अकार्यशील सा0क्षे0उ0 वो है जिन्होने अपने कार्य को बन्द कर दिया है।
[3] 619–बी कम्पनियाँ सहित।

1.5 राज्य की सरकारी कम्पनियों (जैसा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है), के लेखों की लेखापरीक्षा सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) द्वारा की जाती है। इन लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा भी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अनुसार सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है।

1.6 सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से अधिशासित होती है। चार सांविधिक निगमों में से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बि0रा0प0प0नि0) का सी0ए0जी0 एकल लेखापरीक्षक है। बिहार राज्य भंडार निगम (बि0रा0भ0नि0)एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम (बि0रा0वि0नि0) की लेखापरीक्षा सनदी अंकेक्षकों एवं सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है।

राज्य सा0क्षे0उ0 में निवेश

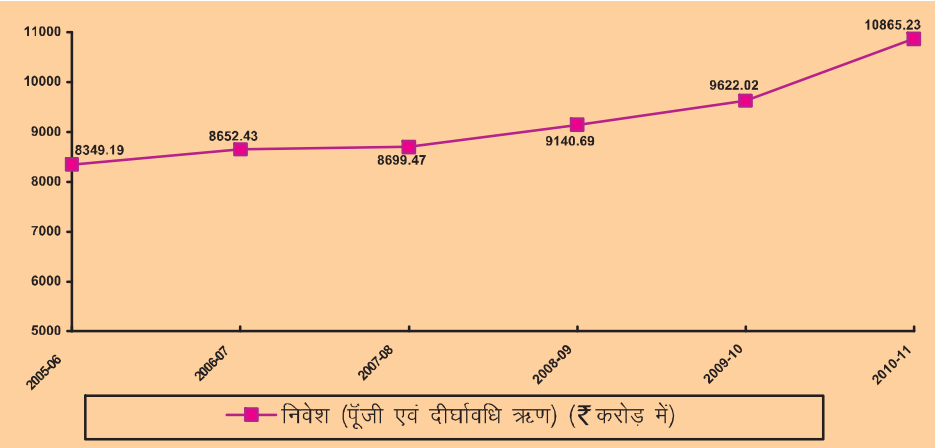
1.7 31 मार्च 2011 को, राज्य सा0क्षे0उ0 (मानित सरकारी कम्पनियाँ सहित) में ₹ 10865.23 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था, जिसका विवरण निम्न हैं।

(राशि: ₹ करोड़ में)

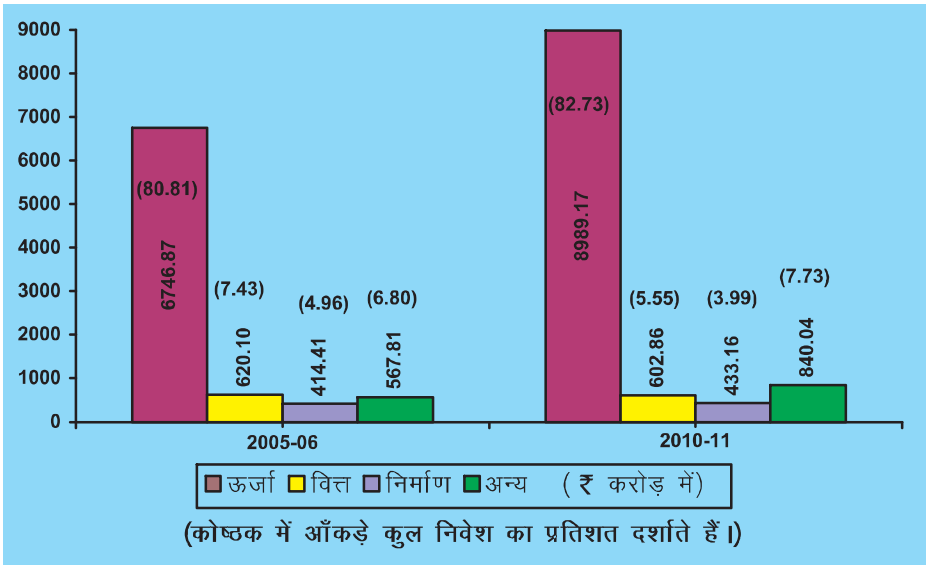
सा0क्षे0उ0 के प्रकार	सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगम			कुलयोग
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यशील सा0क्षे0उ0	255.40	551.42	806.82	185.53	9140.93	9326.46	**10133.28**
अकार्यशील सा0क्षे0उ0	183.97	547.98	731.95	-	-	-	**731.95**
योग	**439.37**	**1099.40**	**1538.77**	**185.53**	**9140.93**	**9326.46**	**10865.23**

राज्य सा0क्षे0उ0 में सरकारी निवेश की स्थिति का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट–1** में दिया गया है।

1.8 31 मार्च 2011 तक राजकीय सा0क्षे0उ0 में कुल निवेश का 93.26 प्रतिशत कार्यशील सा0क्षे0उ0 में तथा शेष 6.74 प्रतिशत अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में था। इस कुल निवेश का 5.75 प्रतिशत पूँजी के लिये तथा 94.25 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण हेतु था। निवेश 2005–06 के ₹ 8349.19 करोड़ से 30.14 प्रतिशत बढ़कर 2010–11 में ₹ 10865.23 करोड़ हो गया, जैसा कि नीचे आलेख में प्रदर्शित हैं।



1.9 31 मार्च 2006 तथा 31 मार्च 2011 को विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनकी प्रतिशतता नीचे बार चार्ट में दी गयी हैं। विगत छः वर्षों में सा0क्षे0उ0 में निवेश का मुख्य जोर ऊर्जा क्षेत्र में था, जो राज्य सरकार/केंद्र सरकार/अन्य, द्वारा दिये गये ऋण के कारण 2005–06 के ₹ 6746.87 करोड़ से 33.23 प्रतिशत बढकर 2010–11 में ₹ 8989.17 करोड़ हो गया। यद्यपि 2005–06 की तुलना में 2010–11 में अन्य क्षेत्रों में निवेश में 47.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निर्माण क्षेत्र में निवेश में भी आंशिक वृद्धि हुई।



(कोष्ठक में आँकड़े कुल निवेश का प्रतिशत दर्शाते हैं।)

बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/अर्थसाहाय्य, प्रत्याभूति एवं ऋण

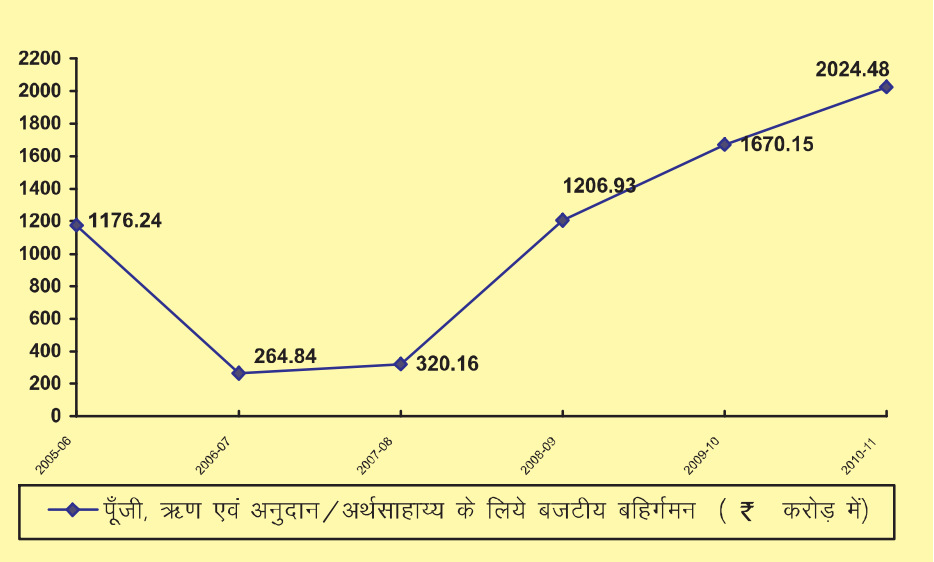
1.10 राज्य सा0क्षे0उ0 के सम्बन्ध में पूँजी, ऋण, अनुदान/अर्थसाहाय्य, निर्गत प्रत्याभूतियाँ, अपलिखित ऋणों, ऋणों का पूँजी में परिवर्तन और ब्याज की माफी में बजटीय बहिर्गमन का विवरण **परिशिष्ट–3** में दिया गया है। 2010–11 को समाप्त हुए तीन वर्षों का सारांशीकृत विवरण नीचे दिया गया है :-

(राशिः ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2008-09		2009-10		2010-11	
		सा0क्षे0उ0 की संख्या	राशि	सा0क्षे0उ0 की संख्या	राशि	सा0क्षे0उ0 की संख्या	राशि
1.	बजट से अंश पूँजी में बहिर्गमन	3	1.56	3	26.00	3	41.29
2.	बजट से दिये गये ऋण	4	469.63	3	770.36	3	879.69
3.	प्राप्त अनुदान/अर्थसाहाय्य	3	735.74	3	873.79	3	1103.50
4.	कुल बहिर्गमन[4]	9	1206.93	8	1670.15	7	2024.48
5.	अपलिखित ब्याज/दांडिक ब्याज	1	11.56	1	0.12	-	-
6.	निर्गत प्रत्याभूतियाँ	2	104.47	-	-	1	194.58
7.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	1	157.51	1	44.15	1	31.85

[4] वर्ष के दौरान कुल बहिर्गमन, अंशों, ऋणों, एवं अनुदान/अर्थसाहाय्य, के रुप में कम्पनियों (वास्तविक संख्या) को दिये गये बजटीय समर्थन को दर्शाता है।

1.11 पूँजी, ऋण एवं अनुदान/अर्थसाहाय्य के लिए विगत छः वर्षों के बजटीय बहिर्गमन का विवरण नीचे ग्राफ में दिया गया है :-



राज्य सरकार द्वारा, अंश पूँजी, ऋणों एवं अनुदानों/अर्थसाहाय्य के रूप में 2005–06 से 2010–11 के वर्षों में बजटीय समर्थन के विविधतापूर्ण रूख को दर्शाता है। बजटीय समर्थन 2008–09 के ₹ 1206.93 करोड़ से बढकर 2010–11 में ₹ 2024.48 करोड़ हो गया। वर्ष 2010–11 में तीन[5] कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने कुल ₹ 1103.50 करोड़ (कुल बजटीय समर्थन का 54.51 प्रतिशत) का अर्थसाहाय्य प्राप्त किया, जिसमें से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने राज्य सरकार से ₹ 1080.00 करोड़ का अर्थसाहाय्य प्राप्त किया । वर्ष के अंत में, चार[6] सा0क्षे0उ0 के विरूद्ध ऋणों की प्रत्याभूतियों के संबंध में कुल ₹ 253.05 करोड़ बकाया थे। दो[7] कार्यशील सा0क्षे0उ0 द्वारा 1982–83 से प्रत्याभूति कमीशन के रूप में ₹ 37.58 लाख देय थे।

वित्तीय लेखों के साथ समाधान

1.12 राज्य सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों के अनुसार अंश पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूति के आँकड़े राज्य के वित्त लेखों में दिये गये आँकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आँकड़े नहीं मिलते हैं तो सम्बन्धित सा0क्षे0उ0 एवं वित्त विभाग को अन्तर का समाशोधन करना चाहिए। इस सम्बन्ध में 31 मार्च 2011 की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है :-

(राशिः ₹ करोड़ में)

बकाया	वित्त[8] लेखों के अनुसार राशि	सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
अंश पूँजी	465.41	518.53	53.12
ऋण	14015.46	9406.93	4608.53
प्रत्याभूतियाँ	754.92	253.05	501.87

5 बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड।

6 बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम।

7 बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम।

8 यह सूचना उन 39 सा0क्षे0उ0 के संबंध मे है जिनका उल्लेख वित्त लेखों मे किया गया है।

1.13 हमने पाया कि यह अन्तर, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड को छोड़, 45 सा0क्षे0उ0 में था। प्रधान महालेखाकार द्वारा जाँचोपरांत समाशोधन के विषय को राज्य के मुख्य सचिव एवं वित्त सचिव के पास ले जाया गया (अक्टूबर 2011)। इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार तथा सा0क्षे0उ0 को समयबद्ध तरीके से अन्तरों का समाशोधन करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

सा0क्षे0उ0 का कार्य–निष्पादन

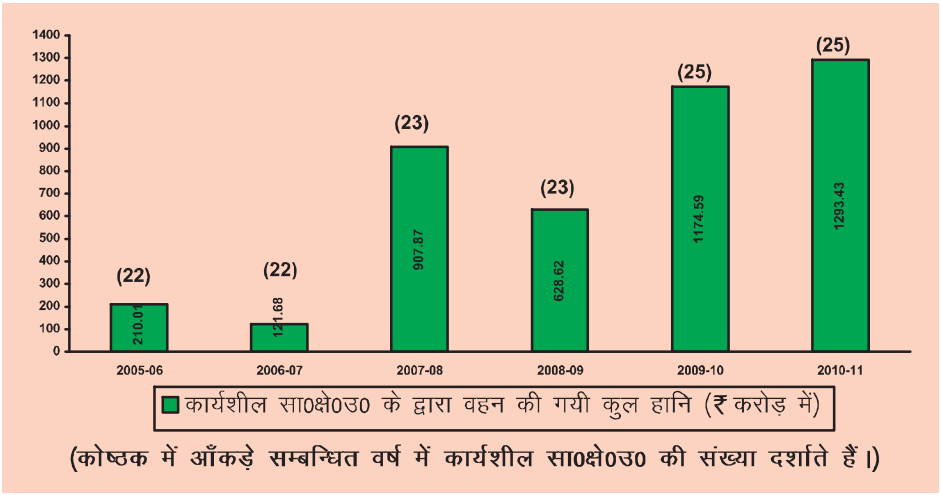
1.14 सा0क्षे0उ0 के वित्तीय परिणाम, कार्यशील सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम क्रमशः **परिशिष्ट 2, 5** एवं **6** में वर्णित हैं। सा0क्षे0उ0 के आवर्त तथा राज्य के जी0डी0पी0 का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सा0क्षे0उ0 के कार्यकलापों की अल्प भूमिका दर्शाता है। नीचे दी गयी सारणी में 2005–06 से 2010–11 की अवधि में कार्यशील सा0क्षे0उ0 का आवर्त तथा राज्य के जी0डी0पी0 का विवरण दिया गया है :-

(राशि: ₹ करोड़ में)

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
आवर्त[9]	1202.49	1337.29	1587.96	1996.59	2508.83	4031.46
राज्य का जी0डी0पी0[10]	83549	103317	118687	150709	175245	213073
राज्य के जी0डी0पी0 का आवर्त प्रतिशत	1.44	1.29	1.34	1.32	1.43	1.89

राज्य सकल घरेलू उत्पाद के विरुद्ध सा0क्षे0उ0 का प्रतिशत आर्वत 2006–07 से 2009–10 कि अवधि में 1.29 प्रतिशत एवं 1.43 प्रतिशत के बीच स्थिर रहा, जो 2010–11 में बढकर 1.89 प्रतिशत हो गया। इसका मुख्य कारण 2010–11 की अवधि में सात[11] सा0क्षे0उ0 के आवर्त में हुई वृद्धि थी।

1.15 2005–06 से 2010–11 की अवधि में कार्यशील सा0क्षे0उ0 के द्वारा वहन की गयी हानि नीचे बार चार्ट में दी गयी है :-



(कोष्ठक में आँकड़े सम्बन्धित वर्ष में कार्यशील सा0क्षे0उ0 की संख्या दर्शाते हैं।)

9 आवर्त 30 सितम्बर 2011 को अन्तिमीकृत किये गये लेखों के अनुसार।

10 राज्य जी0डी0पी0 के आँकडे वर्तमान मूल्यों पर, 2009–10 (औपबंधिक), 2010–11 (त्वरित अनुमान)।

11 अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, सात कम्पनियाँ, अर्थात् बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य जल विद्युत–शक्ति निगम लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं बिहार राज्य भंडार निगम।

अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार 25 कार्यशील सा0क्षे0उ0 मे से, 10 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 89.80 करोड़ का लाभ कमाया और 11 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 1383.23 करोड़ की हानि वहन की। दो कम्पनियों के लाभ/हानि स्वल्प, ₹ एक लाख से भी कम, हैं। लाभ में योगदान करने वालों में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 45.08 करोड़) एवं बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (₹ 23.99 करोड़) मुख्य थे। उपरोक्त में भारी हानि वहन करने वाले बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (₹ 1294.98 करोड़) एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 55.74 करोड़) थे। दो[12] कम्पनियों ने अपने प्रथम लेखा को अंतिम रूप नहीं दिया।

1.16 सा0क्षे0उ0 की हानि का कारण मुख्यतः उनके, वित्तीय प्रबन्धन, योजना, कार्यान्वयन, परिचालन एवं अनुश्रवण में कमी थे। सी0ए0जी0 के अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के सा0क्षे0उ0 ने ₹ 1539.24 करोड़ की हानि वहन की तथा ₹ 28.94 करोड़ का निवेश निष्फलित रहा। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है :-

(राशि: ₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	योग
शुद्ध हानि	628.62	1174.59	1293.43	3096.64
सी0ए0जी0 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार नियन्त्रणीय हानियाँ	104.60	33.21	1539.24	1677.05
निष्फलित निवेश	0.35	3.45	28.94	32.74

1.17 चूँकि सी0ए0जी0 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गयी हानियाँ सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित हैं, वास्तविक नियन्त्रणीय हानि इससे कहीं अधिक हो सकती हैं। उपरोक्त स्थिति सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यकलापों में कारगर प्रबंधन तथा नियंत्रण एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता इंगित करती हैं।

1.18 राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों से सम्बन्धित कुछ अन्य महत्वपूर्ण मापदण्ड निम्नांकित हैं:-

(राशि: ₹ करोड़ में)

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)	16.94	17.68	शून्य	7.44	शून्य	शून्य[13]
ऋण	7724.63	8012.25	8152.92	8614.53	9037.60	10240.33
आवर्त[14]	1202.49	1337.29	1587.96	1996.59	2508.83	4031.46
ऋण/आवर्त अनुपात[15]	6.42:1	5.99:1	5.13:1	4.33:1	3.60:1	2.54:1
ब्याज का भुगतान	301.93	613.25	924.16	918.70	991.72	1243.70
संचित हानियाँ	1584.62	1686.94	2956.74	3593.15	4617.88	7212.86

(आवर्त को छोडकर, जो कार्यशील सा0क्षे0उ0 का है, उपरोक्त आँकड़े समस्त सा0क्षे0उ0 के हैं।)

1.19 30 सितम्बर 2011 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, सभी सा0क्षे0उ0 में निवेशित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ, 2006–07 के 17.68 प्रतिशत से घटकर 2010–11 में

12 बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड।

13 शून्य नियोजित पूँजी पर नकारात्मक प्रतिलाभ इंगित करता है।

14 कार्यरत सा0क्षे0उ0 का आवर्त, उनके द्वारा 30 सितम्बर 2011 को अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार।

15 ऋण/आवर्त अनुपात, आवर्त के ऋण से विभाजन को दर्शाता है।

(–) 1.32 प्रतिशत हो गया। हालांकी आवर्त में वृद्धि के कारण ऋण/आवर्त अनुपात में सुधार होकर 2006–07 के 5.99:1 से 2010–11 में 2.54:1 हो गया।

1.20 राज्य सरकार ने ऐसी कोई लाभांश नीति नहीं बनायी थी, जिसके अन्तर्गत सभी सार्वजनिक उपक्रमों को न्यूनतम लाभांश देना है। 11 सार्वजनिक उपक्रमों ने अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 89.80 करोड़ का लाभ अर्जित किया परन्तु किसी भी सा0क्षे0उ0 ने अब तक लाभांश घोषित नहीं किया।

लेखाओं के अन्तिमीकरण के बकाये

1.21 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 तथा 619–बी के अनुसार कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखों का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर करना होता है। इसी प्रकार सांविधिक निगमों के मामलों में, उनके लेखों का अन्तिमीकरण, लेखा परीक्षण तथा विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण उनसे सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है। नीचे दी गयी सारणी कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा सितम्बर 2011 तक लेखों के अन्तिमीकरण के सम्बन्ध में की गयी प्रगति के विवरण को दर्शाता है।

क्रम संख्या	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1.	कार्यशील सा0क्षे0उ0 की संख्या	23	22	23	25	25
2.	वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत किये गये लेखों की संख्या	20	13	15	17	34
3.	लम्बित लेखों की संख्या	201	197	205	213	186[16]
4.	प्रत्येक सा0क्षे0उ0 का औसत बकाया (3/1)	8.74	8.95	8.91	8.52	7.44
5.	लम्बित लेखों वाले सा0क्षे0उ0 की संख्या	23	22	23	25	23
6.	लम्बित लेखों की सीमा (वर्ष)	1 से 19	1 से 19	1 से 20	1 से 21	1 से 21

1.22 चार सांविधिक निगमों सहित 25 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को छोड़, किसी भी कम्पनी/निगम ने 30 सितम्बर 2011 तक वर्ष 2010–11 के लिए अपने लेखों का अंतिमीकरण नहीं किया था। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के वर्ष 2010–11 के लेखों कि लेखापरीक्षा प्रगति में थी। 23 कार्यशील सरकारी कम्पनियों के लेखे एक से 21 वर्षों की अवधि के लिए बकाया थे। सा0क्षे0उ0 के बकाये का औसत 2006–07 के 8.74 से सीमान्त रूप से घटकर 2010–11 में 7.44 हो गया था। लेखों के बकाये का कारण लेखों की तैयारी/प्रमाणीकरण एवं वार्षिक आम सभा आयोजित करने में विलम्ब तथा मानव संसाधन की कमी थी।

1.23 इसके अतिरिक्त अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के लेखों का अंतिमीकरण भी लम्बित था। 31 मार्च 2011 तक 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में से सात समापन की प्रक्रिया में थे। शेष 33 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के 16 से 34 वर्ष तक के लेखे बकाये थे।

1.24 जैसा कि **परिशिष्ट–4** में दिया गया है, राज्य सरकार ने 29 सा0क्षे0उ0 में ₹ 3856.58 करोड़ (अंश पूँजीः ₹ 119.89 करोड़, ऋणः ₹ 2296.48 करोड़, अनुदानः ₹ 1171.76 करोड़ तथा अन्यः ₹ 268.45 करोड़) का निवेश उन वर्षों में किया था जिनके लेखे अन्तिमीकृत नहीं हुये थे। अन्तिमीकृत लेखों तथा उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या किये गये निवेश एवं व्यय का लेखा उचित

[16] बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के लेखों के बकाये को विचार में नहीं लिया गया है। अग्रतर बिहार एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बकाये को, गैरसरकारी कम्पनी में परिवर्तीत हो जाने के कारण बकाये में सम्मिलित नहीं किया गया है।

तरीके से किया गया था, तथा जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था वह प्राप्त हुआ या नहीं। इस प्रकार सा0क्षे0उ0 में सरकार का निवेश राज्य की विधायिका की जाँच से वंचित रहा। साथ ही लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब का परिणाम कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखे तथा सार्वजनिक कोष के क्षरण का जोखिम भी हो सकता है।

1.25 प्रशासकीय विभागों का यह दायित्व है कि वे इन इकाइयों के कार्यकलापों का निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनके लेखे निर्दिष्ट समय–सीमा में अन्तिमीकृत और अंगीकृत कर लिये जायें। प्रधान महालेखाकार द्वारा बकाया लेखों की स्थिति के संबंध में संबंधित प्रशासकीय विभागों को प्रत्येक तिमाही में सूचना दी जाती है। इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप इन सा0क्षे0उ0 के नेट वर्थ का मूल्यांकन लेखापरीक्षा द्वारा नहीं किया जा सका।

1.26 उपरोक्त वर्णित बकायों की स्थिति के सम्बन्ध में यह अनुशंसा की जाती है कि लेखों के बकाये के शीघ्र समापन एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार समय पर लेखों के अन्तिमीकरण हेतु अनुश्रवण करना चाहिये।

अकार्यशील सा0क्षे0उ0 का समापन

1.27 31 मार्च 2011 को 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 (कम्पनियाँ) थीं । इनमें से 31 मार्च 2011 को सात सा0क्षे0उ0 में समापन की प्रक्रिया के अन्तर्गत थे।

अकार्यशील सा0क्षे0उ0 को बन्द करने की आवश्यकता है क्योंकि उनके बने रहने से किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होने वाली है। 2010–11 की अवधि में एक[17] अकार्यशील सा0क्षे0उ0 ने वेतन, मजदूरी, स्थापना व्यय, इत्यादि पर ₹ 0.14 करोड़ व्यय किये।

1.28 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की बन्दी के चरण नीचे दिये गये हैं :-

क्रम संख्या	विवरण	कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	योग
1.	अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की कुल संख्या	40	–	40
2.	उपरोक्त (1) में से:			
(अ)	न्यायालय द्वारा समापन (समापक नियुक्त)	3[18]	–	3
(ब)	बन्द, अर्थात बन्द करने के आदेश/निर्देश पारित परन्तु समापन प्रक्रिया अभी प्रारम्भ नहीं	4[19]	–	4

1.29 वर्ष 2010–11 के दौरान किसी कम्पनी/निगम का पूर्ण समापन नहीं हुआ था। जिन कम्पनियों ने न्यायालय आदेश द्वारा समापन के मार्ग को अपनाया वे 11 वर्षों से अधिक समय से समापन प्रक्रिया मे हैं। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत ऐच्छिक समापन की प्रक्रिया ज्यादा त्वरित है तथा इसे अपनाना/अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उपरोक्त के आलोक में यह अनुशंसा की जाती है कि, सरकार को शेष 33 अकार्यशील सा0क्षे0उ0, जिनके अकार्यशील होने के बाद चालू रहने या ना रहने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, उनके समापन के सम्बन्ध में निर्णय लेना चाहिए।

17 बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड।

18 कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड।

19 बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड, बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड, बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड।

लेखों पर टिप्पणियाँ तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा

1.30 वर्ष 2010–11 में 11 कार्यशील कम्पनियों ने अपने 30 अंकेक्षित लेखे प्रधान महालेखाकार को प्रेषित किये। इनमें से सात कम्पनियों के 12 लेखे अनुपूरक लेखा परीक्षा हेतु चुने गये। सी0ए0जी0 के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन तथा सी0ए0जी0 की अनुपूरक लेखापरीक्षा, लेखों के रख रखाव की गुणवत्ता में वृहद् सुधार की आवश्यकता को इंगित करती हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सी0ए0जी0 की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है :-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2008-09		2009-10		2010-11	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	-	-	2	1.71	4	5.59
2.	हानि में वृद्धि	2	4.31	10	16.63	9	17.17
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	1	10.02	1	0.15	शून्य	शून्य
4.	वर्गीकरण में गलतियाँ	2	7.87	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1.31 वर्ष 2010–11 के दौरान प्राप्त सभी 30 लेखों पर गुणवत्ता प्रमाणपत्र दिये गये। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन कमजोर रहा क्योंकि वर्ष के दौरान 16[20] लेखों में लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धी 26 उदाहरण पाये गये।

1.32 कम्पनियों के लेखो के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गयी हैं:-

बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड (2003–04)

- निवेश के मूल्य में ह्रास का प्रावधान नहीं किए जाने के फलस्वरूप, ₹ 1.13 करोड़ से निवेश का अधिप्रदर्शन एवं हानि का अंतःप्रदर्शन।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (2006–07)

- स्टेजिंग एवं शटरिंग में हुए ह्रास को अंतःप्रभारित/प्रभारित नहीं किए जाने के फलस्वरूप, ₹ एक करोड़ से ह्रास का अंतःप्रदर्शन एवं लाभ का अधिप्रदर्शन।

[20] बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (2009–10), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 (2004–05),(2006–07) एवं (2007–08), बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (2003–04 से 2009–10), बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (1998–99), बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड (2003–04), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (1989–90), बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड (1996–97), बिहार राज्य वित्तीय निगम (2009–10)।

बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (2009–10)

- लम्बी अवधि की देनदारियाँ, जिनकी वसूली संदिग्ध है, के लिए प्रावधान नहीं किए जाने के फलस्वरूप, ₹ 1.08 करोड़ से विविध देनदारों एवं लाभ का अधिप्रदर्शन।

1.33 इसी प्रकार, 2010–11 के दौरान तीन कार्यशील सांविधिक निगमों ने अपने चार लेखे प्रधान महालेखाकार को प्रेषित किये। बिहार राज्य वित्तीय निगम, बिहार राज्य भंडार निगम एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का लेखा अनुपूरक लेखा परीक्षा हेतु चुना गया। इनमें से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का वर्ष 2010–11 का लेखा, लेखापरीक्षाधीन था (30 सितम्बर 2011)। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सी0ए0जी0 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखों के संधारण की गुणवत्ता में वृहद् सुधार की आवश्यकता इंगित करती है। सांविधिक अंकेक्षकों तथा सी0ए0जी0 की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य की विवरणी नीचे दी गयी है :-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2008-09		2009-10		2010-11	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	2	14.61	1	1.74	2	17.34
2.	हानि में वृद्धि	3	562.74	2	3475.34	2	9267.22
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	2	12.08	1	7.08	शून्य	शून्य
4.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	3	67.67	1	2.47	1	7.85

1.34 सांविधिक निगमों के लेखों, जो वर्ष 2010–11 के दौरान अंतिमीकृत किये गये, पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ निम्नवत् हैं :-

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (2009–10)

- लम्बी अवधि से लेखों में ली जा रही, चोरी हुई सम्पतियों के लिए प्रावधान नहीं किए जाने के फलस्वरूप, ₹ 3.25 करोड़ से हानि का अंतःप्रदर्शन।
- ऊर्जा की आपूर्ति के विरूद्ध प्राप्तियों में वैसे उपभोक्ताओं, जिन्हें उचित बिल निर्गत नहीं किया गया, से प्राप्य ₹ 7.17 करोड़ सम्मिलित है, जिसके कारण ₹ 7.17 करोड़ से चालू सम्पतियों का अधिप्रदर्शन एवं हानि का अंतःप्रदर्शन।
- लम्बी अवधि से लेखों में ली जा रही अन्तर–ईकाई लेन–देन का प्रावधान नहीं किए जाने के फलस्वरूप, ₹ 239.26 करोड़ से हानि का अंतःप्रदर्शन।
- लम्बी अवधि से बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के लेखों में ली जा रही रेलवे साख संशय खाता को अपलिखित नहीं किए जाने के फलस्वरूप, ₹ 3.67 करोड़ से हानि का अंतःप्रदर्शन।
- राज्य सरकार से प्राप्य अर्थसाहाय्य में 2001–06 की अवधि के लिए वार्षिक अर्थसाहाय्य की राशि ₹ 4315.65 करोड़ सम्मिलित है, जिसका बोर्ड ने न तो दावा किया और न जिसकी राज्य सरकार द्वारा सहमति ही प्राप्त

की गयी, जिसके फलस्वरूप, ₹ 4315.65 करोड़ से राज्य सरकार से प्राप्य अर्थसाहाय्य का अधिप्रदर्शन एवं हानि का अंतःप्रदर्शन।

- ऊर्जा क्रय करने पर असूचिबद्ध विनिमय (यू0आई0) शुल्क के रूप मे देय ब्याज के प्रावधान नहीं किए जाने के फलस्वरूप, ₹ 10.67 करोड़ से चालू दायित्वों एवं हानि का अंतःप्रदर्शन।

बिहार राज्य भंडार निगम (2008–09)

- संदिग्ध देनदारियों के लिए कम प्रावधान किए जाने के फलस्वरूप, ₹ 2.14 करोड़ से विविध देनदारों एवं लाभ का अधिप्रदर्शन।

बिहार राज्य वित्तीय निगम (2009–10)

- सरकारी कोषों पर ब्याज के दायित्व को आकस्मिक दायित्व के रूप में दर्शाने एवं इस सम्बन्ध में प्रावधान नहीं किए जाने के फलस्वरूप, ₹ 14.65 करोड़ से ब्याज लागत का अन्तःप्रदर्शन एवं लाभ का अधिप्रदर्शन।

1.35 सांविधिक अंकेक्षकों (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स) को सी0ए0जी0 के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (अ) के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देशों के अन्तर्गत, उनके द्वारा लेखापरीक्षा की जाने वाली, आन्तरिक नियन्त्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा के विभिन्न पक्षों पर विस्तृत प्रतिवेदन देना होता है तथा सुधार योग्य क्षेत्रों की पहचान करनी होती है। सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा 2009–10 में नौ कम्पनियों[21] तथा 2010–11 में 10 कम्पनियों[22] के सम्बन्ध में आन्तरिक लेखा परीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण पर महत्वपूर्ण टिप्पणियों का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रम संख्या	सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जिनमें अनुशंसा की गयी	परिशिष्ट–2 में कम्पनियों की क्रम संख्या का संदर्भ
1.	पुर्जे एवं भण्डार की न्यूनतम/अधिक सीमा तय न करना	04	अ–3, अ–9, अ–11, अ–13.
2.	कम्पनी के प्रकृति एवं व्यवसाय के आकार के अनुरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था का अभाव	09	अ–3, अ–8, अ–9, अ–11, अ–12, अ–13, अ–15, अ–18, अ–19.
3.	अचल सम्पत्तियों से सम्बन्धित पूर्ण विवरण जैसेः परिमाणात्मक विवरण, अवस्थिति, पहचान संख्या, क्रय की तिथि, ह्रासित मूल्य तथा उनकी स्थिति का संधारण न होना	05	अ–4, अ–8, अ–11, अ–13, अ–19.

[21] बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड।

[22] स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड।

लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूली

1.36 2010–11 के दौरान औचित्य लेखापरीक्षा में, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ₹ 4.22 करोड़ रुपये की वसूली के मामले इंगित किए गए थे, जिनमे से ₹ 1.41 करोड़ के मामले बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा स्वीकार किये गये। वर्ष 2010–11 में ₹ 52.53 करोड़ की राशि, जो 2010–11 से पहले की अवधि से संबंधित थे, की वसूली की गयी।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

1.37 निम्न तालिका सांविधिक निगमों के लेखों पर भारत के सी0ए0जी0 द्वारा निर्गत पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ0ल0प0प्र0) को सरकार द्वारा विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को इंगित करती हैं।

क्रम संख्या	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जहाँ तक पृ0ल0प0प्र0 विधायिका में रखी गयी	वर्ष जहाँ तक पृ0ल0प0प्र0 विधायिका के समक्ष नहीं रखी गयी		
			पृ0ल0प0प्र0 का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	पृ0ल0प0प्र0 को विधायिका के समक्ष रखने में विलम्ब के कारण
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	2005-06	2006-07 2007-08 2008-09 2009-10	26.05.2009 15.04.2010 29.04.2011 26.09.2011	
2.	बिहार राज्य भंडार निगम	2007-08	2008-09	28.02.2011	
3.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2008-09	2009-10	08.07.2011	
4.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	1973-74	1974-75 से 2002-03 (29) विवरण 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03	 9.6.1997 2.9.1998 2.9.1998 4.12.1998 18.4.2000 19.3.2004 19.10.2004 12.4.2005 07.10.2005 24.09.2007 26.10.2007 25.01.2010	प्रतिवेदन को विधायिका के समक्ष उपस्थापित नहीं करने का कारण, सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विलम्ब से प्रस्तुत करने से सांविधिक निगमों पर वैधानिक नियंत्रण कमजोर होता है एवं सांविधिक निगम की जवाबदेही कमजोर पड़ जाती है। सरकार को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये त्वरित कार्यवाही करनी चाहिये। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने में विलम्ब के विषय को सी0ए0जी0 द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री, बिहार के ध्यान में भी दिसम्बर 2010 में लाया गया। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण में कोई सुधार नहीं आया। प्रधान महालेखाकार द्वारा इस विषय को प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, के ध्यान में (मई 2011) में लाया गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना

1.38 राज्य सरकार द्वारा सा0क्षे0उ0 के विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना के लिए 2010–11 में कोई कदम नहीं उठाया गया था। यद्यपि एक सा0क्षे0उ0 (619–बी कम्पनी), शेयर धारिता प्रकृति में परिर्वतन के कारण, गैर सरकारी कम्पनी बन गई। झारखण्ड राज्य की स्थापना के बाद, सभी सा0क्षे0उ0 की पुनर्संरचना की जानी थी। 12 कम्पनियों/निगमों की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के साथ–साथ प्रबंधन के बटवारे का निर्णय सितम्बर 2005 में लिया गया। यद्यपि इसका क्रियान्वयन मात्र पाँच कम्पनियों/निगमों[23] के संबंध में किया गया है (सितम्बर, 2011)।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

1.39 राज्य में बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) का गठन अप्रैल 2002 में विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 17(1) के अधीन विद्युत टैरिफ का विवेकीकरण, राज्य में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण से सम्बन्धित मसौदे पर अपनी राय देने और लाइसेन्स जारी करने के उद्देश्य से किया गया। 2010–11 की अवधि में, बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने अप्रैल से सितम्बर 2009 की अवधि के लिये ईंधन एवं ऊर्जा क्रय लागत समायोजन शुल्क (एफ0पी0पी0सी0ए0) की वसूली हेतु आदेश जारी किये। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने अपनी कार्यवाहियों द्वारा निर्धारित, बगासे (खोई) आधारित सह–उत्पादन संयंत्र एवं बायोमास आधारित ऊर्जा परियोजनाओं के टैरिफ की भी समीक्षा की। बिहार विद्युत विनियामक आयोग (सौर ऊर्जा साधनों के टैरिफ निर्धारण की नियम एवं शर्तें) नियमन, 2010 के अंतर्गत जेनेरिक लेवलाइज्ड उत्पादन टैरिफ के निर्धारण संबंधी भी आदेश जारी किये गये।

1.40 कार्य–क्षेत्र में चिन्हित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए एक संयुक्त प्रतिज्ञा के रुप में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय एवं राज्य सरकार के बीच एक समझ पत्र (एम0ओ0यू0) पर हस्ताक्षर किये गये थे (सितम्बर 2001)। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अब तक प्राप्त प्रगति का विवरण निम्नवत है:

क्रम सं0	महत्वपूर्ण कदम	लक्ष्य प्राप्ति की समयावधि	मार्च 2011 तक उपलब्धि
1.	राज्य विद्युत विनियामक आयोग	**दिसम्बर,** 2001	राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना बिहार सरकार की विज्ञप्ति सं0 1284 दिनांक 15 अप्रैल 2002 द्वारा हुई है। आयोग द्वारा वर्ष 2011–12 के लिए अंतिम टैरिफ आदेश 01.06.2011 को संसूचित किया गया।

[23] बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य जल विद्युत उर्जा निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भंडार निगम एवं बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड ।

क्रम सं0	महत्वपूर्ण कदम	लक्ष्य प्राप्ति की समयावधि	मार्च 2011 तक उपलब्धि
2.	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम	2006 तक	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य केन्द्रीय एजेंसी एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा सम्पादित किया जा रहा है एवं इस उद्देश्य से कुल ₹ 3566.98 करोड़ अग्रिम के रूप में भुगतान किया जा चुका है। 39,015 गाँवों में से 27,945 (71.65 प्रतिशत) गाँव विद्युतीकृत किये जा चुके हैं (मार्च 2011)।
3.	बोर्ड का पुर्नसंगठन	दिसम्बर, 2001	बोर्ड का पुर्नसंगठन पाँच कम्पनियों में करने हेतु बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।
4.	केन्द्रीय ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अदत्त बकायों की सुरक्षा	लागू नहीं	बिहार सरकार द्वारा केन्द्रीय ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के ₹ 2075.61 करोड़ के अदत्त बकायों की सुरक्षा की जिम्मेवारी ली गई है।
5.	11 के0वी0 के सभी वितरण फीडरों को 100 प्रतिशत मीटरीकृत करना एवं सभी उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत मीटरीकृत करना	वितरण फीडरों के लिए दिसम्बर, 2001 एवं उपभोक्ता मीटर के लिए दिसम्बर, 2002	सभी 16 अंचलों में उपभोक्ताओं (59.10 प्रतिशत) एवं 11 के0वी0 के वितरण फीडरों (70.20 प्रतिशत) में मीटर लगाने की प्रक्रिया हो चुकी है (सितम्बर 2011)।
6.	ऊर्जा लेखापरीक्षा	जून, 2002	मेसर्स पावर फाईनांस कॉरपोरेशन एक केन्द्रीय सा0क्षे0उ0 नें पुर्नगठित त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम (आर0ए0पी0डी0आर0पी0) के अन्तर्गत मेसर्स प्रनत इंजिनियरिंग लिमिटेड को थर्ड पार्टी ऊर्जा लेखापरीक्षा हेतु नियुक्त किया है। इससे संग्रहित अनुभवों को गैर ए0पी0डी0आर0पी0 क्षेत्रों पर लागू किया जाएगा। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड आर0ए0पी0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत 64 शहरों एवं ए0डी0बी0 योजना के अन्तर्गत सात शहरों में रिंग फेनसिंग मीटर, प्रणाली मीटर एवं उपभोक्ता मीटर की स्थापना कर रहा था (सितम्बर 2011)।
7.	पारेषण एवं वितरण (पा0 एवं वि0) क्षति को कम करके 15.5 प्रतिशत तक लाना	वर्णित नहीं	पारेषण एवं वितरण क्षति वर्ष 2009–10 में 38.32 प्रतिशत था जो वर्ष 2010–11 के दौरान बढकर 43.59 प्रतिशत हो गया।

क्रम सं0	महत्वपूर्ण कदम	लक्ष्य प्राप्ति की समयावधि	मार्च 2011 तक उपलब्धि
8.	स्थायी संपत्तियों पर तीन प्रतिशत वापसी	मार्च, 2004	बोर्ड स्थायी संपत्तियों पर तीन प्रतिशत वापसी को वर्ष 2010–11 तक प्राप्त नहीं कर सका था।
9.	वितरण सूचना प्रबंधन प्रणाली	वर्णित नहीं	वितरण एवं सूचना प्रबंधन प्रणाली का क्रियान्वयन पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं डाटा अधिग्रहण प्रणाली (एस0सी0ए0डी0ए0), पटना द्वारा किया जा रहा है। शेष बिहार में यह पुर्नगठित त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है जो प्रगति पर था।(सितम्बर 2011)
10.	न्यूनतम कृषि टैरिफ 50 पैसे प्रति इकाई	वर्णित नहीं	राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने वर्ष 2010–11 के लिए सिंचाई एवं कृषि सेवाओं-I के लिए 130.00 पैसे/इकाई एवं सिंचाई एवं कृषि सेवाओं-II के लिए 205.00 पैसे/इकाई की टैरिफ स्वीकृत की है।

अध्याय II

2. सरकारी कम्पनी से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की निष्पादन लेखापरीक्षा



बिहार में जन वितरण प्रणाली

कार्यकारी सारांश

परिचय

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) का निगमीकरण अप्रैल 1973 में हुआ। कम्पनी का क्रियाकलाप सरकारी योजना के तहत खाद्यान्नों के उठाव व उनका वितरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य (न्यू0स0मू0) योजना के अन्तर्गत अनाजों की अधिप्राप्ति, तरल पेट्रोलियम गैस केन्द्रों का परिचालन, लेवी चीनी का वितरण और अनाजों का जेल में आपूर्ति तक विस्तारित था। वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा जिसकी अवधि 2006–11 है, में देखा गया कि कम्पनी अपनी निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्यों को प्रभावकारी एवं कुशलता के साथ क्रियान्वित कर रही है या नहीं एवं क्या ये निर्धारित क्रिया–विधि के अनुरूप है।

राज्य के नोडल एंजेंसी के रूप में वर्ष 2007–11 की अवधि में, गेहूँ की खरीद में इसके हिस्सेदारी का परास 14.29 प्रतिशत से 14.71 प्रतिशत के बीच तथा धान की खरीद में इसके हिस्सेदारी का परास 7.84 प्रतिशत से 10.71 प्रतिशत के बीच था। वर्ष 2006–11 की अवधि में गेहूँ एवं चावल की अधिप्राप्ति के विरूद्ध विविध योजनाओं के अन्तर्गत वितरण 99.94 प्रतिशत था।

अधिप्राप्ति

कम्पनी ने 2006–11 की अवधि में निर्धारित धान की खरीद के लक्ष्य के विरूद्ध 11.25 प्रतिशत से 87.20 प्रतिशत की अधिप्राप्ति की। गेहूँ के मामले में, वर्ष 2006–11 के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध अधिप्राप्ति 15.30 प्रतिशत तथा 68.56 प्रतिशत के बीच रहा। तथापि वर्ष 2010–11 की अवधि के लिए धान एवं गेहूँ की खरीद लक्ष्य के विरूद्ध अधिप्राप्ति 20 प्रतिशत से कम था। अधिप्राप्ति मौसम के आरंभ से पूर्व अधिप्राप्ति केन्द्रों तथा किसानों की पहचान के लिए कोई योजना नहीं थी। विभिन्न डी0एल0ओ0 द्वारा कम्पनी के अधिप्राप्ति क्रियाकलापों के अनुरक्षण हेतु कम्पनी द्वारा कोई व्यवस्था नहीं थी। एस0जी0आर0वाई0 के तहत अनाजों के उठाव नहीं होने के कारण डी0एल0ओ0, गया में ₹81.27 लाख की राशि अवरूद्ध रही।

भण्डारण प्रबंधन

कम्पनी के पास 387 गोदाम थे जिनकी कुल भण्डारण क्षमता 1.35 लाख एम0टी0 थी। वर्ष 2006–11 के दौरान कम्पनी ने जमुई में मात्र एक छोटा गोदाम(1000 एम0टी0 क्षमता) का निर्माण किया।

सरकार द्वारा 47000 एम0टी0 क्षमता के निर्माण के निर्णय (सितम्बर 2008) के अनुसरण में कम्पनी ने ₹ 33.48 करोड़ का प्राक्कलन उपस्थापित किया। न तो कम्पनी द्वारा इस मामले में किसी भी प्रकार की कार्यवाही हुई और न ही सरकार द्वारा भण्डारण क्षमता में वृद्धि के लिए अभी तक कोई कार्यवाही की गई। (नवम्बर 2011)।

45,250 एम0टी0 क्षमता के 44 चिह्नित क्षतिग्रस्त गोदामों को ₹ 4.32 करोड़ की मरम्मती लागत पर मरम्मती कर उपयोग में लाने के सरकार का निर्णय (जुलाई 2008) कारगर नहीं हो सका क्योंकि मरम्मती कार्य अधूरा था यद्यपि कम्पनी ने 4400 एम0टी0 क्षमता के पाँच गोदामों की मरम्मति हेतु ₹7.86 लाख निर्गत किया। शेष 39 गोदामों की मरम्मती नहीं हुई थी (नवम्बर 2011) तथा कम्पनी 45250 एम0टी0 भण्डारण क्षमता का निर्माण नहीं कर सकी थी।

अतिरिक्त 3800 एम0टी0 क्षमता के निर्माण हेतु 38 अपना क्षतिग्रस्त/अपूर्ण गोदाम की मरम्मती मार्च 2009 से लम्बित था।

वर्ष 2008–10 के दौरान दो डी0एल0ओ0 यथा भोजपुर और नालंदा द्वारा खरीदा गया 21,243 क्विंटल धान में से 16,169.06 क्विंटल धान जिसका मूल्य ₹1.47 करोड़ था, कूटे जाने के लिए मिल में 30 महीनों से पड़ा रहा जिसके परिणामस्वरूप धन अवरूद्ध हुआ तथा धान की गुणवत्ता में गिरावट आने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

परिवहन एवं हथालन

कम्पनी द्वारा जिला प्रशासन के प्रभावकारी अनुसरण के अभाव में नौ डी0एल0ओ0 के मामले में मई 2011 तक परिवहन एवं हथालन शुल्क और परिणामी ब्याज हानि के मद में ₹ 20.08 करोड़ का अवरूद्धीकरण हुआ।

वर्ष 2006–08 के दौरान मधुबनी एवं अररिया में परिवहन अभिकर्ताओं द्वारा समय पर आवश्यकता के अनुरूप ट्रक नहीं उपलब्ध कराने पर 7.76 लाख क्विंटल अनाज व्यपगत हो गए जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 2.38 करोड़ अंशदान मार्जिन की हानि हुई तथा कम्पनी लक्षित लाभान्वितों को अनाज की आपूर्ति नहीं कर सकी।

वितरण

वर्ष 2006–11 के दौरान विविध योजनाओं के अन्तर्गत 68.72 लाख एम0टी0 खाद्यान्न के कम उठाव के कारण, कम्पनी को ₹ 203.45 करोड़ के मर्जिन मनी से वंचित रहना पड़ा।

कम्पनी में खाद्यान्न का, एक योजना से दूसरे योजना में बिना समान मात्रा के मूल योजना में वापसी किए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि लक्षित लाभान्वित योजना के अन्तर्गत वांछित लाभ से वंचित न हुए हों, विचलन हुआ । विचलन के परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 25.74 करोड़ का लाभ हुआ तथा ₹ 25.53 करोड़ की हानि भी हुई।

कम्पनी का 3346 क्विटंल लेवी चीनी का समय पर निपटान नहीं होने के कारण ₹ 52.11 लाख की हानि उठानी पड़ी।

किशोर बालिका आहार (एन0पी0ए0जी0) योजना के तहत गया जिला में वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में क्रमशः 85.06 प्रतिशत और 37.07 प्रतिशत लाभान्वितों को लाभ नहीं पहुँचा।

भुखमरी से बचाव हेतु प्रति पंचायत एक क्विंटल अनाज बाँटें जाने की सरकारी

योजना के कार्यान्वयन हेतु कम्पनी के कार्य–योजना के अभाव के कारण डी0एल0ओ0, नालंदा द्वारा 104 क्विंटल गेंहूँ निर्गत नहीं की जा सकी।

डी0एल0ओ0, नवादा में अप्रैल 2010 से मई 2010 के बीच एम0डी0एम0 योजना के तहत 599.60 क्विंटल चावल का निर्गमन नही हुआ जिसका योजना के क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

कम्पनी ने अपनी गतिविधियों को तरल पेट्रोलियम गैस (एल0पी0जी0) के वितरण से विस्तारित किया जिसके लिए कम्पनी को आई0ओ0सी0एल0 से प्रति सिलिन्डर ₹ 22.17 का मार्जिन मिल रहा था। वर्ष 2006–11 की अवधि में कम्पनी द्वारा रिफिल बेचने का वार्षिक औसत एक से कम था एवं कम्पनी के समग्र निष्पादन में अवनति हुआ तथा अंशदान मार्जिन की हानि हुई।

वित्तीय प्रबन्धन

परिचालन व्यय के वहन हेतु 2002 में अनुमोदित अंशदान मार्जिन, 2002 की तुलना में 2010–11 में परिवहन एवं हथालन लागत में भारी वृद्धि के बावजूद, नौ वर्षो से संशोधित नहीं किया गया था। वर्तमान मर्जिन ₹ 21 से ₹ 35 प्रति क्विंटल में वृद्धि (नवम्बर 2009) कर इसे ₹ 45 प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव अभी तक अनुमोदित नहीं हुआ था जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी वर्ष 2009–11 के दौरान ₹ 84.02 करोड़ की वसूली नहीं कर सकी। आगे कम्पनी ने सभी योजनाओ के लिए मार्जिन मनी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया (फरवरी/मार्च 2011) जिस पर निर्णय सरकार के पास लम्बित था (नबम्बर 2011)।

चीनी की अधिप्राप्ति मूल्य तथा बिक्री मूल्य के अन्तर की प्रतिपूर्ति एफ0पी0एस0 डीलर को, सरकार द्वारा मार्जिन के अनुमोदित दर से, किया जाता है। उपभोक्ता मामले तथा जनवितरण मंत्रालय द्वारा वांछित प्रस्ताव की प्राप्ति पर मार्जिन में वार्षिक संशोधन का मानक निर्धारित है। अक्टूबर 2005 से स्वीकार्य मार्जिन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। यद्यपि, कम्पनी ने मूल्य समानीकरण हेतु मार्जिन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया (दिसम्बर 2006), यह राज्य सरकार के स्तर पर लम्बित था (नबम्बर 2011)।

प्रमाणिक प्रमाण पत्रों के अभाव में एफ0सी0आई0 को प्रस्तुत सितम्बर 2006 से मार्च 2007 की अवधि का ₹ 3.43 करोड़ की राशि के विशिष्ट चीनी मार्जिन का दावा स्वीकार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा उनके डी0एल0ओ0 से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण अगस्त 2009 से नवम्बर 2010 की अवधि का ₹ 68.24 करोड़ का दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था (नवम्बर 2011)।

मानव संसाधन तथा आन्तरिक नियंत्रण

कुल कार्यरत कर्मचारी की संख्या 31.01.2011 को 1040 थी।

2006–11 के दौरान लेखा कर्मचारी एवं स0गो0प्र0 की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी के लेखे वर्ष 1990–91 से बकाए में थे।

कम्पनी ने लेखे और आन्तरिक लेखापरीक्षा नियमावली तैयार नहीं किए थे।

वर्ष 2009–10 तक के तैयार आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को कम्पनी के निदेशक पर्षद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था जिससे कम्पनी के हित के मामले में न्यूनताओं का निपटाव किया जा सके।

31 मार्च 2011 तक खाद्यान्न में कमी के लिए 257 कर्मचारी उत्तरदायी ठहराए गए थे। अनाज की कमी के मद में ब्याज सहित, कुल ₹ 29.94 करोड़ के दावे में से ₹ 5.73 करोड़ की वसूली हुई थी तथा ₹ 24.21 करोड़ की राशि वसूल की जानी थी।

व्यवसायिक क्रियाकलापों का कम्प्यूटरीकरण

कम्पनी ने अपने व्यवसायिक क्रियाकलापों को कम्प्यूटरीकृत करने का निर्णय (मार्च 2007) लिया।

कमजोर नियोजन के कारण 49 महीने व्यतीत होने के बाद भी कम्पनी के कम्प्यूटरीकरण का कार्य अपूर्ण था जिसके परिणामस्वरूप यथा विचारित ₹ 4.72 करोड़ की बचत करने के अवसर से कम्पनी वंचित रहा।

विविध

एफ0सी0आई0 के विरूद्ध जूट बोरियों के 431 बेल्स जिनका मूल्य ₹65.55 लाख था, का निपटारा एफ0सी0आई0 के द्वारा अंतिम दर का निर्धारण नहीं किए जाने के कारण, जुलाई 2009 से लम्बित था।

2006–11 के दौरान चार डी0एल0ओ0 द्वारा अधिप्राप्त 4,58,156 जूट बोरियों के विरूद्ध केवल 1,72,526 (37.66 प्रतिशत) जूट बोरियों का ही उपयोग हुआ जो इंगित करता है कि जूट बोरियों की खरीद बिना उनकी आवश्यकता आकलन के किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹87.40 लाख का निधि अवरूद्ध रहा।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

वर्ष 2010–11 में कम्पनी द्वारा धान एवं गेहूँ अधिप्राप्ति के लक्ष्य प्राप्ति का स्तर 20 प्रतिशत से कम पर आ गया जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को अंशदान मार्जिन की हानि होने लगी। खरीद मौसम के आरंभ से पूर्व अधिप्राप्त केन्द्रों और किसानों की पहचान कर अधिप्राप्ति स्तर को सुधारने पर कम्पनी विचार कर सकती है।

कम्पनी के भण्डारण प्रबंध में सुधार की जरूरत है, क्योंकि अतिरिक्त भण्डार के निर्माण से अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का सृजन, अपने क्षतिग्रस्त गोदामों की मरम्मती तथा प्रयोग, सहकारी समितियों के गोदामों को किराए पर लेने की शुरूआत समीक्षा अवधि में कारगर नहीं हुई। कम्पनी अतिरिक्त भण्डारण क्षमता की प्राप्ति के लिए अपने क्रियाकलाप को बढ़ा सकती है।

परिवहन अभिकर्ताओं ने समय पर ट्रक उपलब्ध नहीं कराया, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी आवंटित खाद्यान्न का उठाव नहीं कर सकी, इसलिए परिवहन अभिकर्ता प्रबन्धन पर कठोर नियंत्रण रखने की जरूरत है।

एक योजना से दूसरी योजना में अनाजों के विचलन का दृष्टान्त पाया गया, जिससे योजना के लाभान्वितों को लाभ से वंचित रहना पड़ा। कम्पनी उपयुक्त नियंत्रण प्रक्रिया स्थापित कर सकती है जहाँ ऐसे विचलनों को टाला जा सके तथा अपरिहार्य विचलन की स्थिति में, क्रिया–विधि ऐसी हो जो विचलित मात्रा की भरपाई कर सके ताकि लक्षित लाभान्वितों को लाभ पहुँच सके।

अंशदान मार्जिन का संशोधन नहीं होने तथा प्रतिपूर्ति दावा का समय पर उपस्थापन नहीं होने से कम्पनी को बकाया से वंचित रहना पड़ा। कम्पनी राज्य सरकार को मार्जिन में उपयुक्त संशोधन के लिए राजी कर सकती है ताकि परिचालन लागत की भरपाई हो सके तथा इसे वैध प्रमाणपत्रों के साथ ससमय अपने दावे प्रस्तुत करना चाहिए।

1990–91 से लेखाओं को तैयार नहीं किए जाने से कम्पनी के लोक उत्तरदायित्व में कमी आती है तथा इससे कपट की सम्भावना हो सकती है। कम्पनी को लेखाओं का अद्यतन करना सुनिश्चित करना चाहिए।

2.1 परिचय

2.1.1 बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) का निगमन अप्रैल 1973 में सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत हुआ। कम्पनी की स्थापना खाद्यान्नों की खरीद, परिवहन, भंडारण, संग्रहण एवं वितरण तथा अनाजों की अधिप्राप्ति एवं वितरण हेतु सरकार के अभिकर्त्ता के रूप में भी कार्य करने के लिए मिलों को स्थापित करने, व चावल और आटा मिलों को स्थापित करने में सहायता प्रदान करने हेतु हुआ। कम्पनी के कार्यकलाप विस्तारित हैं :

- न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसका निर्धारण न्यूनतम समर्थ मूल्य योजना के तहत भारतीय खाद्य निगम (एफ0सी0आई0) के बदले सरकार द्वारा किया जाता है, पर अनाजों की खरीद।
- सरकारी योजनाओं के लिए एफ0सी0आई0 से अनाजों का उठाव एवं उनका उचित मूल्य की दुकानों और अन्य अभिकर्त्ताओं द्वारा, जो जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत हों, के माध्यम से वितरण करना।
- विभागीय भण्डारों, तरल पेट्रोलियम गैस (एल0पी0जी0) केन्द्रों, लेवी चीनी का वितरण एवं खाद्यान्न का जेलों में आपूर्ति।

बिहार राज्य पुर्नगठन अधिनियम, 2000 के अनुसार, बिहार एवं झारखण्ड के बीच कम्पनी की सम्पत्तियों एवं दायित्वों का बँटवारा किया जाना था लेकिन इसे पूर्ण नहीं किया गया (नवम्बर 2011)। परन्तु झारखण्ड राज्य में स्थित 187 गोदामों का प्रशासनिक नियंत्रण तथा कम्पनी के 352 कर्मचारियों का स्थानान्तरण (जनवरी 2011) झारखण्ड सरकार को कर दिया गया ।

राज्य के नोडल एजेन्सी के रूप में कम्पनी को राज्य में अनाजों की अधिप्राप्ति व वितरण का भार सौंपा जाता है एवं 2007–08 से 2010–11 की अवधि में कुल अधिप्राप्ति में इसकी हिस्सेदारी गेहूँ की खरीद में 14.29 तथा 14.71 प्रतिशत तथा धान की खरीद में 7.84 तथा 10.71 प्रतिशत था। 2006–11 की अवधि में गेहूँ एवं चावल अधिप्राप्ति के विरूद्ध विविध योजनाओं के तहत वितरण 99.94 प्रतिशत था।

अधिप्राप्ति पर समीक्षा का समावेश, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक) के वर्ष 2005–06 के प्रतिवेदन, बिहार सरकार, में किया गया जिसपर लोक उपक्रम समिति द्वारा विचार किया जाना शेष था (नवम्बर 2011)।

संगठनात्मक ढाँचा

कम्पनी का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त/नामित पाँच निदेशकों के निदेशक मण्डल में निहित था। प्रबन्ध निदेशक, जो कम्पनी के मुख्य कार्यकारी थे, को तीन मुख्य प्रबंधकों, मुख्यालय (मु0) में कम्पनी सचिव, तथा क्षेत्रों में नियुक्त 35 जिला प्रबंधकों (जि0प्र0), द्वारा सहयोग किया जाता था। जि0प्र0 को सहायक गोदाम प्रबंधक (स0गो0प्र0) द्वारा सहयोग की जाती थी। प्रबन्ध निदेशक (एम0डी0) का कार्यकाल औसत वर्ष 2006–11 के दौरान लगभग एक वर्ष था।

2.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

अप्रैल से जुलाई 2011 के दौरान की गई वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2006–11 की अवधि में बिहार सरकार की विविध योजनाओं के अन्तर्गत अनाजों की अधिप्राप्ति एवं उठाव तथा उसके वितरण से संबंधित, बिहार राज्य में, कम्पनी की गतिविधियों का समावेश है। इस उद्देश्य के लिए कम्पनी के मुख्यालय एवं 35 जिला स्तरीय कार्यालयों में से नौ[1] (कुल डी0एल0ओ0 के 25 प्रतिशत से अधिक) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। डी0एल0ओ0 का चयन उनके भौगोलिक स्थापन एवं कार्य परिमाण, जो कम्पनी के वर्ष 2010–11 तक विगत तीन वर्षों में ₹ 4848.09 करोड़ के कुल उठाव का लगभग 29 प्रतिशत था, के आधार पर किया गया।

2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करने के लिए की गई कि :

- अधिप्राप्ति, भण्डारण, परिवहन तथा एफ0पी0एस0 डीलर्स तथा अन्य अभिकर्त्ताओं के अनाज के वितरण सम्बन्धी गतिविधियाँ, कुशलतापूर्वक, प्रभावी तथा किफायती तरीके से प्रबंधित थे तथा निर्धारित क्रिया–विधि के अनुरूप थे;
- विभिन्न योजना के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्नों का तत्परता से उठाव हुआ, ताकि आवंटित मात्रा के व्यपगत होने से एवं मार्जिन अंशदान के घाटे को रोका जा सके;

[1] बेगुसराय, भोजपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना एवं समस्तीपुर।

- सरकार द्वारा निर्धारित मार्जिन/कमीशन कम्पनी के प्रशासनिक व्यय के वहन के लिए पर्याप्त था;
- एक योजना के अन्तर्गत उठाव किए गए खाद्यान्न को उसी योजना में उपयोग किया गया;
- कम्पनी ने निर्धारित अवधि में प्रतिपूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप विपत्रों को उपस्थापित किया;
- राज्य सरकार द्वारा सभी लागत तत्वों की प्रतिपूर्ति कम्पनी को एफ0सी0आई0 द्वारा प्राप्त हो गया था; तथा
- कम्पनी का आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति पर्याप्त एवं प्रभावकारी थे।

2.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा उद्देश्यों के आकलन के लिए अपनाए गए लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नवत् थे :

- विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति एवं वितरण से सम्बन्धित राज्य/केन्द्र सरकार के दिशा–निर्देश/निर्देश;
- अनाजों की अधिप्राप्ति व वितरण तथा धान कुटाई का निर्धारित लक्ष्य;
- भारत सरकार द्वारा अनाजों की अधिप्राप्ति एवं वितरण के लिए निर्धारित अनुषांगिक शुल्क;
- निदेशक पर्षद के निर्णय एवं परिपत्र इत्यादि;
- हथालन एवं परिवहन संविदा की शर्तें; तथा
- जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में निहित प्रावधान।

2.5 लेखापरीक्षा पद्धति

निम्न विधियों को मिश्रित रूप से प्रयोग में लाया गयाः

- कम्पनी के अभिलेखों की जाँच, कम्पनी के अभिलेखों से आँकड़ों का संकलन वित्तीय विवरणियाँ, निकासी आदेश (आर0ओ0) रजिस्टर, मासिक विवरणी, इत्यादि;
- अनाजों की अधिप्राप्ति एवं वितरण के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुषांगिक शुल्क की प्रर्याप्तता का आकलन;
- विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्नों के आवंटन, उठाव एवं वितरण सम्बन्धी अभिलेखों की जाँच करना;
- निदेशक पर्षद की बैठक की कार्यसूची तथा कार्यवृत्त की जाँच;
- स्टॉक लेखे, क्रय पंजियों, मासिक विवरणियों, इत्यादि की जाँच तथा परिवहन अभिकर्ताओं (प0अ0) की नियुक्ति से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच;
- कम्पनी द्वारा निर्धारित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की जाँच; तथा

- प्रबंधन से विचार विमर्श।

2.6 निष्पादन लेखापरीक्षा के चरण

मई 2011 में 'प्रवेश सम्मेलन' के दौरान हमलोगों ने कम्पनी को लेखापरीक्षा उद्देश्यों से अवगत कराया।

- बाद में, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को, कम्पनी एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2011)।
- दिसम्बर 2011 में प्रबन्धन के साथ 'निकास सम्मेलन' हुआ।
- प्रबन्धन/सरकार से उत्तर की प्राप्ति नहीं हुई।
- प्रतिवेदन अन्तिमीकरण में प्रबन्धन द्वारा प्राप्त प्रारम्भिक स्तर पर दिए गए विचारों को आवश्यकतानुसार अपनाया गया तथा समाहित किया गया।

2.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्न विषयों में समूहबद्ध किया गया है :

क. अधिप्राप्ति

ख. भण्डारण प्रबंधन

ग. परिवहन एवं हथालन

घ. वितरण

ङ. वित्तीय प्रबन्धन

च. मानव संसाधन प्रबंधन एवं आन्तरिक नियंत्रण

छ. व्यवसायिक क्रियाकलापों का कम्प्यूटरीकरण

ज. विविध

2.8 अधिप्राप्ति

2.8.1 लक्ष्य के विरूद्ध अनाजों की अधिप्राप्ति में कमी

कम्पनी धान एवं गेहूँ अधिप्राप्ति का वार्षिक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी

न्यूनतम समर्थित मूल्य (एम0एस0पी0) योजना के अन्तर्गत कम्पनी के लिए अनाजों की अधिप्राप्ति के लक्ष्य का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। योजना के अन्तर्गत, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ एवं धान की अधिप्राप्ति किसानों से की जाती है, तथा उसके पश्चात् गेहूँ एवं चावल (कुटाई के बाद) एफ0सी0आई0 को सुपुर्द की जाती है जो अधिप्राप्ति पर कम्पनी को अनुषांगिक शुल्क की प्रतिपूर्ति करता है। क्रय केन्द्रों की स्थापना डी0एल0ओ0 द्वारा की जाती है जो किसानों से अधिप्राप्ति हेतु विज्ञापन द्वारा अधिप्राप्ति लक्ष्य की प्राप्ति, क्रय केन्द्रों के संधारण व परिचालन तथा अनाजों की गुणवत्ता हेतु एफ0सी0आई0 प्राधिकार के साथ संयुक्त जाँच इत्यादि को सुनिश्चित करता है। हमने निरीक्षण में पाया कि कम्पनी की धान की अधिप्राप्ति के लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 11.25 प्रतिशत से 87.20 प्रतिशत के बीच रही। गेहूँ के मामले में, 2006–11 की अवधि में, कम्पनी की उपलब्धि 15.30 प्रतिशत से 68.56 प्रतिशत के

बीच थी। अपितु 2010–11 की अवधि में धान एवं गेंहूँ के मामले में लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 20 प्रतिशत से कम थी **(परिशिष्ट – 7)**।

हमने निरीक्षण में पाया कि नौ[2] डी0एल0ओ0 में अधिप्राप्ति मौसम आरंभ से पूर्व अधिप्राप्ति केन्द्रों तथा किसानों की पहचान के लिए किसी भी प्रकार की योजना व्याप्त नहीं थी। गुणवत्तापूर्ण अनाजों तथा फसलों की उपलब्धता इत्यादि से संबंधित आवश्यक विवरणियों का अद्यतन नहीं किया गया था। साथ ही, विभिन्न डी0एल0ओ0 द्वारा संचालित अधिप्राप्ति क्रियाकलापों का कम्पनी द्वारा प्रभावकारी अनुश्रवण नहीं किया गया था। इस प्रकार, योजना एवं अनुश्रवण के अभाव में कम्पनी अधिप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2011) कि लक्ष्य के विरूद्ध अधिप्राप्ति कम होने के कई कारण थे, यथा भारत सरकार द्वारा अनुषांगिक शुल्क का निर्धारण न होना, सीमित भण्डारण क्षमता, एफ0सी0आई0 द्वारा अधिप्राप्त अनाज की स्वीकृति में विलम्ब, और सरकार द्वारा भण्डारण हेतु स्वीकार्य किराया की अपर्याप्तता।

कम अधिप्राप्ति हेतु जो कारण बताए गए वे कम्पनी के नियंत्रण से परे नहीं थे तथा उन्हें बेहतर योजना एवं जिला प्रशासन/राज्य सरकार से समन्वय द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने अधिप्राप्ति मौसम के अन्दर ही अनुषांगिक शुल्क का निर्धारण कर दिया था।

2.8.2 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस0जी0आर0वाई0) के अन्तर्गत अनाजों के उठाव नहीं होने के कारण ₹ 81.27 लाख की निधि का अवरूद्धिकरण

एस0जी0आर0वाई0 के अन्तर्गत अनाजों के उठाव नहीं होने से ₹ 81.27 लाख की राशि अवरूद्ध रही

एस0जी0आर0वाई0 योजना के अन्तर्गत एफ0सी0आई0 ने 1,26,200 क्विंटल धान के उठाव के लिए निकासी आदेश निर्गत (मई 2006) किया था एवं तदनुसार डी0एल0ओ0, गया ने ₹ 86.45 करोड़ की राशि जमा की। डी0एल0ओ0, गया द्वारा ₹ 81.27 लाख मूल्य के 1,18,640.08 क्विंटल अनाज का उठाव छोड़कर केवल 7559.92 क्विंटल चावल का उठाव किया गया। उपरोक्त अनाज का उठाव नहीं होने के कारण योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया तथा ₹ 81.27 लाख वसूली के लिए छः साल से लम्बित था जिससे ब्याज की परिणामी हानि हुई। इसके साथ ही यह योजना बंद हो गई थी (मार्च 2007)।

प्रबन्धन ने बताया (नवम्बर 2011) कि अनुसूचित अवधि में नियमित आवंटन के अतिरिक्त एफ0सी0आई0 गोदाम, गया से भारी मात्रा में उठाव किया जाना था। गया में स्टॉक की अप्रर्याप्तता के कारण केवल 7559.92 क्विंटल चावल का उठाव हुआ। इस विषय को सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदित किया गया ताकि निकासी आदेश का पुर्नवैधीकरण हो सके परन्तु पुर्नवैधीकरण आदेश प्राप्त नहीं हुआ।

प्रबन्धन द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अनाज की अनुपलब्धता की स्थिति में, कम्पनी को एफ0सी0आई0 में जमा अधिकाई रकम की वापसी कर लेनी चाहिए थी।

[2] बेगूसराय, भोजपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना एवं समस्तीपुर।

2.9 भण्डारण प्रबंधन

2.9.1 एफ0सी0आई0 गोदाम से खाद्यान्न उठाव होने के पश्चात् कम्पनी के गोदाम में रखा जाता है। खाद्यान्न, चीनी तथा अन्य सामग्रियों के भण्डारण के लिए कम्पनी के पास बिहार के 38 जिलों में कुल 387 गोदाम (अपना–151, किराया पर–236) थे जिसकी कुल भण्डारण क्षमता 1.35 लाख एम0टी0 थी (जुलाई 2011)। वर्ष 2006–11 की अवधि में कम्पनी ने अतिरिक्त भण्डारण क्षमता हेतु मात्र 1000 एम0टी0 क्षमता के एक छोटे गोदाम का निर्माण जमुई में करवाया।

निम्न अवलोकन से कम्पनी द्वारा अतिरिक्त भण्डारण के लिए, किए गए कार्यवाही की स्थिति प्रकट होती है:

2.9.2 सरकार द्वारा आठ बाढ़ प्रभावित जिलों[3] के 80 ब्लॉकों में 47000 एम0टी0 गोदाम क्षमता[4] के निर्माण का निर्णय (सितम्बर 2008) लिया गया। गोदाम निर्माण का लागत मूल्य सरकार से मिलना था। तदनुसार, कम्पनी को निर्देशित किया गया कि वह गोदाम निर्माण से सम्बन्धित एक कार्य–योजना सरकार को सितम्बर 2008 तक प्रस्तुत करे। कम्पनी ने निर्देशों के अनुपालन में ₹ 33.48 करोड़ (भूमि लागत को छोड़कर) का प्राक्कलन प्रस्तुत किया। आगे इस पर न तो कम्पनी द्वारा कोई उत्तरोत्तर कार्यवाही की गई और न ही सरकार द्वारा अबतक भण्डारण क्षमता बढ़ाने हेतु कोई कार्यवाही की गई (नवम्बर 2011)।

प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2011) कि मामला सरकार के स्तर पर लम्बित था।

2.9.3 सरकार ने निर्णय लिया (जुलाई 2008) कि कम्पनी अपने स्तर से बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ (बिस्कोमान) के क्षतिग्रस्त गोदामों की मरम्मती पर खर्च का वहन कर उन गोदामों का उपयोग करेगी। मरम्मत पर जो भी खर्च होगा उसे बिस्कोमान को दिये जाने वाले किराये से समायोजित किया जाएगा। कम्पनी ने 20 जिलों में 44 क्षतिग्रस्त गोदामों की पहचान की जिनकी क्षमता 45250 एम0टी0 थी तथा जिनकी मरम्मती का अनुमानित लागत ₹ 4.32 करोड़ था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 10 गोदामों के लिए ₹ 34.07 लाख की मांग के विरूद्ध कम्पनी ने कुल 4400 एम0टी0 क्षमता वाले पाँच गोदामों के लिए ₹ 7.86 लाख निर्गत किया (नवम्बर 2010)। कम्पनी इन गोदामों का उपयोग नहीं कर सकी थी क्योंकि मरम्मती का कार्य अपूर्ण था (नवम्बर 2011)। 39 गोदामों के लिए मरम्मती का कार्य आरंभ नहीं हुआ था (नवम्बर 2011)। इस प्रकार लगभग तीन साल व्यतीत होने के बाद भी कम्पनी 45,250 एम0टी0 भण्डारण क्षमता का निर्माण नहीं कर सकी।

2.9.4 अतिरिक्त 3,800 एम0टी0 भण्डारण क्षमता के निर्माण हेतु प्रति गोदाम ₹ चार लाख की दर (कुल योग : ₹ 1.52 करोड़) से कम्पनी के अपने 38 क्षतिग्रस्त/अपूर्ण गोदामों की मरम्मति का कार्य मार्च 2009 से लम्बित था।

2.9.5 सरकार ने मार्च 2013 तक कम्पनी के लिए 38 जिलों में कुल 2.84 लाख एम0टी0 क्षमता के 423 गोदामों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की। भण्डारण क्षमता के निर्माण के लिए बजटीय सहायता में ₹ 20.78 करोड़ सरकार से तथा अनाज एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा ₹ 186.78 करोड़ ऋण ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (आर0आई0डी0एफ0) से सम्मिलित था। कम्पनी ने, पी0डब्लू0डी0, बिहार सरकार द्वारा

3 सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार एवं खगड़िया।

4 1000 एम0टी0 क्षमता के सात गोदाम तथा 500 एम0टी0 क्षमता के 80 गोदाम।

उपलब्ध मॉडल प्राक्कलन के आधार पर गोदाम निर्माण के लिए प्राक्कलन प्रस्तुत (जनवरी 2011) किया। कम्पनी ने कहा (नवम्बर 2011) कि आर0आई0डी0एफ0 से ₹ 157.64 करोड़ के ऋण की स्वीकृति प्राप्त हो गई थी तथा सरकार ने ₹ 49.92 करोड़ की सहायता अनुदान के रूप में देने की सहमति प्रदान कर दी थी। निर्माण कार्य जनवरी 2012 से आरम्भ होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त, गोदाम प्रबन्धन में निम्नलिखित अवलोकन किए गए :

- सभी चयनित जिला में अप्रैल 2006 से स्टॉक के भौतिक सत्यापन नहीं किए गए थे।
- अनाजों के निर्गमन में एफ0आई0एफ0ओ0 पद्धति का अनुपालन नहीं किया गया था।
- चयनित जिला में गोदामों में विद्युत संस्थापन नहीं था।
- डी0एल0ओ0, बेगुसराय एवं मुजफ्फरपुर में भण्डारित सामानों के परिचालन में गली (3 फिट) एवं मार्ग (5 फिट) का प्रावधान नहीं किया गया था।
- किसी भी गोदाम में, विद्युत तौल–माप प्रणाली के अभाव में, एफ0सी0आई0 से अनाजों की प्राप्ति का 100 प्रतिशत तौल नहीं किया गया था। कम्पनी ने 307 प्लेटफार्म स्केल का आदेश दिया था जिनमें से 10 स्केल की स्थापना की गई थी (नवम्बर 2011)।
- गोदामों के निरीक्षण से सम्बन्धित अभिलेख अप्राप्त थे।
- वर्ष 2006–11 की अवधि में नौ डी0एल0ओ0 में से किसी में भी रसायन, यथा एल्यूमिनियम फॉस्फेट टेबलेट, जिंक फॉस्फेट, मालाथियन, डेटामेथरिम और एल्यूमिनियम फॉसफाईड नहीं क्रय किए गए जो रोग निरोधक एवं उपचारात्मक नियंत्रण के लिए जरूरी था।
- चार डी0एल0ओ0[5] के अभिलेखों के नमूना जाँच क्रम में पाया गया कि त्रुटिपूर्ण पैकेजिंग, बाढ़ से बचाव के लिए उचित कार्रवाई का अभाव, चूहों से क्षति, क्षतिग्रस्त गोदामों में संग्रहण, इत्यादि कारणों से ₹ 24.45 लाख मूल्य के 1943 क्विंटल चावल, 1035 क्विंटल गेहूँ तथा 56 क्विंटल चीनी 2006–11 की अवधि में क्षतिग्रस्त हुए।

2.9.6 धान की मिल में कुटाई नहीं होने के कारण ₹ 1.47 करोड़ की निधि का अवरूद्धिकरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत खरीदे गए धान का निर्धारित अवधि में मिल में कुटाई किया जाना आवश्यक होता है ताकि धान की गुणवत्ता में गिरावट को रोका जा सके। मिलिंग अनुबंध के अन्तर्गत मिल मालिक (कुटाई करने वाला) को 67 प्रतिशत आउट–टर्न अनुपात से धान के विरूद्ध कस्टम मिल्ड् राईस (सी0एम0आर0) की आपूर्ति करनी होती है।

दो डी0एल0ओ0, भोजपुर तथा नालंदा में नमूना जाँचक्रम में पाया गया कि 2008–10 की अवधि में 21243.65 क्विंटल धान की अधिप्राप्त धान में से केवल 5074.59[6] क्विंटल

5 दरभंगा, बेगुसराय, मुजफ्फरपुर एवं नवादा।

6 भोजपुर– 895.52 क्विंटल, नालंदा– 4179.07 क्विंटल।

कुटाई के लिए भेजा गया तथा शेष 16169.06 क्विंटल धान जिनका मूल्य ₹ 1.47 करोड़ था, की कुटाई नहीं हुई जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक निधि अवरूद्ध रहा। साथ ही, धान लगभग 30 महीने तक बिना कुटाई के रह गए थे (नवम्बर 2011) जिससे उनकी गुणवत्ता में ह्रास से इन्कार नहीं किया जा सकता।

2.10 परिवहन तथा हथालन

2.10.1 परिवहन तथा हथालन शुल्क ₹ 20.08 करोड़ की वसूली नहीं होना

सरकार से ₹ 20.08 करोड़ प्राप्य था

जैसा की प्रचलन में था, कम्पनी अनाजों के एफ0सी0आई0 गोदामों से अपने गोदामों में भेजने का परिवहन व्यय स्वयं वहन करती थी जिसकी प्रतिपूर्ति जिला प्रशासन द्वारा की जाती थी। यह पाया गया कि मई 2011 तक सरकार से ₹ 20.08 करोड़ की राशि प्राप्य थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नौ डी0एल0ओ0 में परिवहन एवं हथालन शुल्क की वसूली के लिए जिला प्रशासन से प्रभावकारी तरीका से उत्तरोत्तर प्रयास नहीं किया गया। परिणामस्वरूप कम्पनी की ₹ 20.08 करोड़ राशि अवरूद्ध रही तथा कम्पनी को परिणामी ब्याज की हानि हुई क्योंकि कम्पनी ओभरड्राफ्ट पर ब्याज अदा कर रही थी (नवम्बर 2011)।

2.10.2 भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से कम्पनी के गोदामों तक खाद्यान्नों का परिवहन एवं हथालन कम्पनी द्वारा वार्षिक दरों पर संविदा के आधार पर नियुक्त परिवहन अभिकर्ताओं द्वारा की जाती थी। परिवहन अभिकर्तओं की नियुक्ति खुली निविदा के आधार पर इस उपबन्ध के साथ की जाती थी कि उनका कार्यकाल दो वर्ष के लिए बिना निविदा आमंत्रित किए बढ़ाया जा सके। दर संविदा के अभाव में, जिला प्रबन्धकों द्वारा बाजार से ट्रक किराये पर लेकर परिवहन की जाती थी जिसे 'विभागीय परिवहन' के रूप में वगीकृत किया गया था। अनाजों के परिवहन एवं हथालन में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईं:

2.10.3 उठाव के लिए प्रर्याप्त संख्या में ट्रकों की अनुपलब्धता के कारण ₹ 2.38 करोड़ की हानि

परिवहन हेतु ट्रक उपलब्ध नहीं होने के कारण 7.76 लाख क्विंटल अनाज का उठाव नहीं हुआ जिससे कम्पनी को ₹ 2.38 करोड़ की मार्जिन क्षति हुई

कम्पनी द्वारा, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित अनाजों का उठाव निर्धारित समय अवधि में करना होता था। अनुबंध के अनुसार, परिवहन अभिकत्ताओं को प्रयाप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध करना होता था ताकि अनाजों का उठाव, जिनके लिए एफ0सी0आई0 आर0ओ0 जारी करता था, हो सके। नमूना जाँच में पाया गया कि डी0एल0ओ0 (मधुबनी, अररिया) द्वारा नियुक्त परिवहन अभिकर्त्ताओं ने समय पर आवश्यकता के अनुसार ट्रक उपलब्ध नहीं कराया जिसके परिणामस्वरूप 2006–08 की अवधि में 7.76 लाख क्विंटल[7] अनाज के आवंटन व्यपगत हो गए। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 2.38 करोड़ के अंशदान मार्जिन की हानि हुई तथा इसके अलावा लक्षित लाभान्वितों को अनाज की आपूर्ति नहीं हुई।

प्रबन्धन ने बताया (नवम्बर 2011) कि परिवहन अभिकर्त्ताओं के प्रतिभूति जमा और बैंक गारन्टी को जब्त कर लिया गया था तथा उन्हें आगे के लेन–देन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। एक परिवहन अभिकर्त्ता को काली सूची में भी दर्ज किया गया था।

[7] अररिया – 3.75 लाख क्विंटल, मधुबनी – 4.01 लाख क्विंटल।

2.10.4 परिवहन के लिए अनियमित भुगतान

डी0एल0ओ0 पटना में पाया गया कि परिवहन एवं हथालन व्यय के लिए एक स0गो0प्र0 को जनवरी 2008 से सितम्बर 2009 की अवधि में अग्रिम धन ₹ 1.64 करोड़ दिया गया, जिसके विरूद्ध सम्बन्धित स0गो0प्र0 द्वारा ₹ 1.53 करोड़ का समायोजन विपत्र मार्च 2010 तक प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत किये गए विपत्रों में से ₹ 1.15 करोड़ का समायोजन उसकी ग्राह्यता के अनुसार किया गया था। शेष बचे रकम ₹ 11.08 लाख के लिए विपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस प्रकार शेष रकम ₹ 49 लाख का उपस्थापन/समायोजन लम्बित था (नवम्बर 2011)।

2.11 वितरण

2.11.1 केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा विविध योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित अनाजों का, कम्पनी एक नोडल एजेन्सी के रूप में, एफ0सी0आई0 गोदामों से उठाव करती है। कम्पनी अपने 35 डी0एल0ओ0 द्वारा खाद्यान्नों के कीमत का भुगतान, निशुल्क आपूर्ति खाद्यान्नों की कीमत को छोड़कर, एफ0सी0आई0 को करती है एवं उनसे खाद्यान्नों के उठाव एवं विभिन्न उचित मूल्य की दुकानों एवं जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत अभिकर्ताओं को वितरण करने के लिए निर्गमन आदेश (आर0ओ0) प्राप्त करती है। हमने पाया कि 2006–11 की अवधि के दौरान :

- निःशुल्क एवं उच्च सहायता प्रदत्त योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्नों का उठाव 75.40 तथा 91.32 प्रतिशत (अन्नपूर्णा), 52.23 तथा 98.93 प्रतिशत (ए0ए0आई0) और 60.07 तथा 83.29 प्रतिशत (एम0डी0एम0) के मध्य रहा जबकि सशुल्क खाद्यान्नों का उठाव 17.34 तथा 101.45 प्रतिशत (बी0पी0एल0) और 1.73 तथा 100 प्रतिशत (ए0पी0एल0) के मध्य रहा **(परिशिष्ट–8)**,

सभी योजनाओं के अन्तर्गत आवंटन के विरूद्ध अनाजों का उठाव अस्थिर था

- सभी योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित अनाजों के विरूद्ध उठाव 2006–07 से 2010–11 की अवधि में अस्थिर रहा। उठाव नहीं किए गए अनाजों का परिमाण 2006–07 में 22.40 लाख एम0टी0 तथा 2010–11 में 5.73 लाख एम0टी0 के मध्य रहा **(परिशिष्ट–9)**,

अनाज के कमतर उठाव के कारण मार्जिन राशि के रूप में कम्पनी ₹ 203.45 करोड़ से वंचित रही

- 2006–11 की अवधि में 68.72 लाख एम0टी0 अनाज का उठाव होने से कम्पनी को ₹ 203.45 करोड़ के मार्जिन राशि से वंचित होना पड़ा **(परिशिष्ट–9)**।

प्रबन्धन ने कम उठाव का कारण एफ0सी0आई0 डीपो में अनाज की अनुपलब्धता, सीमित भण्डारण क्षमता, एफ0सी0आई0 डीपो में वे–ब्रिजों का न होना, इत्यादि बताया (सितम्बर 2011)।

प्रबन्धन द्वारा उल्लेखित कारण यथा एफ0सी0आई0 डीपो में अनाजों तथा वे–ब्रिजों की अनुपलब्धता मान्य नहीं है क्योंकि भण्डारण की समस्या का समाधान गोदामों को किराए पर लेकर, जैसा कि वर्ष 2009–10 में किया गया था, किया जा सकता था तथा सरकार के आवंटन–आदेश से यथा इंगित एफ0सी0आई0 के पास पर्याप्त अन्न भण्डार उपलब्ध रहते थे।

2.11.2 वर्ष 2006–11 की अवधि में कम्पनी ने पाँच मुख्य सरकारी योजनाओं का संचालन किया जिनमें से प्रत्येक योजना के अन्तर्गत लक्षित लाभार्थियों के लिए सरकार निर्धारित दर पर अनाज उपलब्ध कराती थी। अन्नपूर्णा, मिड डे मिल (एम0डी0एम0) तथा एस0जी0आर0वाई0 (अब समाप्त) जैसी योजनाओं के अन्तर्गत लक्षित लाभार्थियों

को मुफ्त अनाज वितरण करने के लिए एफ0सी0आई0 द्वारा कम्पनी को अनाज उपलब्ध कराया जाता था। अन्य योजनाओं यथा बी0पी0एल0, ए0पी0एल0 तथा ए0ए0वाई0 के अन्तर्गत एफ0सी0आई0 से खरीद–दर, एफ0पी0एस0 डीलर्स को बिक्री–दर एवं सरकार से दावा की जाने वाली मार्जिन की राशि में वृहद् अन्तर था। एक योजना से दूसरी योजना में अनाजों के विचलन को रोकने की कोई पद्धति नही थी।

कम्पनी ने एक योजना से दूसरे में अनाज का विचलन किया

छः डी0एल0ओ0 के मामले में वर्ष 2006–07 से 2010–11 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनाजों के वार्षिक प्राप्तियों एवं निर्गमन की जाँच में उद्घाटित हुआ कि कम्पनी द्वारा एक योजना से दूसरी योजना में खाद्यान्नों का बड़े पैमाने पर विचलन किया गया था। **परिशिष्ट–10** में एक योजना से दूसरे योजना में विचलन का विस्तृत विवरण है। 2006–11 की अवधि में ऐसे विचलन से कम्पनी को ₹ 25.74 करोड़ का लाभ हुआ जबकि ₹ 25.53 करोड़ की हानि भी हुई। कोई भी ऐसा अभिलेख नहीं था जिससे पता चले कि जिस योजना से अनाजों का विचलन हुआ उसमें उतनी ही मात्रा के अनाज की प्रतिपूर्ति की गई जिससे लक्षित लाभान्वितों को अनाजों के उपर्युक्त विचलन के फलस्वरूप किसी भी प्रकार के लाभ से वंचित नहीं होना पड़ा, इसकी पुष्टि हो सके।

2.11.3 लेवी चीनी का निपटारा नहीं होने से ₹ 52.11 लाख की हानि

कम्पनी ने अधिसूचित चीनी मिलों से सितम्बर 2006 से फरवरी 2007 की अवधि में 1,74,014 क्विंटल चीनी का उठाव किया जिसमें से 1,24,773 क्विंटल चीनी की आपूर्ति एफ0पी0एस0 डीलर्स को की गई। शेष 49,241 क्विंटल चीनी दो वर्षो से अधिक समय से पड़ा रहा तथा एफ0पी0एस0 डीलर चीनी की गुणवत्ता की खराबी के कारण उठाव करने को इच्छुक नहीं थे।

कम्पनी ने खुले बाजार में चीनी बेचने का सरकार से अनुमति प्राप्त नहीं की तथा लम्बे समय तक भण्डारण व बरसात के मौसम के कारण इनकी गुणवत्ता में गिरावट आ गई थी। 49,241 क्विंटल चीनी में से कम्पनी मात्र 45,895 क्विंटल चीनी तीन वर्ष से भी अधिक समय में मार्च 2007 से मई 2010 तक बेच सकी। परन्तु कम्पनी 3,346 क्विंटल चीनी जिसका मुल्य ₹ 52.11 लाख था का निष्पादन नही कर सकी जो चार डी0एल0ओ0 के विविध गोदामों में पड़े थे तथा मानव–उपभोग के योग्य नहीं रह गए थे।

चीनी की खराब गुणवत्ता के कारण कम्पनी को ₹ 52.11 लाख की हानि हुई

इस प्रकार, समय पर चीनी के निष्पादन में विफल होने के कारण कम्पनी को ₹ 52.11 लाख[8] की हानि उठानी पड़ी।

प्रबन्धन ने दोहराया (नवम्बर 2011) कि चीनी का निष्पादन मंद गति से हुआ क्योंकि यह बी0पी0एल0 उपभोक्ताओं के लिए था जो वित्तीय रूप से कमजोर रहने के कारण समय पर क्रय करने में असमर्थ थे। 3346 क्विंटल चीनी जो कि मानव–उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं रह गए थे के सम्बन्ध में सरकार का निर्देश प्रतीक्षित था।

प्रबन्धन द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कम्पनी लेवी चीनी का निर्धारित समय में वितरण करने में असफल हुई जिसके परिणामस्वरूप लम्बे समय से भंडार में रहने के कारण चीनी के गुणवत्ता में गिरावट आई तथा 3346 क्विंटल चीनी मानव–उपभोग के योग्य नहीं रह गए।

[8] 3346 क्विंटल x ₹ 1557.35 प्रति क्विंटल

2.11.4 किशोर बालिका पोषाहार (एन0पी0ए0जी0) योजना के उद्देश्यों की अप्राप्ति

एन0पी0ए0जी0 योजना के अन्तर्गत छः कि0ग्रा0 अनाज प्रति चिह्नित अल्पपोषित किशोर बालिका (उम्र 11 से 19 वर्ष) को निःशुल्क दिया जाना था। इस उद्देश्य के लिए, इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 दर पर अनाज राज्य को उपलब्ध कराया जाता था। कम्पनी को ₹ 37 प्रति क्विंटल अनाज की दर से मार्जिन राशि उपलब्ध था।

एन0पी0ए0जी0 योजना के अन्तर्गत, कम्पनी वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के लिए निर्धारित लक्ष्य का 85.06 प्रतिशत व 37.07 प्रतिशत प्राप्त नहीं कर सकी

गया जिला में, हमलोगों ने पाया कि 2007–10 के दौरान, लक्षित 36,945.60 क्विंटल आवंटित अनाज के विरूद्ध मात्र 13,491.51 क्विंटल अनाज का उठाव हुआ तथा लक्ष्य के विरूद्ध उठाव का प्रतिशत 14.94 से 63.93 के बीच था। इसके अतिरिक्त, उठाव हुए अनाज में से 11,798.46 क्विंटल का निर्गमन नहीं हुआ। इस प्रकार योजना के अन्तर्गत 2007–08 व 2008–09 में क्रमशः 85.06 प्रतिशत तथा 37.07 प्रतिशत लाभान्वितों तक अनाज नहीं पहुँचा। कम्पनी को ₹ 8.68 लाख मार्जिन मनी से भी वंचित रहना पड़ा। आगे निरीक्षण में यह भी पाया गया कि कम्पनी ने कोई भी दक्षतापूर्ण प्रणाली विकसित नहीं की थी जिससे योजना के अन्तर्गत अनाज के उठाव व वितरण हेतु राज्य सरकार प्राधिकार (सी0डी0पी0ओ0) से वांछित पुनर्निवेशन किया जा सके।कम्पनी की तरफ से पहल का अभाव था जिसके कारण 11,798.46 क्विंटल अनाज का निर्गमन नहीं हो सका क्योंकि स्टॉक निर्गमन आदेश (एस0आई0ओ0) को तैयार नहीं किया जा सका।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवम्बर 2011) तथा बताया कि समय की कमी के कारण अनाज की सम्पूर्ण मात्रा का समय पर उठाव नहीं किया जा सका तथा एफ0सी0आई0 प्राधिकार ने भी आर0ओ0 का पुर्नवैधीकरण नहीं किया। उन्होनें सम्बन्धित प्रोग्राम पदाधिकारी से वितरण हेतु उप आवंटन निर्गमन का अनुरोध भी किया था।

2.11.5 भुखमरी से ग्रस्त व्यक्तियों के बचाव के लिए प्राप्त अनाज का वितरण नहीं

ओ0एम0एस0एस0 के अन्तर्गत भुखमरी से बचाव के लिए कम्पनी 104 क्विंटल गेहूँ निर्गत नहीं कर सकी

कम्पनी ने राज्य सरकार से भुखमरी से बचाव के लिए बिहार के 38 जिलों में खुला बाजार विक्रय योजना (ओ0एम0एस0एस0) के अन्तर्गत प्रति पंचायत एक क्विंटल की दर से एकमुश्त 8,463 क्विंटल गेहूँ का आवंटन प्राप्त किया (जनवरी 2010)।

डी0एल0ओ0 नालंदा में हमलोगो ने पाया कि यद्यपि सम्पूर्ण 249 क्विंटल गेहूँ का उठाव किया गया था, उसमे से केवल 145 क्विंटल गेहूँ निर्गमित किए गए तथा शेष 104 क्विंटल गेहूँ का निर्गमन योजना लागू करने हेतु कार्य–योजना के अभाव मे नहीं हुआ (नवम्बर 2011)।

सम्बन्धित डी0एल0ओ0 ने बताया (नवम्बर 2011) कि 104 क्विंटल गेहूँ के निष्पादन के लिए सरकार का निर्देश प्रतीक्षित था।

2.11.6 एम0डी0एम0 योजना के अन्तर्गत अनाजों की कम आपूर्ति

एम0डी0एम0 योजना के अन्तर्गत कम्पनी को अनुमोदित अभिकर्त्ताओं के माध्यम से विभिन्न स्कूलों में निःशुल्क वितरण के लिए एफ0सी0आई0 से चावल का जिलावार आवंटन प्राप्त हुआ। डी0एल0ओ0 नवादा में अप्रैल 2010 से मई 2010 की अवधि में एफ0सी0आई0 से किए गए 8,529.98 क्विंटल चावल के उठाव के विरूद्ध केवल 7,930.32 क्विंटल चावल की आपूर्ति डी0एल0ओ0 द्वारा स्कूल में वितरण के लिए किया

गया। शेष 599.66 क्विंटल चावल की आपूर्ति नहीं की गई क्योंकि स्कूलों ने चावल की आंशिक मात्रा को लेना स्वीकार नहीं किया। कम्पनी ने स्कूल प्रशासन द्वारा आंशिक मात्रा में चावल अस्वीकार का दस्तवेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। परिणामस्वरूप 599.60 क्विंटल चावल निर्गमित नहीं हुआ जिससे योजना के क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

2.11.7 तरल पेट्रोलियम गैस (एल0पी0जी0) का वितरण

खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति एवं वितरण के अतिरिक्त कम्पनी का क्रियाकलाप तरल पेट्रोलियम गैस (एल0पी0जी0) के वितरण तक विस्तारित हुआ। डी0एल0ओ0 मुजफ्फरपुर, इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आई0ओ0सी0एल0) के एक मात्र वितरक के रूप में, एल0पी0जी0 बिक्री कार्य हेतु, नवम्बर 1992 से कार्यरत था। कम्पनी को आई0ओ0सी0एल0 से प्रति सिलिन्डर ₹ 22.17 मार्जिन के मद में प्राप्त हो रहा था। आई0ओ0सी0एल0 से अनुबन्ध के अनुसार, कम्पनी को समय–समय पर निर्धारित नीतियों के अनुरूप एल0पी0जी0 का न्यूनतम बिक्री सुनिश्चित करना था। इसके अतिरिक्त कम्पनी को प्रत्येक महीने भरे हुए एल0पी0जी0 की एक न्यूनतम संख्या में उठाव करनी होती थी तथा एक न्यूनतम स्टॉक संधारित करना होता था जिससे कि ग्राहकों की आवश्यकताओं की निर्बाध पूर्ति हो सके। यद्यपि कम्पनी ने प्रत्येक महीने में सिलिन्डर उठाव की न्यूनतम संख्या तथा स्टॉक संधारण की न्यूनतम संख्या की सूचना प्रदान नहीं की।

वर्ष 2006–11 की अवधि में उपभोक्ताओं को बेचे गए रिफिल का वार्षिक औसत एक से नीचे रहा

वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि में कम्पनी में पंजीकृत उपभोक्ताओं की कुल संख्या का परास 2.08 लाख तथा 2.49 लाख एवं बेचे गए रिफिलों की संख्या का परास 1.43 लाख तथा 1.54 लाख के बीच था। इस प्रकार, इस अवधि में उपभोक्ता को बेचे गए रिफिलों की संख्या का वार्षिक औसत एक से कम था। इसके अतिरिक्त 2006–07 की तुलना में 2010–11 की अवधि में यद्यपि उपभोक्तओं की संख्या में 19.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई, समान अवधि में बेचे गए रिफिलों की संख्या में मात्र 6.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह कम्पनी के कार्य–निष्पादन में गिरावट तथा परिणामी मार्जिन अंशदान की हानि को दर्शाता है।

अनुबन्ध के अनुसार कम्पनी को आई0ओ0सी0एल0 रिफिलिंग एवं अन्य उपकरणों की सुरक्षा के लिए आवश्यक एवं यथोचित सावधानी उठाने की आवश्यकता थी तथा सिलिन्डर भण्डारण सुविधा का संधारण करना था। हमने पाया कि उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में कम्पनी असफल रहा जैसा कि इस बात से स्पष्ट है कि जहाँ एल0पी0जी0 रिफिल का भण्डारण होता था, उस गोदाम से चोरी की घटनाएँ बार–बार बेरोकटोक हो रही थी तथा दिसम्बर 2006 से जून 2010 की अवधि में 289 एल0पी0जी0 सिलिन्डरों की चोरी सूचित की गई। चोरी से हानि के विरूद्ध कम्पनी को आई0ओ0सी0एल0 को ₹ 5.60 लाख की क्षतिपूर्ति भुगतान करना पड़ा जिसमें सितम्बर से नवम्बर 2006 के बीच तीन अवसरों पर कुल 110 सिलिन्डरों की चोरी की घटनाएँ शामिल हैं।

कम्पनी, सिलिन्डरों की चोरी से हानि, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, के विरूद्ध बीमा कम्पनी से दावा अपर्याप्त दस्तावेजों और प्रमाण के अभाव में सुनिश्चित नहीं कर सकी।

प्रबन्धन ने बताया (नवम्बर 2011) कि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी तथा बीमा कम्पनी से दावों की वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे थे (नवम्बर 2011)।

2.12 वित्तीय प्रबन्धन

2.12.1 मार्जिन दर में संशोधन न होने के कारण कम्पनी को ₹ 84.02 करोड़ की हानि

मार्जिन दर में संशोधन न होने के कारण कम्पनी ₹ 84.02 करोड़ के परिचालन लागत की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकी

कम्पनी को विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए वर्ष 2002 में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर अंशदान मार्जिन उपलब्ध था जिससे यह परिवहन एवं हथालन लागत, गोदाम किराया, स्थापना लागत और अन्य व्यय का वहन किया जा सके। पिछले नौ वर्षों से राज्य सरकार द्वारा 2002 से चले आए दर का संशोधन नहीं किया गया था जबकि 2002 में व्याप्त लागत दर की तुलना में वर्ष 2010–11 में परिवहन एवं हथालन व्यय में (लगभग 40 प्रतिशत) तथा स्थापना व्यय में (लगभग 30 प्रतिशत) वृद्धि हुई थी। कम्पनी ने विद्यमान परिचालन लागत वहन करने के लिए मार्जिन दर जिसका परास ₹ 21 से ₹ 35 प्रति क्विंटल[9] था, से बढ़ाकर ₹ 45 प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव दिया (नवम्बर 2009)। संशोधन के अभाव में वर्ष 2009–11 की अवधि में कम्पनी परिचालन लागत ₹ 84.02 करोड़ **(परिशिष्ट–11)** की वसूली नहीं कर सकी। यह भी पाया गया कि बिहार की तुलना में मध्य प्रदेश में मार्जिन राशि की दर 79 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश में 57 प्रतिशत अधिक थी। आगे कम्पनी ने विभिन्न योजनाओं के लिए मार्जिन दर बढ़ाकर ₹ 52.39 और ₹ 55.00 प्रति क्विंटल करने हेतु प्रस्ताव (फरवरी/मार्च 2011) प्रस्तुत किया था। सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

2.12.2 दावों का उचित प्रस्तुतीकरण नहीं होने के कारण ₹ 71.67 करोड़ की वसूली नहीं

कम्पनी द्वारा अधिसूचित मिलों से खरीदे गए चीनी का मूल्य तथा जिसपर वह एफ0पी0एस0 डीलर को बेचा गया, उनके अन्तर राशि की प्रतिपूर्ति ₹ 134.43 प्रति क्विंटल के थोक मार्जिन दर (अक्टूबर 2005) पर सरकार द्वारा की जाती थी। हमने पाया कि वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि में चीनी के खरीद मूल्य और विक्रय मूल्य के अन्तर में लगातार वृद्धि होने के बावजूद कम्पनी को देय संशोधित मार्जिन दर प्रभावी नहीं हुआ। हमने यह भी पाया कि उपभोक्ता मामले एवं लोक वितरण मंत्रालय ने अभीष्ट प्रस्ताव की प्राप्ति होने पर मार्जिन के वार्षिक संशोधन का नियम बनाया था परन्तु कम्पनी को देय मार्जिन अक्टूबर 2005 से अपरिवर्तित रहा। यद्यपि कम्पनी ने अधिप्राप्ति एवं बिक्री के मध्य मूल्य समानीकरण हेतु मार्जिन में अग्रेत्तर वृद्धि का प्रस्ताव उपस्थापित (दिसम्बर 2006) किया था, यह राज्य सरकार के स्तर पर लम्बित था (नवम्बर 2011)।

समुचित दावों के प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण ₹ 71.67 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी

प्रबन्धन ने सूचित किया (नवम्बर 2011) कि सितम्बर 2006 से मार्च 2007 की अवधि का ₹ 3.43 करोड़ के अन्तरीय मार्जिन दावों को सरकार के माध्यम से एफ0सी0आई0 को प्रस्तुत किया गया था परन्तु इस पर पथ निर्माण विभाग से दूरी प्रमाण पत्र तथा सम्बन्धित जिला अधिकारियों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने जैसे कारणों से कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त अगस्त 2009 से नवम्बर 2010 की अवधि के लिए ₹ 68.24 करोड़ के दावों को डी0एल0ओ0 से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण कम्पनी द्वारा प्रस्तुत नही किया जा सका था (नवम्बर 2011)। अन्तरीय

[9] बी0पी0एल0 (गेहूँ और चावल), अन्नपूर्णा (गेहूँ और चावल) तथा एम0डी0एम0 (चावल) – ₹ 35 प्रति क्विंटल, ए0पी0एल0 (गेहूँ) – ₹ 21 प्रति क्विंटल, ए0पी0एल0 (चावल) – ₹ 22.06 प्रति क्विंटल, ए0ए0वाई0 (गेहूँ) – ₹ 29 प्रति क्विंटल तथा ए0ए0वाई0 (चावल) – ₹ 25 प्रति क्विंटल।

मार्जिन दावों के तत्काल निपटारा के लिए इन्हें मासिक आधार पर सभी आवश्यक अभिलेखों तथा प्रमाण–पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना था।

इस प्रकार, आवश्यक अभिलेखों के साथ निर्धारित प्रारूप में समय पर दावा प्रस्तुत नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 3.43 करोड़ के दावे लम्बे समय से लम्बित थे। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को परिणामी ब्याज की हानि भी हुई क्योंकि कम्पनी अपनी कार्यशील पूँजी को ओभरड्राफ्ट से पूरा कर रही थी।

2.12.3 अधिप्राप्त अनाजों की सुपुर्दगी के विरूद्ध एफ0सी0आई0 से ₹ 89.07 लाख की वसूली नहीं

गेहूँ तथा सी0एम0आर0 के मद में एफ0सी0आई0 से ₹ 89.07 लाख की राशि वसूलनीय थी

अधिप्राप्त गेहूँ एवं धान की कुटाई से प्राप्त सी0एम0आर0 को एफ0सी0आई0 को सुपुर्द किया जाना था। जाँच के दौरान हमने पाया कि वर्ष 2008–10 की अवधि में एफ0सी0आई0 को सुपुर्द गेहूँ तथा चावल के विरूद्ध ₹ 89.07 लाख (पटना – ₹ 33.51 लाख और गया – ₹ 55.56 लाख) एफ0सी0आई0 से वसूली हेतु लम्बित था। वसूली हेतु समुचित अनुसरण के अभाव में दावे का निपटारा नहीं हुआ था।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा अवलोकन की पुष्टि (नवम्बर 2011) की तथा अवगत कराया की शेष रकम की वसूली हेतु कार्यवाही की गई थी।

2.12.4 अनुसरण के अभाव में एफ0सी0आई0 से ₹ 59.88 लाख अग्रिम की वसूली नहीं

उठाव नहीं किए गए अनाज के कारण ₹ 59.88 लाख की राशि अवरूद्ध रही

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्नों की निकासी आदेश के लिए कम्पनी एफ0सी0आई0 को अनाजों के लागत के विरूद्ध अग्रिम भुगतान करती है। निकासी आदेश में यथा इंगित स्टॉक का उठाव न करने/पूर्ण आपूर्ति न करने की स्थिति में, एफ0सी0आई0 या तो रकम वापस करती है या अग्रिम को आगे के महीनों में समायोजित करती है। नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि दो डी0एल0ओ0 (नालंदा तथा पटना) में उठाव नहीं किए गए अनाजों के विरूद्ध अग्रिम के रूप में दी गई ₹ 59.88 लाख[10] की राशि समायोजन हेतु 15 महिनों से अधिक समय से प्रभावी अनुसरण के अभाव में लम्बित (जुलाई 2011) था।

प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2011) कि एफ0सी0आई0 से रकम वापसी के लिए आवश्यक कदम उठाए गए थे।

2.12.5 बाढ़ राहत हेतु दिए गए अनाजों के विरूद्ध ₹ 44.92 लाख बकाए की वसूली नहीं

बाढ़ राहत के विरूद्ध प्रावधानित अनाजों के मद में ₹ 44.92 लाख के दावे असमायोजित थे

वर्ष 2008–09 के दौरान सरकार से आदेश की प्रत्याशा में जिलाधिकारी, भोजपुर ने 5,250 क्विंटल गेहूँ बधर ब्लॉक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए आपूर्ति करने का आदेश पारित (सितम्बर 2008) किया। बाद में, सरकार ने केवल 2625 क्विंटल गेहूँ और 2625 क्विंटल चावल आवंटित किया। 5250 क्विंटल गेहूँ, वास्तविक आपूर्ति के विरूद्ध, विपदा प्रबन्धन विभाग, पटना ने सरकारी आवंटन के अनुरूप, केवल 2625 क्विंटल गेहूँ आपूर्ति का दावा स्वीकार किया। तथापि सरकार के निर्णय (अगस्त 2008) के अनुसार कम्पनी को, 2625 क्विंटल गेहूँ के अधिक आवंटन के लिए आर्थिक दर से प्रतिपूर्ति होना था। कम्पनी ने परिवहन एवं हथालन शुल्क सहित ₹ 44.92 लाख का दावा सरकार को

[10] नालंदा – 52.16 लाख, पटना – 7.72 लाख।

प्रस्तुत किया (जनवरी 2009) जो दो वर्षो से अधिक समय से प्रतिपूर्ति के लिए लम्बित था (नवम्बर 2011)।

2.13 मानव संसाधन तथा आन्तरिक नियंत्रण

2.13.1 आन्तरिक नियंत्रण प्रबन्धन का एक तंत्र है जो यह न्यायसंगत आश्वासन देता है कि कम्पनी के उद्देश्यों की प्राप्ति मितव्ययिता, दक्षतापूर्ण एवं सुव्यवस्थित तरीके से हो रही है। इस संदर्भ में, मानव संसाधन नियोजन प्रासंगिक है जो कि संगठन में, उसके द्वारा एवं उसके बाहर व्यक्तियों के प्रवाह से सम्बन्धित है तथा श्रम की आवश्यकता व आपूर्ति तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि संगठन के पास, जब भी आवश्यक हो, कर्मचारियों का सही मिश्रण एवं कौशल उपलब्ध होगा से सम्बद्ध नियोजन, के समक्रमण को समाहित करता है। यह पाया गया कि कम्पनी की आन्तरिक नियंत्रण व्यवस्था निम्न प्रकार से दोषपूर्ण थी :

- कम्पनी के स्वीकृत मानव बल की संख्या तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक द्वारा बिना निदेशक पर्षद की अनुमति से 3602 से घटाकर 948 कर दिया गया (जनवरी 2002)।

कम्पनी का आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली दोषपूर्ण था

- स्वीकृत बल के विरूद्ध, 31.1.2011 को कुल कार्यशील कर्मचारियों की संख्या 1040 था (352 कर्मचारी सहित जिनकी सेवाएँ झारखण्ड सरकार को स्थानान्तरित कर दी गई थी)।
- वर्ष 2006–11 की अवधि में लेखा कर्मचारियों और स0गो0प्र0 की कमी थी जिससे लेखे संधारण तथा कम्पनी के कार्यकलाप प्रभावित हुए। यह वर्ष 1990–91 से कम्पनी के लेखे बकाये में रहने का कारण भी बना।
- डी0एल0ओ0 के प्रेषणों के लेखे का मुख्यालय के प्रेषणों से समाधान नहीं किए गए थे।
- कम्पनी ने कोई लेखा नियमावली नहीं बनाया था। भौतिक सत्यापन तथा डी0एल0ओ0 के विभिन्न गोदामों में रखे स्टॉक का आकस्मिक जाँच नहीं कराया जा रहा था।
- आन्तरिक लेखापरीक्षा एक मूल्य निर्धारक क्रियाकलाप है जो कम्पनी के लिए एक सेवा है। इस कार्यकलाप में, अन्य बातों के साथ–साथ, लेखे व आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता व प्रभाव का परीक्षण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण सम्मिलित है। हमने अवलोकन किया कि कम्पनी के आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध में स्वीकृत संख्या से कम मानव शक्ति थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य की भरपाई के लिए चाटर्ड एकाउन्टेंटों (सी0ए0) को काम पर लगाया जा रहा था।
- कम्पनी ने कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा नियमावली नहीं बनायी थी।

आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया

- वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के निदेशक पर्षद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाने के सम्बन्ध में, कम्पनी ने बताया कि यहाँ ऐसा कोई प्रचलन नहीं है। इस परिस्थिति में आन्तरिक लेखापरीक्षा के निष्कर्ष, बोर्ड को, कम्पनी के हित के मामले में न्यूनताओं के निपटाव हेतु उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार आन्तरिक लेखापरीक्षा विफल हो गया था।

2.13.2 कम्पनी कर्मियों के द्वारा खाद्यान्नों का गबन/चोरी/कमी

अनाजों की कमी के लिए दोषी 257 कर्मचारियों से ₹ 24.21 करोड़ की राशि वसूलनीय थी

हमने पाया कि 31 मार्च 2011 को 257 कर्मचारी (75 कर्मचारी सहित जिनकी सेवाएँ झारखण्ड को स्थानान्तरित की गई थीं) खाद्यान्नों में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराये गये थे। ब्याज सहित कुल कमी ₹ 29.94 करोड़ में से ₹ 5.73 करोड़ की वसूली हुई थी तथा शेष ₹ 24.21 करोड़ की वसूली होनी थी (नवम्बर 2011)।

खाद्यान्नों की कमी के विरूद्ध वसूली अप्रैल 2009 के प्रभाव से एफ0सी0आई0 द्वारा निर्धारित आर्थिक दर पर प्रावधानित था। परन्तु कम्पनी द्वारा कमी के विरूद्ध वसूली के लिए कोई प्रभावकारी अनुश्रवण नहीं था। कम्पनी को 75 कर्मचारियों से जिनकी सेवाएँ झारखण्ड को, फरवरी 2011 के प्रभाव से स्थानान्तरित की गई थी, 31 जनवरी 2011 को वसूलनीय राशि ₹ 4.60 करोड़ के विरूद्ध वसूली की जानकारी नहीं थी।

डी0एल0ओ0, बेगूसराय में नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि कमी के विरूद्ध वसूली के लिए पंजी संधारित नहीं था। यद्यपि दो डी0एल0ओ0 में प्रतिनियुक्त दो स0गो0प्र0 को खाद्यान्नों में कमी के लिए उत्तरदायी बनाया गया था, कम्पनी लोक ऋण वसूली (पी0डी0आर0) अधिनियम के अन्तर्गत ₹ 1.17 करोड़ की वसूली के लिए कार्यवाही नहीं कर सकी थी (नवम्बर 2011)।

यद्यपि कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतने के दोषी पाये गए थे, कम्पनी ने ऐसे 153 कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएँ, जिनका प्रतिशत 31 मार्च 2011 को कुल कार्यबल का 18 प्रतिशत था, बहाल रखीं।

प्रबन्धन ने बताया (नवम्बर 2011) कि वैसे कर्मचारी जिनकी सेवाएँ झारखण्ड को स्थानान्तरित की गई हैं, के मामले में, झारखण्ड खाद्य एवं असैनिक अपूर्ति निगम लिमिटेड को कमी/गबन के विरूद्ध ब्याज सहित वसूलनीय राशि प्रतिवेदित करना है तथा सभी डी0एल0ओ0 को वसूली के बारे में लेखा संधारित करना व मासिक प्रतिवेदन भेजने को निर्देशित किया गया है एवं लागू मामले में पी0डी0आर0 अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने अथवा फौजदारी/असैनिक मुकदमा दायर करने को कहा गया है।

2.14 व्यवसायिक क्रियाकलापों का कम्प्यूटरीकरण

बिहार में जन वितरण प्रणाली पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अपने सौंपे प्रतिवेदन में निम्न प्रकार अवलोकित किया था :

"जन वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी है जो मदद कर सकता है। मानव हस्तक्षेप कम से कम होना था। प्रणाली इस प्रकार विकसित की जानी थी कि एफ0सी0आई0 के गोदामों से निर्गमित खाद्यान्न तथा एफ0सी0आई0 को प्राप्त खाद्यान्नों में एकरूपता हो।" परन्तु आयोग द्वारा व्यक्त चिन्ता पर कम्पनी ने उचित ध्यान नहीं दिया।

कम्पनी ने अपने व्यवसायिक क्रियाकलापों को कम्प्यूटरीकृत करने का निर्णय (मार्च 2007) लिया जिससे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्टॉक निर्गमन आदेश (एस0आई0ओ0) तैयार हो सके; प्रत्येक योजना के अन्तर्गत निधि प्राप्ति की जानकारी का सृजन हो सके; एफ0सी0आई0 से प्राप्त निकासी आदेश का साप्ताहिक विवरण तैयार हो सके; एफ0सी0आई0 डिपो से उठाव की मात्रा तथा कम्पनी के गोदामों में उनका संग्रहण का ज्ञान हो सके तथा सम्पत्ति सूची प्रबन्धन के लिए अनुश्रवण प्रणाली का विकास हो। इस उद्देश्य से, कम्पनी ने अपने मुख्यालय में बैकअप सर्वर के साथ एक सर्वर तथा कम्पनी के प्रत्येक जिला कार्यालय में एक कम्प्यूटर प्रिंटर, यू0पी0एस0, इन्टरनेट सम्बन्ध के साथ कम्प्यूटर ऑपरेटर स्थापित करने का निर्णय लिया।

उपरोक्त प्रणाली की स्थापना से कम्पनी के कार्यो में पारदर्शिता आएगी ऐसा समझा गया था। इसके अतिरिक्त तीन वर्षो में (प्रणाली के अक्टूबर 2007 में तय प्रचालन की अवधि से) ₹ 4.72 करोड़ की बचत का भी अनुमान लगाया गया था क्योंकि इस अवधि में इस प्रणाली द्वारा सृजित एस0आई0ओ0 की तैयारी में मात्र ₹ 1.37 करोड़ का व्यय होता जबकि इस कार्य को हस्तचालित तरीके से करने में ₹ 6.09 करोड़ की लागत आता।

इसके बाद कम्पनी ने मार्च 2007 में निविदा आमंत्रित किया। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित अवलोकन किए गए:

- कम्पनी ने प्रौद्योगिकीय सहायता के लिए अपने प्रशासकीय विभाग अथवा अन्य सरकारी विभाग/लोक उपक्रमों, यथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बेलट्रॉन आदि से सम्पर्क नहीं किया।
- अक्टूबर 2007 से ही इस सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन की शुरूआत होनी थी परन्तु लगभग 49 महीनें व्यतीत होने के बाद भी सॉफ्टवेयर की स्थापना अधूरी थी (नवम्बर 2011)।
- कम्पनी ने निविदाकार से बिना विद्युत और विद्युत जेनरेटर सुविधा को सुनिश्चित किए अनुबन्ध किया। जैसा कि अवलोकित किया गया, केवल आठ जिला कार्यालयों में फरवरी 2010 से अगस्त 2010 की अवधि में विलम्ब से वैकल्पिक शक्ति साधन उपलब्ध कराया गया (जुलाई 2011)।
- अनुबन्ध के अनुसार नामित प्रोजेक्ट कोर कमिटी ने प्रोजेक्ट योजना के अनुरूप परियोजना का अनुश्रवण नहीं किया। साथ ही कम्पनी द्वारा निविदाकार के कार्य निष्पादन तथा कार्यकलापों की नियमित समीक्षा नहीं की गई।
- भोजपुर, गया, समस्तीपुर और नालंदा में निविदाकारों के कार्यकलापों को असंतोषजनक पाया गया।

कम्प्यूटरीकरण गतिविधि विगत 49 माह से अपूर्ण थी

इस प्रकार, त्रुटिपूर्ण योजना के कारण लगभग 49 महीनें व्यतीत होने के बाद भी कम्पनी की कम्प्यूटीकरण गतिविधियाँ अपूर्ण थीं। परिणामस्वरूप कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एस0आई0ओ0 के सृजन न कर सकने के कारण ₹ 4.72 करोड़ के पूर्व विचारित बचत करने के अवसर से वंचित हो गयी।

प्रबन्धन ने कम्प्यूटरीकरण प्रणाली के क्रियान्वयन में कुछ स्तर पर विलम्ब के दृष्टान्त प्रस्तुत किए तथा बताया (नवम्बर 2011) कि निविदाकार के कार्यो के निष्पादन भोजपुर, गया, समस्तीपुर और नालंदा डी0एल0ओ0 में संतोषप्रद थे।

प्रबन्धन द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि जवाब में सभी लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर प्रकाश नहीं डाला गया था तथा यथा विचारित कम्पनी अभी भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एस0आई0ओ0 तैयार करने में विफल थी।

2.15 विविध

जूट/गन्नी बोरियों के क्रय व उपयोग में अनियमितताएँ

अधिप्राप्ति मौसमों में अधिप्राप्त खाद्यान्नों (धान/चावल/गेहूँ) के भण्डारण के लिए जूट/गन्नी बोरियों की आवश्यकता होती है। कम्पनी ने मुख्य रूप से जूट बोरियों की खरीद एफ0सी0आई0 एवं डायरेक्टर जेनरल ऑफ सप्लाईज एण्ड डिस्पोजल

(डी0जी0एस0 एण्ड डी0), कोलकाता से करती थी। कम्पनी ने वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान डी0जी0एस0 एण्ड डी0 से ₹ 9.67 करोड़ की राशि से बोरियों के 5762 बेल्स (1 बेल = 500 बोरियाँ) का क्रय किया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009 में 3100 बेल के क्रय हेतु ₹ 2.94 करोड़ के अग्रिम राशि के विरूद्ध कम्पनी ने एफ0सी0आई0 से 2669 बेल्स का क्रय किया। इस प्रकार वर्ष 2006–11 की अवधि में कुल 8431 बेल्स बोरियाँ दो आपूर्तिकर्ताओं से क्रय किए गए।

यह पाया गया कि :–

- एफ0सी0आई0 द्वारा अन्तिम दर का निर्धारण न किए जाने के कारण एफ0सी0आई0 के विरूद्ध 431 बेल्स बोरियों के मूल्य ₹ 65.55 लाख के दावों का निपटान लम्बित था (सितम्बर 2011)।

- आर0एम0एस0 2009–10 तथा 2010–11 एवं के0एम0एस0 2010–11 के विरूद्ध कुल क्रय किये गये बोरियों में से ₹ 2.35 करोड़ मूल्य के 1280 बेल्स (64000 बोरियाँ) जो कुल क्रय का 22.42 प्रतिशत थे, की प्राप्तियों की सम्पुष्टि क्रमशः 2[11], 9[12] एवं 5[13] डी0एल0ओ0 से अप्राप्त थे। बोरों के उपभोग तथा स्टॉक के अन्तशेष का विवरण 35 डी0एल0ओ0 में से किसी से भी प्राप्त नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त जूट/गन्नी बोरियों के क्रय, वितरण एवं उपभोग की आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं करायी गयी थी।

जूट/गन्नी बोरियों का क्रय बिना आवश्यकता आकलन के किया गया

- वर्ष 2006–11 की अवधि के लिए चार[14] डी0एल0ओ0 में जूट बोरियों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ कि क्रय किए गए 4,58,156 जूट बोरियों के विरूद्ध केवल 1,72,526 (37.66 प्रतिशत) बोरियों का उपयोग हुआ। यह इंगित करता है कि बोरियों का क्रय बिना आवश्यकता आकलन के किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 84.70 लाख की निधि अवरूद्ध हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2011) कि लेखापरीक्षा अवलोकन के आलोक में आवश्यक कार्यवाई की जा रही थी।

निष्कर्ष

कम्पनी की अधिप्राप्ति क्रियाकलापों में गिरावट का रूझान देखा गया। निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान धान की अधिप्राप्ति का परास निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 11.25 प्रतिशत से 87.20 प्रतिशत तथा गेहूँ की अधिप्राप्ति का परास निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 15.30 से 68.56 प्रतिशत था। वर्ष 2010–11 की अवधि में धान एवं गेहूँ में से दोनों की अधिप्राप्ति लक्ष्य के 20 प्रतिशत से कम थी। अधिप्राप्ति केन्द्रों तथा अधिप्राप्ति मौसम के आरम्भ से पूर्व किसानों की पहचान करने हेतु योजना का अभाव, निम्नस्तरीय अधिप्राप्ति का कारण था।

भण्डारण प्रबन्धन त्रुटिपूर्ण था। कम्पनी के पास 387 गोदाम थे जिनकी भण्डारण क्षमता 1.35 लाख एम0टी0 थी। कम्पनी ने 2010–11 को समाप्त पाँच वर्षों में 1000 एम0टी0 क्षमता का मात्र एक गोदाम का निर्माण किया। कम्पनी द्वारा सरकार को प्रस्ताव दिये जाने के पश्चात सरकार द्वारा ₹ 33.48 करोड़

11 वैशाली एवं समस्तीपुर।

12 पटना, समस्तीपुर, मोतिहारी, छपरा, पूर्णियाँ, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर एवं सीतामढ़ी।

13 नालन्दा, रोहतास, कैमूर, वैशाली एवं सीतामढ़ी।

14 गया, नवादा, नालन्दा एवं मुजफ्फरपुर।

का व्यय कर 47000 एम0टी0 क्षमता के निर्माण का निर्णय फलीभूत नहीं हुआ। ₹ 4.32 करोड़ की लागत से मरम्मती कर 45250 एम0टी0 क्षमता वाले 44 गोदामों के उपयोग का निर्णय सफल नहीं हुआ क्योंकि तीन वर्ष बाद भी 39 गोदामों की मरम्मती नहीं की गयी। दो डी0एल0ओ0 में ₹ 1.47 करोड़ मूल्य का धान बिना कुटाई के 30 से भी अधिक महीनों से पड़ा था।

परिवहन अभिकर्ताओं का अनुश्रवण अप्रभावी था क्योंकि उन्होंने समय पर ट्रक उपलब्ध नहीं कराया जिससे खाद्यान्नों की आवंटित मात्रा का उठाव हो सके। समय पर पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं कराये जाने के फलस्वरूप 7.76 क्विंटल खाद्यान्न व्यपगत हो गये जिससे ₹ 2.38 करोड़ के अंशदान मार्जिन की हानि हुई।

एक योजना से दूसरी योजना में अनाजों का विचलन पाया गया। एन0पी0ए0जी0, एम0डी0एम0 एवं भुखमरी से बचाव हेतु खाद्यान्न वितरण की योजना के अन्तर्गत, लक्षित लाभार्थी वांछित लाभ से वंचित रहे।

वर्ष 2002 से नौ वर्षों में निरंतर अंशदान मार्जिन का संशोधन जिससे बढ़े हुए खाद्यान्नों पर परिवहन एवं हथालन व्यय की भरपाई हो सके, न होने से ₹ 84.02 करोड़ की हानि हुई।

पर्याप्त प्रमाणित प्रमाण पत्रों के साथ दावों को समय पर प्रस्तुत नहीं करने और उपयोगिता प्रमाण पत्रों का निर्गमन नहीं होने से, कम्पनी का ₹ 3.43 करोड़ का दावा लम्बित रहा तथा ₹ 68.24 करोड़ के दावों के उपस्थापन में विलम्ब हुआ।

प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी के परिणामस्वरूप कम्पनी के लेखे वर्ष 1990–91 से बकाये में थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा और कम्प्यूटरीकरण क्रियाकलाप अपूर्ण थे।

अनुशंसाएँ

कम्पनी के लिए आवश्यक है कि:–

- अधिप्राप्ति केन्द्रों तथा किसानों को ससमय चिह्नित करें ताकि अधिप्राप्ति की मात्रा में सुधार हो,
- नये गोदामों के निर्माण तथा क्षतिग्रस्त गोदामों की मरम्मती की योजनाओं पर अमल करे जिससे खाद्यान्नों के उठाव व भण्डारण हेतु पर्याप्त भण्डारण क्षमता उपलब्ध हो सके,
- एक तंत्र की व्यवस्था हो जिससे समय पर अभिकर्ताओं द्वारा ट्रक उपलब्ध कराया जाए ताकि आवंटित खाद्यान्न के व्यपगत होने को टाला जा सके,
- अनुश्रवण तंत्र की स्थापना हो जिससे खाद्यान्नों के एक योजना से दूसरी योजना मे विचलन को रोका जा सके और लक्षित लाभार्थियों को लाभ पहुँचे,
- सरकार को मार्जिन में संशोधन के लिए राजी करे जिससे परिवहन एवं हथालन लागत की पर्याप्त भरपाई हो सके। दावों को पर्याप्त अभिलेखों के साथ ससमय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें, तथा
- पर्याप्त कुशल कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए ताकि लेखा बकायों को समाप्त किया जा सके तथा कम्पनी के कार्यकलापों का यथा विचारित कम्प्यूटरीकरण सुनिश्चित हो ताकि त्रुटियों में कमी सुनिश्चित हो सके।

अध्याय III

3. सांविधिक निगम से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

3.1 बिहार में विद्युत–शक्ति वितरण उपयोगिता की निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

परिचय

विद्युत–शक्ति क्षेत्र की वितरण प्रणाली उत्पादन तथा उपभोक्ता के बीच अंतिम संबंध स्थापित करती है। 31 मार्च 2011 तक बोर्ड के पास 1.42 लाख सर्किट किलोमीटर (सी0के0एम0) लाईन, का 473 सब–स्टेशन एवं 43491 विभिन्न क्षमता वाले वितरण ट्रांसफॉर्मर का नेटवर्क था। वर्ष 2010–11 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) का आवर्त (टर्नओवर) ₹ 2409.69 करोड़ था, जो कि राज्य लोक क्षेत्र उपक्रम का आवर्त के 47.14 प्रतिशत तथा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 1.13 प्रतिशत के बराबर था। 31 मार्च 2011 तक इसने 11651 कर्मचारियों को रोजगार प्रदान किया।

वितरण नेटवर्क योजना

समीक्षा अवधि के दौरान 291 सब–स्टेशन तथा 3062.7 एम0वी0ए0 क्षमता की आयोजित वृद्धि के विरूद्ध, वितरण प्रणाली में केवल 111 सब–स्टेशन तथा 1912.70 एम0वी0ए0 की वृद्धि हुई। वर्ष 2010–11 में अप्रभावी अंचल–वार योजना के कारण आयोजित परिणमन (प्लाण्ड ट्रांसफॉर्मेशन) क्षमता तथा प्रक्षिप्त सम्बद्ध (प्रोजेक्टेड कनेक्टेड) लोड में भारी अंतर आ गया।

अप्रभावी योजना

40 पी0एस0एस0 के निर्माण की योजना बनाने के साथ–साथ इसके संबद्ध लाईनों के निर्माण की योजना नहीं की गई थी। फलस्वरूप, ₹11.53 करोड़ के व्यय से निर्मित 40 पी0एस0एस0 में 12 पी0एस0एस0 को आवेशित नहीं किया जा सका तथा यह आठ महीनों से बेकार पड़ा रहा। इसके अतिरिक्त, अप्रभावी योजना के कारण जोड़ने वाली लाइनों के निर्माण की लागत में अनुमानित लागत से ₹ 4.80 करोड़ की वृद्धि हो गई।

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन

ग्रामीण विद्युतीकरण

शत प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका। 28140 लक्षित गाँवों में मार्च 2011 तक केवल 20573 गाँवों में विद्युतीकरण के आधारभूत संरचना का कार्य पूर्ण हुआ था। बिहार के आठ जिलों में, जहाँ बोर्ड कार्यकारी अभिकर्ता था, अक्टूबर 2011 तक विद्युतीकरण किए जाने वाले 4714 गाँवों में केवल 1920 गाँव का ही विद्युतीकरण हो सका। 27.62 लाख बी0पी0एल0 ग्रामीण घरों (आर0एच0एच0) में विद्युत उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरूद्ध, केवल 18.18 लाख (65.83 प्रतिशत) ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण किया गया (सितम्बर 2011)।

संविदा प्रदान करने में अत्यधिक विलम्ब के कारण परियोजना लागत में ₹ 103.69 करोड़ की वृद्धि हुई तथा आर0जी0जी0वी0वाई के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।

3038 डी0टी0आर0 के संस्थापन में हुए ₹ 24.18 करोड़ की राशि का व्यय निष्फल हुआ, चूँकि अप्राधिकृत कनेक्शन को रोकने में बोर्ड की सुस्ती के कारण डी0टी0आर0 गारंटी अवधि में ही खराब हो गए।

ए0पी0डी0आर0पी0

भूमिगत तार बिछाने के कार्य के निष्पादन हेतु अधिनिर्णय प्रक्रिया का पालन किए बिना बोर्ड ने ए0पी0डी0आर0पी0 स्कीम का निष्पादन कार्य करने के लिए पी0जी0सी0आई0एल0 (परामर्शदाता) को मनोनीत किया। यदि बोर्ड ने स्कीम का कार्य स्वयं किया होता, तो बोर्ड को पर्यवेक्षण प्रभार के मद में

₹ 6.24 करोड़ की बचत हुई होती। पुनः परियोजना लागत के कम–प्राक्कलन के कारण बोर्ड ने ₹ 2.95 करोड़ के अनुदान प्राप्त करने के अवसर को खो दिया। इसके अतिरिक्त, बोर्ड के अकुशल अनुश्रवण एवं निम्नस्तरीय समन्वय के कारण परियोजना ₹ 65.69 करोड़ की लागत वृद्धि का शिकार हुई।

ऊर्जा लेखांकन द्वारा टी0 एण्ड डी0 हानि दूर करने हेतु बोर्ड ने सिस्टम मीटरिंग पर ₹ 69.21 करोड़ का व्यय किया। तथापि, संग्रहित आंकड़ों के विश्लेषण पर अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव में, बोर्ड परियोजना का अनुमानित लाभ नहीं ले सका।

पुर्नगठित त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर0ए0पी0डी0आर0पी0)

स्कीम के गतिविधियों के समकालन नहीं करने के कारण वर्ष 2009–11 के दौरान प्राप्त ₹ 68.37 करोड़ की कुल राशि में बोर्ड मार्च 2011 तक ₹ 12.31 करोड़ ही उपयोग कर सका।

निर्दिष्ट समय में आई0टी0 क्रियान्वयन एजेंसी को नियुक्त करने में बोर्ड की असफलता के कारण आई0टी0 समर्थित प्रणाली में नौ महीनें का विलम्ब हुआ। इसके अतिरिक्त, स्काडा/डी0एम0एस0 परियोजना में आई0टी0 परामर्शदाता का चयन सात महीनें विलम्ब के बाद हुआ। 15 माह विलम्ब के बाद परामर्शदाता ने अप्रैल 2011 में डी0पी0आर0 प्रस्तुत किया, जिसका अनुमोदन पी0एफ0सी0 ने नवम्बर 2011 में किया। चूँकि डी0पी0आर0 के चयन एवं अनुमोदन में प्रारम्भिक विलम्ब था, निर्दिष्ट अवधि में परियोजना को पूर्ण करने तथा ऋण को अनुदान में परिवर्तन करने की संभावना कम थी।

बोर्ड द्वारा किसी भी वर्ष में उपभोक्ता मीटर संस्थापन करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया। लक्ष्य के विरूद्ध संस्थापित मीटर की प्रतिशता का परास निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 26.59 प्रतिशत से 36.6 प्रतिशत था।

प्रचालन क्षमता

अअनुसूचित विनिमय के अधीन विद्युत–शक्ति का आहरण के कारण वर्ष 2006–11 के दौरान दीर्घावधि विद्युत–शक्ति क्रय की लागत की तुलना में बोर्ड ने 1211.51 एम0यू0 पर ₹ 254.26 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया। इसके अतिरिक्त, बोर्ड यू0आई0 प्रभार का भुगतान समय पर नहीं कर सका जिसके कारण वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान विलम्बित भुगतान पर ₹ 20.95 करोड़ के दाण्डिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

वर्ष 2008–09 की अवधि के अलावा, बी0ई0आर0सी0 द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत बोर्ड टी0 एण्ड डी0 हानि को कम नहीं कर सका। वर्ष 2006–11 के दौरान 1768.66 एम0यू0 ऊर्जा की हानि हुई। इसके कारण बोर्ड को ₹ 638.55 करोड़ की राजस्व हानि सहनी पड़ी।

निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान डी0टी0आर0 के खराबी की प्रतिशता में वृद्धि हुई तथा इसका परास कुल संस्थापित डी0टी0आर0 के 10.40 तथा 17.46 प्रतिशत के बीच रहा। 120 डी0टी0आर0 गारंटी अवधि में खराब हो गए। इनमें से 112 डी0टी0आर0 दो दिन से लेकर 237 दिनों के विलम्ब के पश्चात् बदल दिया गया/मरम्मत किया गया। इसके अतिरिक्त, आठ डी0टी0आर0 पाँच माह से तीन वर्षो के विलम्ब के पश्चात् भी मरम्मत/बदले नहीं गए (दिसम्बर 2011)।

वितरण प्रणाली में कैपेसिटर बैंक का संस्थापन नहीं होने के कारण बोर्ड को 20.01 एम0यू0 की नियोजित ऊर्जा बचत नहीं हुई जिसकी कीमत ₹ 6.09 करोड़ थी।

छापामारी दल द्वारा उपभोक्ताओं की संख्या की जाँच की प्रतिशता निम्न थी तथा इसका परास 0.08 प्रतिशत से 0.24 प्रतिशत के बीच रहा।

विपत्रीकरण क्षमता

निष्पादन लेखा परीक्षा अवधि के दौरान विपत्रित किए गए ऊर्जा का परास विक्रय हेतु उपलब्ध कुल ऊर्जा का 56.36 से 61.95 प्रतिशत के बीच था। इसके अतिरिक्त, निर्धारित विक्रय मीटरगत विक्रय का 31.11 प्रतिशत से 42.04 प्रतिशत था।

ट्रांसफॉर्मर क्षमता के सापेक्ष टैरिफ प्रावधानों के गलत अनुप्रयोग के कारण, बोर्ड को ₹ 4.84 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। एक एच0टी0एस0एस0 के मामले में न्यून निर्धारण तथा संविदा माँग के न्यून विपत्रीकरण के कारण भी बोर्ड को

₹ 2.45 करोड़ के राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

राजस्व संग्रहण क्षमता

वर्ष के अंत में बकाया देय राशि का परास वर्ष 2006–07 में ₹ 5749.43 करोड़ तथा वर्ष 2010–11 में ₹ 5700.20 करोड़ के बीच रहा। बकायेदार उपभोक्ताओं के विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन नहीं होने के फलस्वरूप ₹ 245.98 करोड़ तक के बकायों का अम्बार लग गया ।

वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

बोर्ड के संचित हानि में 281.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह वर्ष 2006–07 में ₹ 1524.71 करोड़ से 2010–11 में ₹ 5820.86 करोड़ हो गया। बोर्ड के हानि होने के मुख्य कारण उच्च दर पर विद्युत शक्ति का क्रय, ब्याज तथा वित्त प्रभार था।

बोर्ड का ऋण भी 52.29 प्रतिशत बढ़ गया तथा यह 2006–07 में ₹ 5577.62 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010–11 में ₹ 8493.88 करोड़ हो गया। वर्ष 2010–11 के दौरान प्रति इकाई हानि वर्ष 2006–07 में ₹ 1.12 प्रति इकाई से बढ़कर ₹ 1.65 प्रति इकाई हो गया।

वित्तीय प्रबंधन

कुल राजस्व आवश्यकता दाखिल करना

ए0आर0आर0 दाखिल करने में हुई विलम्ब (80 से 399 दिन) के कारण वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान बोर्ड को ₹ 963.85 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

साहाय्य सहायता

राज्य सरकार से साहाय्य सहायता का परास 42.97 प्रतिशत से 56.43 प्रतिशत के बीच रहा। यह चिंताजनक था क्योंकि चरणबद्ध तरीके से एक समयावधि के बाद साहाय्य वापस लिया जा सकता था ताकि टैरिफ उपभोक्ताओं को विद्युत–आपूर्ति के औसत मूल्य को पूर्ण कर सके।

उपभोक्ता तुष्टीकरण

उपभोक्ता शिकायतों का निवारण

वर्ष 2008–11 की अवधि के दौरान लम्बित शिकायतों का परास 33000 से 52000 के बीच था। इस अवधि के दौरान कुल शिकायतों में से निवारण किए गए शिकायतों की प्रतिशता का परास 15.74 प्रतिशत से 27.46 प्रतिशत के बीच रहा।

ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा लेखापरीक्षा

वर्ष 2006–11 के दौरान बोर्ड ने किसी ऊर्जा संरक्षण नीति का प्रतिपादन नहीं किया। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा लेखापरीक्षा का आयोजन भी नहीं हो सका चूँकि शत प्रतिशत सिस्टम मीटरिंग नहीं हुआ था।

निष्कर्ष

बोर्ड को हानि मुख्यतः उच्च लागत पर विद्युत शक्ति का क्रय, ब्याज तथा वित्त प्रभारों के कारण हुई। बोर्ड ने विद्युत शक्ति क्रय का सही निर्धारण नहीं किया जिसके फलस्वरूप यू0आई0 के माध्यम से विद्युत शक्ति के निकास पर बोर्ड को अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। विभिन्न स्कीमों एवं अन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड ऋण पर निर्भर था। टी0 एण्ड डी0 हानि को कम कर तथा इसके प्रचालन, विपत्रीकरण एवं संग्रहण क्षमता में सुधार कर इसे घटाया जा सकता है। वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण तथा उत्थान हेतु आरंभ किए गए केन्द्र प्रायोजित स्कीमों तथा राज्य विशेष स्कीमों को ध्यानपूर्वक अनुश्रवण किया जाना चाहिए ताकि मितव्ययिता क्षमता एवं प्रभाव सुनिश्चित हो सके। बोर्ड ने ए0आर0आर0 भी समय पर समर्पित नहीं किया तथा प्रति साहाय्य देना भी मानकों से परे था।

अनुशंसाएँ

पूर्व लोड वृद्धि प्रवृति, वर्तमान लोड, तथा भविष्य में प्रक्षेपित लोड वृद्धि के आधार पर अतिरिक्त आधारभूत संरचना के सृजन हेतु योजना बनानी चाहिए ताकि प्रणाली समान रूप से समर्थ हो तथा सभी अंचलों में परिणमन (ट्रांसफॉर्मेशन) क्षमता तथा संबद्ध लोड के बीच की रिक्ति को घटाया जा सके।

समय एवं लागत वृद्धि से बचने के लिए प्रभावी संविदा प्रबंधन तथा परियोजनाओं एवं स्कीमों के निष्पादन का नियमित अनुश्रवण होना चाहिए।

बोर्ड को चरणबद्ध तरीके से टी0 एण्ड डी0 हानि कम करने के लिए प्रभावी उपाय क्रियान्वित करना चाहिए।

विपत्रीकरण प्रणाली में टैरिफ ऑडर का सही अनुप्रयोग सुनिश्चित होना चाहिए तथा बोर्ड को बकाया देय राशि की वसूली तथा संग्रहण में तत्पर रहना चाहिए।

बोर्ड को समय पर ए0आर0आर0 दाखिल करना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि संशोधित टैरिफ के विलम्बित क्रियान्वयन के कारण हुई हानि को कम किया जा सके।

बोर्ड को सभी आपूर्ति अंचल में सिस्टम मीटर का संस्थापन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि ऊर्जा लेखापरीक्षा आरंभ किया जा सके साथ ही बोर्ड को ऊर्जा संरक्षण से संबंधित जागृति अभियान की शुरूआत करनी चाहिए।

3.1 परिचय

3.1.1 हमारे जीवन के सभी पहलू के लिए विद्युत एक मूलभूत आवश्यकता है। वस्तुतः यह मनुष्यों के लिए एक मूलभूत आवश्यकता बन गया है। यह एक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है जिस पर देश का सामाजिक–आर्थिक विकास निर्भर करता है। सम्पूर्ण विकास के लिए ग्रामीण भारत को उचित मूल्य पर विद्युत की आपूर्ति आवश्यक है। प्रतिस्पर्द्धात्मक दर पर विश्वसनीय एवं गुणवत्ता विद्युत शक्ति की उपलब्धता उद्योग को विश्वव्यापी रूप से प्रतियोगी बनाती है तथा इसे रोजगार सृजन की विशाल क्षमता का उपयोग करने में समर्थ बनाती है। इस खण्ड के संधारित वृद्धि हेतु विद्युत शक्ति की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यह मानते हुए कि तीव्र आर्थिक वृद्धि तथा गरीबी कम करने हेतु विद्युत शक्ति एक आवश्यक कुंजी है, राष्ट्र ने सभी घरों को विद्युत प्रदान करने का लक्ष्य कर लिया है।

उपर्युक्त कथित विद्युत–शक्ति की महत्ता की मूल प्राचलिक की प्राप्ति वितरण क्षेत्र के जिम्मे आता है। विद्युत–शक्ति क्षेत्र में वितरण प्रणाली उत्पादन तथा उपभोक्ता के बीच अंतिम कड़ी है। पर्याप्त संसाधनों का सृजन करने हेतु वित्तीय रणनीति बनाने के अतिरिक्त राष्ट्रीय विद्युत योजना (एन0ई0पी0) ने प्रणाली उन्नयन, संचरण एवं वितरण (टी0 एण्ड डी0) क्षति का नियंत्रण एवं कमी/विद्युत शक्ति की चोरी तथा क्षेत्र को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने को केन्द्रित कर विद्युत–शक्ति वितरण क्षेत्र में सुधार प्रस्तावित किया। साथ ही राष्ट्रीय विद्युत योजना ने डिमाण्ड साईड मैनेजमेंट (डी0एस0एम0) तथा लोड मैनेजमेंट पर केन्द्रित कर विद्युत की समुचित उपयोगिता संरक्षण रणनीति प्राप्त करने का लक्ष्य किया। उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्युत बोर्ड को वित्तीय परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तथा उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में, यह प्रस्तावित किया गया है कि उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कहाँ तक बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) ने अपने वितरण प्रचालन के लिए योजना बनाया, 2006–07 से 2010–11 की अवधि के पाँच वर्षो के दौरान इसका वित्तीय परिवर्तन तथा समस्याएँ, यदि हों तो, उनका विश्लेषण किया जाय।

3.1.2 *बिहार में विद्युत–शक्ति क्षेत्र में सुधार*

विद्युत–शक्ति क्षेत्र में सुधार के संबंध में, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) का विघटन होना था। बिहार सरकार ने पाँच कम्पनी अर्थात बिहार राज्य विद्युत कम्पनी (होल्डिंग कम्पनी), बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी, बिहार राज्य संचरण कम्पनी, दक्षिण बिहार विद्युत आपूर्ति कम्पनी तथा उत्तर बिहार विद्युत आपूर्ति

कम्पनी को संगठित एवं परिचालित करने का निर्णय लिया (अगस्त 2011)। इन कम्पनियों ने अपना व्यापार शुरू नहीं किया है (नवम्बर 2011)।

3.1.3 बिहार में विद्युत आपूर्ति के महत्वपूर्ण मानदण्ड

वर्ष 2006–07 के दौरान बोर्ड ने 4,541.68 मिलीयन यूनिट्स (एम0यू0) ऊर्जा बेचा जो कि वर्ष 2010–11 में बढ़कर 6139.14 एम0यू0 हो गया अर्थात 35.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 31 मार्च 2011 तक बोर्ड के पास 1.42 लाख सर्किट किलोमीटर (सी0के0एम0) लाईन (33/11 के0वी0 तथा एल0टी0) का वितरण नेटवर्क, 473 सब–स्टेशन तथा विभिन्न श्रेणियों के 43,491 वितरण ट्रांसफॉर्मर थे। उपभोक्ताओं की संख्या ₹0.35 करोड़ थी। बोर्ड का आवर्त वर्ष 2010–11 में ₹ 2,409.69 करोड़ था जो कि क्रमशः राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) के 47.14 प्रतिशत तथा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 1.13 प्रतिशत के बराबर था। 31 मार्च 2011 को बोर्ड में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या 11,651 थी।

3.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्य पद्धति

फरवरी 2011 से जून 2011 के दौरान आयोजित वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक बोर्ड का कार्य समाहित है। निष्पादन लेखापरीक्षा मुख्यतः नेटवर्क योजना तथा कार्यान्वयन, केन्द्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन, प्रचालन क्षमता, विपत्रीकरण तथा राजस्व संग्रहण क्षमता, वित्तीय प्रबंधन, उपभोक्ता तुष्टीकरण ऊर्जा संरक्षण तथा अनुश्रवण से सम्बन्धित है। लेखापरीक्षा जाँच में बोर्ड के मुख्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा तथा 10 प्रमंडल सहित 16 में 5[1] विद्युत आपूर्ति अंचल साथ ही दो[2] ट्रांसफॉर्मर मरम्मती कार्यशाला सम्मिलित था। उपर्युक्त इकाइयों का चयन निर्धारित तथा विपत्रित वार्षिक राजस्व तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण पर हुए वार्षिक व्यय के आधार पर हुआ जो निर्धारित एवं विपत्रित कुल राजस्व का 65.54 प्रतिशत तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण पर हुए व्यय का 44.88 प्रतिशत प्रदर्शित करता है।

लेखापरीक्षा मानदण्ड के संदर्भ में लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति अपनाये गये कार्य पद्धति में बोर्ड को लेखापरीक्षा उद्देश्य का विश्लेषण करना, मुख्यालय तथा चयनित इकाईयों के अभिलेखों की संवीक्षा, लेखापरीक्षा इकाई के कार्मिकों से पारस्परिक सम्बन्ध, लेखापरीक्षा मानदण्ड के संदर्भ में आंकड़ों का विश्लेषण, लेखापरीक्षा प्रश्नों को उठाना, बोर्ड से लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर विचार–विमर्श तथा बोर्ड को उनके टिप्पणी हेतु प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना शामिल है।

3.2.1 विद्युत–शक्ति क्षेत्र का निष्पादन लेखापरीक्षा

राजस्व के टैरिफ, विपत्रीकरण एवं संग्रहण तथा ए0पी0डी0आर0पी0 योजनाओं को क्रियान्वयन का एक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष के भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), बिहार सरकार में शामिल किया गया था। इस निष्पादन लेखापरीक्षा का आयोजन बिहार में बोर्ड के कार्यो पर किया जाता है।

[1] ई0एस0सी0 पटना, पेसू (पूर्व), पेसू (पश्चिम), मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर।

[2] पटना तथा मुजफ्फरपुर में टी0आर0डब्लू0 ।

3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि:

- राष्ट्रीय विद्युत नीति/योजना के लक्ष्य तथा उद्देश्यों का विश्लेषण किया गया तथा योजनाओं एवं वितरण सुधारों को क्रियान्वित किया गया;
- नेटवर्क योजना तथा इसका कार्यान्वयन पर्याप्त एवं प्रभावी था;
- केन्द्रीय योजनाएँ जैसे कि पुर्नगठित त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर0ए0पी0डी0आर0पी0) तथा राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण को कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया गया;
- राज्य में उपभोक्ताओं के विद्युत–शक्ति माँग की पूर्ति हेतु प्रचालन क्षमता प्राप्त कर ली गयी थी;
- वित्तीय प्रबंधन प्रभावी था तथा संघ/राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान राशि समय पर मुक्त कर दी गयी थी;
- समग्र राजस्व आवश्यकता (ए0आर0आर0) तथा टैरिफ संशोधन याचिका को समय पर प्रस्तुत निर्दिष्ट स्तर पर प्रचालन तथा प्रति–अनुदान की लागत को पूर्ण करने हेतु टैरिफ की पर्याप्तता सुनिश्चित करने हेतु किया गया;
- उपभोक्ताओं से राजस्व का विपत्रीकरण एवं संग्रहण सफल था;
- उपभोक्ता संतुष्टि तथा शिकायतों के निवारण हेतु प्रणाली प्रभावी था;
- प्रभावी ऊर्जा संरक्षण उपाय आरम्भ किये गये; तथा
- प्रभावी अनुश्रवण प्रणाली की व्यवस्था थी तथा पूरे कार्य प्रणाली की समीक्षा में इसका उपयोग हो रहा था।

3.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा उद्देश्यों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए अपनाये गये लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्न थे:

- राष्ट्रीय विद्युत नीति/योजना, बोर्ड के वितरण नेटवर्क के विषय में योजना तथा मानक एवं बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) द्वारा तय योजना मानदण्ड;
- अर्थव्यवस्था, क्षमता तथा प्रभाविता के सिद्धांत के संदर्भ में संविदा प्रदान करने हेतु मानक प्रक्रिया;
- प्रचालन गतिविधियों के संदर्भ में विभिन्न अभिकर्ताओं द्वारा निर्दिष्ट मानकों;
- तकनीकी तथा गैर–तकनीकी हानि के प्रतिमानक;
- बिहार विद्युत विनियामक आयोग के मार्गदर्शन/निर्देश/दिशा;
- केन्द्रीय योजना प्रलेख (सेंट्रल स्कीम डॉक्यूमेंट्स) में शामिल नियम एवं शर्तें;
- क्षेत्रों में सर्वोत्तम निष्पादक/अखिल भारतीय औसत से तुलना; तथा
- विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान।

3.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

फरवरी 2011 में लेखापरीक्षा ने बोर्ड को निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या किया। तथापि, प्रवेश सम्मेलन का आयोजन नहीं हो सका जिसका कारण तत्कालीन प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार का स्थानान्तरण तथा उनके समय तालिका का समकालन नहीं होना था। अक्टूबर 2011 में लेखापरीक्षा निष्कर्ष बोर्ड तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित की गयी तथा 29 नवम्बर 2011 को आयोजित 'निकास सम्मेलन' में इसकी समीक्षा की गयी। बोर्ड के सदस्य (वित्त एवं राजस्व) ने निकास सम्मेलन में भाग लिया। नवम्बर 2011 में बोर्ड ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष का उत्तर दिया। निष्पादन लेखापरीक्षा का अंतिमीकरण करते समय बोर्ड द्वारा व्यक्त मत पर विचार किया गया है।

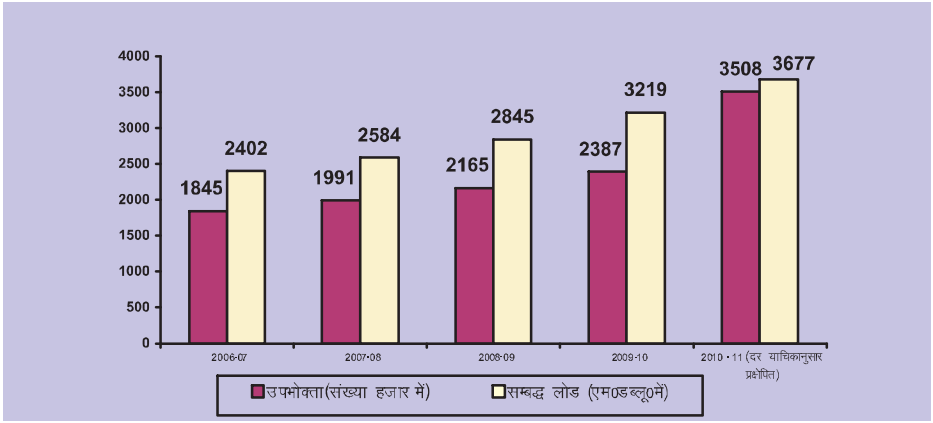
3.6 वितरण नेटवर्क योजना

राष्ट्रीय विद्युत नीति को निम्नलिखित लक्ष्य एवं उद्देश्यों की उपलब्धि हेतु विकसित किया गया:

- विद्युत का अभिगमन वर्ष 2005 से अगले पाँच वर्षो में सभी घरों को उपलब्ध।
- कार्यकुशल ढंग से तथा उचित दर पर विनिर्दिष्ट मानकों की विश्वसनीय एवं गुणवत्ता विद्युत–शक्ति की आपूर्ति।

राज्य में अधिक–से–अधिक जनसंख्या को सम्मिलित करने के लिए विद्युत का फलोत्पादक वितरण हेतु आधारभूत संरचना सुविधाओं के सृजन में योजना एक अत्यावश्यक तत्व है। वर्तमान नेटवर्क के अनुरक्षण के अतिरिक्त माँग/सम्बद्ध लोड, प्रत्याशित नये कनेक्शन तथा ईलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ई0पी0एस0) पर आधारित माँग में वृद्धि को ध्यान में रखकर वितरण नेटवर्क में परिवर्धन की योजना बनायी जाती है। भौतिक पारामीटर को ध्यान में रखकर, बोर्ड राज्य सरकार/बिहार विद्युत विनियामक आयोग को पूँजी निवेश योजना प्रस्तुत करता है। परिव्यय के मुख्य अवयवों में ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आई0टी0) समर्थित प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त सामान्य विकास तथा प्रणाली में सुधार सम्मिलित है।

3.6.1 निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उपभोक्ता तथा उनके सम्बद्ध लोड में वृद्धि को निम्न दण्ड आरेख में निरूपित किया गया है:



बोर्ड के संबंध में सम्बद्ध लोड की पूर्ति हेतु सम्बद्ध लोड तथा परिणमन क्षमता एवं वर्ष 2012 में अनुमानित वृद्धि नीचे की तालिका में दर्शाया गया है:

(एम0वी0ए0 में)

वर्ष	वर्तमान परिणमन क्षमता	सम्बद्ध लोड[3]	आवश्यक क्षमता	परिणमन क्षमता में अंतर	परिणमन क्षमता एवं सम्बद्ध लोड का अनुपात
(1)	(2)	(3)	(4)=(3/0.75)	(5)=(4 – 2)	(6)
2006-07	2770.21	3002.50	4003.33	1233.12	0.92:1
2007-08	3113.69	3230.00	4306.66	1192.97	0.96:1
2008-09	3450.19	3556.25	4741.66	1291.47	0.97:1
2009-10	3939.06	4023.75	5365.00	1425.94	0.98:1
2010-11	4457.15	4596.14	6128.19	1671.04	0.97:1

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट पता चलता है कि वर्तमान परिणमन क्षमता तथा कुल सम्बद्ध लोड अनुपात का परास 1.33 के विरूद्ध 0.92 तथा 0.98 के बीच रहा। यह 31 मार्च 2011 तक की 1671.04 एम0वी0ए0 परिणमन क्षमता के विशाल अंतर को प्रदर्शित करता है। परिणमन क्षमता में अंतर के कारण सिस्टम का ओवरलोड हुआ फलस्वरूप बार–बार बिजली कटना एवं प्रतिकूल वोल्टेज नियमन हुआ जिससे उच्च प्रमात्रा की ऊर्जा हानि हुई। वितरण हेतु पर्याप्त क्षमता की कमी राष्ट्रीय विद्युत नीति में तय '2012 तक सभी को बिजली' के उद्देश्य को बाधित करेगा।

बोर्ड ने तथ्यों के स्वीकार किया तथा कहा कि बिजली कटने से बचने तथा निर्दिष्ट सीमा में सिस्टम वोल्टेज बनाये रखने के लिए एक ही समय में सभी लोड एक साथ सम्बद्ध (कनेक्ट) नहीं किये गये। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने कहा कि राज्य योजना के अंतर्गत स्कीमों के जरिये सिस्टम क्षमता संवर्धन क्रियान्वित किया जा रहा था।

जबकि अनुवर्ती कंडिकाओं के अंतर्गत सिस्टम सुधार तथा ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों की चर्चा अलग रूप से की गई है, समग्र रूप से राज्य की उपलब्धि की तुलना में सुनियोजित वितरण नेटवर्क का विवरण **परिशिष्ट 12** तथा **13** में दर्शाया गया हैं।

परिशिष्ट से देखा जा सकता है कि:

- वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान 291 सब–स्टेशनों की सुनियोजित वृद्धि के विरूद्ध, केवल 111 सब स्टेशनों की वृद्धि हुई, फलस्वरूप 180 सब–स्टेशन की कमी रही (61.86 प्रतिशत)। इस अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष हेतु आयोजित वृद्धि की कभी प्राप्ति नहीं हुई।
- 1 अप्रैल 2006 को सब–स्टेशनों की वर्तमान क्षमता 2544.45 एम0वी0ए0 था। वर्ष 2007–11 के दौरान आयोजित वृद्धि 3062.70 एम0वी0ए0 था, जिसके विरूद्ध वर्ष 2010–11 की अवधि तक 1912.70 एम0वी0ए0 की वृद्धि हुई। इस प्रकार 1150 एम0वी0ए0 (37.55 प्रतिशत) की कमी हुई।
- बोर्ड ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2011) तथा कहा कि लक्षित क्षमता प्राप्त नहीं किये जाने का मुख्य कारण उपयुक्त भूमि के चयन से इसे परिभाषित प्रक्रिया से हस्तान्तरित करने तक से पी0एस0एस0 हेतु भूमि

[3] तालिका के स्तम्भ 3 में एम0वी0ए0 में उपस्थित सम्बद्ध लोड के आंकड़े ग्राफ में बदलकर एम0डब्लू0 किये गये हैं।

की उपलब्धता में विलम्ब होना था। उक्त कारण के अतिरिक्त, विशेषकर उत्तर बिहार में लम्बे समय तक जल–जमाव, मार्गाधिकार तथा स्थानीय आम बाधाएँ, ऐसे कारण थे जो कार्य की प्रगति को धीमा कर दिए थें।

- योजना का सूत्रपात करते समय आपूर्ति अंचल के प्रत्याशित लोड वृद्धि पर विचार नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2010–11 में आयोजित परिणमन क्षमता तथा प्रक्षिप्त सम्बद्ध लोड के बीच भारी अंतर आ गया जिसका विवरण **परिशिष्ट–13** में दिया गया है। फलस्वरूप, आठ अंचलो में, आयोजित क्षमता संवर्धन प्रक्षिप्त क्षमता से अधिक था तथा जिसका परास 3 तथा 87 प्रतिशत के बीच था, जबकि सात अंचलो में क्षमता संवर्धन प्रक्षिप्त क्षमता से कम था तथा जिसका परास 47 तथा 5 प्रतिशत के बीच था।

बोर्ड ने कहा कि जिन अंचलो में आयोजित क्षमता संवर्धन वास्तविक वृद्धि से कम था उसका कारण अप्रत्याशित व्यापारीकरण, औद्योगीकरण, अधारभूत संरचना विकास आदि से तथा जिन अंचलो में आयोजित संवर्धन आवश्यक लोड से अधिक था, उसे औद्योगिकरण, व्यापारीकरण, पर्यटन तथा उस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व की वृद्धि के क्षेत्र में सरकार के आगामी कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए किया गया। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों की अनिवार्य विद्युतीकरण के कारण उपर्युक्त बेमेल हुआ। इन कारणों से उत्तर युक्तिसंगत नहीं था कि योजना संबंधित क्षेत्रों में लोड की प्रत्याशित वृद्धि के अनुसार नहीं की गयी। तथापि, बोर्ड को अतिरिक्त आधारभूत संरचना के सृजन हेतु योजना का सूत्रपात करते समय पूर्व लोड वृद्धि प्रवृति, वर्तमान लोड तथा भविष्य में प्रक्षिप्त लोड वृद्धि पर विचार करना चाहिए था।

अप्रभावी योजना

3.6.2 बोर्ड ने 400 एम0वी0ए0 क्षमता के 40 पावर सब–स्टेशन (पी0एस0एस0) को सम्मिलित करने का योजना बनाया जो वर्ष 2008–09 में निर्मित होने वाले थे। वितरण नेटवर्क में दो मुख्य भाग सम्मिलित हैं वे हैं – पी0एस0एस0 का निर्माण तथा इसके इनपुट (33 के0वी0) लाईन तथा आउटपुट फीडर (11 के0वी0) का निर्माण। पी0एस0एस0 के प्रयोग में विलम्ब दूर करने के लिए दोनों कार्यों को साथ–साथ पूर्ण किया जाना चाहिए। दोनों कार्यो को पूर्ण करने हेतु ₹ 100.60 करोड़ का प्राक्कलन किया गया, जिसमें से सरकार ने राज्य योजना–अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए0सी0ए0) के अंतर्गत ₹ 70 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया (मार्च 2008) तथा मार्च 2009 तक एक वर्ष में परियोजना को पूर्ण होना था।

पी0एस0एस0 के जोड़ने वाली लाइन के निर्माण हेतु योजना में विलम्ब के कारण आठ माह तक ₹11.53 करोड़ का व्यय बेकार पड़ा रहा जिसके कारण ₹ एक करोड़ के ब्याज की क्षति हुई

हमने पाया कि पी0एस0एस0 निर्माण तथा इसको जोड़ने वाली लाईनों हेतु एन0आई0टी0 क्रमशः फरवरी 2008 तथा फरवरी 2009 में आमंत्रित किए गए थे। जोड़ने वाली लाईन तथा निर्माण कार्य का कार्यादेश क्रमशः जनवरी 2009 तथा फरवरी 2010 में जारी किया गया। जोड़ने वाली लाईन का निर्माण 12 माह के विलम्ब के बाद शुरू हुआ। फलस्वरूप, जून 2011 तक ₹ 11.53 करोड़ के व्यय से निर्मित 40 पी0एस0एस0 में 1 2 पी0एस0एस0 अपने जोड़ने वाली लाईनों के अभाव में चार्ज नहीं किए गए तथा वे आठ माह (नवम्बर 2010 से जून 2011) बेकार पड़े रहे जिसके कारण ₹ एक करोड़[4] के ब्याज की हानि हुई।

बोर्ड ने कहा कि इन पी0एस0एस0 हेतु 33 तथा 11 के0वी0 लाईन के निर्माण हेतु कोई धन राशि का प्रावधान नहीं था, अतः एन0आई0टी0 केवल 40 पी0एस0एस0 के

[4] बोर्ड द्वारा भुगतेय 13 प्रतिशत की दर से गणना की गई।

निर्माण हेतु आमंत्रित किया गया। उत्तर सही नहीं था क्योंकि जोड़ने वाली लाईन के बिना पी0एस0एस0 का निर्माण व्यर्थ था। बोर्ड को पी0एस0एस0 तथा इसकी जोड़ने वाली लाईन के निर्माण हेतु पी0एस0एस0 की उतनी ही संख्या की योजना बनाना चाहिए था जितना कि उपलब्ध निधि में यह उचित था।

योजना में 12 माह विलम्ब के कारण जोड़ने वाली लाईन की निर्माण की लागत में वृद्धि आरंभिक प्राक्कलित लागत से ₹ 4.80 करोड़ अधिक हो गई

हमने यह भी प्रेक्षित किया कि पी0एस0एस0 (33 के0वी0 लाईन 400 कि0मी0 तथा 11 के0वी0 लाईन 800 कि0मी0) को जोड़ने वाली लाईन के निर्माण हेतु ₹ 30.60 करोड़ का प्रारंभिक प्राक्कलित लागत ₹ 11.47 करोड़[5] बढ़ गया। इस वृद्धि का कारण नए मदों (₹ 6.67 करोड़) का समावेश तथा सामग्रियों (₹ 4.80 करोड़) की कीमतों में वृद्धि था। इस प्रकार, योजना में 12 माह विलम्ब के कारण जोड़ने वाली लाईन के निर्माण में आरंभिक प्राक्कलित लागत से ₹ 4.80 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

बोर्ड द्वारा कार्यकारी अभिकरणों को पी0एस0एस0 के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराना था। तथापि, बोर्ड ने भूमि की उपलब्धता आश्वस्त किए बिना कार्य प्रदान कर दिया। फलस्वरूप, भूमि के 40 प्लॉट में से 19 प्लॉट अभिकरण को आठ से 17 माह के विलम्ब से हस्तांतरित किया गया। इसके अतिरिक्त, सात पी0एस0एस0 हेतु भूमि 28 माह के व्यपगत होने के पश्चात् भी प्राप्त नहीं किया जा सका। फलतः 16 पी0एस0एस0 का कार्य जून 2011 तक आरंभ नहीं किया जा सका।

बोर्ड ने उत्तर दिया कि अधिनिर्णय–पत्र (एल0ओ0ए0) के समय पी0एस0एस0 के निर्माण हेतु अत्यंत कम भूमि ही चिह्नित किया गया था। साथ ही, भूमि का अधिग्रहण एक बहु–प्रक्रियागत कार्य था जिसके कारण परियोजना में विलम्ब हुआ। कार्य के क्रियान्वयन में विलम्ब से बचने के लिए बोर्ड को एल0ओ0ए0 जारी करने से पूर्व भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए था।

आर0ई0 राज्य योजना–ए0सी0ए0 के अंतर्गत भागलपुर में संहौला पी0एस0एस0 का निमार्ण एक अभिकरण को 18 माह की तय निर्माण अवधि में प्रदान किया गया (जनवरी 2009)। 16 माह बीत जाने के पश्चात् बोर्ड ने सूचित किया कि उक्त स्थान पर पी0एस0एस0 निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पहले ही एक पी0एस0एस0 मौजूद है। परिणामस्वरूप, बोर्ड ने उसी क्षमता का पी0एस0एस0 अन्य क्षेत्र में निर्माण करने का निर्णय लिया जो कि संग्रामपुर, मुंगेर था। यह योजना की कमी को प्रदर्शित करता है, तथापि बोर्ड ने सफाई दिया कि निविदा प्रलेख का खण्ड 2.1 के अनुसार निर्माण का स्थान परिवर्तित किया जा सकता है।

योजना में ऊपर उल्लेखित दोष के परिणामस्वरूप, नवम्बर 2011 तक 40 पी0एस0एस0 में केवल छः ही चार्ज किए गए थे।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन

3.7 ग्रामीण विद्युतीकरण

राष्ट्रीय विद्युत नीति कहता है कि विद्युत शक्ति क्षेत्र के विकास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति करना है, जिसके लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकारें सम्मिलित रूप से प्रयास करेंगे।

[5] ₹ 6.67 करोड़ के बे तथा संबद्ध कार्य का विस्तार तथा ₹ 4.80 करोड़ के सामग्रियों के लागत में वृद्धि।

तदनुसार, भारत सरकार ने 'राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण (आर0जी0जी0वी0वाई0)' योजना आरम्भ किया जिसका लक्ष्य सभी गैर–विद्युतीकृत गाँव का विद्युतीकरण करना तथा आगामी पाँच वर्षों में सभी घरों में विद्युत (गरीबी रेखा के नीचे (बी0पी0एल0) के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क) पहुँचाना था। कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु, भारत सरकार को अनुदान स्वरूप व्यय का 90 प्रतिशत तथा शेष 10 प्रतिशत ऋण के रूप में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (नोडल एजेंसी) के माध्यम से प्राप्त होना था। अन्य ग्रामीण विद्युतीकरण (आर0ई0) योजनाओं जैसे कि एक लाख गाँवो तथा एक करोड़ घरों का 'त्वरित विद्यतीकरण' तथा 'न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम', राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में मिला दिया गया। तत्कालीन 'कुटीर ज्योति कार्यक्रम' की विशेषताएँ उचित रूप से इस योजना में सम्मिलित कर लिया गया।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति को अगस्त 2006 में अधिसूचित किया। इन बातों के साथ–साथ यह नीति वर्ष 2009 तक सभी घरों को बिजली उपलब्ध कराने तथा वर्ष 2012 तक प्रतिदिन प्रत्येक घर को एक यूनिट की न्यूनतम लाईफलाईन उपभोग प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।

बिहार में आर0जी0जी0वी0वाई0 योजना के क्रियान्वयन हेतु सरकार ने 38 जिलों में 24 जिले पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी0जी0सी0आई0एल0) को, छः जिले राष्ट्रीय हाईड्रो–इलेक्ट्रीक पावर कॉर्पोरेशन (एन0एच0पी0सी0) को तथा बचे आठ जिले बोर्ड को गाँव की विद्युतीकरण हेतु आवंटित किया (जून 2006)।

31 मार्च 2006 तक राज्य में 39015 गाँवों में (2001 की जनगणना के अनुसार) 20610[6] गाँव विद्युतीकृत किए गए (52.83 प्रतिशत)। निष्पादन लेखा परीक्षा के दौरान आर0जी0जी0वी0वाई0 योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण की उपलब्धि की तुलना में वर्ष–वार लक्ष्य नीचे सारणीबद्ध किया गया है।

(संख्याओं में)

वर्ष	वर्ष के आरंभ में विद्युतीकृत	वर्ष के दौरान विद्युतीकरण हेतु दिया गया लक्ष्य	वर्ष के दौरान विद्युतीकृत[7]	वर्ष के अंत में कुल विद्युतीकृत	वर्ष के दौरान लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि की प्रतिशतता
2006-07	1611	8000	8404	10015	105.05
2007-08	10015	5000	3347	13362	66.94
2008-09	13362	6549	3098	16460	47.30
2009-10	16460	3988	2584	19044	64.79
2010-11	19044	4603	3140	22184	68.22

वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान 28140 लक्षित गाँवों में 20,573 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया। वर्ष 2006–07 के अतिक्ति, ग्राम विद्युतीकरण का वार्षिक लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। वर्ष 2007–11 के दौरान 7567 गाँवों के विद्युतीकरण में कमी आई। इसके अतिरिक्त, आठ जिलों में सितम्बर 2011 तक केवल 1920 गाँव (40.73 प्रतिशत) ही विद्युतीकृत किए जा सके।

बोर्ड ने कहा कि मार्गाधिकार समस्याएँ, बाढ़ तथा अन्य स्थानीय समस्याओं के कारण लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।

6 पुरानी परिभाषा के अनुसार विद्युतीकृत।

7 विद्युतीकरण की सारी उपलब्धि पी0जी0सी0आई0एल0, एन0एच0पी0सी0 तथा बोर्ड द्वारा विकसित आधारभूत संरचना से संबंधित है।

इसके अतिरिक्त हमने प्रेक्षित किया कि :

- बिहार में कुल 27,62,076 गरीबी रेखा के नीचे (बी0पी0एल0) ग्रामीण घरों में बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरूद्ध, केवल 18,18,161 बी0पी0एल0 ग्रामीण घर (65.83 प्रतिशत) ही विद्युतीकृत हुए (सितम्बर 2011)। इसके अतिक्ति, बोर्ड द्वारा किए कुल 6,02,564 बी0पी0एल0 ग्रामीण घरों को विद्युत उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 1,47,432 बी0पी0एल0 ग्रामीण घरों को (24.47 प्रतिशत) विद्युतीकृत किया गया (सितम्बर 2011)।

 बोर्ड ने कहा कि गाँवों में आधारभूत संरचना–पूर्ण नहीं होने के कारण उपलब्धि में कमी हुई। बी0पी0एल0 सेवा सम्पर्कता को गाँवों के आधारभूत संरचना कार्य से जोड़ा गया।

- भारत सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर0ई0पी0) के अनुसार (अगस्त 2008 में अधिसूचित), फरवरी 2009 तक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को छः माह के अन्तर्गत अधिसूचित करना था। तथापि, नवम्बर 2011 तक राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण (आर0ई0पी0) योजना को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया।

- आर0जी0जी0वी0वाई0 योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार, विद्युत की चोरी करने हेतु फ्रेंचाईजी की स्थापना अनिवार्य थी। हमने पाया कि यद्यपि मार्च 2011 तक विद्युतीकरण कार्य 22184 गाँव में पूर्ण हो चुका था, तथापि फ्रेंचाईजी की स्थापना केवल 1625 गाँव में ही की गई (नवम्बर 2011)।

बोर्ड ने ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आर0जी0जी0वी0वाई0 योजना के अंतर्गत निधि प्राप्त किया। 31 मार्च 2011 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध निधि की तुलना में उपयोग की गई निधि की स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आदि शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	कुल उपलब्ध निधि	प्रयोग की गई निधि	वर्ष के अंत में खर्च नहीं की गई निधि
2008-09	0	287.68	287.68	0	287.68
2009-10	287.68	52.35	340.03	91.86	248.17
2010-11	248.17	234.20	482.37	162.67	319.70
कुल		**574.23**		**254.53**	

वर्ष 2008–11 की अवधि के दौरान, प्राप्त ₹ 574.23 करोड़ में से बोर्ड ने मार्च 2011 तक केवल ₹ 254.53 करोड़ (44.3 प्रतिशत) का ही उपयोग किया, जो योजना के कार्यान्वयन में बोर्ड की लापरवाही को प्रदर्शित करता है।

बोर्ड ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, सरकार द्वारा बी0पी0एल0 सूची का अंतिमिकरण तथा अन्य अनियंत्रणीय कारकों के कारण योजना में विलम्ब हुआ।

आर0जी0जी0वी0वाई0 के कार्यान्वयन में पाई गई अन्य अनियमितताओं की समीक्षा नीचे की गई है :

3.7.1 परियोजना लागत के विरूद्ध ब्याज आय का समायोजन नहीं होना

कार्य की लागत के विरूद्ध आर0जी0जी0वी0वाई0 निधि पर अर्जित ब्याज का समायोजन नहीं होने के फलस्वरूप आर0ई0सी0 को ₹ चार करोड़ का उच्च प्राक्कलित व्यय समर्पित

जुलाई 2006 में संपन्न आर0ई0सी0, सरकार तथा बोर्ड के बीच त्रिपक्षीय समझौता के अनुसार, आर0जी0जी0वी0वाई0 के अंतर्गत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु होने वाले व्यय की पूर्ति करने के लिए सरकार की ओर से बोर्ड को निधि सीधे मुक्त किया जाना था। योजना के अन्तर्गत प्राप्त निधि को अलग खाता में रखा जाना था तथा केवल उद्दिष्ट उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना था। इस प्रकार, आर0जी0जी0वी0वाई0 निधि से उपार्जित ब्याज को सरकार के खाता में जमा होना चाहिए था अथवा योजना के अन्तर्गत संपन्न कार्य की लागत के विरूद्ध समायोजित होना चाहिए था।

प्राप्त कुल निधि में ₹ 253.19 करोड़ मियादी जमा में रखा गया जिस पर फरवरी 2011 तक ₹ चार करोड़ की ब्याज प्राप्ति हुई।

आर0जी0जी0वी0वाई0 निधि से प्राप्त ब्याज का समायोजन किए बिना राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत निष्पादित सभी आठ परियोजना हेतु बोर्ड ने आर0ई0सी0/सरकार को ₹ 1131.67 करोड़ का संशोधित लागत प्राक्कलन प्रस्तुत किया (फरवरी 2011)। फलस्वरूप, ₹ चार करोड़ का अधिक उच्च लागत प्राक्कलन हुआ। इसके अतिरिक्त, सितम्बर 2011 तक, मियादि जमा में रखे निधि से प्राप्त कुल ब्याज ₹ 7.01 करोड़ था।

बोर्ड ने कहा कि समझौता के शर्तो के अनुसार, परियोजना की समाप्ति के बाद अंतिम बंदोबस्ती की जा सकती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधि से प्राप्त ब्याज का समायोजन संशोधित लागत प्राक्कलन में होना चाहिए था।

3.7.2 समय एवं लागत वृद्धि

डी0पी0आर0 की संस्वीकृति कार्य प्रदान करने में प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण परियोजना लागत में ₹ 103.69 करोड़ की वृद्धि

बोर्ड ने अक्टूबर/दिसमबर 2006 में डी0पी0आर0 में सम्मिलित प्राक्कलित लागत पर एन0आई0टी0 आमंत्रित किया। निविदा के अंतिमिकरण के पश्चात् बोर्ड ने इसे आर0ई0सी0 को सबसे कम निविदा के लागत (₹ 748.40 करोड़) के अनुमोदन हेतु (अक्टूबर 2007) भेजा। सभी कम बोली लगाने वालों के प्रस्ताव की वैधता जून 2008 तक थी। परन्तु एल0 1 निविदाकार के अनुमोदन से पहले, ऊर्जा मंत्रालय (एम0ओ0पी0) ने डी0पी0आर0 के संशोधन हेतु ग्राम विद्युतीकरण के लिए लागत शर्तो[8] को संसूचित किया (फरवरी 2008)। अंततः, तय लागत शर्तो पर आधारित, संशोधित डी0पी0आर0 मार्च 2008 में आर0ई0सी0 द्वारा संस्वीकृत किया गया। आठ जिलों के लिए ₹ 748.40 करोड़ के कार्य का मूल्य सभी सबसे कम बोली लगाने वालों के प्रस्ताव की वैधता समाप्त होने के पश्चात् अगस्त 2008 में आर0ई0सी0 द्वारा अंततः अनुमोदित किया गया। फलतः नई बोली आमंत्रित की गई (सितम्बर 2008) तथा प्राप्त सबसे कम दर ₹ 852.09 करोड़ था, जो कि पूर्व सबसे कम बोली से ₹ 103.69 करोड़ अधिक था जैसा कि **परिशिष्ट–14** में दर्शाया गया है। अंततः ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य हेतु प्रदान पत्र जारी किया गया (मई 2009)।

[8] ₹ 13 लाख गैर–विद्युतीकृत गाँव हेतु तथा ₹ चार लाख सामान्य क्षेत्र में पहले ही विद्युतीकृत गाँव के तीव्र विद्युतीकरण हेतु।

डी0पी0आर0 तथा कार्य प्रदान की स्वीकृति मिलने में असामान्य प्रक्रियागत विलम्ब होने के कारण, परियोजना लागत में कुल ₹ 103.69 करोड़ की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, सभी गाँव में विद्युतीकरण की आर0जी0जी0वी0वाई0 के उद्देश्य तथा 2009 तक सभी ग्रामीण घरों को विद्युत उपलब्ध कराना नहीं हो सका।

बोर्ड ने कहा कि विलम्ब का मुख्य कारण ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागत शर्तों में संशोधन करना था। यह उत्तर बोर्ड द्वारा हुए विलम्ब के मुद्दे को नहीं बताता है जिसमें निविदा के अंतिमिकरण में 18 माह लगा तथा परियोजना की शुरूआत में विलम्ब हुआ।

3.7.3 आर0जी0जी0वी0वाई0 के अर्न्तगत ₹ 24.18 करोड़ के संस्थापित 16 के0वी0ए0 के जले हुए/बेकार ट्रांसफॉर्मर के कारण निष्फल व्यय।

आर0जी0जी0वी0वाई0 के अंतर्गत, 16 के0वी0ए0, 25 के0वी0ए0 तथा 40 के0वी0ए0 के वितरण ट्रांसफॉर्मर (डी0टी0आर0) का संस्थापन क्रियान्वित करने वाली अभिकरणों (पी0जी0सी0आई0एल0/एन0एच0पी0सी0) द्वारा किया जाना था। सृजित आधारभूत संरचना की सुरक्षा बोर्ड को सुनिश्चित करना था।

हमने पाया कि अप्रैल 2011 को क्रियान्वित करने वाली अभिकरणों द्वारा संस्थापित 34,727 डी0टी0आर0 16 के0वी0ए0, 25 के0वी0ए0 तथा 40 के0वी0ए0 क्षमता वाले थे, जिनमें 3,038 डी0टी0आर0 या तो संस्थापन अथवा पी0जी0सी0आई0एल0/एन0एच0पी0सी0 द्वारा बोर्ड को गाँव के हस्तांतरण के दिन से एक वर्ष के भीतर जल गए/खराब हो गए। बोर्ड ने जले/खराब डी0टी0आर0, जो कि गारंटी अवधि में थे, पी0जी0सी0आई0एल0 से बदलने का आग्रह किया। तथापि पी0जी0सी0आई0एल0 ने इन्हें बदलने/मरम्मत करने से इस तर्क के अधार पर इन्कार किया कि ओवर–लोडिंग अथवा अवहेलना के कारण डी0टी0आर0 जल/खराब हो गए जैसा कि उनके द्वारा जले डी0टी0आर0 की जाँच में पाया गया। बोर्ड ने अनाधिकृत कनेक्शन रोकने के लिए कोई निवारक उपाय नहीं किया जिसके कारण ओवर–लोडिंग तथा सुरक्षा की अवहेलना हुई।

डी0टी0आर0 के संस्थापन में ₹ 24.18 करोड़ का कुल व्यय निष्फल हो गया चूँकि न तो पी0जी0सी0आई0एल0 ने इन्हें बदला और न ही बोर्ड ने इन खराब डी0टी0आर0 की मरम्मती करवाया

इस प्रकार 3038 डी0टी0आर0 के संस्थापन में हुए ₹ 24.18 करोड़[9] का कुल व्यय निष्फल सिद्ध हुआ, क्योंकि न तो पी0जी0सी0आई0एल0 ने उन्हें बदला और न ही बोर्ड ने इन खराब डी0टी0आर0 का मरम्मत कराया। इससे बी0पी0एल0 उपभोक्ता को विद्युत प्रदान करने का उद्देश्य असफल रहा।

बोर्ड ने कहा कि उपर्युक्त डी0टी0आर0 आंतरिक त्रुटि के कारण खराब हुए तथा इन डी0टी0आर0 में कई तो साधारण रूप से खराब है जिन्हें न्युनतम लागत पर मरम्मत करा लिया जाएगा। बोर्ड का उत्तर इसकी खराबी के लिए पी0जी0सी0आई0एल0 द्वारा बताए गए कारणों के प्रतिकूल है। तथापि, आंतरिक खराबी के कारण खराब हुए डी0टी0आर0 को तुरन्त ठीक कर लेना चाहिए था क्योंकि वे वारंटी अवधि के अन्तर्गत थे।

[9]
16 के0वी0ए0 = 1860 X ₹ 66000 प्रति ट्रान्सफॉर्मर = ₹ 122760000
25 के0वी0ए0 = 1151 X ₹ 101000 प्रति ट्रान्सफॉर्मर = ₹ 116251000
40 के0वी0ए0 = 27 X ₹ 103800 प्रति ट्रान्सफॉर्मर = ₹ 2802600
कुल = ₹ 241813600

3.7.4 संवेदक को अधि–भुगतान– ₹ 2.27 करोड़

बिहार के आठ जिले में आर0जी0जी0वी0वाई0 के अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य टर्न की आधार पर प्रदान किया गया (मई 2009)। निविदा प्रलेख के उपवाक्य 10[10] के अनुसार, ट्रांसफॉर्मर, तार तथा कंडक्टर, जिसके लिए मूल्य समायोजन की अनुमति है, के अतिरिक्त सभी उपकरणों एवं सामग्रियों का मूल्य स्थिर रहेगा। मूल्य परिवर्तन/समायोजन की गणना प्रत्येक माह प्रकाशित आई0ई0ई0एम0ए0[11] परिपत्र में दिए गए सूत्र एवं मूल्य के आधार पर की जानी थी। इसके अतिरिक्त, निविदा शर्तों के अनुसार, बोर्ड की देयता अनुसूचित दिवस अथवा सामग्रियों के प्रेषण का वास्तविक दिवस, जो भी निम्न हो, के प्रभावी मूल्य तक सीमित रहेगी।

मूल्य परिवर्तन उप–वाक्य का बिना विचार किए बोर्ड ने ₹ 2.27 करोड़ का अधि–भुगतान किया

हमने प्रेक्षित किया कि चार जिलों[12] में, मूल्य परिवर्तन उपवाक्य पर विचार किए बिना, विद्युत–शक्ति ट्रांसफॉर्मर तथा वितरण ट्रांसफॉर्मर का भुगतान फर्म–आधार पर किया गया। डिलीवरी की अवधि से संबंधित आई0ई0ई0एम0ए0 परिपत्रों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ट्रांसफॉर्मर का मूल्य काफी घट गया था तथा बोर्ड ने मूल्य परिवर्तन उपवाक्य पर बिना विचार किए मार्च 2011 तक ₹ 2.27 करोड़ की राशि का अधिक भुगतान किया।

बोर्ड ने कहा कि मूल्य परिवर्तन की गणना प्रक्रिया के अधीन था, जो अंतिम भुगतान के समय किया जाएगा।

3.8 ए0पी0डी0आर0पी0 योजना का कार्यान्वयन

भारत सरकार ने राज्य सरकार के जरिए ऊर्जा क्षेत्र में सुधार का प्रावधान क्षमता हेतु त्वरित ऊर्जा शक्ति विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए0पी0डी0आर0पी0) आरंभ किया (जून 2003)। यह योजना शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में घने विद्युतीकृत क्षेत्र में सब–ट्रांसमिशन तथा वितरण के उन्नयन पर तथा राज्य के एस0ई0बी0 की आर्थिक सक्षमता में सुधार पर केंद्रित था।

योजना के अधीन, 12 अंचलों में ₹ 854.01 करोड़ मूल्य की 16 परियोजनाएँ ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत किए गए थे। पुर्नरीक्षित योजना के अनुसार, संस्वीकृत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत भारत सरकार से अनुदान स्वरूप था तथा शेष 75 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में व्यवस्था की जानी थी। ₹ 854.01 करोड़ की परियोजना के कुल संस्वीकृत वास्तविक लागत, जिसे संशोधित कर (दिसम्बर 2006) ₹ 1066.58 करोड़ किया गया, के विरूद्ध भारत सरकार तथा पी0एफ0सी0 ने ₹ 651.73 करोड़ मुक्त किया। संशोधित लागत ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत इस शर्त के साथ की गई, कि योजना की बढ़ी राशि भारत सरकार द्वारा मुक्त नहीं की जाएगी। बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण द्वारा प्रारंभ हुए कुछ कार्यों के अतिरिक्त, योजना कम समय में ही बंद हो गया (मार्च 2009)।

मार्च 2011 तक राज्य सरकार ने बोर्ड को 188.40 करोड़ का ऋण प्रदान किया था तथा परियोजना पूर्ण होने के लिए ₹ 226.45 करोड़ की आवश्यकता थी (नवम्बर 2011)।

10 सामान्य शर्त एवं सामान्य तकनीकी आवश्यकताएँ संस्करण–I।

11 इन्डियन इलेक्ट्रीकल मैनुफैक्चरर्रस एसोशिएशन।

12 खगड़िया, कटिहार, समस्तीपुर एवं शेखपुरा।

3.8.1 ए0पी0डी0आर0पी0 फेज – II योजना का कार्यान्वयन

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार (जून 2003), कार्य की गुणवत्तापूर्ण तथा शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रतियोगी बोली द्वारा चयनित पूर्व–योजना ठेकेदारों के जरिए एस0ई0बी0 को परियोजना का कार्यान्वयन आद्योपांत आधार पर करना था।

पटना के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ए0पी0डी0आर0पी0 फेज–II के अन्तर्गत निष्पादित होने वाले ₹ 35.07 करोड़ की अनुमानित लागत से भूमिगत तार वितरण प्रणाली हेतु एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेन (डी0पी0आर0) तैयार की गई (सितम्बर 2004)।

बोर्ड ने 18 माह के नियत पूर्णता अवधि के साथ उल्लेखित कार्य हेतु पी0जी0सी0आई0एल0 के साथ एक अनुबन्ध किया (फरवरी 2006)। अनुबन्ध के अनुसार, परियोजना की कुल लागत 12 प्रतिशत परामर्श प्रभार सहित ₹ 39.28 करोड़ था। पी0जी0सी0आई0एल0 ने ₹ 67.94 करोड़ (उपर्युक्त वास्तविक लागत का 173 प्रतिशत) की अनुमानित लागत के साथ परियोजना हेतु संशोधित डी0पी0आर0 तैयार किया तथा परियोजना के निष्पादन हेतु निविदा आमंत्रित किया (सितम्बर 2006)। अंततः पी0जी0सी0आई0एल0 ने बोर्ड से सम्पर्क किए बिना ठेकेदार को ₹ 89.17 करोड़ की लागत पर (संशोधित प्राक्कलन का 158 प्रतिशत तथा वास्तविक लागत का 227 प्रतिशत) कार्य प्रदान किया। ठेकेदार के साथ पी0जी0सी0आई0एल0 के अनुबन्ध के अनुसार कार्य को कार्य–आदेश जारी होने के दिन से 12 माह के भीतर पूर्ण होना था।

हमने प्रेक्षित किया कि :–

- भारत सरकार के परिपत्र (अप्रैल 2005) में उल्लेखित योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्य प्रदान करने की प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना, बोर्ड ने पी0जी0सी0आई0एल0 को मनोनीत किया (फरवरी 2006), तथापि पी0जी0सी0आई0एल0 कार्य को उप ठेकेदार को प्रदान कर कार्य का निष्पादन किया गया। यदि बोर्ड ने उपर्युक्त योजना स्वयं निष्पादित किया होता तो यह ₹ 6.24 करोड़ की बचत कर सकता था जो पर्यवेक्षण प्रभार[13] के रूप में पी0जी0सी0आई0एल0 को भुगतेय था। मार्च 2011 तक सारा कार्य पी0जी0सी0आई0एल0 को सौंपने के कारण बोर्ड पहले ही ₹ 4.65 करोड़[14] का व्यय कर चुका था। बोर्ड प्रतियोगी दर के लाभ को भी खो चुका था।

 बोर्ड ने कहा कि कर्मचारियों एवं अधिकारियों की कमी के कारण, परियोजना को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करना संभव नहीं था। इसलिए बोर्ड ने ए0पी0डी0आर0पी0 योजना का निष्पादन पी0जी0सी0आई0एल0 के द्वारा करवाया।

- ए0पी0डी0आर0पी0 हेतु निधि अनुदान एवं ऋण के संयोजन के जरिए ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई तथा परियोजना लागत का अनुपात 1:1 था। हमने प्रेक्षित किया कि परियोजना के अनुमानित लागत में प्रवेश कर, पर्यवेक्षण प्रभार तथा स्ट्रीट लाईटिंग लागत से लागत मूल्य

[13] ₹ 89.17 करोड़ का सात प्रतिशत।
[14] (₹ 71.03 करोड़ x 07/107)।

शामिल नहीं था। फलस्वरूप, ₹ 46.88 करोड़[15] के विरूद्ध ₹ 35.07 करोड़ का प्राक्कलन तैयार किया गया। भारत सरकार द्वारा डी0पी0आर0 की संस्वीकृति दी गई (अप्रैल 2005) तथा ₹ 8.77 करोड़ (परियोजना लागत का 25 प्रतिशत) का मैचिंग अनुदान मुक्त किया गया। यदि सभी आवश्यक मदों को ध्यान में रखते हुए डी0पी0आर0 तैयार किया गया होता, तो बोर्ड ₹ 11.72 करोड़[16] का अनुदान प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार, परियोजना लागत के कम प्राक्कलन के कारण बोर्ड को भारत सरकार से ₹ 2.95 करोड़ का कम मैचिंग अनुदान प्राप्त हुआ।

बोर्ड ने प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा कहा कि उपर्युक्त परियोजना का निष्पादन बिहार में पहली बार हो रहा था तथा इसके लिए बोर्ड के पास अनुभव नहीं था। बोर्ड ने यह भी कहा कि विकसित प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखे बिना, पी0जी0सी0आई0एल0 द्वारा डी0पी0आर0 बोर्ड के परामर्श से तैयार किया गया।

- पी0जी0सी0आई0एल0 से अनुबन्ध करने के दौरान बोर्ड ने वित्तीय हित की सुरक्षा हेतु पी0जी0सी0आई0एल0 द्वारा संवेदकों से वसूल की गई परिसमाप्त हानि (लिक्विडेटेड डैमेजेस) को समायोजित करने हेतु एक उचित उप–वाक्य नहीं जोड़ा। चूँकि परियोजना में पहले ही 30 माह का विलम्ब हो चुका था अतः बोर्ड ने पी0जी0सी0आई0एल0 के साथ हुई अनुबन्ध में एल0डी0 शर्त के अभाव में ₹ 4.46 करोड़ (₹ 89.16 करोड़ का पाँच प्रतिशत) के दाम पर अपने संवेदको से पी0जी0सी0आई0एल0 द्वारा घटाए गए परिसमाप्त हानि को वसूलने का अवसर खो दिया।

 बोर्ड ने मूल्यांकन किया कि एल0डी0 के समायोजन का मुद्दा पी0जी0सी0आई0एल0 से उठाया गया है, तथा उनका उत्तर प्रतिक्षित है। तथापि, अनुबन्ध के अनुसार, पी0जी0सी0आई0एल0 संवेदको से वसूला गया एल0डी0 लौटाने के लिए उत्तरदायी नहीं था।

समुचित समन्वय एवं निम्न अनुश्रवण के कारण बोर्ड व्यय लागत को वास्तविक लागत तक सीमित नहीं कर सका जिसके फलस्वरूप ₹ 65.69 करोड़ की लागत वृद्धि हुई

- भारत सरकार ने ₹ 100.76 करोड़ का संशोधित परियोजना लागत संस्वीकृत किया (दिसम्बर 2006) तथा साथ ही निर्देश दिया कि ₹ 35.07 करोड़ की वास्तविक अनुमानित लागत के आधिक्य में व्यय की व्यवस्था स्वयं बोर्ड द्वारा की जाएगी। हमने प्रेक्षित किया कि बोर्ड पी0जी0सी0आई0एल0 द्वारा किए गए कार्य का समन्वयन एवं अनुश्रवण नहीं कर सका जिसके कारण ₹ 65.69 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

 बोर्ड ने कहा कि लागत वृद्धि का मुख्य कारण लागत में वृद्धि तथा आर0एम0यू0 स्ट्रीट लाईट व्यवस्था जैसे नए मदों को शामिल करना था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बोर्ड ने बोली लगाने की प्रक्रिया तथा संशोधित डी0पी0आर0 आदि की तैयारी में भाग नहीं लिया, फलस्वरूप, कार्य ₹ 89.17 करोड़ की लागत पर प्रदान किया गया जो कि संशोधित लागत का 158 प्रतिशत था।

15 (परियोजना लागत = ₹ 35.07 करोड + स्ट्रीट लाईटनींग का लागत + प्रवेश कर पर्यवेक्षण शुल्क)।

16 ₹ 46.88 करोड़ का 25 प्रतिशत।

3.8.2 ए0पी0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत चार अंचलों में प्रणाली मीटरिंग

बोर्ड ने आद्योपांत आधार पर चार विद्युत आपूर्ति अंचलों[17] में पी0एस0एस0 तथा डी0टी0आर0 तथा इससे संबंधित उपकरण हेतु प्रणाली मीटर की आपूर्ति संस्थापन तथा चालू करने का कार्यादेश मे0 सेक्योर मीटर्स लिमिटेड (संवेदक) को दिया। इसमें फीडर तथा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर मीटर से प्राप्त आंकड़े का संग्रहण तथा ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत विस्तृत विश्लेषण से ऊर्जा लेखांकन प्रतिवेदन की तैयारी भी शामिल थे। प्रणाली मीटरिंग का उद्देश्य टी0 एण्ड डी0 क्षति/ए0टी0 एण्ड सी0 क्षति की कमी, संपूर्ण प्रणाली अध्ययन, प्रणाली योजना तथा प्रचालन योजना एवं प्रबंधन के लिए निवारक उपाय करना था।

12091 मीटर की माँग की गई मात्रा के विरूद्ध, संवेदक ने 11844 मीटरों की आपूर्ति किया तथा ₹ 63.63 करोड़ के व्यय से केवल 11593 मीटर ही चालू किए गए।

डी0टी0आर0 पर संस्थापित मीटर के आँकड़ा संग्रहण कार्य का आदेश बोर्ड द्वारा केवल दो वर्षो के लिए बोर्ड द्वारा चालू किए जाने वाले दिन तथा सौपे जाने वाले दिन से दिया गया। तद्नुसार संवेदक को 10200 मीटर से संबंधित आँकड़े जुटाना था। तथापि संवेदक ने केवल 9830 मीटर से आँकड़े एकत्रित किया। आँकड़ा संग्रहण तथा इसके विश्लेषण में बोर्ड द्वारा किया गया व्यय ₹ 5.58 करोड़ था।

हमने प्रेक्षित किया कि :–

- प्रणाली मीटरिंग का एक प्रमुख उद्देश्य ही टी0 एण्ड डी0 क्षति कम करना था। डी0टी0आर0 मीटर के संस्थापन के अतिरिक्त टी0 एण्ड डी0 क्षति में कोई सुधार नहीं हुआ। इन चार आपूर्ति अंचलों में जहाँ परियोजना का कार्यान्वयन हुआ, वर्ष 2008–09 से 2009–10 की अवधि के दौरान टी0 एण्ड डी0 क्षति का परास 41.91 प्रतिशत तथा 47.43 प्रतिशत के बीच रहा।

प्रणालीगत मीटरों के संस्थापन में ₹ 69.21 करोड़ व्यय करने के बावजूद बोर्ड विचार किए हुए लाभों को नहीं उठा सका

- आपूर्तिकर्त्ता बोर्ड को आँकड़ो का विश्लेषण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुका था जो बोर्ड को लाभ प्रदान कर सकता था क्योंकि खराब डी0टी0आर0 का परास 23 प्रतिशत तथा 28 प्रतिशत के बीच रहा। जनवरी 2009 से फरवरी 2010 के दौरान अंडर–लोडेड डी0टी0आर0 का परास सात प्रतिशत तथा 32 प्रतिशत के बीच रहा तथा ओवर लोडेड डी0टी0आर0 का परास 23 प्रतिशत तथा 28 प्रतिशत के बीच रहा। इस प्रकार ₹ 69.21 करोड़ के व्यय करने के पश्चात भी बोर्ड वांछित लाभ को प्राप्त नहीं कर सका।

- सितम्बर 2010 में संवेदक द्वारा आँकड़ा संग्रहण तथा इसका विश्लेषण रोक दिया गया। तब से बोर्ड द्वारा आँकड़े संग्रहित नहीं किए गए जिससे ऊर्जा लेखांकन बुरी तरह प्रभावित हो गया।

बोर्ड ने लेखा परीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा कहा कि डाटा संग्रहण तथा विश्लेषण हेतु पर्याप्त कर्मचारी एवं अधिकारियों की आवश्यकता थी जो आद्योपांत आधार पर डाटा संग्रहण का कार्य तथा इसका विश्लेषण का बर्हिस्त्रोतन (आउटसोर्सिंग) के बाद भी नहीं किया गया।

[17] पेसू (पूर्व), पेसू (पश्चिम), पटना तथा मुजफ्फरपुर ।

3.9 पुर्नगठित त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम

भारत सरकार ने राज्य सरकारों के जरिए ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की प्रभावन क्षमता के लिए त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम (ए0पी0डी0आर0पी0) को अनुमोदित किया। यह योजना राज्य सरकार के जरिए ऊर्जा लेखांकन करने तथा मीटरिंग सहित सब–ट्रांसमिशन तथा वितरण प्रणाली के उन्नयन हेतु कियान्वित किया गया, जिसके लिए वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई।

सुधार प्रक्रिया आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ग्यारहवीं योजना हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में जुलाई 2008 में पुर्नगठित ए0पी0डी0आर0पी0 (आर0ए0पी0डी0आर0पी0) आरम्भ किया। आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत परियोजनाएँ दो भागों में ली जानी थी – भाग–क तथा भाग–ख।

भाग–क स्काडा[18] / वितरण प्रबंधन प्रणाली के संस्थापन के अतिरिक्त सभी शहरों में विश्वसनीय तथा प्रमाणनीय बेस–लाईन डाटा सिस्टम प्राप्त करने के लिए आई0टी0 समर्थित प्रणाली की स्थापना को समर्पित था। इसके लिए 100 प्रतिशत ऋण प्रदान किया जाना था। तीसरी पार्टी स्वतंत्र मुल्यांकन करने वाली अभिकर्त्ताओं के द्वारा सिस्टम के सत्यापन तथा पूर्ण होने पर ऋण अनुदान में परिवर्तनीय था। योजना का भाग–ख का संबंध नियमित सब–ट्रांसमिशन तथा वितरण का सुदृढ़ीकरण तथा परियोजना के उन्नयन से है।

इसका इरादा शहरी क्षेत्र 30,000 से अधिक जनसंख्या के नगर तथा महानगर (विशिष्ट श्रेणी राज्यों के संबंध में 10,000) को सम्मिलित करना था। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट लोड के खास उच्च लोड घनत्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषीय फीडर से घरेलू तथा औद्योगिक फीडर पृथक करने का कार्य तथा उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (11 के0वी0) भी लिए जाने की आवश्यकता थी। साथ ही, शहर / क्षेत्रों के संबंध में जिसके लिए दसवीं योजना में परियोजनाएँ स्वीकृत है, आर0ए0पी0डी0आर0पी0 को ग्यारहवीं योजना हेतु विचार केवल पूर्व संस्वीकृत परियोजनाओं के पूर्णता अथवा अंशकालीन समाप्ति के बाद ही जाना था।

भाग–क के अर्न्तगत ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने बिहार के 71 शहरों से संबंधित परियोजनाओं हेतु ₹ 253.68 करोड़ का परिव्यय संस्वीकृत किया (दिसम्बर 2009) जिसमें ऊर्जा–शक्ति वित्त निगम (पी0एफ0सी0) के जरिए संवितरण किए जानेवाले ₹ 194.58 करोड़ का ऋण शामिल था तथा शेष ₹ 59.10 करोड़ बोर्ड / बिहार सरकार द्वारा वित्तपोषण किया जाना था। पी0एफ0सी0 ने ₹ 58.37 करोड़ तथा बिहार सरकार ने ₹ 10 करोड़ क्रमशः मार्च 2010 तथा मार्च 2011 में मुक्त किया।

3.9.1 वित्तीय निष्पादन

भारत सरकार द्वारा (पी0एफ0सी0 के जरिए) बोर्ड के मद में मुक्त की गई निधि, उपयोगिता तथा अधिशेष निम्न वर्णित है:–

[18] सुपरवाईसरी कन्ट्रोल एण्ड डाटा एक्विजिशन का सामान्यतः तात्पर्य औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली तथा कम्प्यूटर प्रणाली से है जो औद्योगिक, आधारभूत संरचना अथवा व्यवस्था आधारित प्रक्रियाओं का अनुश्रवण एवं नियंत्रण करता है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अंत शेष	भारत सरकार द्वारा मुक्त की गई निधि	बिहार सरकार द्वारा मुक्त की गई निधि	उपयोग की गई निधि	शेष	उपलब्ध निधि से उपयोग की गई निधि की प्रतिशतता
2009-10	0	58.37	-	0	58.37	शून्य
2010-11	58.37	0	10.00	12.31	56.06	18

हमने प्रेक्षित किया कि वर्ष 2009–11 की अवधि के दौरान योजना के अन्तर्गत प्राप्त ₹ 68.37 करोड़ की राशि में ₹ 12.31 करोड़ ही उपयोग किया जा सका जिसका कारण योजना के गतिविधियों का समकालिक नहीं करना था।

आई0टी0 समर्थित प्रणाली की स्थापना

3.9.2 आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना का भाग–क आई0टी0 समर्थित प्रणाली की स्थापना तथा स्काडा/वितरण प्रबंधन प्रणाली (डी0एम0एस0) को समर्पित था।

भारत सरकार द्वारा निश्चित समयबद्धता के अनुसार, बोर्ड को परियोजना का भाग–क की संस्वीकृति की तिथि से तीन माह के अंदर अर्थात मार्च 2010 तक आई0टी0 कार्यान्वयन अभिकर्त्ता (आई0टी0आई0ए0) को नियुक्त करना था तथापि, यह नौ माह के विलम्ब से जनवरी 2011 में ₹ 159.89 करोड़ में मे0 स्पैनको से निष्पादित किया गया।

परियोजना की नियत पूर्णता मई 2012 निर्धारित थी अर्थात आशय पत्र (एल0ओ0आई0) के तिथि से 18 माह।

बोर्ड ने कहा कि आई0टी0आई0ए0 की नियुक्ति में विलम्ब का मुख्य कारण मूल्य की बोली शुरू करने में पी0एफ0सी0 द्वारा दिया गया रोक आदेश था।

स्काडा/डी0एम0एस0 परियोजना के कार्यान्वयन हेतु, दिसम्बर 2009 में पी0एफ0सी0 द्वारा बोर्ड को प्रस्ताव हेतु प्रस्ताव अनुरोध तथा डी0पी0आर0 सांचा उपलब्ध कराया गया। बोर्ड ने सात माह बीत जाने के पश्चात् स्काडा/डी0एम0एस0 परामर्शी के चयन हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध आमंत्रित किया (अगस्त 2010)। 15 माह बीत जाने के पश्चात् अप्रैल 2011 में परियोजना डी0पी0आर0 को पी0एफ0सी0 के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो नवम्बर 2011 में अनुमोदित हुआ।

बोर्ड ने कहा कि परियोजना में विलम्ब का कारण पी0एफ0सी0/ऊर्जा मंत्रालय नियंत्रण तथा आर0ए0पी0डी0आर0पी0 दिशा–निर्देशों द्वारा प्रक्रियात्मक विलम्ब के हो गया था।

ऋण के शासकीय संस्वीकृत अनुबन्ध के शर्तों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत ₹ 194.58 करोड़ की राशि का ऋण तब तक अनुदान में परिवर्तित नहीं होगा, जब तक बोर्ड दिसम्बर 2012 तक सभी चिह्नित शहरों में परियोजनाएँ पूर्ण कर लेता है। चूँकि परामर्शदाताओं के चयन में आरम्भ से ही विलम्ब था नियत अवधि में परियोजनाओं के पूर्ण होने से ऋण के अनुदान में परिवर्तन होने की सम्भावना काफी कम था।

3.9.3 सब–ट्रांसमिशन तथा वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

योजना का भाग–ख नियमित सब–ट्रांसमिशन तथा वितरण प्रणाली के उन्नयन से भी संबंधित है। योजना का मुख्य लक्ष्य संधारणीय आधार पर कुल तकनीकी तथा आर्थिक (ए0टी0 एण्ड सी0) क्षति को कम करना तथा वितरण को सुदृढ़ करना था। लागत की 25 प्रतिशत तक की निधि भारत सरकार द्वारा ऋण के रूप में प्रदान की जानी थी तथा शेष 75 प्रतिशत की व्यवस्था बोर्ड द्वारा वित्तीय संस्थानों/ऊर्जा–शक्ति वित्त निगम से की जानी थी। निर्दिष्ट समय में परियोजना की पूर्णता, पाँच वर्षो तक इसका अनुरक्षण तथा ए0टी0 एण्ड सी0 क्षति हेतु तय 15 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने पर ब्याज सहित ऋण का 50 प्रतिशत तक अनुदान में परिवर्त्तनीय था।

आर0ए0पी0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत भाग–ख परियोजना के कार्यान्वयन हेतु, डी0पी0आर0 सांचा पी0एफ0सी0 द्वारा बोर्ड को अक्टूबर 2009 में उपलब्ध कराया गया। तथापि, 18 माह बीत जाने के पश्चात बोर्ड ने पी0एफ0सी0 को परियोजनाओं का डी0पी0आर0 अप्रैल 2011 में प्रस्तुत किया जिसका अनुमोदन नवम्बर 2011 में हुआ।

3.9.4 उपभोक्ता मीटरीकरण

आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के कई उद्देश्यों में 100 प्रतिशत मीटर लगाने का एक उद्देश्य प्राप्त करना था। तदनुसार, वैसे उपभोक्ताओं जिनका मीटर नहीं लगाया गया था, के मीटर लगाने का कार्य तथा दोषपूर्ण मीटर को बदलने का कार्य आरंभ होना था। बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं के मीटर लगाने के कार्य का प्रगति अत्यंत धीमा था। ए0पी0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत 16 अंचलों के बजाय मीटर लगाने का कार्य 12 अंचलों में प्रारंभ हुआ (2008–09)। 12 अँचलों में से आठ में कार्य पी0जी0सी0आई0एल0 द्वारा तथा शेष चार में बोर्ड द्वारा आरम्भ किया गया। राज्य में सभी उपभोक्ताओं (विभिन्न श्रेणियों के) के मीटर लागाने की उपलब्धि **परिशिष्ट–15** में प्रदर्शित है। बोर्ड द्वारा किसी वर्ष में भी उपभोक्ताओं के मीटर संस्थापन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया, निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान लक्ष्य के विरूद्ध संस्थापित वास्तविक मीटर का परास केवल 26.59 प्रतिशत तथा 36.6 प्रतिशत के बीच रहा। मीटर लागाने की उपलब्धि में कमी का कारण मीटर की प्राप्ति में विलम्ब होना था।

बोर्ड ने उत्तर दिया कि दोषपूर्ण तथा इलेक्ट्रो–मैग्नेटिक मीटरों का इलेक्ट्रॉनिक मीटरों में प्रतिस्थापन की प्रक्रिया चल रही थी तथा बिना इलेक्ट्रॉनिक मीटर के नए कनेक्शन नहीं दिए जा रहे थे। बोर्ड का उत्तर 10.24 लाख मीटर रहित उपभोक्ता तथा 1.28 लाख दोषपूर्ण मीटर वाले उपभोक्ता से संबंधित शत प्रतिशत मीटर लगाने हेतु समय सीमा को संबोधित नहीं करता है।

3.10 प्रचालन क्षमता

बोर्ड का प्रचालन निष्पादन वितरण हेतु पर्याप्त ऊर्जा की उपलब्धता, वितरण नेटवर्क की पर्याप्तता तथा विश्वसनीयता, लाईन क्षति न्यूनतम करना, बिजली की चोरी का अभिज्ञान इत्यादि के आधार पर आँका जाता है। इन पहलुओं पर नीचे समीक्षा की गई है।

3.10.1 ऊर्जा–शक्ति का क्रय

राज्य में ऊर्जा की माँग बढ़ती रही थी। बोर्ड द्वारा राज्य के ऊर्जा–शक्ति की आवश्यकता पूर्व अधिकतम माँग तथा केंद्रीय क्षेत्र से ऊर्जा–शक्ति की उपलब्धता के आधार पर तय की जाती है। बोर्ड प्रक्षेप तैयार करता है तथा अनुमोदन के लिए इसे बी0ई0आर0सी0 को प्रस्तुत करता है। ऊर्जा–शक्ति की आवश्यकता लगभग क्रय (उत्पादन नगण्य होने के कारण) के जरिए पूर्ति की गई ।

17 इलेक्ट्रिक ऊर्जा–शक्ति सर्वेक्षण (ई0पी0एस0) के प्रतिवेदन पर आधारित राज्य के लिए निर्धारित ऊर्जा–शक्ति की माँग, बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) द्वारा अनुमोदित ऊर्जा–शक्ति का क्रय तथा वर्ष 2006–07 से 2010–11 के अवधि के दौरान क्रय किया गया वास्तविक ऊर्जा–शक्ति का विवरण नीचे दर्शाया गया है :

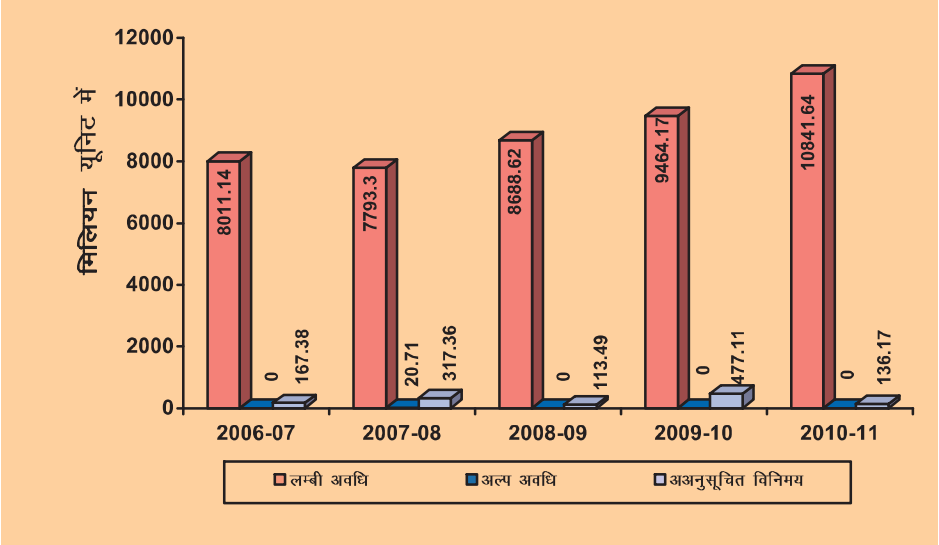
(इकाई मिलियन में)

वर्ष	17 इ0पी0एस0 में निर्धारित माँग	बोर्ड द्वारा निर्धारित तथा बी0ई0आर0सी0 द्वारा अनुमोदित क्रय	क्रय किया गया वास्तविक ऊर्जा–शक्ति	ऊर्जा–शक्ति स्फीति	अनुमोदित क्रय के आधिक्य / कमी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2 – 4)	(6) = (3 – 4)
2006-07	9629.00	7188.00	8178.52	1450.48	(+) 990.52
2007-08	11134.00	8080.00[19]	8131.37	3002.63	(+) 51.37
2008-09	12874.00	8790.00	8802.11	4071.89	(+) 12.11
2009-10	14886.00	9247.00[19]	9941.28	4944.72	(+) 694.28
2010-11	17213.00	10170.00	10977.81	6235.19	(+) 807.81

यद्यपि, बोर्ड द्वारा प्रक्षिप्त विद्युत–शक्ति की मात्रा का अनुमोदन बी0ई0आर0सी0 कर रहा था तथपि ई0पी0एस0 में निर्धारित माँग के विरूद्ध बोर्ड द्वारा प्राप्त वास्तविक ऊर्जा–शक्ति हमेशा निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान न्यूनतम था। नियत ऊर्जा–शक्ति क्रय आवश्यकता ए0आर0आर0में प्रस्तुत किया गया परन्तु वर्ष 2006–11 के दौरान राज्य को ऊर्जा–स्फीति घाटा का सामना करना पड़ा जबकि क्रय किया गया वास्तविक ऊर्जा–शक्ति बी0ई0आर0सी0 द्वारा अनुमोदित ऊर्जा–शक्ति से हमेशा अधिक रहा। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान बी0ई0आर0सी0 द्वारा अनुमोदित ऊर्जा–शक्ति क्रय 2556.09 मि0यू0 ऊर्जा–शक्ति अधिक क्रय हुआ।

उपर्युक्त क्रय हेतु, आवश्यकता आधार पर अनुसूचित विनिमय (यू0आई0) प्राप्ति के अतिरिक्त बोर्ड ने केंद्रीय सा0क्षे0उ0, आई0वी0वी0 जैसे विभिन्न अभिकर्त्ताओं के साथ लंबी अवधि हेतु ऊर्जा–शक्ति क्रय अनुबन्ध में शामिल हुआ। इन श्रेणियों में क्रय किए गए कुल ऊर्जा–शक्ति (जैसा कि पूर्व तालिका में उल्लेखित है) का विवरण निम्नलिखित है:

[19] वर्ष हेतु टैरिफ बी0ई0आर0सी0 द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।



दीर्घकालीन ऊर्जा क्रय लागत के विरूद्ध यू0आई0 के अन्तर्गत ऊर्जा–शक्ति के आहरण से बोर्ड ने ₹ 254.26 करोड़ का अधिव्यय किया

वर्ष 2007–08 में बोर्ड ने अल्प अवधि ऊर्जा–शक्ति क्रय व्यवस्था के द्वारा केवल 20.71 एम0यू0 ऊर्जा–शक्ति का क्रय किया। दीर्घ अवधि ऊर्जा–शक्ति क्रय ऊर्जा–शक्ति का मुख्य स्त्रोत था जिसका परास 95.20 प्रतिशत (2009–10) तथा 98.74 प्रतिशत (2010–11) के बीच रहा। निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ऊर्जा–शक्ति का स्त्रोत–वार क्रय **परिशिष्ट–16** में दिया गया है। बोर्ड ने सभी वर्षो में नियत आवंटन से अधिक ऊर्जा–शक्ति प्राप्त किया, जिसका परास वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान क्रय किए गए कुल ऊर्जा–शक्ति का 1.26 प्रतिशत तथा 4.80 प्रतिशत के बीच रहा। यू0आई0 शुल्क का औसत वार्षिक दर का परास ₹ 3.43/यूनिट तथा ₹ 5.17/ यूनिट के बीच रहा। इस प्रकार, वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान की दीर्घ अवधि ऊर्जा–शक्ति क्रय लागत के विरूद्ध बोर्ड को 1211.51 एम0यू0 की यू0आई0 के अन्तर्गत ऊर्जा–शक्ति की प्राप्ति पर ₹ 254.26 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

ऊर्जा–शक्ति संबंधी अन्य प्रेक्षण

3.10.2. ₹ 20.95 करोड़ के यू0आई0 शुल्क का विलम्ब से भुगतान पर दण्डात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान

यू0आई0 शुल्क का भुगतान समय पर नहीं करने के फलस्वरूप ₹ 20.95 करोड़ के दण्डात्मक ब्याज का भुगतान हुआ

बोर्ड ने ऊर्जा–शक्ति मुख्यतः केंद्रीय क्षेत्र ऊर्जा–शक्ति उत्पादन करने वाली इकाईयों के जरिए संघ सरकार द्वारा आवंटित कोटा से क्रय (यू0आई0) द्वारा अनुसूचित आवंटन से भी प्राप्त किया। यू0आई0 द्वारा प्राप्त ऊर्जा–शक्ति का विपत्र साप्ताहिक आधार पर पूर्वी क्षेत्र ऊर्जा–शक्ति समिति (ई0आर0पी0सी0) के द्वारा तैयार किया जाना था जिसमें शर्त यह थी कि विपत्र तैयार किए गए दिन से 10 दिनों के भीतर भुगतान होना चाहिए था। यदि इसमें चूक हो तो प्रत्येक दिन बकाए राशि पर 0.04 प्रतिशत की दर से दण्डात्मक ब्याज देय होगा।

हमने प्रेक्षित किया कि वर्ष 2008–09 से 2010–11 की अवधि के दौरान अनुसूचित आवंटन की अपेक्षा बोर्ड ने अधिक ऊर्जा शक्ति का आहरण किया। बोर्ड ने यू0आई0 शुल्क का ससमय भुगतान नहीं किया जिसके फलस्वरूप वर्ष 2008–09

से 2010–11 की अवधि के दौरान ₹ 20.95 करोड़[20] दण्डात्मक ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

बोर्ड ने कहा कि नवम्बर से मई के दौरान ऊर्जा–शक्ति की निम्न उपलब्धता तथा ऊर्जा–शक्ति की माँग की पूर्ति करने के कारण यू0आई0 से अधिक ऊर्जा–शक्ति प्राप्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा था।

3.10.3 ऊर्जा–शक्ति के क्रय पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय – ₹ 5.65 करोड़

वर्ष 2007–08 के दौरान (अक्टूबर से नवम्बर) बोर्ड ने क्रय हेतु निविदा बिना आमंत्रित किए त्योहार अवधि के दौरान आपात के आधार पर एन0टी0पी0सी0 विद्युत व्यापार निगम (एन0वी0वी0एन0) (एन0टी0पी0सी0 कायमकुलम, केरल से आपूर्तित) से अल्पकालीन व्यवस्था के तौर पर 789.61 पैसे/के0डब्लू0एच0 की दर से 20.71 मि0यू0 ऊर्जा का क्रय किया।

यू0आई0 सस्ती ऊर्जा–शक्ति निकासी की अपेक्षा एन0वी0वी0एन0 के ऊर्जा–शक्ति का क्रय ₹ 5.65 करोड़ के परिहार्य भुगतान में परिणत हुआ

हमने प्रेक्षित किया कि आवश्यक ऊर्जा–शक्ति की पूर्ति यु0आई0 के द्वारा भी की जा सकती थी जो कि एन0वी0वी0एन0 से क्रय की गई (789.61 पैसे/के0डब्लू0एच0 की दर से) ऊर्जा–शक्ति से सस्ती थी (वर्ष 2007–08 के दौरान 517 पैसा/यूनिट का औसत दर)। इसके कारण ₹ 5.65[21] का परिहार्य भुगतान हुआ।

बोर्ड ने कहा कि अक्टूबर तथा नवम्बर माह के दौरान विद्युत–शक्ति की उपलब्धता अत्यंत निम्न थी। ग्रिड सिस्टम में कम विद्युत–शक्ति तथा अत्यंत निम्न आवृति के कारण, यू0आई0 दर काफी अधिक थी। बोर्ड ने यह भी कहा कि यू0आई0 के अन्तर्गत विद्युत शक्ति प्राप्त करने पर निर्भरता आपातकाल आवश्यकता के दौरान विद्युत–शक्ति प्राप्त करने का ठोस निश्चयात्मकता नहीं था।

उत्तर सही नहीं था क्योंकि बोर्ड ने यू0आई0 द्वारा क्रय की तुलना में अल्प अवधि द्वारा विद्युत–शक्ति के क्रय के प्रभाव का विश्लेषण नहीं किया जिससे परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

3.11 सब–ट्रांसमिशन तथा वितरण क्षति

वितरण प्रणाली ऊर्जा–शक्ति उत्पादन स्त्रोत तथा विद्युत–शक्ति के अंकित उपभोक्ता के बीच एक महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य कड़ी है। प्रणाली के कुशल कियान्वयन हेतु, यह सुनिश्चित होनी चाहिए कि सब–ट्रांसमिशन तथा विद्युत–शक्ति के वितरण में क्षति न्यूनतम हो। जहाँ ऊर्जा उत्पादन स्त्रोत से उपभोक्ता तक पहुँचाई जाती है, वहीं कुछ ऊर्जा नेटवर्क में नष्ट हो जाती है। 33 के0वी0 स्तर तक की क्षति सब–ट्रांसमिशन क्षति के रूप में जानी जाती है तथा 11 के0वी0 स्तर अथवा उससे नीचे की क्षति को वितरण क्षति के नाम से जाना जाता है। ये बोर्ड द्वारा प्राप्त ऊर्जा (जिसके लिए भुगतान किया गया) तथा उपभोक्ताओं को निर्गत किए गए ऊर्जा विपत्र के अंतर पर आधारित है। उपलब्ध ऊर्जा–शक्ति के हानि की प्रतिशतता वितरण प्रणाली की प्रभावशीलता दर्शाती है। हानियाँ मुख्यतः दो कारणों से होती है – तकनीकी तथा वाणिज्यिक।

[20] 2008-09= ₹ 9.66 करोड़, 2009-10 = ₹ 10.68 करोड़ एवं 2010-11 में = ₹ 0.61 करोड़।

[21] 20710000 यूनिट्स X (₹ 7.8961–₹ 5.17 (अवधि के दौरान यू0आई0 शुल्क का औसत दर) = ₹ 56457531।

विद्युत–शक्ति संचरण तथा वितरण करने हेतु प्रयोग की गई अन्तर्भूत प्रकार के उपकरण तथा संवाहको (कंडक्टर) जिसके जरिए ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजा जाता है, में प्रतिरोध के कारण तकनीकी हानियाँ होती हैं। दूसरी ओर, ऊर्जा की चोरी, दोषपूर्ण मीटर तथा बिना मीटर के विद्युत आपूर्ति के कारण वाणिज्यिक क्षति होती है।

निम्नलिखित तालिका 2010–11 तक गत पाँच वर्षो में बोर्ड की ऊर्जा हानि को प्रदर्शित करता है:

(मिलियन यूनिट्स में)

क्र0 सं0	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1.	विक्रय हेतु उपलब्ध निवल ऊर्जा–शक्ति	7914.92	7961.30	8584.69	9836.58	10882.86
2.	विक्रय की गई ऊर्जा–शक्ति	4541.68	4851.56	5324.64	6067.22	6139.14
3.	ऊर्जा–शक्ति हानियाँ	3373.24	3109.74	3260.05	3769.36	4743.72
4.	ऊर्जा–शक्ति हानियों की प्रतिशतता (प्रतिशत) {(3/1)x100}	42.62	39.06	38.00	38.32	43.59
5.	बी0ई0आर0सी0 द्वारा अनुमत्य हानियों की प्रतिशतता (प्रतिशत)	41.40	38.00	38.00	35.00	32.00
6.	आधिक्य हानियाँ (मि0यू0 में)	96.46	84.44	0.00	326.56	1261.20
7.	प्रति यूनिट [22] औसत वसूली दर (₹ में)	2.75	2.96	3.11	3.03	3.87
8.	अधिक्य हानियों का मूल्य (₹ करोड़ में) (6x7)	26.53	24.99	0.00	98.95	488.08

यद्यपि, ऊर्जा हानि की प्रतिशतता वर्ष 2006–07 में 42.62 से घटकर वर्ष 2008–09 में 38.00 हो गई, तथापि, स्थिति तद्नन्तर बिगड़ती गई तथा यह वर्ष 2010–11 में अचानक बढ़कर 43.59 प्रतिशत हो गया। सिवाय वर्ष 2008–09 के बोर्ड बी0ई0आर0सी0 द्वारा निर्दिष्ट सीमा में टी0 एण्ड डी0 हानि को कम नहीं कर सका। वर्ष 2006–11 की अवधि के दौरान 1768.66 एम0यू0 ऊर्जा की हानि हुई। इसके कारण बोर्ड को ₹ 638.55 करोड़ की क्षति उठानी पड़ी। बोर्ड को वित्तीय रूप से आत्म–संतोषित बनाने के लिए हानि में कमी करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम था। हानि कम करने का महत्व इस तथ्य से आँका जा सकता है कि हानि में एक प्रतिशत कम होने से बोर्ड को वार्षिक ₹ 42.12[23] करोड़ की आय में वृद्धि हो सकती थी। ऐसी उच्च ऊर्जा हानि का मुख्य कारण पी0एस0एस0/डी0एस0एस0 में संधारित्र(कैपेसिटर) बैंक का संस्थापन नहीं होना, निम्न विद्युत–शक्ति उपकरण, गैर मीटर वाले उपभोक्ताओं की उच्च प्रमात्रा, बिजली की चोरी इत्यादि था।

22 जैसे कि बोर्ड द्वारा अंगीकार किया गया था।

23 10882.82 एम0यू0 का एक प्रतिशत = ₹ 108.83 एम0यू0
2010–11 में प्राप्ति का औसत दर = ₹ 3.87 प्रति यूनिट
हानि = 108.83 एम0यू0 x ₹ 3.87 प्रति यूनिट = ₹ 42.12 करोड़।

3.11.1 वितरण ट्रांसफॉर्मरों का निष्पादन

डी0टी0आर0 की खराबी के लिए न तो बोर्ड ने और न ही बी0ई0आर0सी0 ने कोई मानक तय किया। खराब हुए वास्तविक डी0टी0आर0 की कुल संख्या तथा उनके मरम्मत पर हुए व्यय को नीचे प्रदर्शित किया गया है:

क्रम सं0.	विवरणी	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1.	वर्ष के अंत में विद्यमान डी0टी0आर0 (संख्या में)	35821	37276	39228	41249	43491
2.	डी0टी0आर0 खराबी (संख्या में)	3727	4050	4696	6022	7597
3.	खराबी की प्रतिशतता	10.40	10.86	11.97	14.60	17.46
4.	खराब डी0टी0आर0 की मरम्मती पर व्यय (₹ करोड़ में)	5.52	5.87	8.50	11.62	17.58

विगत वर्षो में खराब डी0टी0आर0 की संख्या लगातार बढ़ रही थी। डी0टी0आर0 की खराबी की प्रतिशतता भी वर्ष–दर–वर्ष बढ़ रही थी जिसका परास कुल संस्थापित डी0टी0आर0 के 10.40 तथा 17.46 प्रतिशत के बीच था। डी0टी0आर0 की खराबी को सुरक्षात्मक रख–रखाव द्वारा तथा ओवर लोडिंग कम कर किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त हमने पाया कि डी0टी0आर0 की खराबी का विश्लेषण बोर्ड द्वारा नहीं किया गया। बोर्ड द्वारा डी0टी0आर0 की खराबी के लिए तैयार की गई तकनीकी प्रतिवेदन प्रमाणिक तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि लगभग सभी प्रतिवेदनों में डी0टी0आर0 की खराबी का मुख्य कारण आंतरिक दोष दर्ज था। तथपि, डी0टी0आर0 की खराबी के कारणों में ओवरलोडिंग, ट्रांसफॉर्मर तेल की कमी, लाईटनिंग अरेस्टर का संस्थापन नहीं होना, सम्मिलित थे।

बोर्ड ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा कहा कि अन्य राज्य उपयोगिताओं की तुलना में डी0टी0आर0 खराबी की बढ़ती दर को रोकने के लिए क्षेत्र अधिकारियों को प्रचालन तथा अनुरक्षण नियमावली (मैनुअल) का अनुसरण करने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं।

3.11.2 वितरण ट्रांसफॉर्मर के मरम्मती में विलम्ब

बोर्ड अपने ट्रांसफॉर्मर मरम्मत वर्कशॉप (टी0आर0डब्लू0) के जरिए क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मर के मरम्मत का बीड़ा उठाती है, जहाँ आवश्यक सामग्री की आपूर्ति बोर्ड द्वारा की जाती है तथा श्रम कार्य विभिन्न अभिकर्त्ताओं को आउटसोर्स किया गया है। बोर्ड द्वारा टी0आर0डब्लू0 के लिए मरम्मत किए गए ट्रांसफॉर्मर की वापसी हेतु समय–सीमा तय नहीं की गई थी। दो टी0आर0डब्लू0 (पटना तथा मुजफ्फरपुर) के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान खराब हुए डी0टी0आर0 की मरम्मती पर लगे समय का परास एक माह से चार वर्ष से अधिक था। इसके अतिरिक्त, क्रयादेश के सामान्य नियम एवं शर्तों के अनुसार, आपूर्तिकर्त्ता को आपूर्ति के दिनांक से दो वर्षों के लिए डी0टी0आर0 का निष्पादन अथवा संस्थापन के दिनांक से 18 माह की जो भी पहले हो की गारंटी देनी थी। बोर्ड ने गारंटी अवधि के दौरान खराब हुए डी0टी0आर0 को बदलने/मरम्मत कराने के लिए कोई समय–सीमा तय नहीं किया। तथापि, हमने निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान पाया कि, गारंटी अवधि में 120 डी0टी0आर0 खराब हो गए। इनमें से 112 डी0टीआर0 दो से 237 दिनों की अवधि के बाद बदल दिया गया/मरम्मत

किया गया, जबकि आठ डी0टी0आर0 पाँच माह से तीन वर्ष बीत जाने के पश्चात भी मरम्मत/बदलने हेतु प्रतीक्षित थे। तथापि, डी0टी0आर0 की मरम्मती में हुए विलम्ब से बचने के लिए बोर्ड द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई जिससे बोर्ड के प्रचालन पर बुरा प्रभाव पड़ा।

बोर्ड ने उत्तर दिया कि ट्रांसफॉर्मर की मरम्मती के लिए आवश्यक मैचिंग सामग्री की उपलब्धता नहीं होने के कारण कभी–कभी विलम्ब हो जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विलम्ब का परास चार वर्षों तक था। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने यह भी कहा कि गारंटी अवधि के अन्तर्गत खराब हुए ट्रांसफॉर्मर सफलतापूवर्क संबंधित आपूर्तिकर्त्ता द्वारा बदल दिए गए हैं, जो वस्तुतः सही नहीं थे क्योंकि ट्रांसफॉर्मर को बदलने में 237 दिनों तक की देरी हुई तथा कुछ ट्रांसफॉर्मरों को तीन वर्ष बीत जाने के पश्चात भी बदले नहीं गए।

3.11.3 संधारित्र (कैपेसिटर) बैंक

संधारित्र बैंक विद्युत धारा प्रवाह तथा वोल्टेज विनियमन को विनियमित कर ऊर्जा–शक्ति कारक (पॉवर फैक्टर) को सुधारती है। सामान्य से कम वोल्टेज होने की स्थिति में, उपर्युक्त क्षमता के संधारित्र बैंक प्रदान कर स्थिति को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि यह वोल्टेज की रूपरेखा में सुधार लाता है, तथा काफी हद तक ऊर्जा के अपव्यय को कम करता है जिससे ऊर्जा हानि में बचत होती है। संधारित्र बैंक ऊर्जा की बचत अपने क्षमता की 0.04959 एम0यू0 प्रति एम0वी0ए0आर0 (मेगा वोल्ट एम्पीयर रियक्टिव पावर) तक करता है।

वितरण प्रणाली में कैपेसिटर बैंक के संस्थापन नहीं होने के फलस्वरूप बोर्ड को विचार किए गए 20.01 एम0यू0 ऊर्जा बचत की क्षति हुई जिसका मूल्य ₹ 6.09 करोड़ था

हमने प्रेक्षित किया कि बोर्ड द्वारा वार्षिक योजना नहीं की गई थी। यद्यपि वर्ष 2006–07 के दौरान बोर्ड ने प्रमण्डलीय शहरों के सभी डी0टी0आर0 के एल0टी0 की ओर 320 एम0वी0ए0आर0 की लक्षित वृद्धि सहित 2600 संधारित्र (200 के0वी0ए0आर0 के 600 तथा 100 के0वी0ए0आर0 के 2000) तथा पटना के आठ पी0एस0एस0 में 83.56 एम0वी0ए0आर0 की लक्षित वृद्धि सहित 22 संधारित्र संस्थापित करने का निर्णय लिया, परन्तु बोर्ड द्वारा लक्षित विद्युत–शक्ति की बचत पर विचार नहीं किया गया। संधारित्र बैंकों के लक्षित संस्थापन की नियत पूर्णता मार्च 2009 तक होनी थी। इसके अतिरिक्त हमने प्रेक्षित किया कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई (2007–08) ₹ चार करोड़ की निधि के अतिरिक्त निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बोर्ड ने वितरण प्रणाली में कोई संधारित्र बैंक संस्थापित नहीं किया। इस प्रकार, बोर्ड को 20.01 एम0यू0[24] की ऊर्जा बचत की क्षति हुई जिसका मूल्य ₹ 6.09 करोड़ था।

3.11.4 वाणिज्यिक हानियाँ

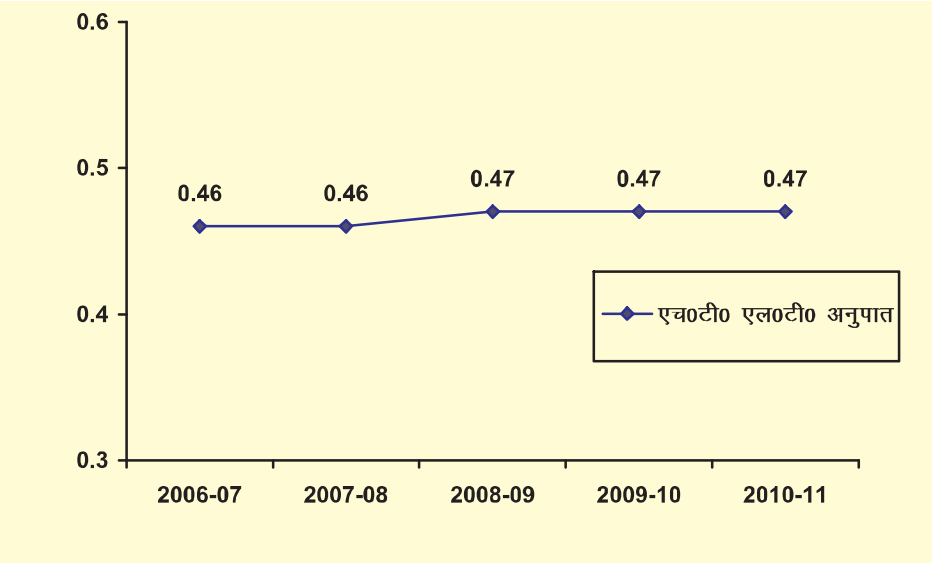
अधिकतर वाणिज्यिक हानियाँ उपभोक्ता के मीटरीकरण, विपत्रीकरण तथा ऊर्जा की चोरी से संबंधित है। आर0ए0पी0डी0पी0 योजना के कार्यान्वयन के अन्तर्गत मीटर लगाने तथा विपत्रीकरण जैसे पहलुओं को रखा गया है जबकि विपत्रीकरण की दक्षता तथा वाणिज्यिक हानियों से संबंधित अन्य प्रेक्षणों की समीक्षा नीचे की गई है:

3.11.5 एल0टी0 रहित प्रणाली का कार्यान्वयन

उच्च वोल्टता वितरण प्रणाली तकनीकी हानियों, चोरी पर रोक, बेहतर वोल्टता रूपरेखा तथा बेहतर उपभोक्ता सेवा हेतु एक प्रभावी तरीका है। भारत सरकार ने

[24] 403.56 एम0वी0ए0आर0 X 0.04951 एम0यू0 प्रति एम0वी0ए0आर0 = 20.01 एम0यू0 X ₹ 3.03/यूनिट(वर्ष 2009–10 हेतु अंगीकृत दर)।

भी वितरण हानियों को कम करने के लिए विद्यमान एल0टी0 लाईन को एच0टी0 लाईन में बदलकर वितरण की एल0टी0 रहित प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया (फरवरी 2001)। निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि में एच0टी0 एल0टी0 का अनुपात नीचे आरेख में प्रदर्शित किया गया है:



यह देखा जा सकता है कि निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि में एच0टी0 एल0टी0 लाईन का अनुपात लगभग स्थिर रहा। मार्च 2011 में 66364 सी0के0एम0 एच0टी0 लाईन के विरूद्ध एल0टी0 लाईन 142466 सी0के0एम0 था।

बोर्ड ने प्रेक्षण स्वीकार किया तथा कहा कि विभिन्न ग्रिड तथा जोड़ने वाली नेटवर्क निर्माण सहित उनके जोड़ने वाली लाईन विभिन्न स्कीमों के जरिये अनुपात में धीरे–धीरे सुधार होगा।

3.11.6 छापामारी दल का कार्य–निष्पादन

ऊर्जा की चोरी/क्षति के मामलों को कम करने तथा बोर्ड को वित्तीय क्षति से बचाने के लिए, विद्युत अधिनियम, 2003, की धारा 163 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी जाँच तथा संयत्र की परीक्षण हेतु एक स्पेशल टास्क फोर्स (एस0टी0एफ0) दल जिसका प्रधान, मुख्यालय में विद्युत अधीक्षक अभियंता के रैंक का अधिकारी था, उन्हें ए0ई0 (सहायक अभियंता) तथा संबंधित विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल के विभागीय अधिकारी की सहायता से छापा मारने अथवा उपभोक्ताओं के गृह परिसर में जाँच करने का कार्य सौंपा गया। सम्बन्धित प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता को जहाँ वृहत् स्तर पर चोरी की आशंका थी वैसे उपभोक्ताओं/क्षेत्रों को पहचान कर छापा मारने हेतु कार्य योजना बनाना था। बोर्ड ने बिजली की चोरी तथा ऊर्जा का अनाधिकृत प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए एस0टी0एफ0 का गठन किया (नवम्बर 2007)। सतर्कता स्कंध तथा संबंधित प्रमण्डल के बीच समन्वय की कमी के कारण, छापामारी से वांछित परिणाम नही मिला। निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान किये गये छापामारी की स्थिति निम्नलिखित है:

क्रम सं0	वर्ष	31 मार्च तक उपभोक्ताओं की कुल संख्या	जाँच किये गए उपभोक्ताओं की संख्या	निर्धारित राशि (₹ लाख में)	वसूली गयी राशि (₹ लाख में)	वसूली नहीं गयी राशि (₹ लाख में)	जाँच किये गये उपभोक्ताओं की कुल संख्या
1	2007-08	1991190	1599	247.00	241.11	5.89	0.08
2	2008-09	2164604	2019	1848.51	869.11	979.40	0.09
3	2009-10	2386866	2893	828.76	593.10	235.66	0.12
4	2010-11	3508475	8565	1520.64	409.07	1111.57	0.24
			कुल	**4444.91**	**2112.39**	**2332.52**	

हमने पाया कि जाँच किये गये उपभोक्ताओं की संख्या की प्रतिशतता काफी कम थी तथा इसका परास 0.08 प्रतिशत तथा 0.24 प्रतिशत के बीच था। यह प्रदर्शित करता है कि ऊर्जा की चोरी कम करने हेतु सार्थक रूप से अधिक छापामारी करने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त ₹ 44.45 करोड़ की निर्धारित राशि के विरूद्ध, बोर्ड ₹ 21.12 करोड़ ही संग्रह कर सका जो ₹ 23.33 करोड़ की कम वसूली प्रदर्शित करता है। इस प्रकार, वित्तीय क्षति को दूर करने हेतु चोरी रोकने के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सका।

बोर्ड ने जवाब दिया कि छापामारी करने हेतु केवल चार दल थे तथा एक दल एक कार्यदिवस में केवल दो उपभोक्ताओं की छापामारी कर सकता था। बोर्ड ने ₹ 23.32 करोड़ की लम्बित वसूली के बारे में उल्लेख नहीं किया।

3.11.7 बोर्ड द्वारा नये सेवा कनेक्शन को प्रदान करने में अत्यधिक विलम्ब के कारण ₹ 10.78 करोड़ राजस्व की क्षति हुई

वितरण अनुज्ञप्तिधारी के निष्पादन के बिहार विद्युत–शक्ति मानकों, 2007 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 43 (1) तथा बी0ई0आर0सी0 द्वारा जारी बिहार विद्युत आपूर्ति कोड, 2007 की धारा 4.80 निर्दिष्ट करता है कि बोर्ड आवेदन पत्र की प्राप्ति से 145 दिनों के भीतर उपभोक्ता को उच्च विभव (एच0टी0) सेवा कनेक्शन प्रदान करेगा जब भी ऐसी सेवा कनेक्शन में बोर्ड की स्थल सुविधाओं में विस्तार तथा सुधार शामिल हो। एच0टी0 उपभोक्ताओं के टैरिफ में दो तत्व थे। एक निर्दिष्ट दर पर उपभोग की गयी ऊर्जा की मात्रा पर वसूली–योग्य ऊर्जा शुल्क था तथा दूसरा उपयोग की गयी ऊर्जा की मात्रा के निरपेक्ष तय दर (₹ 700 / के0वी0ए0 / माह) पर संविदा माँग पर वसूली–योग्य माँग शुल्क था।

नई कनेक्शन प्रदान करने में निर्दिष्ट अवधि के ऊपर 330 दिनों के विलम्ब के फलस्वरूप ₹ 10.78 करोड़ के राजस्व की हानि हुई

हमने प्रेक्षित (जनवरी 2011) किया कि मे0 गंगोत्री आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बिहटा, ने एच0टी0एस0एस0 श्रेणी के अन्तर्गत नए 33 के0वी0 हेतु अपने प्रस्तावित इकाई के लिए 14000 के0वी0ए0 (12000 के0वी0ए0 भट्टी हेतु तथा 2000 के0वी0ए0 रौलिंग मिल हेतु) की संविदा की माँग किया। आवेदन पत्र 19 सितम्बर 2007 को पंजीकृत हुआ तथा विद्युत की आपूर्ति 10 जनवरी 2009 को प्रभावी हुई। इस प्रकार आवेदन पत्र की प्राप्ति के दिन से कुल 475 दिन लग गये जो कि उपरोक्त निर्दिष्ट 145 दिन के विरूद्ध था। इस प्रकार, निर्दिष्ट अवधि से 330 दिनों का विलम्ब हुआ जिसके फलस्वरूप ₹ 10.78[25] करोड़ राजस्व की हानि हुई क्योंकि माँग प्रभार प्रभारित नहीं किया जा सका।

बोर्ड ने कहा कि विलम्ब का कारण नये सेवा कनेक्शन संबंधित उपभोक्ता द्वारा सभी औपचारिकताएँ पूर्ण नहीं किया जाना था। बोर्ड ने यह भी कहा कि उपभोक्ता ने रोलिंग मिल के लोड के साथ भट्टी के लोड को सम्मिलित करने हेतु नया आवेदन प्रस्तुत किया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उपभोक्ता ने सर्विस लाइन के निर्माण हेतु बिना विलम्ब किए आवश्यक राशि जमा कर चुका था। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने साध्यता प्रतिवेदन की तैयारी, प्राक्कलन, तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा 33 के0वी0 सर्विस लाईन के निर्माण में बी0ई0आर0सी0 द्वारा निर्दिष्ट समय से दस माह से अधिक का विलम्ब किया जिसके कारण नई सर्विस कनेक्शन देने की प्रक्रिया में विलम्ब तथा राजस्व की हानि हुई।

3.12 विपत्रीकरण क्षमता

बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड को अधिसूचित विपत्रीकरण चक्र के अन्त में प्रत्येक उपभोक्ताओं के ऊर्जा खपत का रीडिंग करने की आवश्यकता थी। मीटर रीडिंग के बाद, बोर्ड ने ऊर्जा खपत हेतु उपभोक्ताओं को विपत्र निर्गत किया। ऊर्जा के विक्रय के दो भाग होते हैं:– मीटरकृत तथा निर्धारित यूनिट। निर्धारित यूनिट का संबंध मीटर रहित उपभोक्ताओं को विपत्रित यूनिट्स से है तथा उन मामलों से है जहाँ मीटर रीडिंग दोषपूर्ण मीटरों, बंद दरवाजों इत्यादि कारणों से उपलब्ध नहीं हो पाया। बी0ई0आर0सी0 ने मीटरीकृत विक्रय के निर्धारित विक्रय की प्रतिशतता को निर्दिष्ट नहीं किया। सभी उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण प्रमण्डल स्तर पर किया जा रहा था। घरेलू उपभोक्ताओ (ग्रामीण तथा बी0पी0एल0), 5 के0डब्लू0 (ग्रामीण) तक गैर घरेलू उपभोक्ताओं तथा कृषि उपभोक्ताओं (शहरी एवं ग्रामीण) को पाक्षिक आधार पर विपत्रीकरण किया जा रहा था जबकि अन्य उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण मासिक आधार पर किया जा रहा था।

ऊर्जा के विपत्रीकरण की दक्षता बोर्ड द्वारा अपने उपभोक्ताओं को उच्चतम ऊर्जा का वितरण/विक्रय तथा समय पर राजस्व की वसूली में निहित होता है।

[25] 14000 के0वी0ए0 X ₹ 700 प्रति माह X 11 माह (330 दिन) = ₹ 10.78 करोड़ ।

(आंकड़े एम0यू0 में)

क्रम सं0.	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1.	विक्रय हेतु उपलब्ध ऊर्जा	7914.92	7961.30	8584.69	9836.58	10882.86
2.	निःशुल्क आपूर्ति	-	4.76	6.11	5.86	5.36
3.	विपत्रित ऊर्जा	4541.68	4846.80	5318.53	6061.36	6133.78
4.	विक्रय हेतु उपलब्ध ऊर्जा की प्रतिशतता के रूप में विपत्रित ऊर्जा	57.38	60.88	61.95	61.62	56.36
5.	विक्रय हेतु उपलब्ध ऊर्जा की प्रतिशतता के रूप में निःशुल्क आपूर्ति	-	0.06	0.07	0.06	0.05
6.	विक्रय की गई कुल ऊर्जा (2+3) अथवा (7+8)	4541.68	4851.56	5324.64	6067.22	6139.14
7.	निर्धारित विक्रय	1344.18	1365.83	1548.21	1478.44	1456.74
8.	मीटरीकृत विक्रय	3197.50	3485.73	3776.43	4588.78	4682.40
9.	मीटरीकृत विक्रय की प्रतिशतता के रूप में निर्धारित विक्रय	42.04	39.18	40.99	32.22	31.11

निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विपत्रित ऊर्जा का परास विक्रय हेतु उपलब्ध कुल ऊर्जा का 56.36 तथा 61.95 प्रतिशत के बीच था जबकि निःशुल्क आपूर्ति नगण्य था। निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उच्च टी0 एण्ड डी0 हानि (37.98 से 43.59 प्रतिशत) का मुख्य कारण विक्रय हेतु उपलब्ध कुल ऊर्जा का विपत्रीकरण काफी कम था। इसके अतिरिक्त, निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निर्धारित विक्रय, कुल विक्रय का 42.04 प्रतिशत तथा 31.11 प्रतिशत था।

बोर्ड ने कहा कि 100 प्रतिशत मीटर रीडिंग तथा इसका विपत्रीकरण सुनिश्चित करने हेतु निजी अभिकरणों को परिनियोजित किया गया था। विपत्रीकरण तथा राजस्व संग्रहण दक्षता को सुधारने हेतु बड़े पैमाने पर मानव शक्ति का भर्ती किया गया।

3.12.1 राजस्व संग्रहण दक्षता

चूँकि ऊर्जा विक्रय राजस्व बोर्ड के आय का मुख्य स्त्रोत है, अतः इसका शीघ्र संग्रहण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। बोर्ड द्वारा अनुसरण किये गये संग्रहण तंत्र की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- प्रभारित ऊर्जा का भुगतान उपभोक्ता नकद, चेक अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा कर सकता है।
- एच0टी0 सेवा हेतु ऊर्जा प्रभार का विपत्र प्रत्येक प्रमण्डल कार्यालय अवस्थित संग्रहण काउण्टर पर जमा होता है।
- एल0टी0 सेवा के संबंध में, कुछ क्षेत्रों के अतिरिक्त जहाँ संग्रहण कार्य निजी संग्रहण अभिकरणों को सौपें गये हैं, विद्युत विपत्र का संग्रहण सामान्यतः राजस्व रोकड़पाल (आर0सी0) द्वारा किया जाता है।
- एच0टी0 उपभोक्ताओं को देय तिथि के बाद 10 दिनों की माफी–अवधि के अंदर (अर्थात् विपत्र निर्गत होने की तिथि के दिन से 15 दिन) वर्तमान

प्रभार का भुगतान करना है, चूक होने की अवस्था में उपभोक्ताओं द्वारा विलम्ब की अवधि हेतु विपत्र की राशि का 1.5 प्रतिशत प्रति माह का अतिरिक्त प्रभार देय है।

नीचे की तालिका वर्ष 2010–11 को समाप्त गत पाँच वर्षों के दौरान वर्ष के आरंभ में शेष बकाया, वर्ष के दौरान निर्धारित राजस्व, वर्ष के अंत में संग्रहित राजस्व तथा शेष बकाया प्रदर्शित करती है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0.	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	वर्ष के आरंभ में शेष बकाया	5929.25	5749.43	5871.08	5531.59	5608.80
2	वर्ष के दौरान निर्धारित/विपत्रित किया गया राजस्व	1329.23	1525.33	1753.19	2025.63[26]	2510.04
3	वसूली हेतु देय कुल राशि (1+2)	7258.48	7274.76	7624.27	7557.22	8118.84
4	वर्ष के दौरान वसूल की गयी राशि	1375.83	1394.04	2082.90	1933.95	2418.64
5	वर्ष के दौरान अपलिखित राशि	133.22	9.64	9.78	14.47	NIL
6	वर्ष के अंत में शेष बकाया	5749.43	5871.08	5531.59	5608.80	5700.20
7	कुल देय से वसूल की गई राशि की प्रतिशतता	18.95	19.16	27.32	25.59	29.79
8	माह निर्धारण के संदर्भ में बकाया (क्रम सं0 6/क्रम सं0 2/12 माह)	51.90	46.19	37.86	33.23	27.25

हमने प्रेक्षित किया कि 31 मार्च 2007 को शेष बकाया ₹ 5749.43 करोड़ 31 मार्च 2011 में घटकर ₹ 5700.20 करोड़ हो गया। इस कमी का कारण निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ₹ 167.10 करोड़ अपलिखित करना था। इससे प्रदर्शित होता है कि देय की वसूली असंतोषजनक थी।

बोर्ड ने कहा कि विपत्र किए गए राजस्व का निर्धारण, वसूल किए गए रकम तथा कुल देय से वसूल किए गए राशि की प्रतिशतता वर्ष 2009–10 की तुलना में वर्ष 2010–11 में बढ़ गयी। साथ ही, राजस्व वसूली को सुधारने के लिए प्रभावी कदम भी उठाये गये जैसे–प्रत्यायन, सूचना जारी करना, दोषी उपभोक्ताओं का लाईन काटना साथ ही प्रमाणपत्र वाद दायर करना इत्यादि।

विभिन्न रूपों में अदक्ष राजस्व विपत्रीकरण तथा संग्रहण के उदाहरण नीचे निरूपित किये गये हैं:

3.12.2 शंट संधारित्र (कैपेसिटर) प्रभार का प्रभार नहीं लगाना

बी0ई0आर0सी0 द्वारा जारी टैरिफ आदेश 2006–07 के अनुसार, पाँच एच0पी0 (टैरिफ आदेश 2008–09 के अनुसार तीन एच0पी0) से अधिक संविदा माँग वाले प्रत्येक एल0टी0आई0एस0 (लो टेंशन इण्डस्ट्रीयल सर्विस) उपभोक्ता को उचित क्षमता का शंट संधारित्र संस्थापित कर लेना चाहिए था, चूक होने पर शंट संधारित्र

[26] पूर्वावधि समायोजन के रूप में ₹ 77.45 करोड़ सम्मिलित।

प्रभार विपत्र की राशि के पाँच प्रतिशत की दर से प्रभारित होगा। ई0एस0डी0 मुजफ्फरपुर (शहरी) में कुल 2247 एच0पी0 के कनेक्टेड लोड वाले 165 एल0टी0आई0एस0 उपभोक्ता उचित रेटिंग के शंट संधारित्र का संस्थापन किये बिना आपूर्ति प्राप्त कर रहे थे तथा इन उपभोक्ताओं पर नवम्बर 2006 से मार्च 2011 की अवधि में शंट संधारित्र हेतु प्रभार प्रभारित नहीं किया गया। इसके कारण ₹ 0.26 करोड़ की राजस्व की हानि हुई।

बोर्ड ने कहा कि प्रमण्डलो ने मई 2011 से शंट संधारित्र प्रभार प्रभारित करना प्रारंभ कर दिया था। तथापि, बोर्ड पूर्व की अवधि से मई 2011 तक ₹ 0.26 करोड़ की राजस्व हानि की वसूली नहीं कर पाया।

3.12.3 टैरिफ का दोषपूर्ण अनुप्रयोग

टैरिफ के दोषपूर्ण अनुप्रयोग से बोर्ड को ₹ 4.84 करोड़ के राजस्व की हानि हुई

टैरिफ आदेश (नवम्बर 2006) की एच0टी0 टैरिफ धारा 6 के नियमों एवं शर्तो के अनुसार, यदि कोई उपभोक्ता संविदा माँग के 150 प्रतिशत से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग करता है, इसकी संविदा–माँग ट्रांसफॉर्मर क्षमता के 2/3 भाग बढ़ा देना चाहिए तथा तद्नुसार विपत्र निर्गत करना चाहिए। चार[27] विद्युत आपूर्ति अंचलों (ई0एस0सी0) के अप्रैल 2006 से मार्च 2011 की अवधि के अभिलेखों के नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि पाँच उपभोक्ता अपने संविदा माँग के 150 प्रतिशत से अधिक क्षमता के ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग कर रहे थे। परन्तु बोर्ड ने न तो उनका संविदा माँग बढ़ाया न ही लागू टैरिफ के अनुसार विपत्र जारी किया। इसके फलस्वरूप ₹ 4.84 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

बोर्ड ने कहा कि दो उपभोक्ताओं को प्रभारित किया गया, एक उपभोक्ता का मामला न्यायाधीन हैं तथा एक रेलवे उपभोक्ता (प्रमण्डलीय लेखा अधिकारी) को स्टैण्ड बाई ट्रांसफॉर्मर रखने हेतु अनुमति दी गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नही था क्योंकि एच0टी0 उपभोक्ता टैरिफ आदेश के नियम एवं शर्तो के अनुसार केवल रेलवे ट्रैक्शन सेवा उपभोक्ताओं को स्टैण्ड बाई ट्रांसफॉर्मर रखने की अनुमति प्रदान की गई थी। एक उपभोक्ता की स्थिति नहीं प्रस्तुत की गयी थी।

3.12.4 विपत्रीकरण नहीं करना

टैरिफ आदेश 2008–09 के अनुसार, प्रेरण भट्टी वाले उपभोक्ताएँ एच0टी0एस0एस0 श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत होंगे। इसके अतिरिक्त, एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ताओं को इसी श्रेणी के अन्तर्गत एक अलग रोलिंग मिल रखने की अनुमति दी गयी थी। ई0एस0सी0 पटना में, एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ता प्रेरण भट्टी तथा रोलिंग मिल के अतिरिक्त 277 के0वी0ए0 लोड का ऑक्सीजन प्लांट का प्रयोग करता पाया गया (जनवरी 2009) जिसके लिए एच0टी0एस0–I श्रेणी के अन्तर्गत एक अलग कनेक्शन लिया जाना चाहिए था। परन्तु इस लोड के लिए कोई अलग से अनुबन्ध (एच0टी0एस0–I के अन्तर्गत) नहीं किया गया था। इसके कारण फरवरी 2009 से अप्रैल 2011 की अवधि में ₹ 80.34 लाख के न्यूनतम मासिक प्रभार (ऊर्जा प्रभार तथा माँग प्रभार) की हानि हुई। सम्बद्ध लोड 30 अप्रैल 2011 को विच्छेदित कर दिया गया।

बोर्ड ने कहा कि उपभोक्ता को अस्थायी रूप से प्रेरण भट्टी तथा रोलिंग मिल के लोड के साथ ऑक्सीजन प्लांट का लोड शामिल करने की अनुमति दी गयी।

[27] ई0एस0सी0 मुजफ्फरपुर, ई0एस0सी0 समस्तीपुर, ई0एस0सी0 पटना तथा पेसू (पश्चिम)।

मामला बी0ई0आर0सी0 के पास लम्बित है तथा अंतिम निर्णय के बाद मामले को अंतिमिकृत किया जाएगा।

3.12.5 अल्प निर्धारण तथा कम संविदा माँग के अल्प विपत्रीकरण के फलस्वरूप ₹ 2.45 करोड़ के राजस्व की हानि।

टैरिफ आदेश, 2008–09 की धारा 7.4 के अनुसार, एच0टी0एस0एस0 श्रेणी के अन्तर्गत नये कनेक्शन हेतु निर्माता के तकनीकी विनिर्देशन के अनुसार, संविदा माँग प्रेरण भट्टी तथा उपकरण (सहायक लोड) की कुल क्षमता पर आधारित होगा। उसी परिसर में रोलिंग/रि–रोलिंग मिल वाले उपभोक्ताओं को प्रेरण भट्टी हेतु आवश्यक संविदा माँग के अलावा रोलिंग/रि–रोलिंग मिल हेतु अतिरिक्त संविदा माँग लेने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, विपत्र माँग माह के दौरान दर्ज उच्चतम माँग अथवा संविदा माँग होगा, दोनों में से जो भी उच्चतर हो, होगा।

संविदा माँग के अल्प निर्धारण एवं माँग प्रभारों के अल्प विपत्रीकरण के फलस्वरूप ₹ 2.45 करोड़ के राजस्व की हानि

हमने प्रेक्षित किया (जनवरी 2011) कि एक नये एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ता नामतः मे0 गंगोत्री आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के परिसर में जनवरी 2009 से प्रभावी विद्युत संस्थापन के लोड की जाँच जनवरी 2009 में बोर्ड के दल द्वारा की गयी। लोड जाँच प्रतिवेदन के अनुसार, रोलिंग मिल के लोड सहित प्रेरण भट्टी का लोड 15946 के0वी0ए0[28] पाया गया। तथापि, 15946 के0वी0ए0 लोड के विरूद्ध, ई0एस0सी0 पटना ने केवल 14500 के0वी0ए0 के लोड का माँग प्रभार विपत्रित किया जिसके फलस्वरूप संविदा माँग का अल्प निर्धारण तथा विपत्रीकरण 1446 के0वी0ए0 से हुआ। फलस्वरूप, अप्रैल 2011 तक बोर्ड को ₹ 2.45 करोड़ की हानि उठाना पड़ा। सम्बद्ध लोड को 30 अप्रैल 2011 को काट दिया गया था (जिसका विवरण **परिशिष्ट–17** में दर्शाया गया है)।

बोर्ड ने कहा कि प्रेरण भट्टी के तकनीकी विनिर्देशन के अनुसार, 1725 के0वी0ए0 का सहायक लोड प्रेरण भट्टी के लोड में शामिल था तथा इस पर संविदा माँग तथा विपत्रीकरण के निर्धारण हेतु अलग से विचार नहीं किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सहायक लोड प्रेरण भट्टी के लोड का भाग नहीं था। इसके अतिरिक्त, इसी ई0एस0सी0 के कुछ अन्य उपभोक्ताओं के संबंध में, संविदा माँग तथा विपत्रीकरण के निर्धारण हेतु सहायक लोड पर अलग से विचार किया गया था।

3.12.6 ऊर्जा विपत्र जारी करने में अत्यधिक विलम्ब

ई0एस0सी0 छपरा में, 200 के0वी0ए0 के संविदा माँग से ए0ई0, गंगा परियोजना, अनुमंडल 03 को नया मीटर रहित विद्युत कनेक्शन दिया गया। चूँकि सर्विस कनेक्शन प्रतिवेदन (अगस्त 2010 में अंचल कार्यालय द्वारा प्राप्त) प्रदान करने में साढ़े पाँच महीनों का असामान्य विलम्ब था, मार्च 2010 तक उपभोक्ता को कोई ऊर्जा विपत्र निर्गत नहीं किया गया था।

उपभोक्ता के परिसर में इलेक्ट्रिक मीटर का संस्थापन नहीं होने के कारण, अगस्त 2004 से फरवरी 2010 की अवधि का पहला ऊर्जा विपत्र न्यूनतम मासिक प्रत्याभूतित (एम0एम0जी0) खपत आधार पर तैयार किया गया एवं यह उपभोक्ता के

[28] (i) प्रेरण भट्टी का लोड (2x15 एम0टी0 निर्माता विनिर्देशन के अनुसार)=12221 के0वी0ए0।
(ii) उपकरण का सहायक लोड =1725 के0वी0ए0
प्रेरण भट्टी का कुल लोड (i+ii) =13946
उपभोक्ता द्वारा आवेदन किये रोलिंग मिल का कुल लोड = 2000 के0वी0ए0
कुल लोड जिसे संस्वीकृत होना चाहिए था =15946 के0वी0ए0।

पते पर पंजीकृत डाक से भेजा गया था। तथापि, डाक प्राधिकारियों द्वारा विपत्र लौटा दिया गया क्योंकि उपभोक्ता को नहीं खोजा जा सका।

मासिक ऊर्जा विपत्रों के जारी करने में अत्यधिक विलम्ब के कारण ₹1.53 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई तथा ₹ 0.63 करोड़ के ब्याज की हानि हुई

इस प्रकार सर्विस कनेक्शन प्रतिवेदन की तैयारी तथा प्रस्तुतीकरण में अत्यधिक विलम्ब, मासिक विपत्रों के जारी करने में लापरवाह पद्धति, उपभोक्ता की अनुपलब्धता तथा उनके विद्युत लाईन को काटने में विफलता के कारण ₹ 1.53 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

बोर्ड ने इन तथ्यों को स्वीकार किया तथा सूचित किया कि उपभोक्ता को खोज लिया गया था तथा अप्रैल 2011 में उपभोक्ता द्वारा ₹ 5.04 लाख का भुगतान किया गया। तथ्य यही रहा कि बोर्ड को ₹ 0.63 करोड़ के अवसूलनीय ब्याज की हानि उठानी पड़ी तथा विपत्रों का बकाया वसूली हेतु लम्बित था।

3.12.7 उपभोक्ताओं का गलत वर्गीकरण

टैरिफ आदेश (01.11.2006 से प्रभावी) की धारा 2.3 के खण्ड–क के अनुसार, एन0डी0एस0–III श्रेणी केवल पूजा स्थल तथा कब्रिस्तान/श्मशान को लागू होता है। 60 के0डब्ल0 तक लोड वाले अन्य शहरी गैर–घरेलू उपभोक्ता एन0डी0एस0–II के अन्तर्गत आते है। ई0एस0डी0, मुजफ्फरपुर (शहरी) के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि 20 उपभोक्ताओं को (मुख्यतः अस्पतालों तथा दूरसंचार कम्पनियों) एन0डी0एस0–II के स्थान पर एन0डी0एस0–III के रूप में दोषपूर्ण वर्गीकृत किया गया जिससे ₹ 26.07 लाख की राजस्व हानि हुई (अप्रैल 2007 से मार्च 2011)।

बोर्ड ने कहा कि सभी उपभोक्ताओं को तदनुसार लेखापरीक्षा दल द्वारा सलाहनुसार प्रभारित किया गया था ।

3.12.8 एच0टी0 श्रेणी में परिवर्तन के कारण हानि

टैरिफ आदेश (नवम्बर 2006) के खण्ड–बी के अनुसार 75 के0वी0ए0 तथा इससे अधिक लोड वाले उपभोक्ताओं को एच0टी0एस0 के अन्तर्गत वर्गीकृत करना था। छह[29] ई0एस0डी0 के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ है कि 13 एन0डी0एस0–II उपभोक्ता 67.5 के0डब्लू0 (जैसे कि 75 के0वी0ए0) के अधिक लोड का प्रयोग करते पाये गये। तथापि, उनके लोड को एक माह के भीतर एन0डी0एस0–II से एच0टी0एस0–I में नियमित नहीं किया गया। विनिर्दिष्ट श्रेणी में लोड परिवर्तन नहीं होने के कारण, बोर्ड को ₹ 1.98 करोड़ (अप्रैल 2006 से मार्च 2011) को राजस्व का हानि उठानी पड़ी।

बोर्ड ने इन तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि कुछ उपभोक्ताओं को एच0टी0एस0–I में परिवर्तित कर दिया गया तथा अन्य उपभोक्ताओं के परिवर्तन की प्रक्रिया प्रगति पर था।

[29] ई0एस0डी0 कंकड़बाग, ई0एस0डी0 मुजफ्फरपुर (शहरी), ई0एस0डी0 दानापुर, ई0एस0डी0 बाँकीपुर, ई0एस0डी0 डाकबंगला, ई0एस0डी0 बाँका तथा एन0सी0 डीवीजन, पटना।

3.12.9 वृहत् बकाये वाले उपभोक्ताओं के आपूर्ति का बाधित नहीं होना

दोषी उपभोक्ताओं के आपूर्ति बाधित नहीं करने के फलस्वरूप ₹ 245.98 करोड़ के बकाये का संचय

बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2002 तथा 2005 के अनुसार, यदि विपत्र में प्रदर्शित देय तिथि के अन्तर्गत उपभोक्ता द्वारा विद्युत शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित कर दी जायेगी। हमने पाया कि सात ई0एस0डी0[30] तथा बोर्ड के एक ई0एस0सी0 (मुजफ्फरपुर) में, 3514 उपभोक्ताओं में प्रत्येक का बकाया एक लाख से अधिक था तथा उन्होंने आठ से 30 माह का विद्युत देयता का भुगतान नही किया, तथापि उपर्युक्त प्रावधानों के उल्लंघन में इन उपभोक्ताओं का आपूर्ति बाधित नहीं किया गया। इन दोषी उपभोक्ताओं की आपूर्ति बाधित नहीं करने के फलस्वरूप ₹ 245.98 करोड़ के बकायों का संचयन हुआ (मार्च 2011)।

इन तथ्यो को स्वीकार करते हुए बोर्ड ने उत्तर दिया कि एक लाख से अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं की आपूर्ति को सभी प्रमण्डलों के अन्तर्गत नियमित रूप से काटा जा रहा था। तथापि, बोर्ड ने अब तक ऊर्जा विपत्रों की बकाया राशि को वसूलने हेतु कोई कदम नहीं उठाया है (नवम्बर 2011)।

3.12.10 स्थायी विच्छेदन मामलों के अंतीमीकृत करने में विफलता

पाँच ई0एस0डी0[31] में 1556 उपभोक्ताओं में प्रत्येक का बकाया ₹ एक लाख से अधिक था तथा उन्होंने 10 से 36 माह का बकाया जमा नहीं किया था। इन उपभोक्ताओं की आपूर्ति अस्थायी रूप से वियोजित कर दी गयी तथा इनका विपत्रीकरण रोक दिया गया। बोर्ड ने न तो अपूर्ति स्थायी रूप से वियोजित किया न ही इन उपभोक्ताओं के खाताओं का अंतिमीकरण किया। इसके फलस्वरूप ₹ 52.86 करोड़ के बकाया राशि की वसूली नहीं हुई (मार्च 2011)।

बोर्ड ने इन तथ्यों को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया कि देय राशि की वसूली के साथ–साथ मान्य देय राशि का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का वियोजन हेतु कार्रवाई की जा रही थी।

3.13 वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

वर्ष 2005 की राष्ट्रीय विद्युत नीति का एक मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय लाभ प्रदत्ता तथा वाणिज्यिक सक्षमता सुनिश्चित करना था। वर्ष 2010–11 को समाप्त गत पाँच वर्षो में बोर्ड की वित्तीय स्थिति नीचे दी गयी हैं।

30 ई0एस0डी0 मुजफ्फरपुर (शहरी), ई0एस0डी0 मुजफ्फरपुर (पूर्व), ई0एस0डी0 बिहटा, ई0एस0डी0 दानापुर, ई0एस0डी0 फतुहा, ई0एस0डी0 बाँकीपुर तथा ई0एस0डी0 एन0सी0, पटना।

31 ई0एस0डी0 मुजफ्फरपुर (शहरी); ई0एस0डी0 मुजफ्फरपुर (पूर्व); ई0एस0डी0 बिहटा, ई0एस0डी0 फतुहा, ई0एस0डी0 बाँकीपुर।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (औपबंधिक)
अ. दायित्व					
प्रदत्त पूँजी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
संचय एवं आधिक्य (पूँजी अनुदान सहित परन्तु मुल्यह्रास संचय को छोड़कर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ऋण (ऋण निधि)					
सरकार से प्राप्त ऋण	5577.62	5764.95	6151.01	6493.65	8493.88
पूँजी देयताएँ	3829.17	4423.27	5616.64	6763.89	8223.35
चालू दायित्व तथा प्रावधान	2812.26	3049.34	3302.59	3738.72	3832.13
कुल	**12219.05**	**13237.56**	**15070.24**	**16996.26**	**20549.36**
ब. सम्पतियाँ					
सकल खण्ड	2242.42	2418.34	2556.51	2864.80	3856.07
कमः मूल्य ह्रास	1630.81	1684.44	1740.85	1800.57	1883.35
निवल स्थायी सम्पत्तियाँ	611.61	733.89	815.66	1064.23	1972.72
पूँजी कार्य प्रगति पर	833.97	808.73	934.09	881.20	1282.04
निवेश	415.02	503.94	899.78	829.57	1471.48
राज्य सरकार से प्राप्य साहाय्य	4315.65	4315.65	4315.65	4315.65	4315.65
चालू सम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमें	4454.48	4702.33	4927.47	5316.13	5626.61
प्रयोग में नहीं होने वाली सम्पतियाँ	3.61	3.61	3.61	3.61	शून्य
नियामक सम्पत्तियाँ	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
संचित हानियाँ	1524.71	2109.41	3113.98	4525.87	5820.86
कुल	**12219.05**	**13237.56**	**15070.24**	**16996.26**	**20549.36**
ऋणः अंश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
निवल मूल्य	(-) 1524.71	(-) 2109.41	(-) 3113.98	(-) 4525.87	(-)5820.86

निम्नलिखित प्रेक्षण किए गए:

- बोर्ड की संचित हानि वर्ष 2006–07 में ₹ 1524.71 करोड़ से 281.77 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2010–11 में ₹ 5820.86 करोड़ हो गया।
- ऋण (सरकार से प्राप्त ऋण) वर्ष 2006–07 में ₹ 5577.62 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010–11 में ₹ 8493.88 करोड़ हो गया। चूँकि निवल मूल्य में नकारात्मक वृद्धि थी अतः बोर्ड नकद स्फीति का सामना कर रहा था तथा विभिन्न स्कीम एवं अन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु मुख्यतः ऋण पर निर्भर था। वर्ष 2006–07 से पूर्ण अवधि से संबंधित ₹ 4315.65 करोड़ की प्राप्य सहाय्य (संचित) पाँच वर्ष से अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी राज्य सरकार द्वारा मुक्त नहीं की गयी।

3.13.1 कार्यकारी परिणाम

निम्न तालिका वर्ष 2006–07 से 2010–11 से गत पाँच वर्ष की अवधि में बोर्ड के कार्यकारी परिणाम का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करता है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0.	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (औपबंधिक)
1.	आय					
(i)	ऊर्जा शक्ति के विक्रय से राजस्व	1275.94	1464.22	1675.56	1861.52	2409.69
(ii)	राजस्व सहाय्य एवं अनुदान	720	720	720	840	1080.00
(ii)	अन्य आय	116.32	124.04	89.74	94.37	118.85
	कुल आय	**2112.26**	**2308.26**	**2485.30**	**2795.89**	**3608.54**
2.	वितरण (एम0यू0 में)					
(i)	क्रय तथा उत्पादित कुल ऊर्जा शक्ति	8215.77	8264.12	8904.25	10205.99	11198.25
(ii)	कम : संचरण हानियाँ तथा सहायक खपत	300.85	302.82	319.56	369.41	315.39
(iii)	विक्रय हेतु उपलब्ध निवल ऊर्जा शक्ति	7914.92	7961.30	8584.69	9836.58	10882.86
(iv)	कम : सब–ट्रांसमिशन तथा वितरण हानि	3373.24	3109.74	3260.05	3769.36	4743.72
	विक्रय किया गया निवल ऊर्जा शक्ति	**4541.68**	**4851.56**	**5324.64**	**6067.22**	**6139.14**
3.	विद्युत के वितरण पर व्यय					
(क)	स्थायी लागत					
(i)	कर्मचारी लागत	459.73	471.31	537.00	479.92	488.82
(ii)	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	18.95	23.98	30.04	30.06	34.74
(iii)	मूल्यह्रास	36.49	38.73	42.31	46.38	72.01
(iv)	ब्याज तथा वित्त प्रभार	597.07	608.29	631.22	672.16	747.02
(v)	अन्य व्यय					
	कुल स्थायी लागत	**1112.24**	**1142.31**	**1240.57**	**1228.52**	**1342.59**
(ख)	परिवर्तनीय लागत					
(i)	ऊर्जा शक्ति का क्रय[32]	1493.90	1626.77	1920.85	2529.46	3236.93
(ii)	विद्युत शक्ति कर					
(iii)	ट्रांसमिशन/व्हीलिंग प्रभार					
(iv)	मरम्मत एवं रख–रखाव	15.73	19.97	26.55	39.30	43.54
	कुल परिवर्तनीय लागत	**1509.63**	**1646.74**	**1947.40**	**2568.76**	**3280.47**
(ग)	**कुल लागत 3 (क)+(ख)**	**2621.87**	**2789.05**	**3187.97**	**3797.28**	**4623.06**
4.	वसूली (₹ प्रति यूनिट) (राजस्व साहाय्य सहित)	4.65	4.76	4.67	4.61	5.88
5.	स्थायी लागत (₹ प्रति यूनिट)	2.45	2.35	2.33	2.02	2.19
6.	परिवर्तनीय लागत (₹ प्रति यूनिट)	3.32	3.39	3.66	4.23	5.34
7.	कुल लागत प्रति यूनिट (₹ में) (5+6)	5.77	5.74	5.99	6.25	7.53
8.	योगदान (4-6) (₹ प्रति यूनिट)	1.33	1.37	1.01	0.38	0.54
9	**लाभ (+)/हानि(-) प्रति यूनिट (₹ में) (4-7)**	**(-)1.12**	**(-)0.98**	**(-)1.32**	**(-)1.64**	**(-)1.65**

[32] कुल क्रय किए गए ऊर्जा शक्ति में बी0टी0पी0एस0 में उत्पादित निवल ऊर्जा शक्ति सम्मिलित।

उर्प्युक्त तालिका में देखा जा सकता है कि निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान वसूली प्रति यूनिट ₹ 4.65 से बढ़कर ₹ 5.88 हो गयी (26.45 प्रतिशत) तथा साथ ही लागत प्रति यूनिट भी ₹5.77 से बढ़कर ₹ 7.53 हो गयी (30.50 प्रतिशत)। वर्ष 2006–11 की अवधि के दौरान योगदान प्रति यूनिट 59.40 प्रतिशत घट गया था।

वर्ष 2006–07 में ₹ 509.61 करोड़ का राजस्व अंतर था (राजस्व साहाय्यों एवं अनुदान सहित), जो वर्ष 2010–11 में बढ़कर ₹ 1014.52 करोड़ हो गया। ऊर्जा विक्रय के उच्च लागत का कारण मुख्यतः ऊर्जा शक्ति के क्रय लागत में वृद्धि एवं ब्याज तथा वित्तीय प्रभार में वृद्धि होना था। बोर्ड को टी0 एण्ड डी0 हानि कम करने तथा इसके प्रचालन क्षमता को बढ़ाने हेतु निवारक उपाय करने की आवश्यकता थी ताकि हानि प्रति यूनिट कम किया जा सके।

3.14 वित्तीय प्रबंधन

बोर्ड की वित्तीय सक्षमता सामान्यतः विभिन्न घटकों से प्रभावित होती है, जो इस प्रकार है;

- कुल राजस्व आवश्यकता (ए0आर0आर0) दायर करना तथा टैरिफ का संशोधन
- प्रचालन की कीमत को कवर करने के लिए टैरिफ की पर्याप्तता।
- सरकार द्वारा प्रतिज्ञात साहाय्य समय पर प्रदान करना।
- सरकार की प्रति साहाय्य नीति तथा बोर्ड द्वारा इसका कार्यान्वयन तथा;

इन घटकों में प्रत्येक की चर्चा निम्न कंडिकाओं में की गयी है।

3.14.1 ए0आर0आर0 दायर करना

निर्दिष्ट तिथि के अन्तर्गत दायर ए0आर0आर0 याचिका के विरूद्ध यदि कोई आपत्ति प्राप्त हो, तो बोर्ड की टैरिफ संरचना बी0ई0आर0सी0 के अनुमोदन से संशोधन के अधीन था। बोर्ड को संबंधित वित्तीय वर्ष आरंभ होने से कम से कम 136 दिन पहले प्रत्येक वर्ष हेतु ए0आर0आर0 दायर करना था अर्थात अगले वित्तीय वर्ष हेतु प्रत्येक वर्ष के 15 नवंबर तक। बी0ई0आर0सी0 न्यायोचित तथा उपयुक्त प्रतीत होने वाले सुधारों/शर्तो के साथ तथा जनता एवं अन्य पणधारियों (स्टेक होल्डर) के सभी सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार कर बोर्ड द्वारा दायर आवेदन को अनुमोदित करता है। निम्न तालिका वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि में दायर ए0आर0आर0 की स्थिति प्रदर्शित करती है:

वर्ष	दायर करने की नियत तिथि	दायर करने की वास्तविक तिथि	दिनों में विलम्ब	अनुमोदन का दिनांक	प्रभावी दिनांक
2006-07	15/11/2005	04/08/2006	262	29/11/2006	01/11/2006
2007-08	15/11/2006	18/12/2007	399	अनुमोदित नहीं	-
2008-09	15/11/2007	14/02/2008	91	26/08/2008	01/09/2008
2009-10	15/11/2008	09/10/2009	329	अनुमोदित नहीं	-
2010-11	15/11/2009	03/02/2010	80	06/12/2010	01/12/2010

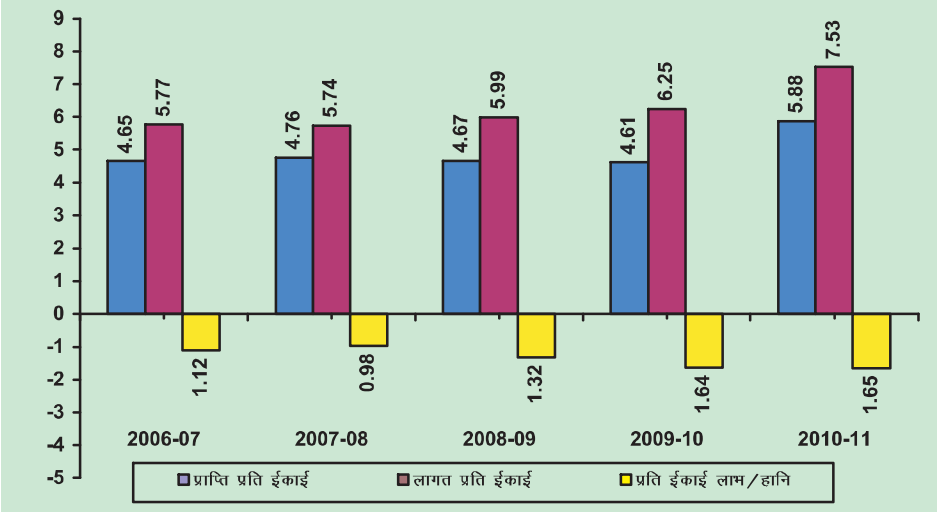
ए0आर0आर0 दाखिल करने में विलम्ब के कारण बोर्ड को लगभग ₹ 963.85 करोड़ की हानि हुई

यह प्रेक्षित किया गया कि ए0आर0आर0 दायर करने में प्रत्येक वर्ष देरी हुई जिसका परास 80 से 399 दिन था जिसके कारण वर्ष 2007–08 तथा वर्ष 2009–10 में ए0आर0आर0 अस्वीकृत हो गयी। पूर्ण सूचना की प्रस्तुति के अभाव में बी0ई0आर0सी0 द्वारा दायर टैरिफ याचिका को अस्वीकार करने तथा अपेक्षित सूचना के संकलन में अत्यधिक विलम्ब के कारण मुख्यतः टैरिफ दायर करना प्रभावित हुआ। ए0आर0आर0 के विलम्ब से दायर होने के कारण भी टैरिफ संशोधन के अनुमोदन में पाँच से आठ माह का विलम्ब हुआ जिसके कारण वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान बोर्ड को कुल ₹ 963.85 करोड़[33] के राजस्व की हानि हुई।

बोर्ड ने कहा कि टैरिफ याचिका दायर करने में विलम्ब का मुख्य कारण संस्थागत व्यवस्था तथा विशेषज्ञता की कमी थी। एक पेशेवर परामर्शदाता को नियुक्त किया गया था तथा वित्तीय वर्ष 2006–09 की सही याचिका, वर्ष 2010–11 की समीक्षा याचिका तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु ए0आर0आर0 तैयार की गयी है। बोर्ड ने संदर्भित अवधि हेतु ₹ 8000 करोड़ से अधिक के वसूलनीय राजस्व की सही याचिका में दावा दायर किया था।

3.14.2 प्रचालन लागत की वसूली

31 मार्च 2011 को समाप्त गत पाँच वर्षो के दौरान प्रचालन लागत तथा ऊर्जा शक्ति विक्रय से सृजित आय प्रति यूनिट नीचे दिया गया है:



उपर्युक्त दृष्टव्य से यह देखा जा सकता है कि बोर्ड अपने प्रचालन लागत की प्राप्ति में विफल रहा चूँकि प्रति यूनिट प्राप्ति सदैव प्रति यूनिट लागत से कम रहा जिसके कारण वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान प्रति यूनिट हानि में ₹ 1.12 से ₹ 1.65 की वृद्धि हुई।

विस्तृत विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2011 को समाप्त गत पाँच वर्षो के प्रचालन तथा दक्षता के वर्तमान स्तर पर ऊर्जा शक्ति के विक्रय से टैरिफ

[33] ₹ 107.79 करोड़ 2006–07 में, ₹ 114.15 करोड़ 2007–08 में, ₹ 13.95 करोड़ 2008–09 में, ₹ 694.91 करोड़ 2009–10 में एवं ₹ 33.05 करोड़ 2010–11 में।

लाभ–अलाभ स्तरों (प्रतिशतता विषय में) से कम था जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विक्रय साहाय्य को छोड़ कर	परिवर्तनीय लागत	स्थायी लागत	योगदान	स्थायी लागत की वसूली में घाटा	विक्रय की प्रतिशतता के रूप में घाटा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) – (3)	(6) = (4) – (5)	(7)={(6)/(2)} X 100
2006-07	1275.94	1509.63	1112.24	(233.69)	1345.93	105.49
2007-08	1464.22	1646.74	1142.31	(182.52)	1324.83	90.48
2008-09	1675.56	1947.40	1240.57	(271.84)	1512.41	90.26
2009-10	1861.52	2568.76	1228.52	(707.24)	1935.76	103.99
2010-11	2409.69	3280.47	1342.59	(870.78)	2213.37	91.85

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि योगदान हमेशा नकारात्मक था तथा यह वर्ष 2006–11 के दौरान ₹ 233.69 करोड़ से बढ़कर ₹ 870.78 करोड़ (272.62 प्रतिशत) हो गया जिसके कारण ऊर्जा शक्ति के विक्रय लागत मूल्य की वसूली नहीं हुई। वर्ष 2006–11 के दौरान विक्रय में 88.86 प्रतिशत वृद्धि के विरूद्ध, परिवर्तनीय लागत तथा स्थायी लागत में तदनुरूप वृद्धि क्रमशः 117.30 प्रतिशत तथा 20.71 प्रतिशत हुई। परिवर्तनीय लागत में तीव्र वृद्धि ऊर्जा शक्ति क्रय के मूल्य में वृद्धि हेतु आरोप्य था। टैरिफ का संशोधन नहीं होना तथा टैरिफ से संबंधित साहाय्य राज्य सरकार से प्राप्त नहीं करना परिवर्तनीय लागत की वसूली नहीं होने के मुख्य कारण थे।

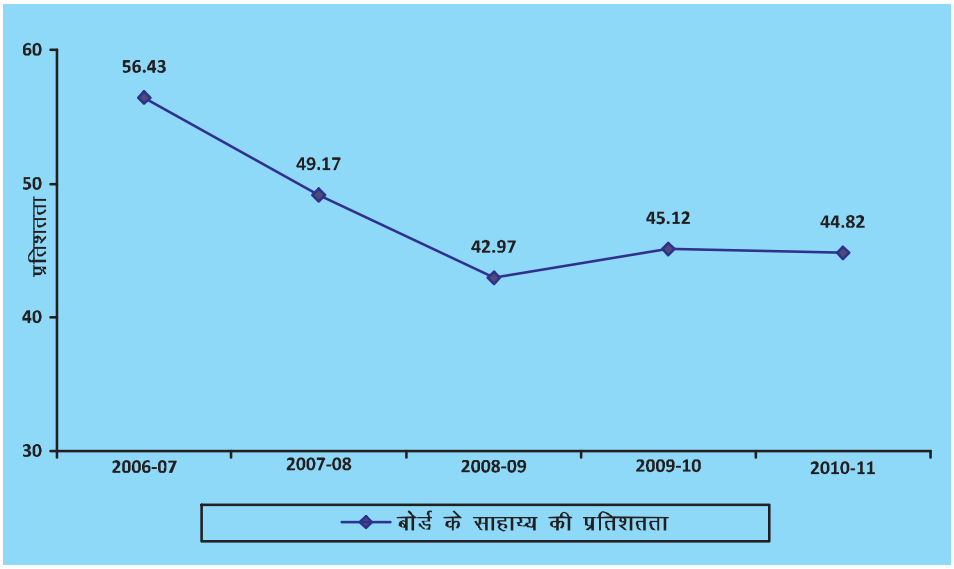
प्रचालन क्षमता अर्थात् ए0टी0 तथा सी0 हानि में कमी/नियंत्रण, एल0टी0 लाईन को एच0टी0 लाईन में परिवर्तन, दोषपूर्ण मीटर/मीटर रहित कनेक्शन का मीटर लगाना, विपत्रीकरण को सुधारना तथा संग्रहण क्षमता आदि को सुधार कर लागत वसूल की जा सकती थी, जिसकी चर्चा इस निष्पादन लेखापरीक्षा में अलग से की गयी है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं में प्रति आर्थिक साहाय्य देने में कमी स्थिति को सुधारने में सहायता कर सकती थी जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में समीक्षा की गयी है।

3.14.3 साहाय्य सहायता

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार, सरकार को बोर्ड को अग्रिम स्वरूप भुगतान करने की आवश्यकता थी ताकि उनका प्रचालन बुरी तरह प्रभावित न हो।

निम्न आरेख 31 मार्च 2011 को समाप्त गत पाँच वर्षो में राज्य सरकार से राजस्व साहाय्य सहायता विक्रय [34] की प्रतिशतता के रूप में प्रदर्शित करती है:

[34] आँकड़ों में रियायत टैरिफ हेतु राज्य सरकार से प्राप्त राजस्व साहाय्य सम्मिलित नहीं है।



विक्रय की प्रतिशतता के संदर्भ में सरकार से साहाय्य सहायता वर्ष 2009–10 के अलावा वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान घट रही थी। राजस्व साहाय्य का परास 42.97 तथा 56.43 के बीच रहा जो कि एक चिंता का विषय था, क्योंकि साहाय्य प्रावस्थाबद्ध तरीके से एक समयावधि के बाद वापस लिया जा सकता था ताकि टैरिफ उपभोक्ताओं को आपूर्ति की औसत लागत कवर कर सके। इसके अतिरिक्त, मार्च 2011 को समाप्त गत पाँच वर्षों के दौरान साहाय्य का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (औपबन्धिक)
आदि शेष	4315.65	4430.52	4583.80	4662.5	4732.58
योग: वर्ष के दौरान राज्य सरकार से प्राप्य	834.87	873.28	798.7	910.08	1080
कम : वर्ष के दौरान प्राप्त	720	720	720	840	1080
अंत शेष	4430.52	4583.80	4662.5	4732.58	4732.58

वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान, ₹ 4,496.93 करोड़ के साहाय्य दावों के विरूद्ध, राज्य सरकार ने ₹ 4,080 करोड़ का साहाय्य मुक्त किया था। ₹ 416.93 करोड़ का साहाय्य कम मुक्त किया गया था तथा वर्ष 2006–07 से पूर्व अवधि से संबंधित ₹ 4,315.65 करोड़ वसूली हेतु लम्बित थी। फलस्वरूप, इसके प्रचालन का वित्तपोषण करने हेतु, बोर्ड को सरकार से ऋण का सहारा लेना पड़ा जो ₹ 5,577.62 करोड़ (2006–07) से बढ़कर ₹ 8,493.88 करोड़ (2010–11) हो गयी।

3.14.4 सरकार की प्रति अर्थ–साहाय्यता देने की नीति तथा इसका कार्यान्वयन

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61 निर्दिष्ट करता है कि टैरिफ विद्युत आपूर्ति का औसत लागत उत्तरोत्तर प्रतिबिंबित करना चाहिए तथा प्रावस्थाबद्ध तरीके से प्रति साहाय्य कम करना चाहिए । राष्ट्रीय टैरिफ नीति भी विचार करता है कि उपभोक्ताओं के सभी श्रेणियों के टैरिफ का परास वर्ष 2010–11 तक आपूर्ति की औसत लागत से 20 प्रतिशत अधिक अथवा कम के भीतर हो। अनुमोदित टैरिफ के

अनुसार निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि से इस संबंध में स्थिति **परिशिष्ट–18** में दर्शायी गयी है।

परिशिष्ट–18 से देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय टैरिफ नीति में जिस लक्ष्य का अनुमान लगाया गया था उसकी प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि निष्पादन लेखा–परीक्षा अवधि से प्रति साहाय्य की प्रतिशतता का परास 12.72 से 91.17 में था, जबकि कृषीय श्रेणी को सबसे ज्यादा आपूर्ति के औसत लागत का 73.26 प्रतिशत तथा 91.17 प्रतिशत के बीच आर्थिक साहाय्य प्राप्त हुआ। रेलवे ट्रैक्शन को सबसे कम आपूर्ति के औसत लागत के 20.69 प्रतिशत तथा 32.10 प्रतिशत बीच आर्थिक साहाय्य प्राप्त हुआ। वर्ष 2008–09 में विद्युत शक्ति के अंतर्राज्यीय विक्रय का प्रति साहाय्य 12.22 प्रतिशत था।

3.15 उपभोक्ता तुष्टीकरण

ऊर्जा शक्ति सुधार के कई प्रमुख तत्वों में एक उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा उनकी उच्चस्तरीय सेवा सुनिश्चित करना था। उपभोक्ता अक्सर ऊर्जा शक्ति की आपूर्ति संबंधी समस्याएँ जैसे कि नये कनेक्शन अथवा कनेक्टेड लोड के विस्तार की निर्मुक्ति हेतु वितरण प्रणाली की अनुपलब्धता, लाईन तथा/अथवा ट्रांसफॉर्मर का बार–बार खराब होना तथा अनुचित मीटरिंग एवं विपत्रीकरण का सामना करते हैं। बोर्ड को उपभोक्ताओं का संतोष बढ़ाने तथा उनके आने वाले शिकायतों को दूर करने हेतु कंप्यूटरीकृत विपत्रीकरण का शुरूआत, ऑनलाईन विपत्र भुगतान, उपभोक्ता केयर सेंटर इत्यादि की स्थापना आदि उपभोक्ता अनुकूल कार्रवाई आरंभ करने की आवश्यकता थी। विपत्रीकरण के मुद्दों की समीक्षा पूर्व की कंडिकाओं में की गयी है। शिकायतों के निवारण की चर्चा नीचे की गयी है।

3.15.1 शिकायतों का निवारण

बी0ई0आर0सी0 ने विद्युत अधिनियम 2003 के अनुपाल में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम तथा विद्युत लोकपाल (ऑम्बड्समैन) विनियम 2006 में शिकायतों के निवारण हेतु विधि तथा समय सीमा निर्दिष्ट किया। आयोग ने बोर्ड के लिए निष्पादन के मानकों को निर्दिष्ट किया जिसमें उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने हेतु समय–सीमा तथा इसका अनुसारण नहीं होने पर देय मुआवजा दिया गया है। मानकों में सेवा की प्रकृति समाहित थी साथ ही लाईन ब्रेकडाउन, वितरण ट्रांसफॉर्मर की खराबी, लोड शेडिंग/नियत बहिरंश (आऊटेजस), वोल्टेज परिर्वतन, मीटर संबधी शिकायतें, नये मीटर/कनेक्शन अथवा शिफ्टिंग का संस्थापन इत्यादि सम्मिलित थे। दो अलग स्कंध अर्थात् (i) लोक शिकायत (पी0जी0) प्रकोष्ठ तथा (ii) उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सी0जी0आर0एफ0) का गठन उपभोक्ता शिकायतों का निवारण करने हेतु किया गया।

इस संबंध में निष्पादन के निर्धारण करने हेतु शिकायतों का संकलन करने हेतु, बोर्ड द्वारा अलग पंजियों का अनुरक्षण किया गया। उपर्युक्त प्रावधान बोर्ड को अप्रैल 2007 (अधिसूचना की तिथि) से लागू था। तथापि, बी0ई0आर0सी0 ने बोर्ड को उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन से एक वर्ष की छूट स्वीकृत किया था। शिकायतों की प्राप्ति तथा उनके समाशोधन संबंधी समग्र स्थिति निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(संख्या लाख में)

क्रम सं0	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11[35]
1.	प्राप्त कुल शिकायतें	3.14	3.35	3.05
2.	समय पर निवारण की गई शिकायतें	2.59	2.43	2.57
3.	समय से परे निवारित शिकायतें	0.20	0.40	0.15
4.	लम्बित शिकायतें	0.35	0.52	0.33
5.	कुल शिकायतों में समय से परे निवारित शिकायतों की प्रतिशतता	17.52	27.46	15.74

यद्यपि वर्ष 2010–11 के दौरान शिकायतों के निवारण में सुधार हुआ (समय पर 84.26 प्रतिशत शिकायतों का निवारण हुआ) तथापि बोर्ड को इस संबंध में निर्दिष्ट समय सीमा का पालन करना चाहिए।

बी0ई0आर0सी0 ने बोर्ड को निष्पादन के मानकों पर त्रैमासिक/वार्षिक सूचना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया (अप्रैल 2007)।

हमने प्रेक्षित किया कि:

- वर्ष 2009–10 के दौरान, 16 अंचलों में 9 अंचल खराब ट्रांसफॉर्मर के प्रतिस्थापन से संबंधित बी0ई0आर0सी0 द्वारा तय लक्षित निष्पादन स्तर (95 प्रतिशत) को प्राप्त नहीं कर सका।
- वर्ष 2010–11 के दौरान, 11 अंचलों में नौ अंचलें विपत्रीकरण में त्रुटियों के सुधार से सम्बन्धित बी0ई0आर0सी0 द्वारा तय लक्षित निष्पादन स्तर (99 प्रतिशत) को प्राप्त नहीं कर सका।
- वर्ष 2010–11 के दौरान, नये कनेक्शन, जहाँ वितरण मेंस के विस्तार की आवश्यकता थी, से संबंधित 9712 शिकायतों में (11 अंचलों में) केवल 925 शिकायतें (9.52 प्रतिशत) ही निर्दिष्ट समय सीमा में निवारण किये गये।

3.16 ऊर्जा संरक्षण

इस तथ्य की स्वीकार करते हुए कि ऊर्जा का दक्षतापूर्ण प्रयोग तथा इसका संरक्षण माँग तथा आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करने का सबसे सस्ता विकल्प है, भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 बनाया। ऊर्जा का संरक्षण एक बहु–आयामी क्रियाकलाप होने के कारण, अधिनियम विभिन्न संगठनों की ओर से प्रोत्साहनात्मक एवं नियामक दोनों भूमिका का प्रावधान करता है। प्रोत्साहनात्मक भूमिका में जागृति अभियान, शिक्षा तथा प्रशिक्षण, प्रदर्शन परियोजनाएँ, आर0 एण्ड डी0 तथा औचित्य अध्ययन सम्मिलित है। नियामक भूमिका में वृहत् ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य लेखापरीक्षा हेतु नियम बनाना, विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऊर्जा खपत के प्रतिमानकों का उपाय करना, राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहन के मानकों एवं प्रावधानों का कार्यान्वयन सम्मिलित थे।

हमने प्रेक्षित किया कि ऊर्जा संरक्षण हेतु क्रियान्वित किये जाने वाले उपाय से संबंधित बी0ई0आर0सी0 द्वारा जारी अनुपालन निर्देश हेतु टैरिफ आदेश 2006–07 के बावजूद, बोर्ड ने वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान किसी ऊर्जा संरक्षण नीति को प्रतिपादित नहीं किया। बोर्ड ने ऊर्जा टी0 एण्ड डी0 हानि की कमी को

[35] विद्युत आपूर्ति अंचल दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पटना तथा सहरसा को छोड़कर।

प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन, सौर जल हीटर आदि जैसे गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने जैसा कोई प्रोत्साहनात्मक उपाय आरंभ नहीं किया। बोर्ड ने माँग पक्ष के ऊर्जा संरक्षण हेतु किसी जागृति अभियान का शुभारंभ नहीं किया।

इसके अतिरिक्त, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अनुसार, 500 के0डब्लू0 अथवा अधिक कनेक्टेड लोड वाले नये वाणिज्यिक भवनों हेतु ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड के कार्यान्वयन हेतु अनिवार्य प्रावधान था। तथापि, बोर्ड ने ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड का कार्यान्वयन नहीं किया।

3.17 ऊर्जा लेखांकन तथा लेखापरीक्षा

ऊर्जा शक्ति हानियों के क्षेत्रों का अभिज्ञान करने के उद्देश्य से तथा क्रय/विक्रय किए गये यूनिटों का समुचित लेखांकन तथा प्रत्येक स्तर पर हानि के अलावा प्रणाली में सुधार के जरिये ऊर्जा शक्ति हानियों को कम करने हेतु कदम उठाने के लिए एक व्यापक ऊर्जा लेखापरीक्षा की संकल्पना की गयी। ऊर्जा लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:

- उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत शक्ति की खपत का बेहतर तथा सही अनुश्रवण;
- अपव्यय का विलोपन;
- उपकरण के खराबी में कमी;
- प्रचालन मूल्य में व्यापक बचत तथा राजस्व में वृद्धि आदि।

वितरण प्रणाली में मीटरों के संस्थापन नहीं होने के कारण बोर्ड ऊर्जा शक्ति लेखापरीक्षा प्रारम्भ नहीं कर सका।

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि बोर्ड वितरण भाग में पूर्ण रूप से सिस्टम मीटरों का संस्थापन नहीं कर सका (11 के0वी0 फीडर साथ ही डी0टी0आर0 में)। 16 अंचलों के विरूद्ध, केवल 12 अंचलों में सिस्टम मीटरिंग का संस्थापन हुआ। 43491 डी0टी0आर0 की कुल संख्याओं के विरूद्ध, 16035 डी0टी0आर0 में मीटर संस्थापित किये गये। इस प्रकार, वितरण प्रणाली में मीटरों का संस्थापन नहीं होने के कारण, बोर्ड वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान ऊर्जा लेखापरीक्षा आरंभ नहीं कर सका।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने मासिक ऊर्जा लेखांकन प्रतिवेदन तैयार नहीं किया था जो उपलब्ध मीटर रीडिंग तथा ट्रांसमिशन हानि की गणना हेतु ग्रिड सब–स्टेशन (220/132 के0वी0) से पावर सब–स्टेशन (33 के0वी0) तक आपूर्ति किये ऊर्जा पर आधारित था। वितरण हानि की गणना हेतु 11 के0वी0 अथवा एल0टी0 साइड पर आपूर्ति किये गये ऊर्जा के लेखाकरण हेतु कोई ऊर्जा लेखाकरण रिपोर्ट तैयार नहीं किया गया।

3.18 उच्च प्रबंधन द्वारा अनुश्रवण

राज्य की अर्थव्यवस्था में बोर्ड एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऐसे विशाल संगठन को प्रचालन में मितव्ययी रूप से, दक्षतापूर्ण तथा प्रभावी रूप से सफल होने के लिए उच्च प्रबंधन द्वारा अनुश्रवण हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम0आइ0एस0) होना चाहिए। बोर्ड उत्पादन, ट्रांसमिशन तथा वितरण प्रणाली के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को समाविष्ट करते हुए एक व्यापक एम0आई0एस0 प्रणाली विकसित कर चुका था (मार्च 2010)।

यह देखा गया कि वर्ष 2006–07 से 2009–10 की अवधि के दौरान कोई प्रभावी एम0आई0एस0 नहीं था। निम्नलिखित प्रेक्षण किये गये:

- जैसा कि पहले ही चर्चा की गयी; बोर्ड समय पर ए0आर0आर0 की तैयारी हेतु आवश्यक सूचना संग्रह तथा संकलन नहीं कर सका, जिससे बी0ई0आर0सी0 को ए0आर0आर0 के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब हुआ। ए0आर0आर0 दायर करने में विलम्ब का परास निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 80 से 399 दिनों के बीच था। फलस्वरूप, बोर्ड को निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ₹ 963.85 करोड़ का राजस्व हानि उठाना पड़ा।

- निष्पादन लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बोर्ड द्वारा ट्रांसफॉर्मर की खराबी हेतु कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया। ट्रांसफॉर्मर हेतु रख–रखाव सारणी, आधारभूत अभिलेख जैसे कि ट्रांसफॉर्मर की गणना, हिस्ट्री कार्ड का रख–रखाव नहीं किया जा रहा था। उचित अनुश्रवण प्रणाली के अभाव में, ट्रांसफॉर्मर की हानि दर में निरंतर रूप से वर्ष 2006–07 से 2010–11 के अवधि के दौरान 10.4 प्रतिशत से 17.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- बोर्ड ए0टी0 तथा सी0 हानि एवं टी0 एण्ड डी0 हानि को कम नहीं कर सका जो वर्ष 2009–10 के दौरान क्रमशः 37.54 तथा 38.32 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2010–11 के दौरान 42.79 तथा 43.59 प्रतिशत हो गया।

- बोर्ड ने निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कुल बकाया राजस्व का केवल 18.95 प्रतिशत से 25.86 प्रतिशत वसूल किया जिससे राजस्व वसूली का निम्न अनुश्रवण प्रदर्शित हुआ।

- बोर्ड ने एस0टी0एफ0 हेतु छापामारी करने के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया। छापामारी की प्रतिशतता का परास निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कुल उपभोक्ता के विरूद्ध 0.08 तथा 0.24 प्रतिशत के बीच रहा।

निष्कर्ष

अतिरिक्त आधारभूत संरचना के सृजन हेतु योजना अपूर्ण था क्योंकि इसे क्षेत्रवार भविष्यत् लोड वृद्धि पर विचार किये बिना किया गया था जिसके कारण परिणमन क्षमता तथा कनेक्टेड लोड बेमेल हो गया।

ग्रामीण विद्युतीकरण में बोर्ड का निष्पादन अत्यंत निम्न था क्योंकि यह समीक्षा अवधि के दौरान विद्युतीकरण हेतु लक्षित गाँवों में 41 प्रतिशत का ही विद्युतीकरण कर सका। यह आवंटित निधि का केवल 44 प्रतिशत ही व्यय कर सका तथा ₹ 320 करोड़ अपव्ययित रहा। निम्न संविदा प्रबंधन, अनुश्रवण की कमी तथा परियोजनाओं के अक्षम क्रियान्वयन के कारण परियोजनाओं में विलम्ब हुआ तथा लागत वृद्धि का सामना करना पड़ा तथा बोर्ड स्कीमों का वांछित लाभ नहीं पा सका।

उपभोक्ता मीटरिंग में बोर्ड का निष्पादन उत्साहवर्धक नहीं था क्योंकि उपभोक्ता मीटरिंग का लक्ष्य किसी भी वर्ष में प्राप्त नहीं हुआ था। कुल 35 लाख उपभोक्ताओं में 10.24 लाख उपभोक्ताएँ मीटर रहित थे जबकि 1.28 लाख उपभोक्ताओं का मीटर दोषपूर्ण था। बोर्ड ऊर्जा शक्ति क्रय का सही

निर्धारण करने में असफल रहा। यू0आई0 के अन्तर्गत ऊर्जा शक्ति के निकास के कारण बोर्ड को अतिरिक्त व्यय हुआ। बोर्ड द्वारा चलाया गया अभियान सफल नहीं हुआ क्योंकि बोर्ड टी0 एण्ड डी0 हानि को कम करने में असफल रहा। डी0टी0आर0 खराबी दर तथा नये कनेक्शन प्रदान करने में विलम्ब लगातार बढ़ता रहा। एस0टी0एफ0 तथा संबंधित प्रमण्डलों में छापामारी के बीच समन्वय में कमी होने के कारण वांछित परिणाम नहीं मिल पाया।

बोर्ड ने समय पर ए0आर0आर0 प्रस्तुत नहीं किया तथा प्रति साहाय्य सहायता मानकों से परे था। उपभोग की गयी ऊर्जा का विपत्रीकरण सफल नहीं था जिसके फलस्वरूप, बोर्ड को कम विपत्रीकरण अथवा विपत्रीकरण नहीं करना, टैरिफ का अनुचित अनुप्रयोग, उपभोक्ताओं का गलत वर्गीकरण आदि के कारण राजस्व हानि सहना पड़ा। राजस्व संग्रहण भी निम्न था क्योंकि ₹ 5,700 करोड़ संग्रहण हेतु बकाया था।

बोर्ड निर्दिष्ट समय सीमा में उपभोक्ताओं के शिकायतों का निवारण करने में असफल रहा, विशेषकर जले ट्रांसफॉर्मर का प्रतिस्थापन तथा नये कनेक्शन प्रदान करने के मामले में। चूँकि सभी आपूर्ति अँचलों में सिस्टम मीटरिंग नहीं हुआ था अतः फीडर तथा डी0टी0आर0 पर सिस्टम मीटर के संस्थापन के बावजूद 11 के0वी0 फीडर तथा डी0टी0आर0 के सन्दर्भ में ऊर्जा लेखांकन नहीं हुआ था। ऊर्जा संरक्षण की जागृति के प्रति कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं की गयी थी।

अनुशंसाएँ

- अतिरिक्त आधारभूत संरचना के सृजन हेतु योजना पूर्व लोड वृद्धि प्रवृति, वर्तमान लोड तथा भविष्य में प्रक्षिप्त लोड वृद्धि के आधार पर होना चाहिए ताकि सिस्टम को समान रूप से सक्षम बनाया जा सके तथा सभी अंचलों में परिणमन (ट्राँसफॉर्मेशन) क्षमता तथा कनेक्टेड लोड के बीच के अंतराल को कम किया जा सके। बोर्ड उद्देश्य हेतु उपलब्ध करायी गयी निधि को व्यय कर ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाए।
- विलम्ब तथा लागत वृद्धि से बचने के लिए प्रभावी संविदा प्रबंधन तथा परियोजना एवं स्कीमों के क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण होना चाहिए।
- बोर्ड को प्रावस्थाबद्ध तरीके से टी0 एण्ड डी0 हानियों को कम करने हेतु प्रभावी उपाय का कार्यान्वयन करना चाहिए।
- विपत्रीकरण प्रणाली में टैरिफ का सही अनुप्रयोग सुनिश्चित होना चाहिए तथा बोर्ड को बकाया देय राशि की वसूली तथा संग्रहता में तत्पर रहना चाहिए।
- बोर्ड को समय पर ए0आर0आर0 दायर करना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि नये दर के विलम्बित कार्यान्वयन के कारण हानियों को कम किया जा सके।
- बोर्ड को सभी आपूर्ति अंचलों में सिस्टम मीटर का संस्थापन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि ऊर्जा शक्ति लेखापरीक्षा आरंभ की जा सके तथा साथ ही बोर्ड को ऊर्जा संरक्षण संबंधी जागृति अभियान की शुरूआत भी करनी चाहिए।

अध्याय IV

4. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों/सांविधिक निगमों के कार्य सम्पादन की नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का समावेश किया गया है।

सरकारी कम्पनियाँ

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

4.1 भूमि के पंजीकरण नहीं होने के कारण ₹ 2.91 करोड़ की हानि।

समय अपने नाम से भूमि के पंजीकरण करवाने में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 2.91 करोड़ की हानि।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) की निदेशक मण्डल ने मालसलामी स्थित 1.48 एकड़ भूमि के क्रय हेतु, परन्तु इसपर चावल मिल स्थापित करने हेतु प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए, मार्च 1983 में संकल्प पारित किया। यह भूमि पटना सिटी के कोष्ठागार (धान्य भण्डार) के सन्निकट था। कम्पनी ने ₹ 3.52 लाख के कुल प्रतिफल का भुगतान (जून 1983) श्रीकृष्ण गोशाला, (एस0के0जी0) को किया एवं 1.41 एकड़ भूमि का आधिपत्य ग्रहण (जनवरी 1984) किया। परन्तु कम्पनी ने 1998 तक भूमि विक्रय विलेख अपने नाम से पंजीकृत नहीं कराया। अक्टूबर 1998 में एस0के0जी0 ने कम्पनी से भूमि वापस करने का आग्रह किया चूंकि यह घाटे में चल रहा था।

अक्टूबर 1998 से मार्च 2006 के मध्य जिला प्रशासन को भूमि अपने नाम से पंजीकृत करने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए अनेकानेक नैत्य आग्रहों एवं स्मारकों के अलावा कम्पनी ने इस मुद्दा का सक्रियता से अनुकरण नहीं किया। इस दौरान मे0 एस0के0जी0 ने ₹ 3.70 लाख की प्रतिफल राशि कम्पनी को लौटा दिया (सितम्बर एवं अक्टूबर 2004) जिसे कम्पनी ने स्वीकार नहीं किया। कम्पनी ने इस विषय पर वैध परामर्शदाता से कानूनी परामर्श लिया (अगस्त 2005) जिन्होंने भूमि को अपने नाम से पंजीकृत करने हेतु व्यवहार न्यायालय में वाद दाखिल करने हेतु विचार प्रकट किया। तथापि कम्पनी वाद दाखिल नहीं कर सका चूँकि भूमि का विक्रय एक सादे कागज पर अभिलेखित था (जनवरी 1984) जो कि न्यायालय में धारणीय नहीं था। कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक ने निदेशक मण्डल के समक्ष ₹ 8.57 लाख के प्रतिफल (पिछले 27 वर्षों एवं चार महीनें हेतु साधारण ब्याज सम्मिलित) के विरूद्ध मे0 एस0के0जी0 को भूमि लौटाने का प्रस्ताव रखा (सितम्बर 2010)।

पिछले 27 वर्षो में कम्पनी ने भूमि को अपने नाम से पंजीकृत कराने एवं मे0 एस0के0जी0 द्वारा भूमि अधिग्रहण रोकने हेतु कोई कारगर कदम नहीं उठाया। भूमि अपने नाम से पंजीकृत कराने हेतु न्यायालय में वाद दाखिल करने के लिए कम्पनी के पास उचित अभिलेख भी नहीं था।

कम्पनी ने भूमि के मौजूदा विक्रय मूल्य की जानकारी किए बिना इसको वास्तविक मूल्य एवं पाँच प्रतिशत साधारण ब्याज, यथा ₹ 0.09 करोड़, के योग पर भूमि मे0

एस0के0जी0 को लौटा दिया जिसके फलस्वरूप कम्पनी को ₹ 2.91[1] करोड़ की हानि हुई।

प्रबन्धन ने अपने जवाब में कहा (मई 2011) कि भूमि पंजीकरण करने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए जिलाधिकारी, पटना को अनेकानेक आग्रह किए गए थे लेकिन चूँकि अनुमति नहीं प्रदान की गई थी, इसलिए भूमि का पंजीकरण नहीं कराया जा सका। कम्पनी का जवाब मान्य नहीं है चूँकि कम्पनी की गतिविधियाँ उसके सर्वोत्तम हित में नहीं थी तथा वर्षो तक भूमि का आधिपत्य, कानून की दृष्टि में, भूमि के स्वामित्व हेतु उचित साक्ष्य था। भूमि के अधिकरण के त्याग से कम्पनी को ₹ 2.91 करोड़ की हानि हुई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2011), उनका जवाब प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2011)

बिहार राज्य पाठ्य–पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड

4.2 मुख्यमंत्री राहत कोष में अनियमित अनुदान : ₹ एक करोड़

कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान के उल्लंघन में कम्पनी ने ₹ एक करोड़ का दान किया जो वित्तीय दूरदर्शिता की व्यवस्था के प्रतिकूल था।

कम्पनी अधिनियम, 1956 धारा 293 (1) (ई) एक सार्वजनिक कम्पनी के निदेशक मण्डल के अधिकार को धमार्थ एवं अन्य कोष में दान देने के अधिकार को प्रतिबंधित करता है जो कम्पनी के व्यवसाय या इसके कर्मचारियों के हित से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध नहीं है। कम्पनी ऐसी कोई भी राशि दान में दे सकता है जो किसी वित्तीय वर्ष में पचास हजार अथवा विगत तीन वर्षों के औसत लाभ का पाँच प्रतिशत, दोनों में जो अधिक हो, से अधिक न हो। जहाँ भी अंशदान उपर्युक्त सीमा से अधिक है, वहाँ कम्पनी की साधारण सभा की पूर्व अनुमति से ही ऐसा किया जाना चाहिए।

हमारे प्रेक्षण (जुलाई 2010) में पाया गया कि बिहार राज्य पाठ्य–पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड (कम्पनी), जो कि एक सार्वजनिक कम्पनी है, ने ₹ एक करोड़ (विगत तीन वर्षो के अपने औसत लाभ का 41.67 प्रतिशत) का अनुदान (सितम्बर 2008) मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया। चूँकि अंशदान की यह राशि कम्पनी अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक था, इसकी पूर्वानुमति कम्पनी द्वारा साधारण सभा में ले ली जानी थी। परन्तु कम्पनी द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

अतः वर्ष 2008–09 के दौरान कम्पनी द्वारा ₹ एक करोड़ का अंशदान न केवल अधिनियम के उल्लंघन में था बल्कि वित्तीय दूरदर्शिता के व्यवस्था के प्रतिकूल भी था।

प्रबन्धन ने राहत कोष में अनुदान को न्यायोचित ठहराते हुए कहा (दिसम्बर 2011) कि बिहार सरकार एवं झारखण्ड सरकार के बीच कम्पनी के हिस्से के बँटवारा नहीं होने के कारण कम्पनी की वार्षिक साधारण बैठक दिसम्बर 2007 से ही आहूत नहीं हो पाई। तथापि कम्पनी ने यह भी कहा कि निदेशक मण्डल ने संकल्प लिया है (नवम्बर 2011) कि इस विषय को भविष्य में आहूत वार्षिक साधारण सभा में भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन लेने हेतु उपस्थापित किया जाएगा। जवाब कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के

[1] भूमि का बाजार मूल्य जैसे कि ₹ 2,99,62,500– प्राप्त प्रतिफल जैसे कि ₹ 8,57,000 = ₹ 2,91,05,500।

अनुसार नहीं है, चूँकि यह अंशदान आरम्भ से ही अनियमित था एवं अधिनियम साधारण सभा में भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन के माध्यम से इसके घटनोत्तर नियमन की स्वीकृत नहीं प्रदान करता है।

कम्पनी को, धर्मार्थ एवं अन्य कोष में दान, जो कि कम्पनी के व्यवसाय या उसके कर्मचारियों के हित से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध न हो, देने से पूर्व, कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुपालन को, सुनिश्चित करना चाहिए था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2011), उनका जवाब प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2011)।

4.3 मुद्रित पाठ्य–पुस्तकों के ससमय सुपुर्दगी में विफलता के फलस्वरूप ₹ 4.76 करोड़ का निष्फल व्यय।

शैक्षणिक वर्ष एवं पाठ्यक्रम के संशोधन से पूर्व पाठ्य–पुस्तकों के ससमय आपूर्ति में कम्पनी की विफलता ₹ 4.76 करोड़ के निष्फल व्यय में परिणत हुआ।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (बि0शि0प0प0) ने सर्वशिक्षा अभियान (स0शि0अ0) 2009–10 के लिए वर्ग एक से लेकर आठवी वर्ग के 9.66 करोड़ पाठ्य–पुस्तकों के मुद्रण, पैकिंग एवं सुपुदर्गी हेतु बिहार राज्य पाठ्य–पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड को आदेश (अक्टूबर 2008) दिया। चूँकि ये पुस्तकें शैक्षणिक वर्ष 2009–10 में प्रयुक्त होनी थी, इनके सुपुर्दगी की नियत तिथि 15 मार्च 2009 थी। यद्यपि पाठ्य–पुस्तकों के मुद्रण एवं सुपुर्दगी हेतु उपलब्ध समय मात्र पाँच माह था जो कि आदेश के परिमाण को देखते हुए अपर्याप्त था, तथापि, कम्पनी ने निजी मुद्रकों को मुद्रण आदेश निर्गत (दिसम्बर 2008) किया।

हमने प्रेक्षण में पाया (जुलाई 2010) कि कम्पनी मार्च 2009 की नियत समयावधि में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मुद्रित पाठ्य–पुस्तकें सुपुर्द नहीं कर सका। इसके बजाय कम्पनी ने पुस्तकों के सुपुर्दगी हेतु समय विस्तार के लिए बि0शि0प0प0 अनेकानेक आवेदन किया जिसमें अंतिम विस्तारित समय 15.11.2009 तक प्रदान किया गया। इसी दौरान राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, पटना ने शैक्षणिक वर्ष 2010–11 से वर्ग I, III एवं VI के हेतु नवीन पाठ्यक्रम के लागू होने की सूचना दी (अगस्त 2009)।

समय विस्तार प्रदान होने एवं पाठ्यक्रम संशोधन के पूर्व सूचना के बावजूद कम्पनी पाठ्य–पुस्तकों का ससमय मुद्रण एवं पैकिंग सुनिश्चित नहीं करा सका। इसके फलस्वरूप ₹ 4.76 करोड़ मूल्य की 27.28 लाख वर्ग I, III एवं VI की पुस्तकें कम्पनी के पास पड़ी रह गई जो कि अप्रचलित एवं अप्रासंगिक हो गईं। चूँकि ये पुस्तकें अप्रयुक्त रह गई, कम्पनी ने इन पुस्तकों के निपटान हेतु इन पुस्तकों को समाज के निर्धन बच्चों में वितरण करने का निर्णय लिया (जुलाई 2010)।

ससमय पुस्तकों की सुपुर्दगी में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप कम्पनी द्वारा किया गया ₹ 4.76 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

प्रबन्धन ने अपने जवाब (अक्टूबर 2010) में कहा कि समय के दबाव एवं अन्य कारणों जैसे स्थानाभाव, पैकिंग की जटिल प्रकृति, संसदीय चुनाव एवं कुछ जिलों में बाढ़, इत्यादि के फलस्वरूप मुद्रित पाठ्य–पुस्तकें सुपुर्द नहीं की जा सकी। पाठ्यक्रम के

संशोधन की जानकारी के बावजूद कम्पनी सुपुर्दगी की समय सूची को सुनिश्चित करने में विफल रहा। इसके अलावा, कम्पनी पुस्तकों के सुपुर्दगी में विलम्ब हेतु निजी मुद्रकों के साथ अनुबन्ध में दण्डात्मक उपवाक्य अथवा परिसमापन क्षति उपवाक्य शामिल नहीं करने के कारण अपने वित्तीय हितों की रक्षा नहीं कर सका जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.76 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2011); उनका जवाब प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2011)।

बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड

4.4 अनुबन्ध के नियमों एवं शर्तों के अनुपालन में विफलता के कारण प्राप्यों की वसूली न होना।

ऋण अनुबन्धों के नियमों एवं शर्तों के अनुपालन में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 15.08 करोड़ की प्राप्य राशि वसूली नहीं हो सका।

बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड (कम्पनी) कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है। भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना[2] के माध्यम से यह घोषणा किया कि चूँकि कम्पनी वित्तीय गतिविधियों में संलग्न है, इसलिए राज्य वित्तीय अधिनियम (रा0वि0नि0) 1951 की धारा 29, 30, 31, 32, 32 (क), 32 (ख), 32 (ग) एवं 32 (घ) भी कम्पनी पर लागू होंगी। कथित रा0वि0नि0 की धारा 29 वित्तीय निगम को चूककर्त्ता औद्योगिक ईकाई का प्रबन्धन अथवा स्वामित्व को नियंत्रण में लेने अथवा निगम को प्रतिभूति में अथवा निर्दिष्ट सम्पत्तियों का नियंत्रण अथवा स्थानांतरण करने हेतु अधिकृत करता है। तदोपरांत नियंत्रण में ली गई इकाईयों का विक्रय अथवा निलामी चूककर्त्ता इकाईयों से प्राप्य राशि की वसूली हेतु की जाती है। वैसी स्थिति में जहाँ विक्रय से प्राप्य राशि की पूर्ण वसूली नहीं हो पाती है तो शेष प्राप्य राशि संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा संवर्धक/निदेशक/प्रत्याभूति दाता के व्यक्तिगत गारण्टी का आह्वाहन कर वसूली जानी थी।

हमने प्रेक्षण में पाया (जून 2011) कि ₹ 17.31 करोड़ करोड़ प्राप्य राशि के विरूद्ध कम्पनी ने 2002–09 की अवधि में नौ औद्योगिक इकाईयों का विक्रय किया जिसमें छः[3] औद्योगिक इकाईयों के विरूद्ध ₹ 2.23 करोड़ की राशि (अर्थात् 12.9 प्रतिशत) प्राप्त हुई। शेष ₹ 15.08 करोड़ प्राप्य राशि की वसूली हेतु कम्पनी को संवर्धक/निदेशक के अपरिवर्तनीय एवं शर्तरहित व्यक्तिगत गारण्टी का आह्वान करना चाहिए था। तथापि विक्रय किए गए नौ औद्योगिक इकाईयों में शामिल छः इकाईयों में कम्पनी ने विक्रय की तिथि से दो वर्षो से लेकर आठ वर्षो तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं किया। अतः ऋण अनुबन्ध के नियमों एवं शर्तो के अनुपालन में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप मार्च 2011 तक ₹ 15.08 करोड़ प्राप्य राशि की वसूली नहीं हो सका।

प्रबन्धन ने अपने जवाब में कहा (सितम्बर 2011) कि नौ औद्योगिक इकाइयों के मद में बकाए राशि की वसूली हेतु पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी (पी0डी0आर0) वाद दाखिल कर एवं संवर्द्धकों/निदेशकों के व्यक्तिगत गारण्टी का आह्वाहन कर कार्रवाई कर ली गई

2 अधिसूचना सं0 एफ. 6 (1)/88–आई एफ. II दिनांक 29.02.1988।

3 मे0 बाला पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, मे0 भगवती सौल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड; मे0 एलेन ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड; मे0 एम एस एल इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड; मे0 जी आर मैगनेट्स प्राइवेट लिमिटेड; मे0 आदर्श पेपर बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड।

है। जवाब सही नहीं था चूँकि संवर्द्धकों/निदेशकों के व्यक्तिगत गारण्टी का आह्वान नौ इकाईयों में से केवल तीन औद्योगिक इकाईयों में किया गया था एवं उपर्युक्त दर्शित छः औद्योगिक इकाईयाँ इनके आह्वाहन योग्य न माने जाने के कारण, छोड़ दी गई थी। अतः वांछित कानूनी उपायों के अभाव में, शेष बकाया राशि ₹ 15.08 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2011); उनका जवाब प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2011)।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड

4.5 लेबर सेस के कटौती नहीं करने से अनुचित दायित्व का सृजन

लेबर सेस के लागू नहीं करने के फलस्वरूप ₹ 8.19 करोड़ के अनुचित दायित्व का सृजन।

बिहार सरकार ने जैसा कि, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की 'भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याणकारी सेस अधिनियम, 1996, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना[4] में विचारित है, असाधारण राजपत्रित अधिसूचना[5] के माध्यम से लेबर सेस लागू किया। अधिनियम नियोक्ता द्वारा निर्माण मद में किए गए व्यय का एक प्रतिशत के दर से सेस के कटौती हेतु निर्दिष्ट करता है। तद्नुसार निर्माण कार्य में संलग्न सभी सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को कार्यकारी अभिकरणों के विपत्रों से निर्दिष्ट दर पर लेबर सेस की कटौती करते हुए कटौती की तिथि से तीस दिनों की अवधि में क्रॉस्ड् डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से इसकों "भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याणकारी बोर्ड"(कल्याणकारी बोर्ड) को जमा कर देना चाहिए था। यदि कोई नियोक्ता निर्दिष्ट समय में लेबर सेस के भुगतान में विफल रहता है तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता प्रत्येक माह एवं माह के अंश अवधि हेतु दो प्रतिशत के दर से लेबर सेस के वास्तविक भुगतान होने तक ब्याज भुगतान हेतु जवाबदेह होगा।

हमने प्रेक्षण में पाया (जून 2011) कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बि0रा0पु0नि0नि0) के तीन[6] प्रमण्डल एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड (बि0पु0भ0नि0नि0) का पटना प्रमण्डल, अप्रैल 2008 से, लेबर सेस की वैधानिक कटौती नहीं कर रहे थे। यद्यपि बि0रा0पु0नि0नि0 ने फरवरी 2010 से कटौती करना आरम्भ कर दिया परन्तु बि0पु0भ0नि0नि0 ने अभी तक (नवम्बर 2011) कटौती करना आरम्भ नही किया था। फलस्वरूप संवेदकों के विपत्रों से सम्बन्धित प्राधिकरणों के पास जमा हेतु ₹ 5.60[7] करोड़ राशि की कटौती नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी ₹ 2.59[8] करोड़ राशि के दण्ड ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी हो गया। इस तरह

4 अधिसूचना सं0: 865 दिनांक 4 अप्रैल 2008।

5 केन्द्रीय राजपत्रित अधिसूचना सं0: एस0ओ0 2899 दिनांक 26 सितम्बर 1996 ।

6 पटना–I, पटना–II एवं बि0रा0पु0नि0नि0 का पथ प्रमण्डल।

7 अप्रैल 2008 से जनवरी 2010 तक बि0रा0पु0नि0नि0 मद में ₹ 5.11 करोड़ के लेबर सेस की राशि एवं अप्रैल 2008 से मार्च 2011 तक बि0पु0भ0नि0नि0 के मद में ₹ 0.49 करोड़ के लेबर सेस की राशि सम्मिलित।

8 अप्रैल 2008 से जनवरी 2010 तक बि0रा0पु0नि0नि0 के मद में ₹ 2.48 करोड़ का दण्ड ब्याज एवं अप्रैल 2008 से मार्च 2011 तक बि0पु0भ0नि0नि0 के मद में ₹ 0.11 करोड़ का दण्ड ब्याज सम्मिलित।

लेबर सेस एवं उस पर ब्याज के मद में (मार्च 2011 तक) श्रम विभाग, बिहार सरकार को ₹ 8.19 करोड़ राशि के भुगतान हेतु अनुचित दायित्व का सृजन हो गया **(परिशिष्ट–19)**। इस प्रकार कम्पनियों पर ₹ 8.19 करोड़ के परिहार्य दायित्व का भार पड़ गया।

बि0रा0पु0नि0नि0 ने सूचित किया (जुलाई 2011) कि उन्होंने लेबर सेस की कटौती फरवरी 2010 से आरम्भ कर दिया था।

अधिनियम की धाराओं के अनुपालन में कम्पनी द्वारा विलम्ब से की गई कार्रवाई से ₹ 8.19 करोड़ के परिहार्य दायित्व में परिणत हुआ।

बि0पु0भ0नि0नि0 का जवाब प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2011)

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2011); उनका जवाब प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2011)।

बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

4.6 चल एवं अचल सम्पतियों की सुरक्षा हेतु अपर्याप्त व्यवस्था।

अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के परिणामस्वरूप ₹ 21.32 करोड़ मूल्य की सम्पत्ति का अतिक्रमण हुआ

मध्यम एवं वृहत् औद्योगिक इकाई के प्रोत्साहन, सृजन एवं निष्पादन के उद्देश्य से बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) का संस्थापन 5 नवम्बर 1960 को हुआ था। वित्तीय संकट एवं अप्रचलित तकनीक के कारण कम्पनी 1991–92 से अकार्यशील बन गया था। कम्पनी के लेखाओं का अन्तिमीकरण एवं लेखापरीक्षा वर्ष 1987–88 तक हुआ था लेकिन वार्षिक आम सभा में इसकी स्वीकृति अभी तक ली जानी बाकी है (दिसम्बर 2011)।

31 मार्च 1988 को अन्त हुए वर्ष के प्रमाणित लेखाओं के अनुसार कम्पनी के पास कुल ₹ 4.19[9] करोड़ की सम्पत्तियाँ थी। कम्पनी के वार्षिक लेखे (1997–98) की लेखापरीक्षा ने कम्पनी के चल एवं अचल सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु समुचित अभिलेखों के संधारण में कम्पनी की निम्नांकित त्रुटियाँ एवं पर्याप्त कार्रवाइयों के अभाव को दर्शित किया:

सम्पत्ति अभिलेखों का अपर्याप्त संधारण एवं सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन।

वैज्ञानिक एवं कुशल आन्तरिक नियंत्रण पद्धति हेतु कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (सी) के अनुसार कम्पनी द्वारा स्थायी सम्पत्तियों की पंजी का संधारण अनिवार्य है। अपने प्रत्येक सम्पत्ति हेतु विभिन्न विवरण जैसे उनकी अवस्थिति, वास्तविक मूल्य, संचित ह्रास, तकनीकी एवं यांत्रिक विशिष्टीकरण, पहचान संख्या इत्यादि को दर्शित करते हुए कम्पनी को अभिलेखों का संधारण करना चाहिए था। हमारी संवीक्षा (जून 2011) से यह पता चला कि पर्याप्त एवं आवश्यक सूचना को दर्शित करने वाले पर्याप्त एवं अद्यतन अभिलेखों का संधारण कम्पनी ने नहीं किया था।

नियमित समय अन्तराल पर सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन आन्तरिक नियन्त्रण का एक महत्वपूर्ण यंत्र है चूँकि यह कम्पनी के स्वामित्व वाली सम्पत्तियों की उपलब्धता को

[9] अचल सम्पत्तियाँ ₹ 2.98 करोड़ एवं चल सम्पत्तियाँ ₹ 1.21 करोड़।

सुनिश्चित करती है, सम्पत्तियों के क्षति/चोरी एवं अधिग्रहण के जोखिम को कम करती है जिनसे प्रबन्धन ससमय उपचारात्मक कदम उठा सके।

हमने प्रेक्षण में पाया कि कम्पनी ने अपनी सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन कई वर्षो से नहीं कराया था जिसके फलस्वरूप कम्पनी को अपनी सम्पत्तियों के मामले में अनियमितताओं की जानकरी नहीं थी। इस दिशा में कम्पनी की उदासीनता के फलस्वरूप कम्पनी की सम्पत्तियाँ चोरी/अधिग्रहण के जोखिम का शिकार हुई।

अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण ₹ 21.32 करोड़ की सम्पत्तियों का अधिग्रहण।

कम्पनी की अचल सम्पत्तियाँ (जैसे कि भूमि एवं भवन) की सुरक्षा एवं देख–रेख हेतु समुचित व्यवस्था कम्पनी को भूमि एवं भवन की उन्मुक्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु अति आवश्यक है। तथापि हमारी संवीक्षा में यह पाया गया कि विभिन्न स्थानों/कम्पनी की इकाइयों में ₹ 550.71 करोड़ (मौजूदा बाजार मूल्य) की 435 एकड़ की भूमि की देख–रेख के लिए कम्पनी ने पर्याप्त व्यवस्था नहीं किया जिसके फलस्वरूप यह भूमि अधिग्रहणों का शिकार हुआ जैसे कि नीचे दर्शाया गया है:

अ. हाई टेन्शन इन्सुलेटर फैक्टरी (एच0टी0आई0एफ0), नामकुम, राँची

अ. (1) झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (झा0रा0वि0बो0) जो तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का एक अंग था, ने कम्पनी के ₹ 13 करोड़ (मौजूदा बाजार मूल्य) के 11.39 एकड़ भूमि पर एक ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण, कम्पनी को बिना कोई भुगतान किए एवं भूमि के विक्रय/लीज/स्थानांतरण हेतु बिना कोई औपचारिक अनुबन्ध किए, कर दिया था। तथापि माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड ने मामले में हस्तक्षेप करते हेतु झा0रा0वि0बो0 को भूमि को लीज पर लेने हेतु कम्पनी से सम्पर्क करने हेतु आदेश दिया (मार्च 2005)। लेकिन झा0रा0वि0बो0 ने न तो कम्पनी को कोई भुगतान किया (मई 2011) और न भूमि के अनुबन्ध हेतु कम्पनी से कोई सम्पर्क किया। इस तरह कम्पनी के ₹ 13 करोड़ की 11.39 एकड़ की भूमि, झा0रा0वि0बो0 के आधिपत्य/अधिग्रहण में थी तथा यह भूमि जिसका उपयोग दूसरी कम्पनी द्वारा किया जा रहा था, उस पर कम्पनी को किसी प्रकार का मौद्रिक आय नहीं हो रहा था।

अ. (2) कम्पनी का हाई टेन्शन इन्सुलेटर फैक्टरी, राँची का 40,000 वर्ग फुट (0.92 एकड़) जमीन भूतपूर्व कमचारियों/भूतपूर्व कर्मचारियों के परिवारों/बाहरी व्यक्तियों द्वारा 15 या अधिक वर्षों से अधिग्रहित कर लिया गया था। तथापि कम्पनी भूमि खाली कराने हेतु कोई प्रभावकारी कदम उठाने में विफल रहा। इस तरह ₹ 1.63 करोड़ का एक वृहत् क्षेत्र/भूमि दूसरों के अधिग्रहण में था (मई 2011)।

अ. (3) कम्पनी को बिना कोई भुगतान किए एवं बिना कोई औपचारिक अनुबन्ध किए कम्पनी के ₹ 5.69 करोड़ की 5 .9 एकड़ भूमि पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने एक ई0एस0आई0 अस्पताल का निर्माण किया।

ब. बिहार स्टेट सुपर–फॉस्पेट फैक्टरी, सिन्दरी

कम्पनी का आधा एकड़ (50 डिसमिल) आवासीय क्षेत्र, जिसकी कीमत ₹ एक करोड़ है, का अधिग्रहण भूतपूर्व कर्मचारियों/बाहरी व्यक्तियों द्वारा वर्ष 2000 से कर लिया गया। कम्पनी ने अपनी आवासीय भूमि/क्षेत्र को खाली कराने हेतु कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाया था (जून 2011) ।

पूर्वोक्त से यह स्पष्ट है कि कम्पनी का 18.71 एकड़ भूमि, जिसका मूल्य ₹ 21.32 करोड़ था, दूसरों के अधिग्रहण में थी। अधिग्रहित भूमि के प्राप्ति हेतु पर्याप्त कदम उठाने में कम्पनी की विफलता वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु कदम उठाने में कम्पनी की विफलता में परिणत हुआ। साथ ही विषम अधिग्रहण के सिद्धांत के अनुसार इन भूमियों के क्षति की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है जब–जब अधिग्रहित भूमियों से जुड़े मुद्दे न्यायालय में चुनौती हेतु उठाए जाएंगे।

मामला सरकार/कम्पनी को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2011); उनका जवाब प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2011)।

नौ सरकारी कम्पनियाँ

4.7 कर्मचारी भविष्य निधि में अत्यधिक अंशदान का परिहार्य व्यय

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के उल्लंघन में नौ[10] सरकारी कम्पनियों ने भविष्य निधि में ₹ 4.15 करोड़ का अत्यधिक नियोक्ता अंशदान जमा किया।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 6 के अनुसार नियोक्ता का दायित्व भविष्य निधि में अंशदान मूल वेतन, महँगाई भत्ता, भोजन रियायत का रोकड़ मूल्य एवं रिटेनिंग भत्ता का 12 प्रतिशत की दर से करना था। आगे कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 की अध्याय–IV की कंडिका 26 क (2) में प्रावधानित है कि यदि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन ₹ 6,500 से अधिक है, तो वैसी स्थिति में नियोक्ता अंशदान ₹ 6,500 की मासिक वेतन पर सीमित की जाएगी। तद्नुसार, योजना के दायरे में आने वाले सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को अपना अंशदान अधिनियम में निर्दिष्ट सीमा तक सीमित करना था।

हमने प्रेक्षित किया (जून 2011) कि नौ सरकारी कम्पनियों ने नियोक्ता अंशदान को ₹ 6,500 के मासिक वेतन पर बिना सीमित किए 12 प्रतिशत की दर से जमा किया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2006–11 में नियोक्ताओं द्वारा ₹ 4.15 करोड़ का अत्यधिक अंशदान जमा हुआ। (ब्यौरा **परिशिष्ट–20** में दिया गया है)।

नौ कम्पनियों में से छः कम्पनियों से जवाब प्राप्त हुए जिनका ब्योरा निम्नवत् हैः

(क) बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड ने तथ्यों को स्वीकारते हुए (सितम्बर 2011) नियोक्ता अंशदान को ₹ 6,500 के मासिक वेतन पर सीमित करने हेतु आदेश पारित किया।

(ख) बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने अपने जवाब में कहा (सितम्बर 2011) कि वैधानिक सीमा से अधिक नियोक्ता अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि योजना की कंडिका 26क (2) के उल्लंघन में नहीं था एवं माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा

10 (i) बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड, (ii) बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, (iii) बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, (iv) बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड, (v) बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड, (vi) बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, (vii) बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड, (viii) बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, एवं (ix) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड।

पारित आदेश (एन0 विजयन एवं अन्य बनाम सरकार, कृषि (डेयरी) विभाग एवं अन्य के सचिव) कि कर्मचारी वैधानिक सीमा से अधिक अंशदान कर सकता है और यह नियोक्ता पर समान अंशदान जमा करने हेतु कोई दायित्व का सृजन नहीं करेगा के अनुसार विधिसम्मत था। तथापि नियोक्ता अपनी स्वेच्छा से वैधानिक सीमा से अत्यधिक अंशदान जमा कर सकता है।

(ग) बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम ने अपने जवाब में कहा (दिसम्बर 2011) कि कम्पनी ने तय वेतन सीमा से अधिक नियोक्ता अंशदान के भुगतान हेतु अनुमति प्रदान करने वाली कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 की धारा 26 (6) के अनुसार एक कार्यालय आदेश निर्गत किया था एवं तत्पश्चात क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को तय वेतन सीमा से अधिक नियोक्ता अंशदान के भुगतान की अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन किया (मई 2011) जो अभी भी विचाराधीन है।

(घ) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड एवं संयुक्त निदेशक, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार सरकार ने अपने–अपने जवाब में कहा (दिसम्बर 2011) कि कम्पनी ने निर्दिष्ट सीमा से अधिक नियोक्ता अंशदान के सन्दर्भ में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पटना से दिशा–निर्देश माँगा है जो अप्राप्त था।

(ड.) शेष दो[11] कम्पनियों ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की धारा 11(3) के उपबन्धों का सन्दर्भ किया जो यह कहता है कि अधिकतम पेंशन योग्य वेतन ₹ 6,500 के मासिक वेतन तक सीमित रहेगा यदि नियोक्ता एवं कर्मचारी के विकल्प पर इस योजना के शुरूआत से अथवा उस तिथि से जब मासिक वेतन ₹ 6,500 से अधिक है, जो भी बाद में है, अंशदान ₹ 6,500 के मासिक वेतन से अधिक भुगतान किया गया है एवं नियोक्ता अंशदान का 8.33 प्रतिशत पेंशन निधि में जमा किया जाता है तो अधिकतम वेतन पर पेंशनयोग्य वेतन आधारित रहेगा। अतः इस प्रकार कम्पनियों ने अधिनियमों के उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया था।

शेष तीन कम्पनियों ने अपना जवाब समर्पित नहीं किया था (दिसम्बर 2011)।

क्षेत्रिय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार, पटना ने स्पष्ट करते हुए कहा (दिसम्बर 2011) कि निर्दिष्ट सीमा के ऊपर एवं अधिक अंशदान पर प्रशासनिक शुल्क के भुगतान हेतु नियोक्ता के साथ सम्मिलित आवेदन प्रस्तुत करने पर कर्मचारी भविष्य निधि का कोई भी सदस्य निर्दिष्ट सीमा से अधिक अंशदान जमा कर सकता है। तथापि वैसे तिथि से ही न कि उसके बाद की तिथि से, जब किसी कर्मचारी का वेतन निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो गया है, पेंशन अंशदान के लिए समान उपबंध लागू थी। अपितु कर्मचारी डिपोजिट लिंक्ड स्कीम में नियोक्ता द्वारा देय अंशदान एवं प्रशासनिक शुल्क निर्दिष्ट सीमा तक ही सीमित रहेगा।

उपरोक्त कम्पनियों द्वारा समर्पित जवाब मान्य नहीं थे चूँकि योजना की धारा 26 क (2) के अनुसार वैधानिक सीमा से अधिक अंशदान हेतु नियोक्ता उत्तरदायी नहीं थे।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2011); उनका जवाब प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2011)।

11 बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड।

सांविधिक निगम

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

4.8 बोर्ड को हानि

एन0आई0टी0 एवं क्रय आदेश उपवाक्य के अनुपालन नहीं करने के फलस्वरूप ₹ 0.53 करोड़ की हानि

बोर्ड ने मे0 ईस्ट इंडिया उद्योग लिमिटेड एवं मे0 आनंद ट्रान्सफॉर्मर प्राइवेट लिमिटेड को क्रमशः 35 एवं 20 ट्रान्सफॉर्मर के क्रय हेतु क्रयादेश दिया (जून 2008)। क्रय आदेश के नियमानुसार ट्रान्सफॉर्मर का दर अगस्त 2007 आधारित नियत तिथि वाली आई0ई0ई0एम0ए0[12] प्राईस वेरियेशन सर्कुलर के अनुसार परिवर्तनीय आधार पर उद्धरित किया जाना था। एन0आई0टी0 के उपवाक्य 31 (बी) (ii) के अनुसार "सुपुर्दगी विलम्ब की स्थिति में, सांविधिक सुपुर्दगी की तिथि अथवा वास्तविक सुपुर्दगी तिथि में जो भी क्रयदाता के लिए लाभकारी हो, के आधार पर परिवर्तनीय मूल्य के भुगतान का अधिकार क्रयदाता के पास होगा"। साथ ही आई0ई0ई0एम0ए0 प्राईस वेरियशन सर्कुलर के अनुसार ट्रान्सफॉर्मर के निरीक्षण/सम्प्रेषण के पूर्ण होने की अधिसूचित तिथि अथवा सांविदिक तिथि, दोनों में से जो पहले होगी, सुपुर्दगी की तिथि होगी।

मे0 ईस्ट इण्डिया उद्योग लिमिटेड ने क्रयादेश के निर्गत तिथि से दो माह के अन्दर (पहले माह में 15 ट्रान्सफॉर्मर एवं 20 ट्रान्सफॉर्मर दूसरे महीने में) एवं मे0 आनन्द ट्रान्सफॉर्मर ने चार माह के अन्दर (बिना आपूर्ति सूची के) ट्रान्सफॉर्मर की आपूर्ति किया।

हमने प्रेक्षित किया (जनवरी 2011) कि बोर्ड के मुख्य अभियन्ता, भण्डार एवं क्रय को 17 ट्रान्सफॉर्मर[13] विलम्ब से आपूर्ति किए गए थे। तथापि मुख्य अभियन्ता , भण्डार एवं क्रय ने नियत सुपुर्दगी तिथि के अनुसार गणना कर भुगतान निर्गत किया जो वास्तविक सुपुर्दगी तिथि के दौरान मौजूदा दर से अधिक था। ऐसा करना ₹ 0.53 करोड़ (₹ 0.49 करोड़ आपूर्तिकर्ता को एवं ₹ 0.04 करोड़ प्रवेश कर के रूप में) के अधिक भुगतान के रूप में परिणत हुआ (**परिशिष्ट–21**)।

बोर्ड ने जवाब में कहा (जून 2011) कि आपूर्तिकर्ता को एन0आई0टी0 एवं आई0ई0ई0एम0ए0 सर्कुलर के अनुसार भुगतान किया गया था।

बोर्ड का तर्क मान्य नहीं है चूँकि आई0ई0ई0एम0ए0 सर्कुलर सुपुर्दगी तिथि के निर्धारण से सम्बन्धित है और आपूर्तिकर्ता द्वारा विलम्बित सुपुर्दगी की स्थिति में बोर्ड को ट्रान्सफॉर्मर के मूल्य की गणना एन0आई0टी0 उपवाक्य 31 (बी)(ii) के अनुसार करना चाहिए था, जिसे बोर्ड ने नहीं किया। निरीक्षण हेतु ट्रान्सफार्मरों की तैयारी की अधिसूचना नियत आपूर्ति तिथि से दो से लेकर आठ महीने के विलम्ब से की गई थी। ऐसा करना आपूर्तिकर्ता को ₹ 0.53 करोड़ के अधिभुगतान में परिणत हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2011); उनका जवाब प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2011)।

12 इन्डियन इलेक्ट्रीकल इक्विपमेंट्स मैनुँफैक्चरर्स एसोसियेशन।

13 मे0 ईस्ट इण्डिया उद्योग लिमिटेड का 13 ट्रान्सफॉमर्र, मे0 आनन्द ट्रान्सफॉमर्स प्राईवेट लिमिटेड का चार ट्रान्सफार्मर।

4.9 एनर्जी मीटरों के क्रय में हानि

क्रयादेश की समीक्षा एवं सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर के क्रय में रियायत का लाभ लेने में बोर्ड की विफलता के कारण ₹ 0.78 करोड़ का परिहार्य व्यय।

(क) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) द्वारा अपनाई गई बिहार वित्तीय (संशोधन) नियमावली, 2005 के अनुसार सामग्रियाँ प्रत्यक्ष तरीके से आपूर्तिकर्ता से उस दर पर प्राप्त की जा सकती है जो डायरेक्टरेट जेनेरल ऑफ सप्लाईस एण्ड डिस्पोजल्स (डी0जी0एस0 एवं डी0) के दर से अधिक न हो। बोर्ड की केन्द्रीय क्रय समिति ने 24 सितम्बर 2010 को डी0जी0एस0 एवं डी0 दर पर पाँच आपूर्तिकर्ताओं से सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर क्रय हेतु निर्णय लिया। 29 सितम्बर 2010 को बोर्ड ने क्रयादेश निर्गत किया जिसका विवरण **परिशिष्ट–22** में दिया गया है। सामग्रियों की सुपुर्दगी क्रयादेश तिथि से चार महीने के अन्दर पूर्ण की जानी थी। उपरोक्त दर 30 सितम्बर 2010 तक मान्य था एवं 1 अक्टूबर 2010 से दरों का पुर्नरीक्षण होना था।

उपरोक्त क्रयादेश के विरूद्ध, मे0 मैक्सवेल इण्डिया ने मीटरों की आपूर्ति नहीं की। 5 अक्टूबर 2010 को अन्य आपूर्तिकर्ता मे0 कैपिटल पावर सिस्टम लिमिटेड ने बोर्ड को क्रयादेश के समीक्षा हेतु निवेदन किया चूँकि डी0जी0एस0 एवं डी0 ने एनर्जी मीटर के ₹ 439 के दर को अधिक मानते हुए ₹ 405 के दर को सही माना था। बोर्ड ने आपूर्तिकर्ता के इस प्रस्ताव का संज्ञान नहीं लिया और न ही आपूर्तिकर्ता ने मीटरों की आपूर्ति की। दिसम्बर 2010 से अप्रैल 2011 की अवधि में आदेशित मात्रा 1,08,000 मीटर के विरूद्ध शेष तीन आपूर्तिकर्ता मे0 एलाईड इन्जीनियरिंग वर्क्स, मे0 इन्डोटेक स्विच गीयर एण्ड कन्ट्रोल प्राईवेट लिमिटेड एवं मे0 नकोडा मीटर्स ने 1,07,900 मीटरों की आपूर्ति की। इन मीटरों के आपूर्ति के विरूद्ध आपूर्तिकर्ताओं को प्रति मीटर ₹ 450 तथा कर–राशि के दर पर पूर्ण भुगतान कर दिया गया। तथापि मे0 नकोडा मीटर्स द्वारा आपूर्ति किए गए 36,000 मीटरो में से केवल 28,000 मीटरों के लिए ही भुगतान किया गया था।

हमने प्रेक्षित किया कि अक्टूबर 2010 को सिंगल फेज एनर्जी मीटर दर का पुर्नरीक्षण होना था। मे0 कैपिटल पावर सिस्टम लिमिटेड ने भी शीघ्र वैसे समय बोर्ड को क्रयादेशों की समीक्षा हेतु आवेदन किया था जब किसी भी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मीटरों की आपूर्ति नहीं की गई थी। 18.10.2010 को डी0जी0एस0 एवं डी0 ने मीटरों के दरों का पुर्नरीक्षण कर दिया जो ₹ 404 एवं ₹ 405 तथा कर–राशि के परास में था। अतः क्रयादेश की समीक्षा एवं आपूर्तिकर्ताओं से इस विषय पर विचार करना बोर्ड के लिए अति आवश्यक हो गया था। इसके अलावा बोर्ड के हितों की रक्षा हेतु क्रयादेशों के निरस्त अथवा संशोधन हेतु कोई उपबंध क्रयादेश में शामिल नहीं किया गया था। अतः कम डी0जी0एस0 एवं डी0 दरों का लाभ लेने हेतु क्रयादेश की समीक्षा का अभाव ₹ 0.59 करोड़ के परिहार्य व्यय में परिणत हुआ।

बोर्ड ने जवाब में कहा (दिसम्बर 2011) कि आपूर्तिकर्ताओं को क्रयादेश डी0जी0एस0 एवं डी0 दरों पर निर्गत किया था जो कि 30.09.2010 तक ही लागू था। साथ ही पूर्व में मौजूदा डी0जी0एस0 एवं डी0 दरों पर निर्गत क्रयादेश का संशोधन अक्टूबर 2010 से लागू डी0जी0एस0 एवं डी0 दरों के आधार पर करना सम्भव नहीं था। वास्तविकता यह है कि बोर्ड ने आपूर्तिकर्ताओं को निर्गत क्रयादेशों की समीक्षा/संशोधन डी0जी0एस0 एवं डी0 के पुर्नरीक्षित दरों के सन्दर्भ में नहीं किया जिसके फलस्वरूप ₹ 0.59 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(ख) प्रति मीटर ₹ 450 तथा कर–राशि के दर पर बोर्ड ने 3,55,000 सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटरों के क्रय हेतु दिसम्बर 2010 में 50,000 मीटरों, फरवरी 2011 में 1,25,000 मीटरों और मई 2011 में 1,80,000 मीटरों हेतु क्रयादेश निर्गत किया जिनका विवरण **परिशिष्ट–23** में दिया गया है। क्रयादेश के विरूद्ध मे0 एलाईड इन्जीनियरिंग वर्क्स ने 82000 मीटरों एवं मे0 बेन्टेक्स कन्ट्रोल एण्ड स्वीचगीयर कम्पनी ने 68,000 मीटरों का आपूर्ति किया (सितम्बर 2011)। इनके विरूद्ध प्रति मीटर ₹ 405 तथा कर–राशि (अर्थात् ₹ 492.37) दर के आधार पर मे0 एलाईड इन्जीनियरिंग वर्क्स (31,719 मीटरों हेतु) एवं मे0 बेन्टेक्स (36,000 मीटरों हेतु) भुगतान किए गए।

हमने प्रेक्षित किया कि मे0 बेन्टेक्स का डी0जी0एस0 एवं डी0 दर संविदा न्यूनतम 2000 मीटरों की आपूर्ति हेतु ₹ 10 प्रति मीटर स्लैब डिस्काउन्ट प्रदान कर रहा था। यह पार्टी 4 से 5 लाख मीटरों की आपूर्ति करने के लिए तैयार था। ₹ 10 के डिस्काऊन्ट को ध्यान में रखते हुए मे0 बेन्टेक्स का प्रति मीटर दर ₹ 405 की अपेक्षा ₹ 395 था। बोर्ड ने इन तथ्यों को दरकिनार करते हुए ₹ 405 तथा कर–राशि के दर के आधार पर मीटरों का क्रय आदेश निर्गत किया एवं 1.50 लाख मीटरों की आपूर्ति पर ₹ 0.19 करोड़ का परिहार्य व्यय किया (सितम्बर 2011)।

बोर्ड ने जवाब (दिसम्बर 2011) में कहा कि डी0जी0एस0 एवं डी0 द्वारा निर्दिष्ट विशिष्टीकरणों में अतिरिक्त आवश्यकताओं/विशिष्टीकरणों का समावेश कर, जिसे गारण्टीड टेक्नीकल पर्टीकुलर्स (जी0टी0पी0) के नाम के जाना जाता है, क्रयादेश निर्गत किया गया था। तथापि डी0जी0एस0 एवं डी0 के वेबसाईट पर चिह्नित स्लैब डिस्काउन्ट केवल डी0जी0एस0 एवं डी0 द्वारा निर्धारित विशिष्टीकरणों के लिए मान्य था और कोई भी आपूर्तिकर्ता जी0टी0पी0 सहित मीटरों की आपूर्ति रियायत पर करने को तैयार नहीं था। जवाब संतोषजनक नहीं था चूँकि डी0जी0एस0 एवं डी0 दरों पर मीटरों का बिना निविदा किए आपूर्तिकर्ता से सीधे तौर पर क्रय केवल डी0जी0एस0 एवं डी0 की तकनीकी विशिष्टीकरणों के अनुसार किया जा सकता है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2011); जवाब प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2011)।

सामान्य

4.10 निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया

लेखा परीक्षण के दौरान पाये गये एवं मौके पर नहीं निपटाये गये लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) के कार्यालय प्रधानों एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि0प्र0) के माध्यम से संवादित किया जाता है। सा0क्षे0उ0 के प्रधानों को सम्बद्ध विभागों के प्रधानों के माध्यम से नि0प्र0 का उत्तर छः हफ्तों के अन्दर देना होता है। मार्च 2011 तक 22 सा0क्षे0उ0 को निर्गत नि0प्र0 से यह स्पष्ट होता है कि 589 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बद्ध 1462 कंडिकाएँ सितम्बर 2011 तक लम्बित थीं। ये लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाएँ एक से पाँच वर्षो तक अनुत्तरित थीं। 30 सितम्बर 2011 तक लम्बित नि0प्र0 एवं लेखा परीक्षा प्रेक्षणों का विभागवार ब्योरा **परिशिष्ट–24** में दी गयी है।

उसी प्रकार सा0क्षे0उ0 के कार्यकलापों पर प्रारूप कंडिकाओं एवं समीक्षाओं के तथ्यों एवं आँकड़ों की सम्पुष्टि एवं छः हफ्तों की अवधि में उनकी टिप्पणी के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को अर्द्धसरकारी पत्रों के माध्यम से अग्रसारित किये गए । अपितु यह पाया गया कि अप्रैल से नवम्बर 2011 की अवधि में

विभिन्न विभागों को अग्रसारित दो समीक्षाओं एवं 21 प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर **परिशिष्ट–25** में दिए विवरण के अनुरूप प्रतीक्षित थे ।

यह अनुशंसित किया जाता है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि (क) विहित समय सीमा में निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं का उत्तर देने में असफल रहने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध कारवाई की प्रक्रिया विद्यमान हो, (ख) एक समयबद्ध कार्यसूची के अनुसार हानि/बकाया अग्रिमों/अधिभुगतान की वसूली हेतु कार्रवाई हो और (ग) लेखा परीक्षा प्रेक्षणों पर उत्तर देने की प्रणाली मजबूत हो।

(आर. बी. सिन्हा)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

पटना
दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक

परिशिष्ट 1

31 मार्च 2011 को सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के संदर्भ में प्रदत्त पूँजी, बकाया ऋणों एवं मानव शक्ति को दर्शानेवाली विवरणी

(कंडिका 1.7 में संदर्भित)

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2010–11 के अंत में बकाया ऋण**				2010–11 के ऋण/साधारण पूँजी के अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव शक्ति (31.3.2011 तक के कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	5 (ङ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	(7)	(8)
क. कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं सामवर्गी													
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	कृषि	18.7.1977	2.27 (0.65)	1.22 (0.02)	0.22 (0.03)	3.71 (0.70)	27.93	-	-	27.93	-- (7.53:1)	89
2.	बिहार राज्य मतस्य विकास निगम लिमिटेड	पशुपालन एवं मतस्य	23.3.1980	3.00 (1.25)	-	-	3.00 (1.25)	2.60	0.03	-	2.63	0.88:1 (0.89:1)	40
3.	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड	जल संसाधन		-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-- (60.60:1)	अनुपलब्ध
प्रक्षेत्रवार योग				**5.27 (1.90)**	**1.22 (0.02)**	**0.27 (0.03)**	**6.76 (1.95)**	**30.53**	**0.03**	-	**30.56**	-	**129**
वित्त													
4.	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	उद्योग	30.1.1975	15.12 (0.12)	-	-	15.12 (0.12)	20.48	-	33.01	53.49	3.54:1 (3.80:1)	52
5.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	कल्याण	17.6.1993	18.36 (5.00)	-	-	18.36 (5.00)	-	16.69	-	16.69	0.91:1 (1.24:1)	17
6.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	अल्पसंख्यक विकास	22.3.1984	31.79	-	-	31.79	-	-	42.87	42.87	1.35:1 (3.04:1)	27
7.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	उद्योग	6.3.1983	2.00 (1.00)	-	-	2.00 (1.00)	0.15	-	-	0.15	0.08:1 (0.07:1)	08
प्रक्षेत्रवार योग				**67.27 (6.12)**	-	-	**67.27 (6.12)**	**20.63**	**16.69**	**75.88**	**113.20**		**104**

परिशिष्ट–1

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी$				2010–11 के अंत में बकाया ऋण**				2010–11 के ऋण/साधारण पूँजी के अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव शक्ति (31.3.2011 तक के कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	5 (ङ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	(7)	(8)
आधारभूत संरचना													
8.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	गृह (आरक्षी)	26.6.1974	0.10 (0.00)[1]	-	-	0.10 (0.00)	-	0.43	-	0.43	4.30:1 (4.30:1)	380
9.	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	पथ निर्माण	11.6.1975	3.50	-	-	3.50	-	-	-	-	-	487
10.	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड*	भवन निर्माण	20.3.2008	0.06	-	-	0.06	-	-	-	-	-	09
11.	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड	पथ निर्माण	20.04.2009	20.00	-	-	20.00	-	-	-	-	-	105
12.	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	शहरी विकास एवं गृह	16.06.2009	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	-	35
13.	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत विकास निगम लिमिटेड	मानव संसाधन	16.07.2010	20.00 (19.95)			20.00 (19.95)	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार योग				**48.66 (19.95)**	-	-	**48.66 (19.95)**	-	**0.43**	-	**0.43**	-	**1016**
विनिर्माण													
14.	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	सूचना प्राद्योगिकी	21.2.1978	5.66 (5.51)	-	-	5.66 (5.51)	6.00	-	-	6.00	1.06:1 (1.05:1)	71
15.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	खनन एवं भूविज्ञान	12.6.1972	9.97	-	-	9.97	-	-	-	-	-	0
16.	बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड	उत्पाद	25.5.2006	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	-	338
प्रक्षेत्रवार योग				**20.63 (5.51)**	-	-	**20.63 (5.51)**	**6.00**	-	-	**6.00**	-	**409**
ऊर्जा													
17.	बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	ऊर्जा	31.3.1982	99.04	-	-	99.04	180.76	-	99.89	280.65	2.83:1 (2.55:1)	132
प्रक्षेत्रवार योग				**99.04**	-	-	**99.04**	**180.76**	-	**99.89**	**280.65**	-	**132**

[1] ₹ 0.01 लाख

परिशिष्ट–1

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी$				2010–11 के अंत में बकाया ऋण**				2010–11 के ऋण/साधारण पूँजी के अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव शक्ति (31.3.2011 तक के कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	5 (ङ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	(7)	(8)
सेवाएँ													
18.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	28.11.1980	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	-	257
19.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	22.4.1973	5.27	-	-	5.27	118.64	1.94	-	120.58	22.88:1 (22.88:1)	698
प्रक्षेत्रवार योग				**10.27**	-	-	**10.27**	**118.64**	**1.94**	-	**120.58**		**955**
विविध													
20.	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	वन एवं पर्यावरण	10.2.1975	1.75	0.54	-	2.29	-	-	-	-	-	अनुपलब्ध
21.	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	मानव संसाधन	2.4.1965	0.36	-	0.12	0.48	-	-	-	-	-	173
प्रक्षेत्रवार योग				**2.11**	**0.54**	**0.12**	**2.77**	-	-	-	-	-	**173**
योग (क) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)				**253.25 (33.48)**	**1.76 (0.02)**	**0.39 (0.03)**	**255.40 (33.53)**	**356.56**	**19.09**	**175.77**	**551.42**	-	**2918**
(ख) कार्यशील सांविधिक निगमें													
वित्त													
1.	बिहार राज्य वित्त निगम	उद्योग	2.11.1954	39.95	37.70	0.19	77.84	228.47	-	3.47	231.94	2.98:1 (3.39:1)	307
प्रक्षेत्रवार योग				**39.95**	**37.70**	**0.19**	**77.84**	**228.47**	-	**3.47**	**231.94**		**307**
ऊर्जा													
2.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	ऊर्जा	1.4.1958	-	-	-	-	8012.74	292.48	304.26	8609.48	-	11506
प्रक्षेत्रवार योग				-	-	-	-	**8012.74**	**292.48**	**304.26**	**8609.48**	-	**11506**
सेवाएँ													
3.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	परिवहन	1.5.1959	74.75	26.52	-	101.27	298.33	-	-	298.33	2.95:1 (2.93:1)	1700
4.	बिहार राज्य भंडार निगम	सहकारिता	29.3.1957	3.21	-	3.21	6.42	-	-	1.18	1.18	0.18:1 (0.37:1)	232
प्रक्षेत्रवार योग				**77.96**	**26.52**	**3.21**	**107.69**	**298.33**	-	**1.18**	**299.51**	-	**1932**
योग (ख) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सांविधिक निगमें)				**117.91**	**64.22**	**3.40**	**185.53**	**8539.54**	**292.48**	**308.91**	**9140.93**	-	**13745**
कुल योग (क+ख)				**371.16 (33.48)**	**65.98 (0.02)**	**3.79 (0.03)**	**440.93 (33.53)**	**8896.10**	**311.57**	**484.68**	**9692.35**	-	**16663**

परिशिष्ट–1

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी$				2010–11 के अंत में बकाया ऋण**				2010–11 के ऋण/साधारण पूँजी के अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव शक्ति (31.3.2011 तक के कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	5 (ङ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	(7)	(8)
(ग) अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्गी													
1.	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	जल संसाधन	12.4.1973	10.00	-	-	10.00	49.68	-	-	49.68	4.97:1 (4.97:1)	अनुपलब्ध
2.	बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड	पशुपालन एवं मतस्य	13.3.1972	6.72	-	-	6.72	1.75	-	-	1.75	0.26:1 (0.26:1)	-
3.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	लघु सिंचाई	3.6.1975	10.82	-	-	10.82	8.55	-	-	8.55	0.79:1 (0.86:1)	अनुपलब्ध
4.	बिहार राज्य कृषि उद्याग विकास निगम लिमिटेड	कृषि	28.4.1966	7.64 (0.07)	-	-	7.64 (0.07)	12.60	-	-	12.60	1.65:1 (1.65:1)	283
5.	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	कृषि	8.10.1980	1.61	0.49	-	2.10	0.42	0.70	-	1.12	0.53:1 (0.53:1)	10
6.	बिहार कीटनाशक लिमिटेड	उद्योग	27.2.1983	-	-	2.96 (2.39)	2.96 (2.39)	-	-	1.54	1.54	0.52:1 (0.52:1)	69
7.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, खगौल	कृषि	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनु0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनु0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
8.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, डीहरी	कृषि	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनु0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनु0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
9.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, आरा	कृषि	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनु0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनु0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
10.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, औरंगाबाद	कृषि	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनु0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनु0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
11.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, मोहनिया	कृषि	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनु0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनु0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
12.	स्काडा एग्रो वन कंपनी लिमिटेड, खगौल	कृषि	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनु0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनु0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
प्रक्षेत्रवार योग				**36.79 (0.07)**	**0.49**	**2.96 (2.39)**	**40.24 (2.46)**	**73.00**	**0.70**	**1.54**	**75.24**	-	**362**

परिशिष्ट–1

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत पूँजी[$]				2010–11 के अंत में बकाया ऋण**				2010–11 के ऋण/साधारण पूँजी के अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव शक्ति (31.3.2011 तक के कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	5 (ङ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	(7)	(8)
वित्त													
13.	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	पंचायती राज	20.4.1974	1.44 (0.38)	--	--	1.44 (0.38)	-	-	-	-	-	अनुपलब्ध
14.	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	उद्योग	21.5.1974	10.00	--	--	10.00	1.16	-	-	1.16	0.12:1 (0.12:1)	अनुपलब्ध
15.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	उद्योग	29.10.1961	7.18	-	-	7.18	10.40	-	1.83	12.23	1.70:1 (1.70:1)	49
16.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	5.11.1960	14.04	-	-	14.04	66.54	-	0.02	66.56	4.74:1 (4.44:1)	823
प्रक्षेत्रवार योग				**32.66 (0.38)**	**-**	**-**	**32.66 (0.38)**	**78.10**	**-**	**1.85**	**79.95**	**-**	**872**
आधारभूत संरचना													
17.	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	जल संसाधन	22.8.1974	11.00	-	-	11.00	-	-	-	-		1086
प्रक्षेत्रवार योग				**11.00**	**-**	**-**	**11.00**	**-**	**-**	**-**	**-**		**1086**
विनिर्माण													
18.	बिहार सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड	वन एवं पर्यावरण	अगस्त-79	0.20	-	0.88	1.08	-	-	0.89	0.89	0.82:1 (0.82:1)	अनुपलब्ध
19.	मगध मिनरल लिमिटेड	उद्योग	22.11.1984	-	-	0.36 (0.36)	0.36 (0.36)	-	-	0.47	0.47	1.31:1 (1.31:1)	05
20.	कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड	उद्योग	25.10.1983	-	-	2.17	2.17	-	-	6.63	6.63	3.06:1 (3.06:1)	अनुपलब्ध
21.	बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड	उद्योग	19.9.1984	-	-	5.05	5.05	-	-	4.51	4.51	0.89 (0.89:1)	अनुपलब्ध
22.	बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड	उद्योग	30.1.1986	-	-	2.48	2.48	-	-	-	-	-	अनुपलब्ध
23.	बेलट्रॉन इनफॉरमेटिक्स लिमिटेड	उद्योग	1.3.1988	-	-	0.00[2]	0.00	-	-	-	-	-	अनुपलब्ध
24.	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	इंख	26.12.1974	20.00	-	-	20.00	322.95	-	-	322.95	16.15:1 (16.15:1)	अनुपलब्ध

[2] ₹ 0.28 लाख

परिशिष्ट–1

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी$				2010–11 के अंत में बकाया ऋण**				2010–11 के ऋण/साधारण पूँजी के अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव शक्ति (31.3.2011 तक के कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	5 (ङ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	(7)	(8)
25.	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	उद्योग	17.10.1981	-	-	0.00[3]	0.00	0.03	-	-	0.03	42.86:1 (45.29:1)	अनुपलब्ध
26.	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	22.2.1978	16.54 (0.78)	-	-	16.54 (0.78)	4.28	-	-	4.28	0.26:1 (4.60:1)	52
27.	बिहार मज प्रोडक्टस लिमिटेड	उद्योग	2.9.1982	-	-	0.74 (0.74)	0.74 (0.74)	-	-	0.02	0.02	0.03:1 (0.03:1)	अनुपलब्ध
28.	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड	उद्योग	12.8.1983	-	-	4.00	4.00	1.28	-	-	1.28	0.32:1 (0.32:1)	अनुपलब्ध
29.	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	उद्योग	21.2.1978	10.78	-	-	10.78	2.27	-	-	2.27	0.21:1 (0.42:1)	51
प्रक्षेत्रवार योग				**47.52 (0.78)**	-	**15.68 (1.10)**	**63.20 (1.88)**	**330.81**	-	**12.52**	**343.33**	-	**108**
सेवाएँ													
30.	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	उद्योग	29.12.1974	2.00	-	-	2.00	1.22	-	-	1.22	0.61:1 (0.61:1)	23
प्रक्षेत्रवार योग				**2.00**	-	-	**2.00**	**1.22**	-	-	**1.22**		**23**
विविध													
31.	बिहार पेपर मिल लिमिटेड	उद्योग	8.7.1977	-	-	7.77	7.77	-	-	10.72	10.72	1.38:1 (1.38:1)	अनुपलब्ध
32.	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाईल्स एवं सिरामिक्स लिमिटेड	उद्योग	2.4.1984	-	-	1.40 (0.25)	1.40 (0.25)	-	-	3.66	3.66	2.61:1 (2.61:1)	32
33.	विश्वामित्र पपर उद्योग लिमिटेड	उद्योग	18.6.1983	-	-	1.74 (0.60)	1.74 (0.60)	-	-	0.81	0.81	0.47:1 (0.47:1)	अनुपलब्ध
34.	झंझारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड	उद्योग	27.2.1982	-	-	1.49 (0.42)	1.49 (0.42)	-	-	0.46	0.46	0.31:1 (0.31:1)	13
35.	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	वन एवं	27.1.1984	-	-	1.57	1.57	-	-	2.14	2.14	1.36:1	अनुपलब्ध

[3] ₹ 0.07 लाख

परिशिष्ट–1

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी$				2010–11 के अंत में बकाया ऋण★★				2010–11 के ऋण/साधारण पूँजी के अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव शक्ति (31.3.2011 तक के कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	5 (ङ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	(7)	(8)
		पर्यावरण										(1.36:1)	
36.	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड	उद्योग	20.4.1982	-	-	1.47	1.47	9.18	-	-	9.18	6.24:1 (6.24:1)	अनुपलब्ध
37.	सिन्थटिक रजिन्स (इरटर्न) लिमिटेड	उद्याग	14.12.1982	-	-	0.31	0.31	-	-	1.05	1.05	3.39:1 (3.39:1)	-
38.	भवानी ऐक्टीव कार्बन लिमिटेड	उद्योग	26.3.1985	-	-	0.09	0.09	-	-	-	-	-	अनुपलब्ध
39.	बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम लिमिटेड	उद्याग	23.3.1974	17.40	-	-	17.40	12.43	-	1.70	14.13	0.81:1 (1.41:1)	अनुपलब्ध
40.	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	उद्याग	19.1.1978	-	-	1.63	1.63	6.09	-	-	6.09	3.74:1 (3.74:1)	अनुपलब्ध
प्रक्षेत्रवार योग				**17.40**	**-**	**17.47 (1.27)**	**34.87 (1.27)**	**27.70**	**-**	**20.54**	**48.24**	**-**	**45**
योग–ग (प्रक्षेत्रवार सभी अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)				**147.37 (1.23)**	**0.49**	**36.11 (4.76)**	**183.97 (5.99)**	**510.83**	**0.70**	**36.45**	**547.98**	**-**	**2496**
कुल योग (क+ख+ग)				**518.53 (34.71)**	**66.47 (0.02)**	**39.90 (4.79)**	**624.90 (39.52)**	**9406.93**	**312.27**	**521.13**	**10240.33**	**-**	**19159**

उपर वर्णित कम्पनियों में कार्यशील कम्पनियों की क्रम सं0 3 तथा अकार्यशील कम्पनियों की क्रम सं0 7 से 12, धारा 619–ब की कम्पनी हैं।

$ प्रदत पूँजी में आवंटन हेतु अंश आवेदन राशि शामिल हैं जो कि कॉलम 5 (क) से 5 (घ) तक कोष्ठक में दिखाई गई हैं।

★★ वर्ष 2010–11 तक बकाया ऋण दीर्घकालिक ऋण को दर्शाते हैं।

अनु0/अनुपलब्ध यह इंगित करता है कि सम्बन्धित कम्पनियों ने सूचना उपलब्ध नहीं करायी थी।

क्रम सं0 क–7, क–10, क–17, क–21, (ग–5, को छोड़कर) ग–1–40 के कम्पनियों की राशियाँ पूर्व के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), से ली गई हैं क्योंकि वांछित सूचनाएँ संबंधित कम्पनियों द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गई हैं।

* पूर्व में यह बिहार राज्य स्वास्थ्य परियोजना विकास निगम लिमिटेड था।

परिशिष्ट 2

सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष, जिसका लेखा सम्पूर्ण हो गया था, का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(कंडिका संख्या 1.14 में संदर्भित)

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 8 से 10 तक की राशि :(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्णन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				कुल बिक्री	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव#	प्रदत पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी@	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल$	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
क. कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ														
कृषि एवं समवर्गी														
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	1998-99	2010-11	(-)2.73	2.77	0.07	(-)5.57	5.33	(-)1.53	3.71	(-)53.45	2.90	(-)2.80	-
2.	बिहार राज्य मतस्य विकास निगम लिमिटेड	1992-93	1996-97	(-)0.01	0.17	0.04	(-)0.22	-	-	1.75	(-)1.92	1.74	(-)0.05	-
3.	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड	2007-08	2011-12	0.00	-	0.00[4]	0.00[5]	0.52	-	0.05	(-)1.89	1.18	-	-
	प्रक्षेत्रवार योग			**(-)2.74**	**2.94**	**0.11**	**(-)5.79**	**5.85**	**(-)1.53**	**5.51**	**(-)57.26**	**5.82**	**(-)2.85**	-
वित्त														
4.	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	2003-04	2010-11	0.58	6.51	0.04	(-)5.97	2.97	(-)1.72	15.00	(-)145.68	15.66	0.54	3.45
5.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1997-98	2006-07	0.41	0.68	0.02	(-)0.29	0.64	-	3.62	0.53	3.86	0.39	10.10
6.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	2006-07	2009-10	(-)0.38	0.37	0.00[6]	(-)0.75	0.35	(-)1.59	8.95	(-)4.69	8.95	(-)0.38	-

4 ₹ 1.29 लाख
5 ₹ 0.80 लाख
6 ₹ 0.49 लाख

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 8 से 10 तक की राशि :(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्ण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				कुल बिक्री	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव#	प्रदत पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी@	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल$	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	1991-92	2000-01	0.02	-	0.00[7]	0.02	-	-	0.95	(-)0.12	0.88	0.02	2.27
	प्रक्षेत्रवार योग			**0.63**	**7.56**	**0.06**	**(-)6.99**	**3.96**	**(-)3.31**	**28.52**	**(-)149.96**	**29.35**	**0.57**	-
आधारभूत संरचना														
8.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	1999-00	2011-12	2.60	-	0.01	2.59	2.33	-	0.10	(-)10.72	(-)10.19	2.59	-
9.	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटड	2009-10	2011-12	46.52	-	1.44	45.08	88.56	-	3.50	92.49	141.64	45.08	31.83
10.	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	प्रथम वर्ष के लेखे का अन्तिमिकरण नहीं हुआ है	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड	2009-10	2010-11	24.15	-	0.16	23.99	414.71	(-)1.49	20.00	21.65	41.50	23.99	57.81
12.	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2009-10	2010-11	(-)0.02	-	0.01	(-)0.03	-	-	5.00	(-)0.03	4.72	(-)0.03	-
13.	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत विकास निगम लिमिटेड	प्रथम वर्ष के लेखे का अन्तिमिकरण नहीं हुआ है	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार योग		-	-	**73.25**	-	**1.62**	**71.63**	**505.60**	**(-)1.49**	**28.60**	**103.39**	**177.67**	**71.63**	
विनिर्माण														
14.	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2009-10	2011-12	8.31	0.92	0.08	7.31	32.86	(-)1.32	5.66	1.76	26.18	8.23	31.44
15.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2000-01	2004-05	9.42	-	0.13	9.29	31.55	-	9.97	7.04	20.68	9.29	44.92

[7] ₹ 0.29 लाख

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 8 से 10 तक की राशि :(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्णन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				कुल बिक्री	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव #	प्रदत पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी @	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल $	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16.	बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड	2008-09	2010-11	0.60	-	0.17	0.43	751.13	-	5.00	1.66	5.66	0.43	7.60
प्रक्षेत्रवार योग				**18.33**	**0.92**	**0.38**	**17.03**	**815.54**	**(-)1.32**	**20.63**	**10.46**	**52.52**	**17.95**	-
उर्जा														
17.	बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	1996-97	2011-12	5.91	5.27	10.30	(-)9.66	7.85	-	99.04	(-)26.07	132.56	(-)4.39	-
प्रक्षेत्रवार योग				**5.91**	**5.27**	**10.30**	**(-)9.66**	**7.85**	-	**99.04**	**(-)26.07**	**132.56**	**(-)4.39**	-
सेवाएँ														
18.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1999-00	2011-12	0.51	0.02	0.20	0.29	3.07	-	5.00	2.29	6.90	0.31	4.49
19.	बिहार राज्य खाद्य एवं अौनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	1989-90	2011-12	(-)3.99	1.04	0.63	(-)5.66	159.41	-	4.46	(-)34.86	34.59	(-)4.62	-
प्रक्षेत्रवार योग				**(-)3.48**	**1.06**	**0.83**	**(-)5.37**	**162.48**	-	**9.46**	**(-)32.57**	**41.49**	**(-)4.31**	-
विविध														
20.	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2000-01	2005-06	0.34	-	0.06	0.28	22.81	(-)0.40	2.29	0.32	1.17	0.28	23.93
21.	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	1997-98	2009-10	(-)4.30	-	0.06	(-)4.36	7.28	-	0.48	(-)5.97	(-)6.51	(-)4.36	-
प्रक्षेत्रवार योग				**(-)3.96**	-	**0.12**	**(-)4.08**	**30.09**	**(-)0.40**	**2.77**	**(-)5.65**	**(-)5.34**	**(-)4.08**	
योग (क) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)				**87.94**	**17.75**	**13.42**	**56.77**	**1531.37**	**(-)8.05**	**194.53**	**(-)157.66**	**434.07**	**74.52**	-

परिशिष्ट–2

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 8 से 10 तक की राशि :(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्नन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				कुल बिक्री	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव#	प्रदत पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी@	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल$	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(ख) कार्यशील सांविधिक निगमें														
वित्त														
1.	बिहार राज्य वित्त निगम	2009-10	2011-12	6.03	5.96	0.07	0.00[8]	18.46	(-)14.92	77.84	(-)383.93	428.27	5.96	1.39
प्रक्षेत्रवार योग				**6.03**	**5.96**	**0.07**	**0.00**	**18.46**	**(-)14.92**	**77.84**	**(-)383.93**	**428.27**	**5.96**	1.39
उर्जा														
2.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	2010-11	2011-12	(-)30.94	1175.05	88.99	(-)1294.98	2409.69	**	-	(-)5820.86	5049.25	(-)119.93	-
प्रक्षेत्रवार योग				**(-)30.94**	**1175.05**	**88.99**	**(-)1294.98**	**2409.69**	-	-	**(-)5820.86**	**5049.25**	**(-)119.93**	
सेवाएँ														
3.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2002-03	2009-10	(-)25.57	28.77	1.40	(-)55.74	18.19	(-)9.28	101.28	(-)680.17	(-)428.03	(-)26.97	-
4.	बिहार राज्य भंडार निगम	2008-09	2010-11	1.73	0.40	0.81	0.52	53.75	(-)2.42	5.31	3.43	21.16	0.92	4.35
प्रक्षेत्रवार योग				**(-)23.84**	**29.17**	**2.21**	**(-)55.22**	**71.94**	**(-)11.70**	**106.59**	**(-)676.74**	**(-)406.87**	**(-)26.05**	
योग (ख) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सांविधिक निगमें)				**(-)48.75**	**1210.18**	**91.27**	**(-)1350.20**	**2500.09**	**(-)26.62**	**184.43**	**(-)6881.53**	**5070.65**	**(-)140.02**	
कुल योग (क+ख)				**39.19**	**1227.93**	**104.69**	**(-)1293.43**	**4031.46**	**(-)34.67**	**378.96**	**(-)7039.19**	**5504.72**	**(-)65.50**	-
(ग) अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ														
कृषि एवं समवर्गी														
1.	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1978-79	1997-98	3.03	0.25	0.61	2.17	-	-	5.00	11.20	26.70	2.42	9.06
2.	बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड	1994-95	2007-08	(-)0.02	-	-	(-)0.02	-		6.72	(-)10.58	3.68	(-)0.02	-
3.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	1982-83	1993-94	0.18	0.13	0.31	(-)0.26	0.01	-	5.60	(-)0.86	9.53	(-)0.13	-
4.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1989-90	2009-10	(-)5.02	0.65	0.03	(-)5.70	2.79	-	7.57	(-)28.96	(-)1.41	(-)5.05	-
5.	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	1994-95	2010-11	(-)0.12	0.73	0.07	(-)0.92	0.00	(-)0.14	2.10	(-)7.82	(-)0.07	(-)0.19	-

[8] ₹ 0.30 लाख

परिशिष्ट–2

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 8 से 10 तक की राशि :(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्णन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				कुल बिक्री	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव #	प्रदत पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी @	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल $	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.	बिहार कीटनाशक लिमिटेड	1986-87	1991-92	(-) 0.52	0.16	0.35	(-) 1.03	-	-	0.57	(-) 1.03	2.35	(-) 0.87	-
7.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, खगौल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, डीहरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, आरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, औरंगाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, मोहनिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	स्काडा एग्रो वन कंपनी लिमिटेड, खगौल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार योग				**(-)2.47**	**1.92**	**1.37**	**(-)5.76**	**2.80**	**(-)0.14**	**27.56**	**(-)38.05**	**40.78**	**(-)3.84**	
वित्त														
13.	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	1984-85	1991-92	0.23	0.24	0.00[9]	(-)0.01	-	-	1.44	(-)0.03	5.86	0.23	3.92
14.	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1983-84	1996-97	0.02	0.11	0.01	(-)0.10	-	(-)0.01	6.28	(-)0.44	7.08	0.01	0.14
15.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	1990-91	2005-06	(-)0.21	1.15	0.06	(-)1.42	15.22	(-)0.53	7.18	(-)16.56	1.86	(-)0.27	-
16.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	1987-88	2009-10	2.22	5.35	0.38	(-)3.51	6.59	(-)9.28	14.04	(-)26.42	29.54	1.84	6.23
प्रक्षेत्रवार योग				**2.26**	**6.85**	**0.45**	**(-)5.04**	**21.81**	**(-)9.82**	**28.94**	**(-)43.45**	**44.34**	**1.81**	

[9] ₹ 16,235.26

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 8 से 10 तक की राशि :(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्ण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				कुल बिक्री	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव#	प्रदत पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी@	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल$	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
आधारभूत संरचना														
17.	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	1986-87	2004-05	1.38	0.00[10]	0.13	1.25	18.70	(-)6.65	7.00	(-)2.79	(-)10.27	1.25	-
प्रक्षेत्रवार योग				**1.38**	**0.00**	**0.13**	**1.25**	**18.70**	**(-)6.65**	**7.00**	**(-)2.79**	**(-)10.27**	**1.25**	
विनिर्माण														
18.	बिहार सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड	1986-87	1995-96	(-)0.05	0.11	0.16	(-)0.32	-	(-)0.24	0.66	(-)0.32	1.67	(-)0.21	-
19.	मगध मिनरल लिमिटेड	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-
20.	कुमारधुबी मटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड	1994-95	1995-96	(-)1.13	0.38	0.88	(-)2.39	10.89	-	2.17	(-)8.16	0.91	(-)2.01	-
21.	बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड	1987-88	1998-99	(-)0.09	0.05	0.01	(-)0.15	0.75	-	1.21	(-)0.22	1.02	(-)0.10	-
22.	बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड	1989-90	2002-03	(-)0.07	-	0.03	(-)0.10	0.41	-	1.26	(-)0.49	0.52	(-)0.10	-
23.	बेलट्रॉन इनफॉरमेटिक्स लिमिटेड	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-
24.	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1984-85	1996-97	(-)2.84	6.00	0.36	(-)9.20	-	(-)4.67	9.97	(-)72.31	(-)10.24	(-)3.20	-
25.	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-
26.	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1985-86	1992-93	(-)0.16	0.00[11]	0.01	(-)0.17	-	-	3.62	(-)0.74	6.87	(-)0.17	-
27.	बिहार मज प्रोडक्टस लिमिटेड	1983-84	1987-88	(-)0.03	-	0.00[12]	(-)0.03	-	-	0.67	(-)0.06	0.80	(-)0.03	-

10 ₹ 11,589.31
11 ₹ 1,680.50
12 ₹ 9,052.80

परिशिष्ट–2

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 8 से 10 तक की राशि :(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्ण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				कुल बिक्री	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव #	प्रदत पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी @	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल $	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
28.	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड	1985-86	1991-92	(-)0.03	-	0.00[13]	(-)0.03	-	-	0.94	(-)0.16	1.16	(-)0.03	-
29.	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	1987-88	1995-96	(-)0.08	-	0.01	(-)0.09	-	(-)0.02	4.98	(-)0.32	3.72	(-)0.09	-
प्रक्षेत्रवार योग				**(-)4.48**	**6.54**	**1.46**	**(-)12.48**	**12.05**	**(-)4.93**	**25.48**	**(-)82.78**	**6.43**	**(-)5.94**	
सेवाएँ														
30.	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	1991-92	1999-00	0.11	0.20	0.01	(-)0.10	4.94	(-)0.03	2.00	(-)0.01	3.75	0.10	0.27
प्रक्षेत्रवार योग				**0.11**	**0.20**	**0.01**	**(-)0.10**	**4.94**	**(-)0.03**	**2.00**	**(-)0.01**	**3.75**	**0.10**	
विविध														
31.	बिहार पेपर मिल लिमिटेड	1985-86	1997-98	(-)0.05	-	0.01	(-)0.06	-	0.00[14]	1.56	(-)0.31	1.44	(-)0.06	-
32.	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाईल्स एवं सिरामिक्स लिमिटेड	1985-86	1997-98	(-)0.06	0.02	0.00[15]	(-)0.08	-	-	0.16	(-)0.51	3.50	0.06	-
33.	विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड	1984-85	1988-89	(-)0.01	-	0.00[16]	(-)0.01	-	-	0.40	(-)0.01	0.69	(-)0.01	-

13 ₹ 328.52
14 ₹ 36,000
15 ₹ 47,550.94
16 ₹ 7,623.00

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 8 से 10 तक की राशि :(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्णन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				कुल बिक्री	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव#	प्रदत पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी@	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल$	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
34.	झंझारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड	1985-86	1991-92	(-)0.01	0.00[17]	0.00[18]	(-)0.01	-	(-)0.03	0.42	(-)0.02	0.59	(-)0.01	-
35.	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	1988-89	1993-94	(-)0.16	0.16	0.00[19]	(-)0.32	-	-	1.03	(-)0.67	2.49	(-)0.16	-
36.	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड	1983-84	1986-87	(-)1.49	-	-	(-)1.49	-	-	1.47	(-)2.13	6.15	(-)1.49	-
37.	सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लिमिटेड	1983-84	1987-88	(-)0.02	0.00[20]	-	(-)0.02	-	-	0.09	(-)0.01	0.17	(-)0.02	-
38.	भवानी ऐक्टीव कार्बन लिमिटेड	1985-86	1989-90	(-)0.01	-	-	(-)0.01	-	-	0.02	(-)0.01	0.01	(-)0.01	-
39.	बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम लिमिटेड	1982-83	2004-05	(-)0.25	0.08	0.04	(-)0.37	-	(-)0.01	5.14	(-)2.92	2.56	(-)0.29	-
40.	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
प्रक्षेत्रवार योग				**(-)2.06**	**0.26**	**0.05**	**(-)2.37**	**-**	**(-)0.04**	**10.29**	**(-)6.59**	**17.60**	**(-)2.11**	
योग–ग (प्रक्षेत्रवार सभी अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)				**(-)5.26**	**15.77**	**3.47**	**(-)24.50**	**60.30**	**(-)21.61**	**101.27**	**(-)173.67**	**102.63**	**(-)8.73**	
कुल योग (क+ख+ग)				**33.93**	**1243.70**	**108.16**	**(-)1317.93**	**4091.76**	**(-)56.28**	**480.23**	**(-)7212.86**	**5607.35**	**(-)74.23**	**-**

उपर वर्णित कम्पनियों में कार्यशील कम्पनियों की क्रम सं0 3 तथा अकार्यशील कम्पनियों की क्रम सं0 7 से 12, धारा 619–ब की कम्पनी हैं।

लेखा पर लेखा टिप्पणियों के प्रभाव में सांविधिक लेखा परीक्षाओं तथा सी0ए0जी0 के शुद्ध टिप्पणियाँ शामिल हैं और (+) इसमें लाभ में वृद्धि/हानि में कमी एवं (-) लाभ में कमी/हानि में वृद्धि को दर्शाते हैं।

@ वित्तीय कम्पनियों एवं निगमों जहाँ नियोजित पूँजी, प्रदत्त पूँजी, मुक्त संरक्षित बाण्डों, जमा एवं उधारों (पुनर्वित सहित) के समग्र योग के औसत का द्योतक है, को छोड़कर नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत कार्य प्रगति सहित) एवं कार्यचालन पूँजी, के योग का द्योतक है।

$ नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की गणना लाभ–हानि लेखे पर भारित ब्याज को जोड़कर किया गया है।

** लेखाओं की सी0ए0जी0 द्वारा लेखापरीक्षा प्रगति में है जो कि इन निगमों का एकमात्र लेखापरीक्षक हैं।

17 ₹ 2,533.30
18 ₹ 421.36
19 ₹ 22,074.77
20 ₹ 5,814.45

परिशिष्ट 3

वर्ष के दौरान बजट के अतिरिक्त प्राप्त प्रतिभूति/ऋण, प्राप्त/प्राप्त होने योग्य अनुदान और अर्थसाहाय्य, प्राप्त प्रतिभूतियाँ, बकाए का अधित्याग, ऋण जिसे बट्टे खाते में डाला गया एवं वर्ष के दौरान अंश में परिवर्तित किया गया ऋण एवं मार्च 2011 के अंत तक प्रतिभूति देयताओं को दर्शाने वाली विवरणी

(कंडिका संख्या 1.10 में संदर्भित)

(कॉलम 3(क) से 6(घ) तक की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त प्रतिभूतियाँ / ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानें एवं अर्थसाहाय्य				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिभूतियाँ एवं वर्षान्त में प्रतिबद्धता @		वर्ष में बकायों का अधित्याग			
		ईक्वीटी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	प्रतिबद्धता	ऋण की अदायगी जिसे बट्टे खाते में डाला गया	ऋण जिसे प्रतिभूति में बदला गया	ब्याज/दाण्डिक ब्याज माफ	कुल
(1)	(2)	3 (क)	3 (ख)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	5 (क)	5 (ख)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)
क. कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्गी													
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	-	-	-	18.47	-	18.47	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार योग		-	-	-	**18.47**	-	**18.47**	-	-	-	-	-	-
वित्त													
2.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1.00	-	-	-	-	-	-	25.00(o/s)	-	-	-	-
3.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	20.29	-	-	-	-	-	-	30.00(o/s)	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार योग		**21.29**	-	-	-	-	-	-	**55.00(o/s)**	-	-	-	-
आधारभूत संरचना													
4.	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत विकास निगम	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(कॉलम 3(क) से 6(घ) तक की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त प्रतिभूतियाँ / ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानें एवं अर्थसाहाय्य				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिभूतियाँ एवं वर्षान्त में प्रतिबद्धता@		वर्ष में बकायों का अधित्याग			
		ईक्वीटी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	प्रतिबद्धता	ऋण की अदायगी जिसे बट्टे खाते में डाला गया	ऋण जिसे प्रतिभूति में बदला गया	ब्याज / दाण्डिक ब्याज माफ	कुल
(1)	(2)	3 (क)	3 (ख)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	5 (क)	5 (ख)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)
	लिमिटेड #												
प्रक्षेत्रवार योग		**20.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उर्जा													
5.	बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	-	28.48	-	5.03	-	5.03	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार योग		-	**28.48**	-	**5.03**	-	**5.03**	-	-	-	-	-	-
योग (क) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)		**41.29**	**28.48**	-	**23.50**	-	**23.50**	-	**55.00(o/s)**	-	-	-	-
ख. कार्यशील सांविधिक निगमें													
वित्त													
1.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	-	-	-	-	-	-	-	31.85@ 3.47(o/s)	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार योग		-	-	-	-	-	-	-	**31.85@, 3.47(o/s)**	-	-	-	-
उर्जा													
2.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	-	850.00	-	1080.00	-	1080.00	194.58*	194.58(o/s)	-	-	--	-
प्रक्षेत्रवार योग		-	**850.00**	-	**1080.00**	-	**1080.00**	**194.58***	**194.58(o/s)**	-	-	-	-

(कॉलम 3(क) से 6(घ) तक की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त प्रतिभूतियाँ / ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानें एवं अर्थसाहाय्य				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिभूतियाँ एवं वर्षान्त में प्रतिबद्धता @		वर्ष में बकायों का अधित्याग			
		ईक्वीटी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	प्रतिबद्धता	ऋण की अदायगी जिसे बट्टे खाते में डाला गया	ऋण जिसे प्रतिभूति में बदला गया	ब्याज / दाण्डिक ब्याज माफ	कुल
(1)	(2)	3 (क)	3 (ख)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	5 (क)	5 (ख)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)
सेवाएँ													
3.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	-	1.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार योग		-	**1.21**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (ख) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सांविधिक निगमें)		-	**851.21**	-	**1080.00**	-	**1080.00**	**194.58***	**31.85@ 198.05(o/s)**	-	-	-	-
कुल योग (क+ख)		**41.29**	**879.69**	-	**1103.50**	-	**1103.50**	**194.58***	**31.85@ 253.05(o/s)**	-	-	-	-

@ आँकड़े कुल वचनबद्धता वर्ष के अन्त में इंगित करते हैं।

(o/s) 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष में शेष गारण्टी।

* विद्युत बोर्ड द्वारा 2010–11 के दौरान प्राप्त गारण्टी 31 मार्च 2011 को शेष गारण्टी।

\# क्रम संख्या 4 पर अंकित कम्पनी एक नई कम्पनी है।

परिशिष्ट 4

सा0क्षे0उ0 जिनके लेखें बकाये में हैं, में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश को दर्शाने वाली विवरणी

(कंडिका 1.24 में संदर्भित)

(राशि : ₹ करोड़ में)

सा0क्षे0उ0 का नाम	वर्ष जहाँ तक के लेखे पूर्ण हैं	नवीनतम पूर्ण किये गये लेखे के अनुसार प्रदत्त पूँजी	राज्य सरकार द्वारा उन वर्षों में निवेश जिनके लेखे बकाया में हैं				
			साधारण पूँजी	ऋण	अनुदान राशि	अन्य (अर्थसाहाय्य)	कुल
(क) कार्यशील कम्पनियाँ							
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	1998-99	3.71	-	2.28	59.69	-	61.97
बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	1997-98	0.48	-	-	-	205.00	205.00
बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1997-98	3.62	14.74	7.49	-	-	22.23
बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1999-00	5.00	-	-	-	-	-
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	1989-90	4.46	0.81	202.25	-	-	203.06
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	2009-10	3.50	-	-	-	-	-
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	1999-00	0.10	-	-	-	-	-
बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	1996-97	99.04		194.13	-	5.03	199.16
बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1992-93	1.75	1.25	5.63	-	-	6.88
बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2000-01	2.29	-	-	-	-	-
बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	2003-04	15.00	0.12	57.49	-	-	57.61
बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	1991-92	0.95	1.05	0.01	-	-	1.06
बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2009-10	5.66	-	-	-	-	-
बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2000-01	9.97	-	-	11.00	-	11.00
बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	2006-07	8.95	22.84	-	-	-	22.84
बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड	2008-09	5.00	-	-	-	-	-
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	प्रारम्भ से लेखे तैयार नहीं किये गये	0.06*	0.06	-	-	-	0.06
बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड	2009-10	20.00		-	-	-	-

परिशिष्ट–4

सा0क्षे0उ0 का नाम	वर्ष जहाँ तक के लेखे पूर्ण हैं	नवीनतम पूर्ण किये गये लेखे के अनुसार प्रदत्त पूँजी	राज्य सरकार द्वारा उन वर्षों में निवेश जिनके लेखे बकाया में हैं				
			साधारण पूँजी	ऋण	अनुदान राशि	अन्य (अर्थसाहाय्य)	कुल
बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2009-10	5.00		-	-	-	-
बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत निगम लिमिटेड	प्रारम्भ से लेखे तैयार नहीं किये गये	20.00*	20.00	-	-	-	20.00
कुल – (क)			**60.87**	**469.28**	**70.69**	**210.03**	**810.87**
(ख) कार्यशील सांविधिक निगमें							
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	2010-11	-	-	850.00	1080.00	-	1930.00
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2002-03	101.28	-	298.33	-	-	298.33
बिहार राज्य वित्त निगम	2009-10	77.84	-	-	-	-	-
बिहार राज्य भण्डार निगम	2008-09	5.31	-	-	-	-	-
कुल – (ख)			**-**	**1148.33**	**1080.00**	**-**	**2228.33**
कुल – (क + ख)			**60.87**	**1617.61**	**1150.69**	**210.03**	**3039.20**
अकार्यशील कम्पनियाँ							
बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	1990-91	7.18	-	1.66	-	2.46	4.12
बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1985-86	3.62	12.92	6.30	-	-	19.22
बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	1987-88	14.04	-	38.47	-	-	38.47
बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1982-83	5.14	12.26	43.18	-	-	55.44
बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	1987-88	4.98	5.80	2.74	-	-	8.54
बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड	1994-95	6.72	-	-	-	-	-
बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	1986-87	7.00	4.00	1.05	-	-	5.05
बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	1982-83	5.60	5.22	18.78	-	55.41	79.41
बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1984-85	9.97	10.03	365.32	-	-	375.35
बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	1984-85	1.44	-	-	-	-	-
बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1978-79	5.00	5.00	154.33	-	-	159.33
बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1989-90	7.57	0.07	24.66	-	-	24.73
बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	1994-95	2.10	-	4.65	21.07	-	25.72
बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	1991-92	2.00	-	2.21	-	0.07	2.28
बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1983-84	6.28	3.72	0.25	-	0.48	4.45
बिहार सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड	1986-87	0.66	-	-	-	-	-
बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	प्रारम्भ से लेखे तैयार नहीं किये गये	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट–4

सा0क्षे0उ0 का नाम	वर्ष जहाँ तक के लेखे पूर्ण हैं	नवीनतम पूर्ण किये गये लेखे के अनुसार प्रदत्त पूँजी	राज्य सरकार द्वारा उन वर्षों में निवेश जिनके लेखे बकाया में हैं				
			साधारण पूँजी	ऋण	अनुदान राशि	अन्य (अर्थसाहाय्य)	कुल
बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड	1985-86	0.94	अनु0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनु0
बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	1988-89	1.03	अनु0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनु0
बिहार स्टेट फिनिश्ड लेदर्स निगम लिमिटेड	1983-84	1.47	-	9.18	-	-	9.18
बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	-	-	-	6.09	-	-	6.09
कुल			**59.02**	**678.87**	**21.07**	**58.42**	**817.38**
कुल योग			**119.89**	**2296.48**	**1171.76**	**268.45**	**3856.58**

* राशियाँ कम्पनियों द्वारा समर्पित सूचनाओं पर आधारित है।

अनु0/अनुपलब्ध ईंगित करता है कि सूचनाएं संबंधित कम्पनियों द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गई थी।

परिशिष्ट 5

सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी

(कंडिका 1.14 में संदर्भित)

(राशि : ₹ करोड़ में)

1. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड			
विवरण	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**
(क) दायित्त्व			
अंश पूँजी	---	---	---
सरकार से ऋण	6151.01	6496.66	8493.87
संचित एवं अधिशेष (मूल्य ह्रास को छोड़कर)	---	---	---
चालू दायित्त्व एवं प्रावधान	3302.59	3738.72	3832.13
पूँजीगत दायित्व	5616.64	6763.88	8223.34
कुल-(क)	**15070.24**	**16996.26**	**20549.34**
(ख) परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल सम्पत्तियाँ	2556.51	2864.80	3856.07
घटे मूल्य ह्रास	1740.85	1800.57	1883.35
शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ	815.66	1064.23	1972.72
पूँजीगत कार्य में प्रगति	934.10	881.20	1282.04
चालू सम्पत्तियाँ	4927.47	5316.13	5626.61
निवेश	899.78	829.57	1471.48
सरकार से प्राप्य अर्थसाहाय्य	4,315.65	4315.65	4315.65
सम्पतियाँ जो उपयोग में नहीं	3.61	3.61	---
नियामक परिसम्पतियाँ	60.00	60.00	60.00
विविध व्यय	---	---	---
घाटा	3113.98	4525.88	5820.86
कुल – ख	**15070.24**	**16996.26**	**20549.34**
(ग) नियोजित पूँजी*	3374.64	3522.84	5049.24
2. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम♦			
विवरण	**2008-09** (औपबँधिक)	**2009-10** (औपबँधिक)	**2010-11** (औपबँधिक)
(क) दायित्त्व			
पूँजी (पूँजी ऋण एवं अंश पूँजी सहित)	200.91	404.01	525.35
ऋण (सरकार)	--	--	--
(अन्य)	--	--	--
निधि**	0.30	0.30	0.30

* नियोजित पूँजी निवल अचल सम्पतियाँ (पूँजीगत कार्य सहित) एवं कार्यचालन पूँजी के योग को निरूपित करती है। परिवर्तित लागत एवं निवेश की राशि को चालू परिसम्पतियों में से घटाकर कार्यचालन पूँजी की गणना की गई है।

♦ निगम से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार।

** मूल्य ह्रास निधि को छोड़कर।

व्यापार बकाया एवं अन्य चालू दायित्त्व (प्रावधान सहित)	1173.69	1215.52	925.52
कुल – क	**1374.90**	**1619.53**	**1451.17**
ख – परिसम्पत्तियाँ			
कुल ब्लाक			
घटेः मूल्य ह्रास			
शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ	41.60	37.00	32.00
चालू पूँजी प्रगति (चेसिस मूल्य शामिल)	-	-	-
निवेश	-	-	-
चालू सम्पतियाँ ऋण एवं अग्रिम	310.16	495.90	325.39
संचित हानियाँ	1023.14	1086.63	1093.78
कुल – ख	**1374.90**	**1619.53**	**1451.17**
ग – नियोजित पूँजी #	(-)821.93	(-)682.62	(-)568.13

3. बिहार राज्यवित्तीय निगम

विवरण	**2008-09 (औपबँधिक)**	**2009-10 (औपबँधिक)**	**2010-11 (औपबँधिक)**
(क) दायित्त्व			
प्रदत्त पूँजी *	77.84	77.84	77.84
संचित कोष, अन्य संचितें	10.05	10.05	10.05
ऋण	-	-	-
बाण्डस एवं ऋण पत्र	79.47	35.32	3.47
राज्य सरकार द्वारा अन्य भुगतान	232.02	228.47	228.47
चालू दायित्त्व एवं प्रावधान	290.94	293.27	281.85
कुल – क	**690.32**	**644.94**	**601.67**
(ख) परिसम्पत्तियाँ			
रोकड़ एवं बैंक शेष	91.82	48.76	71.16
निवेश	0.04	0.04	0.04
ऋण एवं अग्रिम	204.82	204.86	162.60
शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ	0.64	0.68	0.65
चालू साम्पतियाँ	9.07	7.56	8.53
लाभांश हानि खाता	-	-	-
घाटा	383.93	383.04	358.71
कुल – ख	**690.32**	**644.94**	**601.67**
(ग) नियोजित पूँजी **	390.81	375.53	335.75

4. बिहार राज्य भण्डार निगम ♠

विवरण	**2007-08**	**2008-09 (औपबँधिक)**	**2009-10 (औपबँधिक)**
क – दायित्त्व			
प्रदत्त पूँजी	5.31	5.31	6.42
संचिते एवं आधिक्य	16.23	15.56	23.01
व्यापारिक बकाये एवं अन्य दायित्त्व (प्रावधानों के साथ)	17.89	39.76	28.09
कुल – क	**39.43**	**60.63**	**57.52**

नियोजित पूँजी निवल अचल संपत्ति (पूँजीगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी का योग है।

* प्रदत्त पूंजी में अंश आवेदन पूंजी सम्मिलित है।

** नियोजित पूँजी प्रदत्त पूंजी, रिजर्व (उन रिजर्वों को छोड़कर जो कि बाहरी निवेश से समर्थित है), बांड, उधार एवं जमा (पुनर्वित सहित) के वर्ष के शुरूआती एवं अंतिम आंकड़ों के योग का माध्य है।

♠ निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

ख – परिसम्पत्तियाँ			
सकल परिसम्पत्तियाँ	17.28	17.28	17.28
घटे मूल्य ह्रास	0.86	1.69	2.52
शुद्ध अचल राम्पतियाँ	16.42	15.59	14.76
पूँजीगत कार्य प्रगति में	--	--	--
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	23.01	45.04	42.76
लाभ एवं हानि खाता	--	--	--
कुल – ख	**39.43**	**60.63**	**57.52**
ग नियोजित पूँजी #	**26.22**	**24.94**	**31.82**

नियोजित पूँजी निवल अचल संपति (पूँजीगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी का योग है।

परिशिष्ट 6

सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों की विवरणी

(कंडिका 1.14 में संदर्भित)

(राशि : ₹ करोड़ में)

1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड			
क्रम सं0	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11
1	(क) राजस्व प्राप्तियाँ	1765.30	1955.89	2528.55
	(ख) सरकार से साहाय्य	720.00	840.00	1080.00
	कुल	**2485.30**	**2795.89**	**3608.55**
2	राजस्व व्यय (शुद्ध पूंजीगत व्यय), अमूर्त्त परिसम्पत्तियों का अपलेखन सहित परन्तु मूल्य ह्रास एवं ब्याज को छोड़कर	2643.65	3249.11	3976.68
3	वर्ष का सकल आधिक्य (+)/घाटा(–) (1–2)	(-) 158.35	(-)453.52	(-)368.13
4	पिछले वर्ष से सम्बन्धित समायोजन	97.71	84.29	312.20
5	वर्ष का अन्तिम सकल आधिक्य (+)/घाटा(–) (3+4)	(-) 60.64	(-)369.23	(-)55.93
6	विनियोजन			
(क)	मूल्य ह्रास (पूँजीगत घटाकर)	55.55	59.72	89.00
(ख)	पूँजीगत ऋण पर ब्याज	611.23	693.94	828.59
(ग)	अन्य ऋण, बाण्ड, अग्रिम आदि पर ब्याज	291.40	305.00	346.46
(घ)	ऋण एवं वित्तीय भारों पर कुल ब्याज (ख+ग)	902.63	998.94	1175.05
(ङ)	पूँजीकृत ब्याज घटाएँ	14.26	16.00	25.00
(च)	राजस्व में भारित शुद्ध ब्याज (घ–ङ)	888.37	982.94	1150.05
(छ)	कुल विनियोजन (क+च)	943.92	1042.66	1239.05
7	राज्य सरकार से प्राप्त साहाय्य के लेखाकरण से पूर्व आधिक्य (+)/घाटा (–) (5–6(छ)–1(ख))	(-) 1709.96	(-)2235.89	(-)2354.98
8	शुद्ध आधिक्य (+)/घाटा(–) 5–6(छ)	(-) 1004.56	(-)1411.89	(-)1294.98
9	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल*	(-) 116.19	(-)428.95	(-)144.93
10	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	--	-	-
2	**बिहार राज्य पथ परिवहन निगम♦**			
	विवरण	2008-09 (औपबँधिक)	2009-10 (औपबँधिक)	2010-11 (औपबँधिक)
	प्रचालन			
(क)	राजस्व	39.85	19.50	19.56
(ख)	व्यय	78.77	49.54	33.53
(ग)	आधिक्य (+)/घाटा(–)	(-) 38.92	(-) 30.04	(-)13.97
	अप्रचालन			
(क)	राजस्व	2.90	2.73	-
(ख)	व्यय	37.70	36.18	7.18
(ग)	आधिक्य (+)/घाटा (–)	(-)34.80	(-) 33.45	(-)7.18

* नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल शुद्ध आधिक्य/घाटा तथा लाभ एवं हानि लेखे में प्रमाणित कुल ब्याज (पूँजीकृत ब्याज को छोड़कर)

♦ निगम से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार।

	राजस्व	42.75	22.23	19.56
	व्यय	116.47	85.72	40.71
	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	(-) 73.72	(-) 63.42	(-)21.15
	पूंजी एवं ऋण पर ब्याज	18.80	18.53	-
	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	(-)54.92	(-)44.89	(-)21.15
3.	**बिहार राज्य वित्तीय निगम▼**			
	विवरण	**2008-09** (औपबंधिक)	**2009-10** (औपबंधिक)	**2010-11** (औपबंधिक)
1	**आय**			
i)	ऋण पर ब्याज	8.85	13.33	8.28
ii)	अन्य आय	23.44	6.78	44.31
	कुल – 1	**32.29**	**20.11**	**52.59**
2.	**व्यय***			
i)	(क) दीर्घकालीन ऋण एवं अल्पकालीन ऋणों पर ब्याज	19.12	5.96	1.76
	(ख) अक्रियाशील सम्पतियों के लिए प्रावधान	--	1.72	-
	(ग) अन्य व्यय	11.78	11.54	19.34
	कुल – 2	**30.90**	**19.22**	**21.10**
3.	कर के पूर्व लाभ (+)/हानि(–) (1–2)	1.39	0.89	31.50
4.	कर का प्रावधान	0.02	--	6.28
5.	अन्य विनियोजन	--	--	-
6.	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि#	--	--	-
7.	लाभांश	--	--	-
8.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	20.51	6.85	33.25
9.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	5.25	1.82	9.90
4.	**बिहार राज्य भण्डार निगम▼**			
	विवरण	**2007-08**	**2008-09** (औपबंधिक)	**2009-10** (औपबंधिक)
1.	**आय**			
(क)	भण्डारण प्रभार	7.85	8.69	10.00
(ख)	अन्य आय	34.53	47.29	55.10
	योग – 1	**42.38**	**55.98**	**65.10**
2.	**व्यय**			
(क)	स्थापना प्रभार	4.90	4.93	5.06
(ख)	अन्य व्यय	36.34	45.68	53.53
	योग–2	**41.24**	**50.61**	**58.59**
3	कर के पूर्व लाभ(+)/हानि(–)	1.14	5.37	6.51
4.	पूर्वावधि समायोजन	--	--	--
5.	अन्य विनियोजन	--	2.03	--
6.	लाभांश के लिये उपलब्ध राशि	1.14	3.34	6.51
7.	वर्ष के लिए लाभांश	0.19	0.60	0.60
8.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	1.14	3.34	6.51
9.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	4.35	13.39	20.46

▼ निगम द्वारा प्राप्त किये गये आँकड़े ।

* वर्ष के अक्रियाशील सम्पतियों के लिये प्रावधान को व्यय शीर्ष के अन्तर्गत अलग से दिखाया जाय।

\# उपलब्ध लाभांश चालू वर्ष के लाभ में से विशेष सुरक्षित निधि हेतु विनियोजन के पश्चात् है।

परिशिष्ट 7

विगत पाँच वर्षों में धान/गेहूँ की अधिप्राप्ति

(कंडिका 2.8.1 में संदर्भित)

(आंकड़ा एम0टी0 में)

क्रम संख्या	वर्ष	लक्ष्य		प्राप्ति	
		धान	गेहूँ	धान (प्रतिशत)	गेहूँ (प्रतिशत)
	2006-07	150000	0	राज्य सरकार द्वारा माफ	
	2007-08	100000	0	11255.18 **(11.25)**	0
	2008-09	100000	100000	87201.43 **(87.20)**	68560.42 **(68.56)**
	2009-10	75000	125000	42287.05 **(56.38)**	77125.69 **(61.70)**
	2010-11	100000	150000	18744.52 **(18.74)**	22957.48 **(15.30)**

परिशिष्ट 8

विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा अपने विभिन्न जिला कार्यालयों के माध्यम से समस्त खाद्यान्नों का आवंटन और उठाव

(कंडिका 2.11.1 में संदर्भित)

(आँकड़ा एम0टी0 में)

क्रम सं0	वर्ष	बी0पी0एल0				अन्तोदय				ए0पी0एल0				एम0डी0एम0		अन्नापूर्णा			
		आवंटन		उठाव		आवंटन		उठाव		आवंटन		उठाव		आवंटन	उठाव	आवंटन		उठाव	
		गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल
1.	2006-07	475500	1197744	242638	207701	407964	611664	241499	319492	493568	0	8540	737	183755	113372	11448	8100	9803	6788
2.	2007-08	475500	1197744	474570	470728	407964	611664	367015	503912	493568	0	9498	0	183755	110376	11448	8100	9742	6390
3.	2008-09	475500	1197744	289762	470764	407964	611664	322413	461344	493568	0	13690	0	183755	137630	11448	8100	10454	6802
4.	2009-10	447732	1197744	410893	745532	407964	611664	385208	541978	646008	370	330624	370	258525	215325	11448	8100	9151	6107
5.	2010-11	440642	1261402	447046	1062519	415083	622507	410646	602191	646008	43440	384295	13729	236080	181701	10832	7421	8766	5855
		2314874	6052378	1864909	2957244	2046939	3069163	1726781	2428917	2772720	43810	746647	14836	1045870	758404	56624	39821	47916	31942

अनाज का उठाव

(प्रतिशत में)

वर्ष	ए0पी0एल0		अन्नापूर्णा		अन्तोदय		बी0पी0एल0		एम0डी0एम0
	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल	गेहूँ
2006-07	1.73	-	85.63	83.80	59.20	52.23	51.03	17.34	61.70
2007-08	1.92	-	85.09	78.89	89.96	82.38	99.80	39.30	60.07
2008-09	2.77	-	91.32	83.98	79.03	75.42	60.94	39.30	74.90
2009-10	51.18	100	79.94	75.40	94.42	88.61	91.77	62.24	83.29
2010-11	59.49	31.60	80.93	78.90	98.93	96.74	101.45	84.23	76.96

परिशिष्ट 9

अनाज का उठाव नहीं होने के कारण सीमान्त राशि की हानि से सम्बन्धित विवरणी

(कंडिका 2.11.1 में संदर्भित)

योजना का नाम	नहीं उठाई गई अनाज (क्विंटल में)					कुल (क्विंटल में)	दर (₹ में)	कुल सीमान्त राशि की हानि (₹ में)
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11			
बी0पी0एल0 (गेहूँ)	2328620	9300	1857380	368390	0	4563690	35.00	159729150
बी0पी0एल0 (चावल)	9900430	7270160	7269800	4522120	1988830	30951340	35.00	1083296900
ए0ए0वाई0 (गेहूँ)	1664650	409490	855510	227560	44370	3201580	29.00	92845820
ए0ए0वाई0 (चावल)	2921720	1077520	1503200	696860	203160	6402460	25.00	160061500
ए0पी0एल0 (गेहूँ)	4850280	4840700	4798780	3153840	2617130	20260730	21.00	425475330
ए0पी0एल0 (चावल)	0	0	0	0	297110	297110	22.60	6714686
एम0डी0एम0 (चावल)	703830	733790	461250	432000	543790	2874660	35.00	100613100
ए0एन0पी0 (गेहूँ)	16450	17060	9940	22970	20660	87080	35.00	3047800
ए0एन0पी0 (चावल)	13120	17100	12980	19930	15660	78790	35.00	2757650
कुल	22399100	14375120	16768840	9443670	5730710	68717440	-	2034541936

₹ **203.45** करोड़

परिशिष्ट 10

विभिन्न योजनाओं में खाद्यान्नों के विचलन से सम्बन्धित विवरणी

(कंडिका 2.11.2 में संदर्भित)

योजना जहाँ से अधिक मात्रा प्राप्त की गई	मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर प्रति क्विंटल में	योजना जहाँ अधिक मात्रा बेची गई	कम्पनी की क्षतिपूर्ति दर प्रति क्विंटल में	प्रति क्विंटल अन्तर (राशि ₹ में)	अतिरिक्त लाभ / हानि की उत्पति (राशि ₹ लाख में)
1. डी0एल0ओ0 पटना						
			गेहूँ			
ए0ए0वाई0	43,536.62	237.00	बी0पी0एल0	466.60	229.60	99.96
ए0एन0पी0	346.59	नि:शुल्क	बी0पी0एल0	466.60	466.60	1.62
ए0एन0पी0	973.01	नि:शुल्क	ए0ए0वाई0	237.00	237.00	2.31
					कुल लाभ	**103.89**
ए0पी0एल0	5,93,324.70	655.40	बी0पी0एल0	466.60	(188.80)	1120.20
ए0पी0एल0	14881.39	655.40	ए0ए0वाई0	237.00	(418.40)	62.26
ए0पी0एल0	4198.62	655.40	ए0एन0पी0	नि:शुल्क	(655.40)	27.52
					कुल हानि	**1209.98**
			चावल			
एम0डी0एम0	68533.16	नि:शुल्क	बी0पी0एल0	622.60	622.60	426.69
ए0ए0वाई0	22574.99	337.00	बी0पी0एल0	622.60	285.60	64.47
ए0ए0वाई0	5338.61	337.00	ए0पी0एल0	849.40	512.40	27.36
ए0एन0पी0	2994.45	नि:शुल्क	ए0ए0वाई0	337.00	337.00	10.09
एम0डी0एम0	13979.10	नि:शुल्क	ए0ए0वाई0	337.00	337.00	47.11
ए0एन0पी0	52.55	नि:शुल्क	एम0डी0एम0	नि:शुल्क	-	-
एम0डी0एम0	585.39	नि:शुल्क	ए0पी0एल0	849.40	849.40	4.97
					कुल लाभ	**580.69**
बी0पी0एल0	9108.99	622.60	ए0एन0पी0	नि:शुल्क	(622.60)	56.71
ए0पी0एल0	20068.26	849.40	बी0पी0एल0	622.60	(226.80)	45.51
ए0पी0एल0	389.68	849.40	ए0एन0पी0	नि:शुल्क	(849.40)	3.31
					कुल हानि	**105.53**
2. डी0एल0ओ0 नवादा						
			गेहूँ			
ए0 ए0 वाई0	546.70	237.00	ए0पी0एल0	655.40	418.40	2.29
ए0 ए0 वाई0	17960.27	237.00	बी0पी0एल0	466.60	229.60	41.23
ए0 एन0 पी0	444.90	नि:शुल्क	ए0ए0वाई0	237.00	237.00	1.05
ए0 एन0 पी0	76.80	नि:शुल्क	ए0पी0एल0	655.40	655.40	0.50
					कुल लाभ	**45.07**
बी0पी0एल0	666.52	466.60	ए0एन0पी0	नि:शुल्क	(466.60)	3.11
ए0पी0एल0	238786.32	655.40	बी0पी0एल0	466.60	(188.80)	450.83
					कुल हानि	**453.94**
			चावल			
ए0ए0वाई0	11415.73	337.00	बी0पी0एल0	622.60	285.60	32.60

योजना जहाँ से अधिक मात्रा प्राप्त की गई	मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर प्रति क्विंटल में	योजना जहाँ अधिक मात्रा बेची गई	कम्पनी की क्षतिपूर्ति दर प्रति क्विंटल में	प्रति क्विंटल अन्तर (राशि ₹ में)	अतिरिक्त लाभ / हानि की उत्पति (राशि ₹ लाख में)
एम0डी0एम0	5699.46	नि:शुल्क	बी0पी0एल0	622.60	622.60	35.48
ए0एन0पी0	246.24	नि:शुल्क	ए0ए0वाई0	337.00	337.00	0.83
एम0डी0एम0	607.94	नि:शुल्क	ए0ए0वाई0	337	337	2.05
ए0एन0पी0	346.04	नि:शुल्क	एम0डी0एम0	नि:शुल्क	-	-
					कुल लाभ	**70.96**
बी0पी0एल0	317.90	622.60	ए0एन0पी0	नि:शुल्क	(622.60)	(1.98)
ए0पी0एल0	99.13	849.40	ए0एन0पी0	नि:शुल्क	(849.40)	(0.84)
					कुल हानि	**2.82**
3. डी0एल0ओ0 बेगूसराय						
			गेहूँ			
ए0एन0पी0	479.19	नि:शुल्क	बी0पी0एल0	466.60	466.60	2.23
					कुल लाभ	**2.23**
बी0पी0एल0	6399.82	466.60	ए0ए0वाई0	237.00	229.60	14.69
ए0ए0वाई0	939.69	237.00	ए0एन0पी0	नि:शुल्क	237.00	2.23
					कुल हानि	**16.92**
			चावल			
ए0ए0वाई0	11999.82	337.00	बी0पी0एल0	622.60	285.60	34.27
ए0एन0पी0	2175.52	नि:शुल्क	बी0पी0एल0	622.60	622.60	13.54
एम0डी0एम0	1528.13	नि:शुल्क	बी0पी0एल0	622.60	622.60	9.51
एस0जी0आर0 वाई0	2385.16	नि:शुल्क	बी0पी0एल0	622.60	622.60	14.85
एम0डी0एम0	2238.49	नि:शुल्क	ए0ए0वाई0	337.00	337.00	7.54
एम0डी0एम0	12.88	नि:शुल्क	ए0एन0पी0	नि:शुल्क	-	-
एस0जी0आर0 वाई0	236.56	नि:शुल्क	ए0एन0पी0	नि:शुल्क	-	-
					कुल लाभ	**79.71**
ए0ए0वाई0	472.48	337.00	ए0एन0पी0	नि:शुल्क	337.00	1.59
ए0ए0वाई0	370.80	337.00	एस0जी0आर0वाई0	नि:शुल्क	337.00	1.25
					कुल हानि	**2.84**
4. डी0एल0ओ0 समस्तीपुर						
			गेहूँ			
ए0ए0वाई0	32854.27	237.00	बी0पी0एल0	466.60	229.60	75.43
ए0एन0पी0	1480.01	नि:शुल्क	ए0ए0वाई0	237.00	**237.00**	**3.51**
					कुल लाभ	**78.94**
ए0पी0एल0	8204.39	655.40	ए0ए0वाई0	237.00	418.40	34.33
बी0पी0एल0	4251.52	466.60	ए0एन0पी0	नि:शुल्क	466.60	19.84
ए0पी0एल0	73.77	655.40	ए0एन0पी0	नि:शुल्क	655.40	0.48
ए0पी0एल0	140830.44	655.40	बी0पी0एल0	466.60	188.80	265.89
					कुल हानि	**320.54**

योजना जहाँ से अधिक मात्रा प्राप्त की गई	मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर प्रति क्विंटल में	योजना जहाँ अधिक मात्रा बेची गई	कम्पनी की क्षतिपूर्ति दर प्रति क्विंटल में	प्रति क्विंटल अन्तर (राशि ₹ में)	अतिरिक्त लाभ / हानि की उत्पति (राशि ₹ लाख में)
			चावल			
ए0ए0वाई0	55806.37	337	बी0पी0एल0	622.60	285.60	159.38
ए0एन0पी0	7550.42	नि:शुल्क	बी0पी0एल0	622.60	622.60	47.00
एम0डी0एम0	559.07	नि:शुल्क	ए0एन0पी0	नि:शुल्क	-	-
					कुल लाभ	**206.38**
बी0पी0एल0	36934.62	622.60	एम0डी0एम0	नि:शुल्क	622.60	229.95
ए0ए0वाई0	10594.61	337.00	एम0डी0एम0	नि:शुल्क	337.00	35.70
ए0ए0वाई0	3449.57	337.00	ए0एन0पी0	नि:शुल्क	337.00	11.62
					कुल हानि	**277.27**
5. डी0एल0ओ0 मुजफ्फरपुर						
			गेहूँ			
ए0ए0वाई0	479316.32	237.00	बी0पी0एल0	466.60	229.60	1100.51
बी0पी0एल0	6681.02	466.60	ए0पी0एल0	655.40	188.80	12.61
ए0एन0पी0	781.82	नि:शुल्क	ए0ए0वाई0	237.00	237.00	1.85
ए0ए0वाई0	4230.91	237.00	ए0पी0एल0	655.40	418.40	17.70
ए0एन0पी0	46.40	नि:शुल्क	ए0पी0एल0	655.40	655.40	0.30
					कुल लाभ	**1132.97**
बी0पी0एल0	3957.21	466.60	ए0एन0पी0	नि:शुल्क	466.60	18.46
					कुल हानि	**18.46**
			चावल			
ए0ए0वाई0	40697.42	337.00	बी0पी0एल0	622.60	285.60	116.23
बी0पी0एल0	103.40	622.60	ए0पी0एल0	849.40	226.80	0.23
ए0ए0वाई0	144.09	337.00	ए0पी0एल0	849.40	512.40	0.73
ए0एन0पी0	412.62	नि:शुल्क	ए0ए0वाई0	337.00	337.00	1.39
एम0डी0एम0	3202.64	नि:शुल्क	ए0ए0वाई0	337.00	337.00	10.79
एम0डी0एम0	59.38	नि:शुल्क	ए0एन0पी0	नि:शुल्क	-	-
					कुल लाभ	**129.37**
बी0पी0एल0	881.00	622.60	ए0एन0पी0	नि:शुल्क	622.60	5.48
बी0पी0एल0	365.35	622.60	एम0डी0एम0	नि:शुल्क	622.60	2.27
					कुल हानि	**7.75**
6. डी0एल0ओ0 नालन्दा						
			गेहूँ			
ए0एन0पी0	1158.67	नि:शुल्क	बी0पी0एल0	466.60	466.60	5.40
ए0ए0वाई0	30798.20	237	बी0पी0एल0	466.60	229.60	70.71
					कुल लाभ	**76.11**
ए0पी0एल0	61400.44	655.40	बी0पी0एल0	466.60	188.80	115.92
ए0ए0वाई0	1273.83	237	ए0एन0पी0	नि:शुल्क	237	3.02
ए0पी0एल0	119.70	655.40	ए0ए0वाई0	237.00	**418.40**	**0.50**
					कुल हानि	**119.44**
			चावल			
ए0ए0वाई0	20857.87	337	बी0पी0एल0	622.60	285.60	59.57

परिशिष्ट–10

योजना जहाँ से अधिक मात्रा प्राप्त की गई	मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर प्रति क्विंटल में	योजना जहाँ अधिक मात्रा बेची गई	कम्पनी की क्षतिपूर्ति दर प्रति क्विंटल में	प्रति क्विंटल अन्तर (राशि ₹ में)	अतिरिक्त लाभ/हानि की उत्पति (राशि ₹ लाख में)
एम0डी0एम0	360.56	निःशुल्क	बी0पी0एल0	622.60	622.60	2.24
ए0एन0पी0	726.22	निःशुल्क	बी0पी0एल0	622.60	622.60	4.52
ए0एन0पी0	305.41	निःशुल्क	ए0ए0वाई0	337	337	1.02
एम0डी0एम0	10.72	निःशुल्क	ए0एन0पी0	निःशुल्क	-	-
					कुल लाभ	**67.35**
ए0ए0वाई0	5068.99	337	एम0डी0एम0	निःशुल्क	**337**	**17.08**
					कुल हानि	**17.08**

एस0एफ0सी0 के विभिन्न डी0एल0ओ0 में अनाज के विचलन के कारण लाभ से संबंधित विवरणी।

(₹ लाख में)

डी0एल0ओ0 का नाम	गेहूँ	चावल	कुल राशि
पटना	103.89	580.69	684.58
नवादा	45.07	70.96	116.03
बेगुसराय	2.23	79.71	81.94
समस्तीपुर	78.94	206.38	285.32
मुजफ्फरपुर	1132.97	129.37	1262.34
नालंदा	76.11	67.35	143.46
कुल राशि	1439.21	1134.46	2573.67 जैसे 25.74 करोड़

एस0एफ0सी0 के विभिन्न डी0एल0ओ0 में अनाज के विचलन के कारण हानि से संबंधित विवरणी।

(₹ लाख में)

डी0एल0ओ0 का नाम	गेहूँ	चावल	कुल राशि
पटना	1209.98	105.53	1315.51
नवादा	453.94	2.82	456.76
बेगुसराय	16.92	2.84	19.76
समस्तीपुर	320.54	277.27	597.81
मुजफ्फरपुर	18.46	7.75	26.21
नालंदा	119.44	17.08	136.52
कुल राशि	2139.28	413.29	2552.57 जैसे 25.53 करोड़

परिशिष्ट 11

सीमान्त दर की असंशोधन के कारण हानि से सम्बन्धित विवरणी

(कंडिका 2.12.1 में संदर्भित)

योजना का नाम	उठाया हुआ अनाज (क्विंटल में)		कुल मात्रा (क्विंटल में)	विद्यमान सीमान्त दर प्रति क्विंटल में (₹ में)	प्रस्तावित सीमान्त दर प्रति क्विंटल में (₹ में)	अन्तर प्रति क्विटंल (₹ में)	परिहार्य हानि (₹ में)
	2009-10	2010-11					
बी0पी0एल0 (गेहूँ)	4108930	4470460	8579390	35.00	45.00	10.00	85793900
बी0पी0एल0 (चावल)	7455320	10625190	18080510	35.00	45.00	10.00	180805100
ए0ए0वाई0 (गेहूँ)	3852080	4106460	7958540	29.00	45.00	16.00	127336640
ए0ए0वाई0 (चावल)	5419780	6021910	11441690	25.00	45.00	20.00	228833800
ए0पी0एल0 (गेहूँ)	3306240	3842950	7149190	21.00	45.00	24.00	171580560
ए0पी0एल0 (चावल)	3700	137290	140990	22.60	45.00	22.40	3158176
एम0डी0एम0 (चावल)	2153250	1817010	3970260	35.00	45.00	10.00	39702600
ए0एन0पी0 (गेहूँ)	91510	87660	179170	35.00	45.00	10.00	1791700
ए0एन0पी0 (चावल)	61070	58550	119620	35.00	45.00	10.00	1196200
कुल	26451880	31167480	57619360				840198676

₹ 84.02 करोड़

परिशिष्ट 12

2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान राज्य में पूर्ण रूप से वितरण नैटवर्क योजना के विरूद्ध उपलब्धि का ब्यौरा से सम्बन्धित विवरणी

(कंडिका 3.6.1 में संदर्भित)

क्रम सं0	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
(क)	**सब स्टेशनों की संख्या (विभिन्न श्रेणी के)**					
i	वर्ष के शुरूआत में	362	391	398	404	431
ii	वर्ष में नियोजित वृद्धि	131	24	93	43	शून्य
iii	वर्ष में वृद्धि किया गया	29	07	06	27	42
iv	वर्ष के अन्त में	391	398	404	431	473
V	वृद्धि में कमी (ii-iii)	102	17	87	16	शून्य
(ख)	**एच0टी0 लाईन (सी0के0एम0 में)**					
i	वर्ष के शुरूआत में	40814	44989	49538	54703	60239
ii	वर्ष में नियोजित वृद्धि	10394.73	10394.73	10394.73	10394.73	10394.73
iii	वर्ष में वृद्धि किया गया	4175	4549	5165	5536	6125
iv	वर्ष के अन्त में	44989	49538	54703	60239	66364
V	वृद्धि मे कमी (ii-iii)	6219.73	5845.73	5229.73	4858.73	4269.73
(ग)	**एल0टी0 लाईन (सी0के0एम0 में)**					
i	वर्ष के शुरूआत में	65860	97258	106594	117634	129485
ii	वर्ष में नियोजित वृद्धि[21]	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
iii	वर्ष में वृद्धि किया गया	31398	9336	11040	11851	12981
iv	वर्ष के अन्त में	97258	106594	117634	129485	142466
V	वृद्धि में कमी (ii-iii)	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
(घ)	**ट्रांसफॉर्मर क्षमता (एम0वी0ए0 में)**					
i	वर्ष के शुरूआत में	2544.45	2770.21	3113.69	3450.19	3939.06
ii	वर्ष[22] में नियोजित वृद्धि	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
iii	वर्ष में वृद्धि किया गया	225.76	343.48	336.50	488.87	518.09
iv	वर्ष के अन्त में	2770.21	3113.69	3450.19	3939.06	4457.15
V	वृद्धि में कमी (ii-iii)	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त

[21] एल0टी0 लाइन्स से सम्बन्धित योजना का आँकड़ा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

[22] पी0एस0एस0 के क्षमता वृद्धि से सम्बन्धित योजना का आँकड़ा वर्षवार विभाजित रूप में बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट 13

अतिरिक्त आधारभूत संरचना नियोजन के बेमेल होने से सम्बन्धित विवरणी

(कंडिका 3.6.1 में संदर्भित)

(एम0वी0ए0 में)

अंचल का नाम	प्रक्षिप्त भार 2011	पी0एस0एस0 का आदर्श क्षमता जैसे संविदित भार का 133 प्रतिशत	मार्च 2007 को पी0एस0एस0 का विद्यमान क्षमता	2007–11 के दौरान कुल नियोजित वृद्धि	31.3.11 को पी0एस0एस0 के क्षमता का योजना	अधिक (+) / कमी (-) योजना में	बेमेल होने की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4 + 5)	(7)=(6 - 3)	(8)
आरा	143.34	191.12	84.15	238.85	323	131.88	69
भागलपुर	248.56	331.41	112.4	172.2	284.6	-46.81	-14.01
छपरा	263.32	351.09	99.73	234.02	333.75	-17.34	-4.94
दरभंगा	257.18	342.91	115.15	179.55	294.7	-48.21	-13.97
गया	350.08	466.77	387.65	228.65	616.3	149.53	32.03
मोतिहारी	173.45	231.27	86.6	140.75	227.35	-3.92	2.63
मुंगेर	197.11	262.81	122.07	190.98	313.05	50.24	19.11
मुजफ्फरपुर	414.16	552.21	215.4	368.9	584.3	32.09	5.81
नालंदा	142.97	190.63	150.4	206.45	356.85	166.22	87.20
पटना	367.02	489.36	143.3	131.9	275.2	-214.16	-43.76
पेसू[23]	1043.87	1391.83	527.94	209.11	737.05	-654.78	-47.04
पूर्णिया	236.15	314.87	115.71	212.99	328.7	13.83	4.39
सहरसा	190.17	253.56	78.3	233.05	311.35	57.79	22.79
समस्तीपुर	227.00	302.67	107.25	170.8	278.05	-24.62	-8.13
सासाराम	341.76	455.68	198.4	144.5	342.9	-112.78	-24.97
	4596.14	**6128.19**	**2544.45**	**3062.7**	**5607.15**		

[23] पेसू (पूर्व) और पेसू (पश्चिम) अंचल को सम्मिलित कर।

परिशिष्ट 14

संविदा प्रदान करने में विलम्ब के कारण लागत वृद्धि से सम्बन्धित विवरणी

(कंडिका 3.7.2 में संदर्भित)

(राशि :₹ करोड़ में)

क्रम सं0	जिला का नाम	बोर्ड द्वारा आर0ई0सी0 को अनुमोदन हेतु डी0पी0आर0 समर्पित करने की तिथि	डी0पी0आर0 स्वीकृति होने की तिथि	प्रथम एन0आई0टी0 जारी होने की तिथि	एल0 1 द्वारा उद्धरित राशि	अनुमोदन हेतु आर0ई0सी0 को भेजने की तिथि	आर0ई0सी0 के अनुमोदन की तिथि	द्वितीय एन0आई0टी0 की तिथि	एल0 1 द्वारा उद्धरित राशि	राशि में वृद्धि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11=(10 – 6).
1.	सुपौल	08.02.06	09.08.06	05.10.06	84.42	17.10.07	29.08.08	14.11.08	108.56	24.14
2.	कटिहार	04.02.06	04.02.06	06.12.06	226.11	17.10.07	29.08.08	17.11.08	254.36	28.25
3.	शेखपुरा	04.02.06	04.02.06	06.12.06	39.67	31.10.07	29.08.08	12.11.08	41.19	1.52
4.	समस्तीपुर	04.02.06	04.02.06	06.12.06	123.70	17.10.07	29.08.08	17.11.08	132.11	8.41
5.	बेगूसराय	04.02.06	04.02.06	06.12.06	90.76	17.10.07	29.08.08	14.11.08	111.41	20.65
6.	मधेपुरा	04.02.06	04.02.06	06.12.06	66.98	17.10.07	29.08.08	12.11.08	75.70	8.72
7.	खगड़िया	04.02.06	04.02.06	06.12.06	41.45	17.10.07	29.08.08	12.11.08	43.54	2.09
8.	सहरसा	04.02.06	04.02.06	06.12.06	75.31	31.10.07	29.08.08	14.11.08	85.22	9.91
					748.40				**852.09**	**103.69**

परिशिष्ट 15

मीटर के संस्थापन के प्रगति को दर्शाती विवरणी

(कंडिका 3.9.4 में संदर्भित)

(संख्या में)

वर्ष	वर्ष के आरम्भ में संस्थापित मीटर	वर्ष के दौरान मीटर लगाने का लक्ष्य	वर्ष के दौरान वास्तविक संस्थापित मीटर	वर्ष के अन्त में संस्थापित मीटर	लक्ष्य के विरूद्ध प्राप्ति का प्रतिशतता
2008-09	401126	150000	54895	456021	36.6
2009-10	456021	150000	39887	495908	26.59
2010-11	495908	150000	51922	547830	34.6

टिप्पणी : वर्ष 2006–07 और 2007–08 के सम्बन्ध में सूचना बोर्ड द्वारा नहीं समर्पित की गई।

परिशिष्ट 16

वर्ष 2006–11 के दौरान स्त्रोत–वार विद्युत शक्ति क्रय को दर्शाती विवरणी

(कंडिका 3.10.1 में संदर्भित)

(मिलीयन इकाई में/औसत लागत प्रति इकाई)

वर्ष	राज्य में उत्पादन करने वाले सा0क्षे0उ0	केन्द्रीय क्षेत्र	आई0पी0पी0	अन्य	कुल
2006-07	46.76	7884.59	0	247.17	8178.52
	199.99	177.53	0	343.215	182.66
2007-08	45.23	7707.67	2.32	376.15	8131.37
	200.00	185.69	297.37	493.87	200.061
2008-09	41.54	8588.71	13.12	158.74	8802.11
	199.99	213.71	297.94	460.83	218.23
2009-10	32.27	9349.85	11.14	548.02	9941.28
	208.31	247.91	300.07	367.70	254.44
2010-11	27.37	10741.92	28.35	180.17	10977.81
	243.88	290.72	426.55	528.58	294.86
कुल	**193.17**	**44272.74**	**54.93**	**1510.25**	**46031.09**

परिशिष्ट 17

गंगोत्री आइरन एण्ड स्टील कम्पनी, बिहटा, उपभोक्ता संख्या 6771/बी0टी0 के माँग भार के अल्प निर्धारण के कारण हुई राजस्व की हानि को दर्शाती विवरणी

(कंडिका 3.12.5 में संदर्भित)

माह	माँग भार जो वास्तव में विपत्रीकृत किया (वास्तविक एम0डी0 अभिलेखित)	15946 के0वी0ए0 के अनुसार (₹ में)	अल्पभारित राशि (₹ में)
	(क)	(ख)	(क) – (ख)
जनवरी' 09	72,57,000 (11840)	78,13,540	5,56,540
फरवरी' 09	1,02,86,200 (12410)	1,04,18,053	13,18,53
मार्च' 09	1,01,50,000 (12820)	1,11,62,200	10,12,200
अप्रैल' 09	1,01,50,000 (13250)	1,11,62,200	10,12,200
मई' 09	1,01,50,000 (13850)	1,11,62,200	10,12,200
जुन' 09	1,01,50,000 (13610)	1,11,62,200	10,12,200
जुलाई' 09	1,01,50,000 (13660)	1,11,62,200	10,12,200
अगस्त' 09	1,05,02,400 (14010)	1,11,62,200	6,59,800
सितम्बर' 09	1,01,50,000 (14270)	1,11,62,200	10,12,200
अक्टूबर' 09	1,01,50,000 (14000)	1,11,62,200	10,12,200
नवम्बर' 09	1,01,50,000 (14030)	1,11,62,200	10,12,200
दिसम्बर' 09	1,04,72,000 (14960)	1,11,62,200	6,90,200
जनवरी' 10	1,07,66,000 (15380)	1,11,62,200	3,96,200
फरवरी' 10	1,04,79,000 (14970)	1,11,62,200	6,83,200
मार्च' 10	1,03,81,000 (14830)	1,11,62,200	7,81,200
अप्रैल' 10	1,04,16,000 (14880)	1,11,62,200	7,46,200
मई' 10	1,05,63,000 (15090)	1,11,62,200	5,99,200
जुन' 10	1,01,50,000 (14100)	1,11,62,200	10,12,200
जुलाई' 10	1,01,50,000 (14220)	1,11,62,200	10,12,200
अगस्त' 10	1,01,50,000 (13730)	1,11,62,200	10,12,200
सितम्बर' 10	1,01,50,000 (12400)	1,11,62,200	10,12,200
अक्टूबर' 10	1,01,50,000 (13410)	1,11,62,200	10,12,200
नवम्बर' 10	1,01,50,000 (13520)	1,11,62,200	10,12,200
दिसम्बर' 10	1,01,50,000 (12850)	1,11,62,200	10,12,200
जनवरी' 11	1,01,50,000 (12600)	1,11,62,200	10,12,200
फरवरी' 11	1,01,50,000 (12350)	1,11,62,200	10,12,200
मार्च' 11	1,01,50,000 (12740)	1,11,62,200	10,12,200
अप्रैल' 11	1,01,50,000 (12740)	1,11,62,200	10,12,200
कुल			**24476193**

₹ 2.45 करोड़

परिशिष्ट 18

वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान टैरिफ में प्रति साहाय्य के तत्व को दर्शाती विवरणी

(कंडिका 3.14.4 में संदर्भित)

क्रम सं0	श्रेणी	औसत यूनिट दर ₹/ यूनिट	ए0 सी0 ओ0 ₹/ यूनिट	ए0 सी0 ओ0 को प्रति साहाय्य (प्रतिशत)	औसत यूनिट दर ₹/ यूनिट	ए0 सी0 ओ0 ₹/ यूनिट	ए0 सी0 ओ0 प्रति साहाय्य (प्रतिशत)	औसत यूनिट दर ₹/ यूनिट	ए0 सी0 ओ0 ₹/ यूनिट	ए0 सी0 ओ0 को प्रति साहाय्य (प्रतिशत)	औसत यूनिट दर ₹/ यूनिट	ए0 सी0 ओ0 ₹/ यूनिट	ए0 सी0 ओ0 को प्रति साहाय्य (प्रतिशत)	औसत यूनिट दर ₹/ यूनिट	ए0 सी0 ओ0 ₹/ यूनिट	ए0 सी0 ओ0 को प्रति साहाय्य (प्रतिशत)
		2006-07			2007-08			2008-09			2009-10			2010-11		
1	घरेलू	1.65	6.34	73.97	1.82	6.33	71.25	1.82	6.63	72.55	1.82	6.97	73.89	2.14	8.38	74.46
2	गैर–घरेलू (वाणिज्यिक)	4.83	6.34	23.82	4.85	6.33	23.38	4.84	6.63	27.00	4.84	6.97	30.56	6.38	8.38	23.87
3	सार्वजनिक रोशनी	2.31	6.34	63.56	2.4	6.33	62.09	2.41	6.63	63.65	2.41	6.97	65.42	3.64	8.38	56.56
4	सिंचाई	0.56	6.34	91.17	0.64	6.33	89.89	0.64	6.63	90.35	0.68	6.97	90.24	2.24	8.38	73.27
5	सार्वजनिक जल कार्य	2.95	6.34	53.47	3.17	6.33	49.92	3.37	6.63	49.17	3.37	6.97	51.65	4.33	8.38	48.33
6	औद्योगिक एल0टी0	4.92	6.34	22.40	4.95	6.33	21.80	4.95	6.63	25.34	4.47	6.97	35.87	4.61	8.38	44.99
7	औद्योगिक एच0टी0	4.48	6.34	29.34	4.39	6.33	30.65	4.28	6.63	35.44	4.28	6.97	38.59	5.11	8.38	39.02
8	रेलवे ट्रैक्शन	4.86	6.34	23.34	5.02	6.33	20.70	5.03	6.63	24.13	4.89	6.97	29.84	5.69	8.38	32.10
9	अन्तर राज्य	2.97	6.34	53.15	3.68	6.33	41.86	5.82	6.63	12.22	3.84	6.97	44.91	4.12	8.38	50.84

परिशिष्ट 19

लेबर सेस और उस पर दण्डीय ब्याज के कारण दायित्व को दर्शाती विवरणी

(कंडिका 4.5 में संदर्भित)

माह	प्रमण्डल				कुल	श्रम सेस देय	माहों की संख्या	ब्याज	लेबर सेस और ब्याज
	बि0पु0भ0नि0नि0, पटना	बि0रा0पु0नि0नि0, पटना–I	बि0रा0पु0नि0नि0, पटना–II	बि0रा0पु0नि0नि0, रोड					
अप्रैल –08	1849737	83784656	77367144	64192716	227194253	2271943	35	1590360	3862302
मई–08	2102978	71219051	87170760	83469370	243962159	2439622	34	1658943	4098564
जुन–08	3638904	69837477	91933667	87345444	252755492	2527555	33	1668186	4195741
जुलाई–08	2085392	56684205	57992037	88873057	205634691	2056347	32	1316062	3372409
अगस्त–08	1664347	63199802	21711814	39670465	126246428	1262464	31	782728	2045192
सितम्बर–08	3332599	29137648	25533530	34314267	92318044	923180	30	553908	1477089
अक्टूबर–08	1287913	128685897	11220830	63464414	204659054	2046591	29	1187023	3233613
नवम्बर–08	1582466	25911331	31929014	121132149	180554960	1805550	28	1011108	2816657
दिसम्बर–08	1982486	55358891	79316450	91958171	228615998	2286160	27	1234526	3520686
जनवरी–09	2418013	159719479	56719598	167733586	386590676	3865907	26	2010272	5876178
फरवरी–09	6610329	35713563	44843642	160705304	247872838	2478728	25	1239364	3718093
मार्च–09	7980251	248969653	59091028	191031202	507072134	5070721	24	2433946	7504668
अप्रैल–09	9715059	51069272	43099308	122651402	226535041	2265350	23	1042061	3307412
मई–09	7280835	90501031	35749403	85093637	218624906	2186249	22	961950	3148199
जुन–09	16828875	74161821	35236299	159176598	285403593	2854036	21	1198695	4052731
जुलाई–09	22444981	168084666	32843281	47057258	270430186	2704302	20	1081721	3786023
अगस्त–09	16294746	61750940	30667581	78510521	187223788	1872238	19	711450	2583688
सितम्बर–09	21360013	81250513	38717305	133277106	274604937	2746049	18	988578	3734627
अक्टूबर–09	26090416	9447066	28261072	53871318	117669872	1176699	17	400078	1576776
नवम्बर–09	14101757	57169233	34566183	149032328	254869501	2548695	16	815582	3364277
दिसम्बर–09	18122181	87070914	55527929	193938925	354659949	3546599	15	1063980	4610579
जनवरी–10	12917776	53997111	46569750	103369536	216854173	2168542	14	607192	2775733
फरवरी–10	20025562	0	0	0	20025562	200256	13	52066	252322
मार्च–10	30620475	0	0	0	30620475	306205	12	73489	379694
अप्रैल–10	3675027	0	0	0	3675027	36750	11	8085	44835

परिशिष्ट–19

माह	प्रमण्डल				कुल	श्रम सेस देय	माहों की संख्या	ब्याज	लेबर सेस और ब्याज
	बि0पु0भ0नि0नि0, पटना	बि0रा0पु0नि0नि0, पटना–I	बि0रा0पु0नि0नि0, पटना–II	बि0रा0पु0नि0नि0, रोड					
मई–10	12667211	0	0	0	12667211	126672	10	25334	152007
जुन–10	13105196	0	0	0	13105196	131052	9	23589	154641
जुलाई–10	11467976	0	0	0	11467976	114680	8	18349	133029
अगस्त–10	9067168	0	0	0	9067168	90672	7	12694	103366
सितम्बर–10	16924196	0	0	0	16924196	169242	6	20309	189551
अक्टूबर–10	24481513	0	0	0	24481513	244815	5	24482	269297
नवम्बर–10	14464308	0	0	0	14464308	144643	4	11571	156215
दिसम्बर–10	27340429	0	0	0	27340429	273404	3	16404	289809
जनवरी–11	19978713	0	0	0	19978713	199787	2	7991	207779
फरवरी–11	22243813	0	0	0	22243813	222438	1	4449	226887
मार्च–11	63159221	0	0	0	63159221	631592	0	0	631592
				कुल	**5599573481**	**55995735**		**25856525**	**81852260**

परिशिष्ट 20

कम्पनीवार कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान का अधिक भुगतान

(कंडिका 4.7 में संदर्भित)

क्रम सं0.	कम्पनी का नाम	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	कुल
1	बिहार राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	शून्य	62,814	97,114	2,11,146	18,42,591	22,13,665
2	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	99,345	1,58,086	2,37,008	4,79,309	उपलब्ध नहीं	9,73,748
3	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	44.8461	6,33,482	14,14,568	24,96,511
4	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	2,28,468	3,17,771	2,98,476	281,526	उपलब्ध नहीं	11,26,241
5	बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	9,93,146	11,63,427	14,23,853	1779,556	उपलब्ध नहीं	53,59,982
6	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	7,59,595	14,76,585	16,25,336	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	38,61,516
7	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	1,56,318	1,56,110	2,29,428	2,87,473	8,26,671	16,56,000
8	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	5,94,646	4,47,628	6,37,369	10.09.484	11,60,940	38,50,067
9	बिहार पुलिस भवन निर्माण लिमिटेड	12,29,399	8,98,981	28,65,206	59,96,959	89,97,794	1,99,88,339
							4,15,26,069

परिशिष्ट 21

आपूर्तिदाता को हुए अधिक भुगतान को दर्शाती विवरणी

(कंडिका 4.8 में संदर्भित)

एन0आई0टी0 स0.185 / पी0आर0 / बी0एस0ई0बी0 / 2007					
क्रय आदेश संख्या–37 दिनांकः 12 / 06 / 2008			प्राईस वेरियेशन आई0ई0ई0एम0ए0 सर्कुलर के आलोक में जिसका आधार तिथिः 01 / 08 / 2007 है। पूर्व कार्य मूल्य–18122752.54 अन्तिम सुर्पुदगी का तिथिः 11 / 07 / 2008		
41 दिनांकः 20 / 06 / 2008			प्राईस वेरियेशन आई0ई0ई0एम0ए0 सर्कुलर के आलोक में जिसका आधार तिथिः 01 / 08 / 2007 है। पूर्व कार्य मूल्य–1799900 अन्तिम सुर्पुदगी की तिथिः 19 / 10 / 2008		
क्रम सं0.	ट्रान्सफॉर्मरों की क्रम संख्याएँ	एस0आर0भी0 एवं दिनांक	आपूर्तिदाता का भुगतान की गई राशि	मूल्य जो कि भुगतान करना था वास्तविक आपूर्ति के दिनांक से	अधिक भुगतान की गई राशि
1.	2045/24 1 सं0	16751 दि. 15.01.09	2271323.50	2177268.77	94054.23
2.	2045/25&26 2 सं0	16773 दि. 7/5.03.09	4379196.00	3804320.00	574876.00
3.	2045/27 to 31 5 सं0	11746 दि. 21.04.09	10684588.00	9142919.00	1541669.00
4.	2045/32 to 34 3 सं0	11795 दि. 30.05.09	5778588.00	5501679.00	276910.00
5.	2045/35 1 सं0	16234 दि. 14.07.09	1926196.00	1787812.00	138384.00
क्रय आदेश संख्या–41 दिनांकः 20 / 06 / 2008					
6.	5000A/16, 17 &18 3 सं0	16922 दि. 13.01.09	11825780.00	9549615.00	2276165.00
7.	500A/19&20 2 सं0	16942 दि. 17.01.09			
				कुल	4902055.23
				अधिक प्रवेश कर का भुगतान	440639.00
				कुल अधिक राशि का भुगतान	**53,42,694.23**

परिशिष्ट 22

क्रय आदेश का एवं सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक मीटरों के दर को दर्शाती विवरणी

(कंडिका 4.9 (क) में संदर्भित)

क्रम सं0.	फर्म का नाम	क्र0.अ0.सं0/ दिनांक	संख्या	दर/इकाई (₹)
1	मे0 मैक्सवेल इन्डिया, जयपुर	37/29.09.2010	36000	350
2	मे0 एलाईड इन्जीनियरिंग वर्क्स, दिल्ली	41/29.09.2010	36000	450
3	मे0 इन्डोटेक स्विच गियर एण्ड कन्ट्रोल प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद	39/29.09.2010	36000	450
4	कैपिटल पावर सिस्टम लिमिटेड, नोएडा	38/29.09.2010	36000	439
5	नकोडा मीटर्स, मध्य प्रदेश	40/29.09.2010	36000	450

परिशिष्ट 23

क्रय आदेश का ब्यौरा एवं दर तथा सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर की आपूर्तित संख्या को दर्शाती विवरणी

(कंडिका 4.9 (ख) में संदर्भित)

क्रम सं0.	फर्म का नाम	क्र0आ0सं0 / दिनांक	संख्या	दर / इकाई (₹)	आपूर्तित मात्रा (संख्याएँ)
1	मे0 बेन्टेक्स कन्ट्रोल एण्ड स्विच गियर कम्पनी, नई दिल्ली	46/27.12.2010	50000	405	50.000
2	मे0 एलाईड इन्जीनियरिंग वर्क्स, दिल्ली	17/23.02.2011	1,25,000	405	82,000
3	मे0 बेन्टेक्स कन्ट्रोल एण्ड स्विच गियर कम्पनी, नई दिल्ली	28/10.05.2011	60000	405	18,000
4	मे0 इन्डोटेक स्विच गियर एण्ड कन्ट्रोल प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद	29/10.05.2011	60000	405	शून्य
5	मे0 नकोडा मीटर्स, मध्य प्रदेश	30/10.05.2011	60000	405	शून्य

परिशिष्ट 24

विभागवार बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाती विवरणी

(कंडिका 4.10 में संदर्भित)

क्रम सं0.	विभाग का नाम	सा0क्षे0उ0 की संख्या	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया कंडिकाओं की संख्या	वर्ष जहाँ से कंडिकाएँ बकाया में
1.	उद्योग	4	11	48	2004-05
2	सूचना प्रौद्यिगिकी	1	3	13	2007-08
3.	वन एवं पर्यावरण	1	4	22	2004-05
4.	कृषि	1	3	5	2004-05
5.	ऊर्जा	2	533	1193	2004-05
6.	पशुपालन एवं मत्सय संसाधन	1	1	5	2006-07
7.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	1	8	52	2004-05
8.	पर्यटन	1	3	20	2005-06
9.	शिक्षा	1	3	14	2004-05
10.	पथ निर्माण	2	2	8	2007-08
11.	गृह	1	4	23	2004-05
12.	खान एवं भू–विज्ञान	1	1	6	2004-05
13.	परिवहन	1	2	12	2004-05
14.	सहकारिता	1	6	22	2004-05
15.	निबन्धन, उत्पाद एवं निषेध	1	3	10	2008-09
16.	अल्पसंख्यक कल्याण	1	1	4	2010-11
17.	सामाजिक कल्याण	1	1	5	2010-11
	कुल	**22**	**589**	**1462**	

परिशिष्ट 25

विभागवार प्रारूप कंडिकाएँ/समीक्षाएँ जिनके उत्तर अप्राप्त हैं, को दर्शाती विवरणी

(कंडिका 4.10 में संदर्भित)

क्रम सं0.	विभाग का नाम	प्रारूप कंडिका की संख्याएँ	समीक्षा की संख्याएँ	निर्गत अवधि
1.	ऊर्जा	3	1	मई से दिसम्बर 2011
2.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	2	1	जुन से दिसम्बर 2011
3.	पथ निर्माण	2	-	जुन से दिसम्बर 2011
4.	शिक्षा	2	-	मई से दिसम्बर 2011
5.	उद्योग	6	-	अगस्त से दिसम्बर 2011
6.	गृह	2	-	जुन से दिसम्बर 2011
7.	निबन्धन, उत्पाद कर एवं निषेध	1	-	अगस्त से दिसम्बर 2011
8.	पर्यटन	1	-	अगस्त से दिसम्बर 2011
9.	कृषि	1	-	अगस्त से दिसम्बर 2011
10.	अल्पसंख्यक कल्याण	1	-	अगस्त से दिसम्बर 2011